

- ✧ पुस्तक
योग एक चिन्तन
- ✧ लेखक
उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द्र
- ✧ सन्पादक
श्री निलकण्ठ शास्त्री
- ✧ प्रकाशक
आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति
जैन स्थानक लुधियाना
- ✧ मुद्रक
आत्म जैन प्रिंटिंग प्रेस
३५० इण्डस्ट्रियल गरिया-ए
लुधियाना-३
- ✧ संस्करण
प्रथम (२३ सितम्बर १९७७)
एक हजार
- ✧ मूल्य
पाच रुपए

योग एक चिन्तन

जैन-धर्म-दिवाकर जैनागम-रत्नाकर आचार्य-सम्राट
श्रद्धेय श्री आत्माराम जी महाराज के शिष्य-रत्न



महामहिम शासन-प्रभावक तरुण तपस्वी
श्री खजान चन्द जी महाराज



जिनके कृपा-प्रसाद को पाकर मैं
 विरक्ति के विमल मार्ग पर पहुँचा,
 जिनकी ज्ञान-गरिमा से मैं
 स्वाध्यायशीलता के
 सुखद सदन में आसीन हुआ
 जिनकी ओजस्विनी प्रतिमा ने
 मुझे योग मार्ग में प्रवृत्त किया
 उन्हीं परम श्रद्धेय
 स्वर्गीय गुरुदेव
 श्री स्वज्ञानचन्द जी महाराज को
 सादर समर्पित

श्रद्धा-वन्दन



हे श्रमण - श्रेष्ठ ! विद्वद्वरेण्य !
मुनिराज सयमाधीश विभो !
योगेश ! प्रवर्तक - पद - मण्डित !
श्री फूलचन्द्र जी ! परम प्रभो !

हे अमर मुनीश्वर ! जन - जन के,
शुभ भाव-पुष्प स्वीकार करे ।
हे महामहिम ! मेरे वन्दन—
कर स्वीकृत जग उद्धार करे ।

'यह 'तिलक' चरण-अनुरागी है ।
शुभ हार्दिक श्रद्धा जागी है,
श्रद्धा - वन्दन स्वीकार करे !
जिन - सस्कृति का शृंगार करे ।

'तिलक'

प्रकाशकीय

‘आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति’ अनेक वर्षों में स्वर्गीय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की हार्दिक अभिलाषा की पूर्ति के लिये आगमो का, जैन सस्कृति के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाले मौलिक साहित्य का एव विविध स्तोत्रो आदि का साहित्य-प्रेमी दानवीरो के सहयोग से प्रकाशन कर रही है। यह प्रकाशन अपना विशेष महत्त्व रखते हैं, क्योंकि इनमें स्वर्गीय आचार्य श्री की सरल एव सरस भाषा में जन-जीवन के उद्धार के लिये उपयोगी ज्ञान-निधि सुरक्षित है।

लुधियाना का यह परम सौभाग्य है कि यहाँ पण्डित-रत्न श्री हेमचन्द्र जी महाराज, पञ्जाव-प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द्र जी महाराज, एव करुणा-मूर्ति विद्वद्रत्न श्री रतन मुनि जी महाराज विराजमान होकर स्वर्गीय आचार्य श्री की ज्ञाननिधि को प्रकाशित करने की सबल प्रेरणा तो देते ही रहते हैं, साथ ही अपने चिन्तन-पुष्पो से समाज को लाभान्वित भी कर रहे हैं।

उपाध्याय श्री जी की लेखनी एक ऐसी स्रोत-स्थली है जहाँ से ज्ञान-गंगा का पीयूष-प्रवाह निरन्तर प्रवाहित होकर जन-जन को अक्षय गान्धि प्रदान करता रहता है। वे अपनी ज्ञानमयी अभिव्यक्ति के द्वारा जैन साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं।

“योग एक चिन्तन” यह एक सर्वथा अभिनव रचना है। इसमें उपाध्याय जी महाराज ने योग-साधना की पूर्णता के लिये जिन आवश्यक साधनों की अनिवार्यता है उनका विशद साङ्गोपाङ्ग

विवेचन किया है।

जहां यह ग्रन्थ योग-साधना के पथिक जिज्ञासुओं के लिये उपयोगी है वहां जैन सस्कृति का विवाद परिचय प्राप्त करने वालों के लिये भी अत्यन्त सहायक है।

उपाध्याय श्री जी तो स्वयं महान् योगी हैं, अतः उनकी लेखनी ने उन अनुभूतियों को विवेक रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने स्वयं इस मार्ग पर चलते हुए प्राप्त की हैं, अतः यह ग्रन्थ योग-साधना के अनुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति करने वाला एक ऐसा प्रकाश-दीप है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अभीष्ट प्रकाश प्राप्त कर सकता है।

समिति को सौभाग्य से श्री तिलकधर गास्त्री साहित्य-रत्न साहित्यालंकार जैसे विद्वान् मिल गए हैं, उनकी विद्वत्ता एवं कलात्मक प्रतिभा समिति के प्रकाशनों को सुन्दर रस दे रही है, अतः समिति उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

अन्त में हम लुधियाना निवासी श्री रतनचन्द ओसवाल के सुपुत्र श्रीयुत श्रीपाल जी ओसवाल की धर्मपत्नी श्रीमती गकुन (कुन्ता देवी) का हार्दिक वन्द्यवाद करने हैं जिनके द्वारा दिये गए अर्थ-सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित हो सकी है। हम आशा करते हैं कि श्री रतनचन्द जी ओसवाल के परिवार की ओर से भविष्य में भी हमें ऐसी रचनाओं के प्रकाशन के लिये सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हम इन्हो गवर्शों के साथ यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हैं।

निवेदक

टी. आर. जैन, प्रधान

राजकुमार जैन, मन्त्री

आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति,

जैनस्थानक, लुधियाना।

एक कथ्य

योग-साधना के प्रति मेरा ख़्दान साधक जीवन के प्रथम चरण मे ही उत्पन्न हो गया था, क्योकि चित्त-वृत्तियो का निरोध करके मैं अन्तर्जगत् के रहस्यो को जानना चाहता था, साधना भी दढती गई और जिज्ञासाओं का विस्तार भी होना गया ।

जिज्ञासा अपूर्ण रहे यह असह्य सा होता है, अत मैं जिज्ञासा-पूर्ण के लिये स्वाध्याय करता रहा, पतञ्जलि के योग-दर्शन का आद्योपान्त मनन करते हुए तदनुसार कुछ करने का प्रयास भी किया, श्रद्धेय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणो मे बैठ कर ध्यान-सम्बन्धी अनेक जिज्ञासाओं की पूर्ति भी की, परन्तु जिज्ञासा अब भी प्रश्न-चिन्ह को पकड कर मेरे सामने खडी रहती है । मैं भी उसके नव-नव समाधानो के अन्वेषणार्थ यत्नशील रहता हूँ और यत्नशील रहूँगा ।

समवायाग सूत्र का अध्ययन करते हुए मैंने जब बत्तीस योगो का नामोल्लेख देखा तो मेरे हृदय ने चिन्तन-सागर की अतल गहराइयो को छूते हुए पतञ्जलि के योग-मार्ग और बत्तीस योगो के समन्वयात्मक अध्ययन से कुछ परितोष का अनुभव किया, जैसे-जैसे समन्वय के पथ पर मेरे चिन्तन की धारा बढती गई वैसे-वैसे विश्वास होता गया कि महर्षि पतञ्जलि ने प्रकारान्तर से इन्ही बत्तीस योगो की व्याख्या करते हुए सूत्र-शैली में चित्तवृत्तियो को निरुद्ध कर शान्ति प्राप्त करने के पथ का ही निर्देश किया है ।

तभी मे मेरी यह भावना प्रबल हो उठी थी कि इन व्रत्तीम योगो की विस्तृत व्याख्या करूँ, किन्तु कार्य की कठिनता, समय के अभाव और अनेक अन्तरायों के कारण यह कार्य कुछ विलम्ब से ही हो पाया है, फिर भी मुझे सन्तोष है कि अपने कथ्य एव मन्तव्य को जन-जन तक पहुंचाने की अपनी भावना को मैंने साकार कर दिया है।

विषय अत्यन्त गहन एवं विस्तृत था, फिर भी मैंने यथा-शक्य यह प्रयास किया है कि विषय कहीं भी दुम्ह न रह जाए, साकेतिक भी न रह जाय और अस्पष्ट भी न रहे। इसी बात को लक्ष्य में रख कर मैंने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी है, पाठको ने यदि इस प्रयास से जानद्रुम का एक पुष्प भी प्राप्त कर लिया तो मैं अपने प्रयाम को सफल समझूंगा।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन-कार्य में मुझे विद्वद्गुरु श्री-रतन मुनि जी महाराज द्वारा जो उचित सहयोग प्राप्त हुआ है उस के लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवादी हूँ।

इस पुस्तक के सम्पादन में 'आत्म-रश्मि' के सम्पादक श्री निलकंठर-गास्त्री का सहयोग प्रगस्त रहा है, उन्हीं के श्रम से पुस्तक की साज-सज्जा भी मनोहारी बन पाई है। उनके लिये जो कहना चाहिये वह मेरा अन्त-करण कर रहा है।

फूलचन्द्र श्रमण

लुधियाना

उपाध्याय

२३ सितम्बर १९७७

भाद्रपद शुक्ला द्वादशी

सं २०३४

योग एक चिन्तन : मेरी अनुभूति

“योग एक चिन्तन” जब यह जीर्णक मैंने पढा तो मैंने अपनी पूर्व धारणा के अनुसार यही समझा कि प्रस्तुत पुस्तक में ‘योग-साधना’ कैसे की जाय ? इसका ही विशद विवेचन होगा, परन्तु जैसे ही “वत्तीस जोग संगहा पणत्ता” पढ कर वत्तीस योगो के नाम पढे तो तुरन्त मेरी धारणा बदल गई और मैं एक अन्य दृष्टि-कोण लेकर पुस्तक का स्वाध्याय करने लगा। पढते-पढते जहाँ पहुँचा हूँ वह अत्यन्त अद्भुत है—आनन्दकारी है और जो अन्यत्र संक्षेप में है यहाँ उसे विस्तार में पाया और साथ ही सर्वत्र जो अज्ञेय और अबूझ रहा वह यहाँ आकर ज्ञेय और स्पष्ट हो गया।

‘योग’ शब्द ने कब कहाँ से अर्थबोध की यात्रा आरम्भ की है ? और इस शब्द से किसने क्या समझा है ? यह कहना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि व्यान-योग, कर्म-योग, हठ योग, अध्यात्म-योग साख्य योग, ज्ञान-योग आदि शब्दों में योग शब्द अलग-अलग अर्थों का बोध करा रहा है।

योग शब्द के अर्थ जानने से पहले इसका इतिहास जानना आवश्यक होगा, किन्तु योग शब्द के अर्थ-ज्ञान के बिना इतिहास का जानना असम्भव होगा, अतः सर्वप्रथम योग शब्द के अर्थ पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिये, जिससे पुस्तक का समग्र विषय बोध-गम्य हो सके।

योग शब्द प्रायः ध्यान-योग के अर्थ में ही अधिकतर प्रयुक्त हुआ है। महर्षि पतञ्जलि का योग-दर्शन ध्यान-योग की ही आद्योपान्त व्याख्या है। पतञ्जलि ने योग शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है—“योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः” अर्थात् चित्त की विचार-धाराओं को निरुद्ध कर देना ही योग है। योग की यह व्याख्या ईसा से दो सौ वर्ष पहले की गई थी, किन्तु ध्यानावस्थित माधको की अनेक मूर्तियाँ हडप्पा और मोहनजोदडो में उपलब्ध हुई हैं, अतः जात होता है कि ध्यान-योग की प्रक्रिया से उस काल का मानव भी परिचित हो चुका था जिसे आज के ऐतिहासिक एवं पुरातन्त्र-वेत्ता प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।

श्री कृष्ण का काल ईसा से ३००० वर्ष पूर्व माना गया है, कुछ ऐसे विद्वान् भी हैं जो श्रीकृष्ण को २२००० वर्ष पूर्व का महापुरुष स्वीकार करते हैं। उन्होंने गीता में साध्य योग कर्म-योग भक्ति-योग अदि शब्दों का उल्लेख किया है। मालूम होता है श्री कृष्ण के समय तक योग शब्द पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुका था। श्री कृष्ण ने योग शब्द के मुख्यतः दो अर्थ किए हैं—“योगः कर्मसु कौशलम्”—कर्म करने में कुशलता ही योग है और “समत्व योग उच्यते”—समता की साधना ही योग है।

श्री कृष्ण पर भगवान् नेमिनाथ का प्रभाव चाहे सर्वमान्य न हो, परन्तु जैन सस्कृति को अवश्य मान्य है, क्योंकि समवायांग सूत्र में प्रतिपादित “समदिट्ठी” शब्द उस समत्व का ही प्रतिपादक है जिसे श्री कृष्ण ने योग कहा है।

योग शब्द का कर्म-कौशल अर्थ भी जैन सस्कृति को मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ मन, वचन और शरीर के कार्य-व्यापारों को योग माना गया है। मन के कार्यव्यापार को, वचन-

के कार्य-व्यापार को और काया के व्यापार को इस प्रकार अप्रमत्त होकर करना चाहिये जिससे कि उनके द्वारा पापकर्म में प्रवृत्ति न हो सके। यही तो कर्म की कुशलता है। अतः "कर्म कौशल" योग के इस अर्थ पर भी जैनत्व की छाप स्पष्ट है।

पतञ्जलि के योगदर्शन पर जैनत्व की छाप

पतञ्जलि का चित्तवृत्तिनिरोध भी अन्ततः समाधिरूप ही तो है, क्योंकि चित्तवृत्तियों के निरुद्ध होने पर अन्ततः चित्त देशविशेष में बध जाता है, यही तो पतञ्जलि की धारणा है (देश-बन्धश्चित्तस्य धारणा—३।१) उस देशविशेष में जब चित्त ध्येय-मात्र पर स्थिर हो जाता है, तब उसे ध्यान कहा जाता है (तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ३।२) और जत्र-ध्यान ही ध्येय के रूप में भासित होने लगता है उसे समाधि कहा जाता है (तदेवार्थमात्र-निर्भास समाधि ३।३) यह समाधि भी जैन दर्शन में योग सजा प्राप्त करती है, अतः समाधि को भी बत्तीस योगों में स्थान दिया गया है।

योग शब्द का अर्थ "जोड़" सर्व मान्य है। इस अर्थ की दृष्टि से यदि योग को जाना जाय तो हम कह सकते हैं कि योग के लिये दो का होना आवश्यक है, एक में योग नहीं हो सकता, योग दो की ही अपेक्षा करता है। योग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चित्त वृत्तियों को मन के व्यापारों को और शारीरिक चेष्टाओं को बाहर से तोड़ कर आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, इधर से तोड़ना और उधर जोड़ना योग का प्रधानतम लक्ष्य है। योग नीचे को छोड़ कर ऊपर से जोड़ता है, उस अवस्था में पहुँचा देता है जहाँ केवल ज्ञान मात्र गेप रह जाता है और कुछ

वचता ही नहीं, न ज्ञेय और न ज्ञाता, केवल ज्ञान ही रह जाता है ।

इस अवस्था में चित्तवृत्तियाँ तो रहती ही नहीं हैं, वे निरुद्ध हो जाती हैं, अतः केवल आत्मानुभूति ही शेष रह जाती है, इसीलिये अनेक विचारक योग को विचार न कह कर अनुभूति कहते हैं ।

योग उस आध्यात्मिक प्रक्रिया को भी कहा जा सकता है जो योग को तोड़ देती है । केवल एक को रहने देती है । जैसे यदि कोई व्यक्ति धन को पाना चाहता है तो उसे लोभ कहा जाता है, लोभी का ध्यान सदा धन पर रहता है ।

यदि कोई त्यागी धन को त्यागना चाहता है तो उसका ध्यान भी धन पर ही केन्द्रित रहता है, वह सदा अप्रमत्त भाव से धन से वचने की कोशिश करता रहता है । लोभी और त्यागी दोनों का ध्येय धन ही है । युद्ध-भूमि में योद्धा का ध्यान शत्रु पर ही रहता है, त्यागी धन को शत्रु समझता है, अतः उससे वचने के लिये वह उस पर ही सावधानी से निगाह रखता है । योग के लिये निर्लोभता और त्याग (अलोभ और सवेग) शब्दों के प्रयोग का यही तात्पर्य है । योग लोभी के मन और धन के योग को समाप्त कर देता है । सच्चा योगी संशय और त्याग दोनों से मुक्त होकर स्व-स्वरूप में अवस्थित हो जाता है । इसी को योग-दर्शन में सयम कहा गया है । सयम में ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी एक हो जाता है, धारणा ध्यान और समाधि में एक रूपता हो जाती है (त्रयमेकत्र सयम. ३।४) ।

वस्तुतः पतञ्जलि का योग-दर्शन जैन सस्कृति में प्रतिपादित

वत्तीस योगो की व्याख्या मात्र है। योग-दर्शन का विषय-प्रति-पादन इसका साक्षी है। योगावस्था में क्या होता है ? पतंजलि उत्तर देते हैं—“तदा द्रष्टुं स्वरूपेऽवस्थानम्—तत्र द्रष्टा अर्थात् आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। स्वरूपावस्थान ही तो जैन संस्कृति का प्रमुख स्वर है।

चित्त-वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है ? पतंजलि के शब्दों में “अभ्यासवैराग्याभ्या तन्निरोधः (१।१२)। अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। यह अभ्यास क्या है (तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास १।१३)—यतना ही अभ्यास है, यह यतना शब्द और यतना की साधना की प्रमुखता जैन संस्कृति का ही उद्घोष है। ‘वैराग्य’ तो जैन-संस्कृति का आधार भूत तत्त्व है।

योग-दर्शन उस असम्प्रज्ञात समाधि को प्रमुखता देता है जिसमें आत्म-अवस्थिति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस असम्प्रज्ञात समाधि की ओर यात्रा सवेग से आरम्भ होती है। सवेग जैन संस्कृति का अपना शब्द है। पतंजलि भी कहते हैं तीव्रसवेगानामासन्न (१।२१) तीव्र सवेगवालों को असम्प्रज्ञात समाधि सुलभ हो जाती है।

योग-दर्शन ने असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिये ‘ईश्वर-प्रणिधानाद्वा’ कह कर ‘ईश्वर’ के ध्यान को कारण माना है, परन्तु कोई ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु या शिव जैसा देवता न मान ले, यह सोचकर अंगुले ही सूत्र में स्पष्टीकरण करते हुए पतंजलि कहते हैं—“क्लेश-कर्म-विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष-विशेषः ईश्वरः”—जो भी विशेष पुरुष—महापुरुष—क्लेशों से दूर हो चुका है, कर्म और कर्म के सकारों से मुक्त हो चुका है वही ईश्वर है—यह-ईश्वर

जैन सस्कृति के 'सिद्धो' की ओर स्पष्ट सकेत कर रहा है।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए योग-दर्शन कहना है "तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम् (१२) ईश्वर मे निरतिशय ज्ञान है, जितना ज्ञान हो सकता है वह सब उसमे होता है, अतः उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या 'सर्वज्ञ' अरिहन्त का—तीर्थङ्कर का परिचायक प्रसिद्ध शब्द नहीं है।

'अन्तराय' यह जैन सस्कृति का जाना-पहचाना शब्द है। समाधि मे अन्तराय क्या है? यह बताते हुए पतञ्जलि ने ००वें सूत्र मे व्याधि, स्त्यान (कर्म-असामर्थ्य), सगय, प्रमाद, आलस्य अविरति, भ्रान्ति-दर्शन, अलब्ध-भूमिकत्व (चिन्ता की अस्थिरता) अनवस्थितत्व इन नौ को अन्तराय अर्थात् विघ्न-कारक बताया है। 'योग एक चिन्तन' का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि जैन सस्कृति ने इसी प्रकार के अनेक अवगुणों को साधना मे विघ्न करने वाले कहा है।

'वीतराग-विषय वा चित्तम्'—इस सूत्र का 'वीतराग' शब्द जैन संस्कृति की ही तो देन है, क्योंकि तीर्थङ्कर न राग मे रहते हैं, न विराग मे रहते हैं, वे दोनों से मुक्त होते हैं, अतः उन्हें वीतराग कहा जाता है। वीतराग का ध्यान चित्त का प्रसादन करता है—उसमे साधना का उत्साह जागृत करता है, क्या यह जैन सस्कृति ही नहीं बोल रही है।

साधन-पाद में पतञ्जलि ने योग की सिद्धि के लिये जो साधन बताए हैं वे हैं—तप, स्वाध्याय, ईश्वर अर्थात् सिद्धो का ध्यान।

द्वितीय पाद के नीमवे सूत्र में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन्हे यम कहा गया है और इकतीसवे सूत्र मे इन्हे—

सोलह।

[योग : एक चिन्तन

'एते जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्" कह कर अहिंसा-आदि को सार्वभौम महाव्रत कहा गया है और उन्हें सभी देशों सभी जातियों और सभी कालों के लिये आराधनीय कहा है ।

नियम के अन्तर्गत शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान को लिया गया है । ३३ वे सूत्र में हिंसा के कृत, कारित, अनुमोदित रूप की चर्चा की गई है । इत्यादि समस्त वर्णन इस बात को प्रमाणित करता है कि पतञ्जलि योग के क्षेत्र में भगवान् महावीर से तीन सौ वर्ष बाद उनकी शब्दावली और उनकी ध्यान-प्रक्रिया से प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हीं की साधना-पद्धति का आश्रय लेकर योग-दर्शन की रचना की ।

प्रस्तुत पुस्तक में उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द्र जी महाराज ने बत्तीस योगों की जो क्रमबद्ध व्याख्या की है वह व्याख्या योग-दर्शन की गैली में दृष्टिगोचर होती है, अतः जो साधक योगी बनना चाहता है, उसके लिये प्रस्तुत पुस्तक का क्रमबद्ध स्वाध्याय उपयोगी होगा यह निश्चित है ।

ध्यान-योग

पतञ्जलि का योग-दर्शन ध्यानयोग का समग्र रूप है । ध्यान साधना के क्षेत्र का प्राण है । कोई भी साधक इसके बिना साधना मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । विश्व में जितने भी अध्यात्म का आधार लेकर चलने वाले सम्प्रदाय हैं, उनमें अनेक सैद्धान्तिक मत-भेद हैं, किन्तु ध्यान में कहीं किसी का कोई मतभेद नहीं है । सभी धर्म-सम्प्रदायों को ध्यान मान्य है ।

यह विकासशील मानव जैसे-जैसे बाह्य ससार में बढ़ता

गया वैसे वैसे वह अन्तर से दूर हटता गया है। यह आत्मा को पीछे छोड़ कर बहुत आगे बढ़ गया है। अब वह वापिस लौटना चाहता है—प्रतिक्रमण चाहता है, परन्तु प्रतिक्रमण उमे कौन सिखाए ? प्रतिक्रमण तो जंन सस्कृति के सिवा अन्यत्र कही है ही नहीं। प्रतिक्रमण की पूर्णता ध्यान के विना नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान अन्दर की गहराइयों में ले जाने की सफल प्रक्रिया है। जो वृक्ष बहुत ऊँचा उठना चाहता है उमे अपनी जड़े पृथ्वी के भीतर बहुत गहरे ले जानी होती हैं, जिम वृक्ष की जड़े जिलनी गहरे में जाएगी वह उतना ही अधिक आकाश में ऊँचा उठ सकेगा।

मनुष्य भी यदि ऊपर उठना चाहेगा तो उसे ध्यान के द्वारा अन्तर की गहराइयों से सम्बन्ध जोड़ना होगा, तभी वह सिद्धत्व की ऊँचाइयों तक पहुँचने का अधिकारी बन सकता है। यही कारण है कि ध्यानयोग को यहा प्रमुखता दी गई है।

वस्तुतः ध्यान मानव का स्व-भाव है, इससे मनुष्य को 'होने' का अपने अस्तित्व को जानने का सुख प्राप्त होता है, किन्तु ध्यान ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे करके ही जाना जा सकता है, इसे जानकर क्रिया नहीं जा सकता।

विश्व के सभी सम्प्रदायों ने जो ध्यान की विधियाँ बताई हैं उनकी संख्या ११२ बताई गई है। एक सौ बारह ध्यान के विशेष प्रकार हैं। देव काल एव पात्र की योग्यता को देखकर वे शिष्यों को सिखाए जाते हैं।

भगवान बुद्ध ने योग के स्थान पर समाधि शब्द का प्रयोग किया है और उनकी दृष्टि में हृदय का सशय-रहित होना और मन, वचन एव काया का सन्तुलन ही योग अथवा ध्यान है। मन, वचन और काया का सन्तुलन होने पर ही चित्त-स्थैर्य प्राप्त होता

है और चित्त की स्थिरता में ही समाधि है—आत्म-स्वरूप-अवस्थिति है ।

योग-दर्शन जिसे चित्ति-शक्ति कहता है जैन सस्कृति में वही आत्मा है, योग-दर्शन उसे अप्रतिसक्रमा अर्थात् परिणाम-रहित कहता है । जैन दर्शन भी आत्मा को अपरिणामी मानता है, अतः ध्यानावस्था में आत्म चिन्तन की ही प्रधानता रहती है ।

जैन दर्शन का वैशिष्ट्य —

योग-दर्शन में कहीं भी ध्यान के भेदों का वर्णन नहीं किया गया । जैन दर्शन ने ही उसे चार भागों में विभक्त किया है । जैसे कि आर्तध्यान, रौद्र ध्यान, धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान । ये शब्द इतने मनोवैज्ञानिक एवं अध्यात्म-पथ प्रदर्शक हैं कि इनके अपनाए बिना पतजलि भी नहीं रह सके । उन्होंने इन्हीं शब्दों को कुछ परिवर्तन के साथ अपनाया है । आर्तध्यान और रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान हैं, अतः इन्हें योगदर्शन कृष्ण कहता है और धर्म-ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ है इन्हें शुक्ल कहा गया है और आत्मा को अशुक्ल अकृष्ण कहा गया है । (योग० ४।७)

योगदर्शन में ध्यान की विस्तृत परिभाषाएं हैं, उसके क्रमिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला गया है, किन्तु ध्येय-स्थिरता के लिये ध्येय का विवेचन नगण्य सा रहा है । योगी ध्यान की एकतानता तक पहुंचने के लिये क्या करे ? इसका विवेचन वहां सामान्य सा ही है—जैसे प्रणव अर्थात् ॐकार के ध्यान के साथ "तज्जपस्तदर्थ-भावनम्" (योग० १।२८) कह कर ॐ के जप और अर्थ की भावना भाने के लिये कहा गया है, किन्तु इतने मात्र से ध्यान की एकतानता असम्भव है ।

हेमचन्द्राचार्य जी ने भी अपने योगशास्त्र में इस विषय पर

विशेष प्रकाश नहीं आता, उन्हींमें भी ध्यान नरु पञ्चने के साधना-मार्ग का विस्तृत विवेचन किया है किन्तु ध्यान की एकतानता के लिये कुछ प्रदर्शित नहीं किया।

प्रस्तुत पुस्तक में उपाध्याय श्री श्रमण जी महाराज ने ध्यान की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करते हुए ध्येय की भी विस्तृत व्याख्या की है। पिण्डस्थ धर्म-ध्यान, पदस्थ धर्म-ध्यान, रूपस्थ-धर्म-ध्यान और रूपातीत-धर्म-ध्यान की व्याख्या के माध्यम से ध्यान की विधि का जो वर्णन किया है उसको जानकर कोई भी साधक ध्यान का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। शुद्ध ध्यान की व्याख्या में योगदर्शन के कैवल्यपाद का समस्त विषय संक्षेप में बुद्धिगम्य हो जाता है। योगदर्शन की सवितर्क-समाधि और अवितर्क-समाधि चाहे समझ में न आए, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक के द्वारा शुक्लध्यान के अन्तर्गत पृथक्त्व-सविचारी, पृथक्त्व-अविचारी, सूक्ष्म-क्रिया-अनिवर्ती, समुच्छिन्न-क्रिया-अप्रतिपाती— इन चार पदों की व्याख्या समाधि को सहज गम्य बना देती है।

तन्त्रशास्त्र में ध्यान के चार भेदों का वर्णन किया गया है—
वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा।

वैखरी—अन्तर के आनन्द को वाणी द्वारा प्रकट करना।

मध्यमा—अन्तर के आनन्द को कुछ वाणी द्वारा व्यक्त करना और कुछ भीतर ही रहने देना।

पश्यन्ती—यही ध्यान की अवस्था है इसमें योगी उसे देखता है जो उसका अपना स्वरूप है, जिस स्वरूप से भ्रष्ट होकर वह बाह्य ससार में उलझ गया है, यही से चेतना की प्रकाशमयी धारा फूटकर आत्मा को सर्वज्ञता की ओर उन्मुख करती है।

परा—यह वही अवस्था है जो सबसे परे है, जिसके आगे कुछ नहीं, सब पाँछे ही छूट जाता है, कषाय-मुक्त, अयोगी केवली अवस्था ही ध्यान की परा अवस्था है।

मैं समझता हूँ तन्त्र भी जैन दर्शन से प्रभावित हुआ होगा। उसमें नीचे गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुण स्थान तक की स्थितियों को ही वैखरी आदि नाम देकर ध्यान का विवेचन किया गया है।

वस्तुतः 'योग' अनेक साधनाओं का जोड़ है। इसमें उन अनेक साधनाओं का ही बत्तीस योगों के विवेचन के रूप में क्रमिक विकास प्रदर्शित किया गया है।

योगासन—

यद्यपि नाथ योगियों ने हठयोग को अपनाते हुए चौरासी आसनों का वर्णन किया है, जैसे पद्मासन, भद्रासन, शवासन, हलासन, उत्तानपाद आसन, वीरासन, स्वस्तिकासन, गोदुहासन, कुक्कुटासन, हस्तिनिपन्दन आदि। नाथों ने आत्मतत्त्व की अपेक्षा शरीर साधना को विशेष महत्त्व दिया है, किन्तु यह स्मरणीय है कि आत्मतत्त्व-शरीर से सर्वथा भिन्न है, शरीर निवास है, और आत्मा निवासी है। निवासी निवास चाहता है, वह झोपड़ी में, कच्चे मकान में, हवेली में, कोठी में, महल में जहाँ भी उसे सुख मिले वही रह सकता है। वस्तुतः मन-विपरीतता से ही प्रसन्न होता है, झोपड़ी वाला महल में जाकर प्रसन्न होता है, किन्तु महलों वाले राजा-महाराजा झोपड़ियों में जाकर साधना करते देखे जाते हैं। वनवासी नगरो में आकर और नगरवासी वनों में जाकर सुख की अनुभूति करते हैं। वस्तुतः सुख न महल में है, न

झोपडी में है, न नगर में है, न वन में है । सुख की प्रतीति तो वदलाव में होती है ।

शरीर से सम्बन्ध तोड़कर आत्मा से सम्बन्ध जोड़ने में योग की पूर्णता है, जब योग शरीर से सम्बन्ध ही तोड़ देता है तो उसे शरीर की अपेक्षा ही नहीं रह जाती, फिर शारीरिक मुद्राओं की—आसनो की वह अपेक्षा क्यों रखेगा ? ज्ञान की प्राप्ति आसनो पर ही निर्भर होती तो वह सरकसवालो को शीघ्र प्राप्त हो जाता, क्योंकि वहाँ एक ही कलाकार अनेक असाध्य आसनो का प्रदर्शन करता है ।

तीर्थङ्करो और महा साधको ने विभिन्न आसनो में 'वैठकर ज्ञानोपलब्धि की है । भगवान् महावीर गौडुहासन में वैठ कर ज्ञान प्राप्त करते हैं । गजसुकुमाल कायोत्सर्ग मुद्रा में ज्ञान प्राप्त करते हैं । वस्तुतः 'आसन' का कोई महत्त्व नहीं है । इसीलिये पतञ्जलि ने कहा "तत्र स्थिर सुखमासनम्" —जिसमें शरीर सुखपूर्वक अवस्थिति प्राप्त करे वही आसन है ।

यही कारण है पतञ्जलि ने योगासनो की व्याख्या नहीं की । योगनिष्ठ श्री श्रमण जी महाराज ने भी प्रस्तुत ग्रन्थ में आसनो को महत्त्व नहीं दिया, उसका वर्णन आवश्यक नहीं समझा ।

उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द्र जी स्वयं योगी हैं, योगनिष्ठ महापुरुष हैं, योग-साधना उनकी अन्त-अनुभूति है, उसी अनुभूति को उन्होंने शब्दात्मक रूप देकर साधको और जैन सस्कृति के जिज्ञासुओ पर महान् उपकार किया है । उनका यह उपकार सर्व-जन-मंगलकारी ही यही मेरी भावना है । ●


अनुक्रम

(क) वत्तीस योग	१
(ख) योग-प्रवेग	५
१ आलोचना	६
२ निरवलावे निरपलाप	२१
३. दृढधर्मता	२३
४ अनिश्रितोपंधान	२६
५ शिक्षा	२८
६. निष्प्रतिकर्मता	३१
७ अज्ञातता	३३
८ अलोभ	३५
९ तितिक्षा	३७

१०	आर्जव	३६
११	दुःखि	४१
१२	सम्यग्दृष्टि	४४
१३	ममाधि	५४
१४	आचार	६४
१५	विनयोपेन	६८
१६	वृत्तिमति	८०
१७	सवेग	८२
१८	प्रणिधि	८४
१९	सुविधि	८६
२०	सवर	८९
२१	आत्म-दोषोपसंहार	१०३
२२	सर्व-काम विरक्तता	१०६
२३	मूलगुण-प्रत्याख्यान	११०
२४	उत्तरगुण-प्रत्याख्यान	१३५
२५	व्युत्सर्ग	१५०
२६	अप्रसाद	१५३
२७	लत्रालव	१५७
२८	ध्यान-सवर-योग	१६७
२९	उदय मारणान्तिक	१६५
३०	सग-परित्याग	१६७
३१	प्रायश्चित्त-करण	२००
३२	मारणान्तिक आराधना	२०८
(क)	परिणिष्ट (मानव-धर्म)	२३६
(ख)	दैवी सम्पत्ति	२५५



जैन-धर्म-दिवाकर पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय
श्रमण श्री फूलचन्द्र जी महाराज



योग : एक चिन्तन



वत्तीस जोग-संगहा पणत्ता, तं जहा :—
आलोयण निरवलावे, आवईसु डढधम्मया ।
अणिसिओवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकम्मया ॥१॥
अण्णायया अलोभे य, नित्तिक्खा अज्जवे सुई ।
सम्मदिट्ठी समाही य, आयारे विणओवेए ॥२॥
धिइमई य सवेगे, पणिही सुविहि-सवरे ।
अत्तदोसोव - सहारे, सब्बकाम-विरत्तया ॥३॥
पच्चदखाणे विउसग्गे, अप्पमादे लवालवे ।
जाण-सवर-जोगे य, उदय मरणत्तिए ॥४॥
सगाण च परिण्णयाया, पायच्छित्त करणे वि य ।
आराह्णाए मरणत्ते, वत्तीस जोग - संगहा ॥५॥

(समवायाङ्ग सूत्र, वत्तीसवां समवाय)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

बत्तीस योग

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

उपर्युक्त पाच गाथाओ का सक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है जैसे कि :—

- १ शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष अपने दोषो को निवेदन करना ।
- २ शिष्य द्वारा आलोचित दोषों को किसी के समक्ष प्रकट न करना ।
- ३ आपत्ति के समय धर्म में हृदता रखना ।
- ४ बिना किसी सहायक के तप करना या केवल निर्जेरा के उद्देश्य में तप करना ।
- ५ आगमो का अध्ययन और अध्यापन या सयम-पालन की रीति सीखना ।
- ६ शरीर की सार-संभाल नहीं करना ।
७. अपनी तप.-साधना को गुप्त रखना ।
८. किसी के द्वारा दिये गए प्रलोभन में न आना ।
- ९ परीषह-कष्ट आदि सहन करने का अभ्यास करना ।
- १० मन, वाणी और काया के व्यापारो में एकरूपता रखना ।
- ११ गुचि अर्थात् सत्य और सयम को अपनाना ।
१२. सम्यग्दर्शन की विगुद्धि के लिये प्रयास करना ।

- १३ शरीर को स्वस्थ, वाणी को पवित्र और मन को एकाग्र रखना ।
- १४ निःशुल्क होकर पांच आचारों का पालन करना ।
- १५ विनीत बनना—मान रहित होना ।
- १६ सब तरह की दीनता से रहित होकर वैर्य-सम्पन्न होना ही वृत्ति-मति है ।
- १७ कर्म-बन्धन से मुक्त होने की अभिलाषा रखना ।
- १८ समय और तप में कपट न करना ।
१९. विधि-पूर्वक सद्-अनुष्ठान करना ।
२०. सवर अर्थात् सभी आश्रवों का निरोध करना ।
- २१ आत्मगत दोषों को दूर करने का प्रयास करना ।
- २२ इन्द्रियों के सभी विषयों से विमुख होना, अर्थात् सर्व-काम-विरक्तता को जीवन में उत्तारना ।
- २३ मूलगुण-प्रत्याख्यान अर्थात् जिस त्याग से मूलगुण विकसित हो ऐसा आचरण करना ।
२४. उत्तरगुण प्रत्याख्यान, अर्थात् उत्तरगुण के बाधक दोषों का त्याग करना ।
- २५ व्युत्सर्ग अर्थात् कायोत्सर्ग का अभ्यास करना ।
२६. आध्यात्मिक साधना में क्षण मात्र भी प्रमाद न करना ।
- २७ जीवन के प्रत्येक क्षण में समाचारी का पालन करना ।
२८. धर्म-ध्यान द्वारा योगों का निरोध करना, ध्यान सवर-योग है ।

- २६ मृत्यु के निकट आने पर भी मृत्यु-भय से क्षुब्ध न होना ।
- ३० सग-त्याग, अर्थात् जिन कारणों से रागद्वेष उत्पन्न हो उन कारणों का त्याग करना ।
- ३१ किसी भी छोटे-बड़े दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त करना ।
- ३२ शरीर और कषायों को क्षीण करने के लिये सलेखना एवं सथारा करना ।

समवायाङ्ग-सूत्र में उपर्युक्त बत्तीस योगों का निर्देश किया गया है । हम आगामी अध्यायों में इन बत्तीस योगों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे ।



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ योग-प्रवेश ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

जैन दर्शन वह नन्दन-वन है जिसमें विहरण और विचरण करने से मानव की सभी भ्रान्तियाँ दूर हो कर ज्ञान-पिपासा शान्त हो जाती है। जैसे सूर्य के उदित होने पर अन्धकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस नन्दन-वन में पहुँचकर सभी शकाएँ अनायास ही निर्मूल हो जाती हैं।

आत्मा में अनन्त ज्ञान है, उसे जानावरणीय कर्म-प्रकृतियों ने ढाक रखा है। जानावरणीय कर्म का जितने-जितने अंश में क्षयो-पशम होता जाता है, उतना-उतना ज्ञान विकसित होता जाता है। जो ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है एवं निश्चयात्मक है, वही ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है। जैसे दीपक या सूर्य को देखने के लिये किसी अन्य दीपक या सूर्य की आवश्यकता नहीं रहती, दीपक और सूर्य स्वयं प्रकाशमान तो हैं ही, साथ ही वे दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करते हैं। वैसे ही ज्ञानी आत्मतत्त्व को तो जान ही लेता है साथ ही वह अन्य लोगों को भी ज्ञानालोक से आलोकित कर देता है।

मानव को दो प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वतः और सन्तो-एव गुरुजनों के उपदेश से। ज्ञान-प्राप्ति के उपादान और निमित्त ये दो कारण सहायक माने गए हैं। इनमें ज्ञान-प्राप्ति के लिये उपादान कारण का होना अनिवार्य है, किन्तु निमित्त का होना

अनिवार्य नहीं। मानव अपने ही अनुभव एव सूत्र-बूझ से जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही ज्ञान स्वतः होने वाला ज्ञान कहलाता है और उसमें उपादान की ही मुख्यता रहती है। निमित्त वही कहलाता है जो उपादान के अनुरूप हो। उदाहरण के रूप में जैसे नेत्रज्योति जितने अश्रु में होती है उसके अनुरूप ही यदि चश्मा (उपनेत्र) हो तो वह देखने में सहायक होता है। न्यून-अधिक नम्बरो वाला चश्मा देखने में सहायक नहीं बन सकता। गुरु और शास्त्र ये सब ज्ञान की बाह्य सामग्रियाँ हैं—निमित्त हैं। जो ज्ञान किसी गुरु से उपदेश सुन कर या शास्त्र पढ़ कर होता है वह ज्ञान नैमित्तिक कहलाता है, अर्थात् वह ज्ञान किसी बाह्य निमित्त से होता है, अतः वह ज्ञान परोपदिष्ट माना जाता है। जब तक उपादान कारण तैयार नहीं हो जाता, तब तक सभी निमित्त अकिञ्चित्कर रहते हैं।

अवधि-ज्ञान, मन-पर्यव-ज्ञान और केवल ज्ञान इनके उत्पन्न होने में बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये तीन ज्ञान स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, ये निमित्त-जन्य नहीं होते। मति-ज्ञान और श्रुतज्ञान में दोनों कारण विद्यमान रहते हैं, अतः वे स्वतः भी होते हैं और बाह्य निमित्त से भी हुआ करते हैं। इन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रायः निमित्तजन्य ही होता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का अन्तर्भाव परोक्ष प्रमाण में होता है।

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और अवधिज्ञान तथा मन-पर्यवज्ञान ये दोनों ज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में उपादान की मुख्यता होती है, निमित्त की गौणता, जब कि परोक्ष प्रमाण में निमित्त की प्रधानता रहती है और उपादान कारण गौण रहता है।

सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान हुआ करता है, सम्यग्ज्ञान वही है जो यथार्थ एव स्य-पर के लिए हितकर एव श्रेयस्कर होता है, वह ज्ञान ज्ञानी को ससार और ससार में आवागमन के सभी कारणों से वचाता है, मोक्ष और मोक्ष के साधनों में प्रवृत्ति कराता है। इसी कारण उस ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहा जाता है।

सम्यग्ज्ञान होने पर ही सम्यक्-चारित्र्य की आराधना की जाती है, इस सम्यक् चारित्र्य का अंतर्भाव योग में ही हो जाता है।

यद्यपि योग शब्द अनेक अर्थों का बोधक है जैसे कि गणित में दो से अधिक राशियों के जोड़ को योग कहा जाता है, ज्योतिष-शास्त्र में नक्षत्र एव राशि आदि की विशेष फलदायिनी युक्ति ही योग है। तिथि-वार और नक्षत्र के मेल से आनन्द आदि योगों का होना योग माना जाता है। किसी शुभ काल के लिए भी योग शब्द का प्रयोग होता है। अनेक औषधियों के समिश्रण की विधि को भी योग कहते हैं। मन, वचन और काया की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति को भी जैन परिभाषा में योग कहा जाता है, परन्तु यहाँ योग शब्द का इष्ट अर्थ सम्यक् चारित्र्य ही है।

आत्म-कल्याण के जितने भी सफल साधन हैं वे सब योग हैं। जिस ध्यान द्वारा ध्याता का सबन्ध ध्येय के साथ जुड़ जाए वह योग है, अर्थात् चित्त को एकाग्र करने के सभी विधि विधान योग हैं, अर्थात् कर्म-बन्ध से मुक्त होने के जितने भी विधि-विधान हैं उन सबका अन्तर्भाव योग में ही हो जाता है। ऐसे विधि-विधानों की संख्या बत्तीस निर्धारित की गई है। इसी कारण उन्हें द्वात्रिंशत्-योग-संग्रह कहा गया है। साधना जीवन की वह मस्ती है जिस में भौतिक सुख-दुख का भान ही नहीं रहता। मन जब योग के केन्द्र में पहुँच जाता है तब मन में उत्पन्न होने वाले सभी

विकार और विचार स्वत ही लुप्त होने लगते हैं। मन और इन्द्रियां स्वयमेव आत्मा के वशीभूत हो जाती हैं। ज्ञान का अखण्ड प्रकाश-पुञ्ज सदा के लिए जगमगा उठता है, आत्मा सब तरह से कृतकृत्य होकर परमात्म-पद को प्राप्न कर लेता है, फिर उस केलिये कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। वह अपूर्ण से पूर्ण बन जाता है, उसकी चेतना और आनन्द ये दोनों ससीम से असीम बन जाते हैं। इतना ही नहीं आत्मा के सभी गुण असीम हो उठते हैं।



लिए प्रयास करता है, किन्तु कभी-कभी उसके सामने कुछ ऐसी विवगताएँ एव परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनसे साधक की साधना प्रतिसेवना के सामने घुटने टेक देती है। प्रतिसेवना के मूल कारण दस हैं जैसे कि—

(क) दर्प—अभिमान के वशीभूत होकर अपने साधना-पथ के नियम-उपनियमों की उपेक्षा करना एव निपिद्ध कार्य करना, दर्प-प्रतिसेवना है। इससे झूठ भी बोला जा सकता है, किसी को पीड़ित भी किया जा सकता है तथा किसी पूज्य की आशातना भी की जा सकती है।

(ख) प्रमाद—नशीली वस्तुओं का उपयोग करना, विलासता से, विकथा करने से, कपाय भाव से, अतिनिद्रा से, धर्म-निरपेक्ष जीवन से, असावधानी से, अयतना आदि से जो दोष लगते हैं उनका समावेश प्रमाद में हो ही जाता है। प्रमाद में कोई भी महा-व्रत सुरक्षित नहीं रह पाता। प्रमाद सयम को तो दूषित करता ही है, साथ ही ज्ञान एव दर्शन को भी दूषित कर देता है। इसी को प्रमाद-प्रतिसेवना कहा गया है।

(ग) अनाभोग—अनजाने में, बिना उपयोग के जिस दोष का सेवन किया जाय वह अनाभोग प्रतिसेवना है। जिस दोष का ज्ञान साधक को न हो पर वह हो जाय तो वह दोष इसी कोटि में समा-विष्ट होता है।

(घ) आतुर—जब कोई साधक किसी पीड़ा एव विषम परिस्थिति से अधीर हो जाता है, तब उसे आतुर कहा जाता है। प्रत्येक आतुर की स्थिति भिन्न हुआ करती है। जैसे कि कामातुर व्यक्ति में न किसी का भय होता है और न लज्जा ही, चिन्तातुर

१. निह च न बहुमण्णेज्जा ।

को न सुख है न निद्रा है, जो अर्थातुर है वह न बन्धु की परवाह करता है और न मित्र की, जो क्षुधातुर है उसका शरीर शिथिल और विवेक लुप्त हो जाता है और उसकी शक्ति क्षीण पड़ जाती है। अभिप्राय यह कि किसी भी तरह की आधि-व्याधि से व्यथित व्यक्ति आतुर कहलाता है।

(ड) आपत्ति—आपत्ति चार प्रकार की होती है—द्रव्यापत्ति, क्षेत्रापत्ति, कालापत्ति और भावापत्ति।

प्रासुक एपणीय एव जीवनोपयोगी पात्र, वस्त्र, एव आवास आदि का न मिलना द्रव्यापत्ति है। निर्धन व्यक्ति द्रव्य के अभाव में तरह-तरह के दोषों का सेवन करते हुए देखे जाते हैं।

जो भूमि-भाग परीपह एव उपसर्गों से विरा हो, जगली जानवरो से तथा डाकू-चोरो से व्याप्त हो, ऐसे भयकर स्थानों में गति-स्थिति दोनों ही क्षेत्रापत्ति हैं। देवाधिष्ठित स्थानविशेष भी इसी में समाविष्ट है।

मन का अस्थिर एव आकुल रहना, कि-कर्तव्य-विमूढता की स्थिति उत्पन्न हो जाना एव आर्तध्यान तथा रौद्र-ध्यान करते हुए आकुल होना भावापत्ति है।

इन आपत्तियों के उपस्थित होने पर साधक अपनी साधना से फिसल जाता है, नियम-उपनियमों की विराधना करने लग जाता है।

(च) संकीर्ण-प्रतिसेवना—जिस क्षेत्र में चार पाच साधुओं का भली-भान्ति निर्वाह हो सकता हो, उसमें बीस-तीस साधुओं का आगमन हो जाए तो संकीर्ण दोष उत्पन्न हो जाता है। वहाँ आहार-पानी के वियालीस दोष ढालने अति कठिन हो जाते हैं। आघाकर्म एव औद्देशिक आदि अनेक दोषों के होने की सम्भावना हो जाती

है, ऐसी पवित्र दृष्टि रखने वाला साधक ही दर्शन-सम्पन्न कहलाता है ।

(ब) चारित्र-सम्पन्न—उत्तम चारित्र वाला साधक अपने चारित्र को शुद्ध रखने के लिए दोषों की आलोचना करने हेतु स्वतः ही प्रस्तुत रहता है । वह सर्वदा ऐसा आचरण करता है जिससे उसकी साधना सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र रहे ।

(छ) क्षान्त—इसका अर्थ है क्षमावान् या शान्तिमान् । किसी दोष के अभिव्यक्त होने पर जब गुरुजन उपालम्भ या भर्त्सना देने है तब क्रोध को न उभरने देना—शांत चित्त रहना, आलोचना के द्वारा शुद्धीकरण कर लेना, वह अपना कर्तव्य मानता है । शान्त साधक ही साधना-मार्ग पर प्रगति कर सकता है ।

(ज) दान्त—दान्त का अर्थ है जितेन्द्रिय । जितेन्द्रिय व्यक्ति ही आलोचना कर सकता है ।

(झ) अमायी—निष्कपट व्यक्ति अनजाने में किए हुए अपने पाप कृत्य को बिना छिपाए प्रकट करते और सरल हृदय से आलोचना करके शुद्ध हो जाता है ।

(ञ) अपश्चात्तापी—आलोचना करने पर जो साधक आलोचना-जन्य पीडा से व्याकुल होकर कभी पश्चात्ताप नहीं करता, वही अपने समय की शुद्धि कर सकता है ।

आलोचना किसके पास करनी चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिये शास्त्र कारों ने आलोचना सुनने योग्य महापुरुष की परख के लिये उसमें दस गुणों का होना अनिवार्य माना है । वे विशेष दस गुण इस प्रकार हैं—

(क) आचारवान्—लोक-कत्याण-कारी एवं आत्मोत्थान मे सहायक उस आचरण को आचार कहा जाता है, जो महा-पुरुषो द्वारा सेवित हो और गास्त्र-मर्यादा के अनुकूल हो। आचार का पालन समग्र रूप से होना चाहिये आशिक रूप से नहीं।

आचार पाच प्रकार का होता है ज्ञानाचार—ज्ञान की आराधना, दर्शनाचार—सम्यग्दर्शन की आराधना, चारित्राचार—चारित्र की आराधना, तपाचार—तप की आराधना, वीर्याचार—सयम-रक्षा के लिए शक्ति या बल का प्रयोग। इन पाचो आचारो का पालन करने वाले महासाधक को आचारवान् कहा जाता है।

(ख) आधारवान्—आलोचना करने वाले व्यक्ति द्वारा कहे गए अतिचारो को जो मन मे धारण करता है वही प्रत्येक दोष की निवृत्ति करवा सकता है, जो सुनी हुई आलोचना को भूल जाता है वह दूसरे की गुद्धि नहीं करवा सकता।

(ग) अपत्नीडक—द्रीडा का अर्थ है लज्जा। जो शिष्य लज्जा के कारण अच्छी तरह आलोचना नहीं करता, उसकी लज्जा या सकोच को भीठे वचनो द्वारा दूर करके अच्छी तरह आलोचना कराने वाला हो।

(घ) प्रकुर्वक—आलोचित अतिचारो का प्रायश्चित्त देकर दोषो की निवृत्ति कराने मे समर्थ हो।

(ङ) व्यवहारवान्—गास्त्रीय दृष्टि से व्यवहार पाच प्रकार का होता है—आगम-व्यवहार, सूत्र-व्यवहार, धारणा-व्यवहार, आज्ञा-व्यवहार और जीत-व्यवहार।

प्रायश्चित्त कराने वाले महा पुरुष का इन पाचो व्यवहारो के विधि-विधान का ज्ञाता होना आवश्यक है।

है। भक्ति भाव वाले व्यक्तियों द्वारा छ, काय की विराधना भी होनी स्वाभाविक है।

(छ) सहसाकार—विना सोचे समझे अकस्मात् किसी जीव पर पांव आ जाने से विराधना हो जानी, असत्य बोला जाना और सघट्टा लग जाना सहसाकार-प्रतिसेवना है।

(ज) भय—भयाक्रान्त साधक असत्य भी बोल सकता है, कायोत्सर्ग भी तोड़ सकता है, जीव-आकीर्ण मार्ग पर भी विना देखे विना प्रमार्जन किये जा सकता है, वृक्ष पर भी चढ़ सकता है, और दुराचार का सेवन भी कर सकता है। इस तरह की क्रिया भय-प्रतिसेवना है।

(झ) प्रद्वेष—द्वेषवश साधक असत्यभापी हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है, किसी को अपमानित एवं तिरस्कृत भी कर सकता है। इस दोष से ग्रस्त साधक जिस ओर भी देखता है उसे अवगुणों के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं। गुणों पर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। प्रद्वेष जड़ और चेतन किसी पर भी हो सकता है।

यहां प्रद्वेष से चारों कपाय लिये जाते हैं। इस दोष के कारण आनातना, अविनय और समय-विराधना का होना निश्चित है।

(ञ) विमर्श—जब साधक परीक्षण के निमित्त कोई कार्य करता है तब यह दोष लगता है। जैसे हाथ बाहर करके जानना कि बूदे पड़ रही हैं या कि नहीं? रायते में पड़ा हुआ मिर्च का बीज अचित्त हो जाता है या नहीं, यह जानने के लिये उसे उगाने की चेष्टा करना, जल सचित्त है या अचित्त परीक्षण करना, किसी की परीक्षा के लिये समय की विराधना करना आदि विमर्श-प्रतिसेवना के ही अनेक रूप हैं।

जब कभी साधक के ज्ञान, दर्शन, सयम और तप दूषित हो जाते हैं तब उक्त दस कारणों से ही हुआ करते हैं, इन दोषों की शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करना आवश्यक होता है। आलोचना करना भी एक प्रकार का प्रायश्चित्त है ही। जिस साधक में दस गुण हो वही आलोचना करने का अधिकारी माना जाता है। वे दस गुण निम्न-लिखित हैं, जैसे कि—

(क) जाति-संपन्न—उत्तम जातिवाला व्यक्ति प्रथम तो बुरा काम करता ही नहीं, यदि कभी उसके द्वारा भूल से हो भी जाए तो वह शुद्ध हृदय से आलोचना कर लेता है।

(ख) कुल सपन्न—उत्तम कुल में पैदा हुआ व्यक्ति श्रद्धा-पूर्वक एव 'भविष्य में ऐसा काय नहीं करूंगा' इस भावना से प्रायश्चित्त करता है। जिस व्यक्ति का मातृपक्ष शुद्ध है वह जाति-सपन्न कहलाता है और जिसका पितृपक्ष शुद्ध है वह कुल-सपन्न माना जाता है।

(ग) विनय-सम्पन्न—विनीत व्यक्ति बड़ों की आज्ञा मानकर निष्कपट भाव से आलोचना कर लेता है।

(घ) ज्ञान-सम्पन्न—ज्ञानी जानता है कि आलोचना करने पर ही मैं रत्नत्रय का आराधक बन सकूंगा, नहीं तो मुझे विराधक बनकर दुर्गतियों में ही भटकना पड़ेगा, इस दृष्टि से ज्ञानी निष्कपट भाव से आलोचना कर लेता है।

(ङ) दर्शन-सम्पन्न—जिस के हृदय में यह दृढ श्रद्धा है कि निष्कपट हृदय से की हुई आलोचना आत्म-शुद्धि एव सयम-शुद्धि का मूल कारण है, जीव के लिये परित्त-ससारी, सुलभ बोधि और आराधक बनने का सबसे आसान तरीका आलोचना

जब केवल ज्ञानी, मन पर्यव-ज्ञानी, अवधि ज्ञानी एव पूर्वी के वेत्ता मुनिवर विद्यमान हो, उस समय सूत्र-व्यवहार मुख्य नहीं होता, तत्र आगम-व्यवहार की मुख्यता होती है। आगम-व्यवहारियों के अभाव में सूत्र-व्यवहार की मुख्यता मानी जाती है।

जिस दोष या प्रायश्चित्त का उल्लेख सूत्र में नहीं होता उस समय यदि किसी के पास यह पुरानी धारणा हो कि "अमुक आचार्य के पास ऐसा कारण बना था और उन्होंने उसका प्रायश्चित्त यह दिया था" तो उस समय उसी प्रकार का प्रायश्चित्त देते हुए धारणा-व्यवहार से काम लिया जाना चाहिये।

कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जिनका युगानुकूल प्रायश्चित्त गुरु या आचार्य दिया करते हैं और उसे दोषी साधक सहर्ष स्वीकृत कर लेता है, यही आज्ञा-व्यवहार कहलाता है।

कुछ प्रायश्चित्त जीताचार व्यवहार से दिया या लिया जाता है। जैसे कि पाक्षिक प्रतिक्रमण के बाद एक उपवास, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के बाद एक वेला और सावत्सरिक प्रतिक्रमण करने के अनन्तर एक तेला प्रायश्चित्त दिया जाता है, यह जीत-व्यवहार है।

(च) अपरिस्त्रावी—अर्थात् गम्भीर स्वभाव वाला। आलोचना करने वाले के दोषों को दूसरे के समक्ष प्रकट न करने वाला महा-पुरुष ही आलोचना सुनने का अधिकारी हो सकता है।

(छ) निर्यापक—जो दोषी साधक किसी कारणवश एक साथ प्रायश्चित्त वहन करने में समर्थ न हो उसे थोड़ा-थोड़ा प्रायश्चित्त देकर निर्वाह कराने वाला निर्यापक कहलाता है। सब को एक डण्डे से नहीं हाका जा सकता, समर्थ और असमर्थ को देखना भी अत्यावश्यक होता है।

(ज) अपायदर्शी—यदि कोई साधक आलोचना ठीक तरह से नहीं कर रहा है तो उसको परलोक का भय दिखाकर तथा प्रायश्चित्त न करने पर उससे होने वाली हानियों को युक्ति-सहित प्रदर्शित करके प्रायश्चित्त में रुचि जागृत करने वाला अपाय-दर्शी कहलाता है ।

(झ) प्रियधर्मा—सुखदशा में जिसको धर्म अत्यन्त प्रिय हो ।

(ञ) दृढधर्मा—दुःख की दशा में भी जो धर्म में दृढ रहता हो ।

इन दस गुणों से सपन्न मुनिवर के समक्ष आलोचना सुनानी चाहिए, परन्तु प्रत्येक साधक इन गुणों से सम्पन्न नहीं होता । भला जिसको प्रायश्चित्त-विधि का ज्ञान ही नहीं है, वह आलोचना कैसे करवा सकता है ? उसके सामने आलोचना करने से लाभ की अपेक्षा हानि होने की संभावना अधिक रहती है ।

आलोचना करनेवाला अनेक कारणों से अपने दोषों को छिपाने का प्रयत्न करता है जैसे दंड के भय से, अपयश के भय से, लज्जा के वश होकर, स्ववचना या पर-वचना करके । अतः प्रायश्चित्त देनेवाले आचार्य आदि को सर्व प्रथम ऐसे कारणों के भय से साधक को मुक्त कर देना चाहिये । यदि कोई साधक मिथ्या या सदोष आलोचना करता है तो वह आराधक बनने के योग्य नहीं होता । सदोष आलोचना के दस रूप हैं, जैसे कि—

(क) आकम्पयित्ता—कापते-कापते आलोचना करना या आचार्य को विनय-भक्ति से प्रसन्न करके फिर उन के पास आलोचना करना, जिसमें कि वे बहुत बड़ा प्रायश्चित्त न देकर कोई छोटा-सा प्रायश्चित्त दे दें अथवा क्षमा ही कर दें । जैसे अति-मलिन वस्त्र को अति स्वल्प जल से शुद्ध नहीं किया जा सकता,

वैसे ही सामान्य प्रायश्चित्त से भारी दोषों से मुक्ति मिलनी सर्वथा असम्भव है, अतः दोष के अनुरूप ही प्रायश्चित्त होना चाहिये ।

(ख) अणुमाणइत्ता—जिस-जिस अपराध का प्रायश्चित्त थोड़ा आए, उस-उस अपराध की आलोचना करना या अपने कुतर्क के आधार से अपराध को बहुत छोटा करके बताना भी आलोचना-विषयक महान् दोष है ।

(ग) ज दिट्ठं—जिस अपराध को आचार्य ने देख लिया या जान लिया है, उसी की आलोचना करना, दोष को छिपा लेना भी आलोचना-दोष है ।

(घ) वापरं—बड़े-बड़े अपराधों की आलोचना कर लेना और छोटे-छोटे अपराधों की आलोचना न करना भी आलोचना-दोष है ।

(ङ) सुहमं—छोटे-छोटे अपराधों की आलोचना करना । ऐसा केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि लोग यह समझें—‘जो व्यक्ति छोटे-छोटे अपराधों की आलोचना कर लेता है, वह बड़े अपराधों को कैसे छिपा सकता है ? इस प्रकार की कपटपूर्ण आलोचना करनेवाला व्यक्ति आलोचना का अधिकारी ही नहीं रह जाता ।

(च) छिन्नं—अधिक लज्जा के कारण अस्पष्ट शब्दों में आलोचना करना, जिससे सुनने वाले को सुनने और समझने में दिक्कत आए, यह भी आलोचना-दोष है ।

(छ) सद्दालुअ—आलोचना करते समय जोर-जोर से बोलना, जिस से कि आचार्य के अतिरिक्त दूसरे लोग भी सुन सकें, यह भी आलोचना-दोष के अन्तर्गत है ।

(ज) बहुजण - एक ही दोष की आलोचना बहुत गुरुओं के पास करना आलोचना दोष है। जिस दोष की आलोचना एक बार की जा चुकी है। उसकी आलोचना पुन करने की आवश्यकता नहीं होती, यदि की जाती है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कपट-व्यवहार होना है।


(झ) अव्वत्त - जो प्रायश्चित्त-विधि का वेत्ता नहीं है, उसके पास आलोचना करना भी आलोचना-दोष है, इससे भी उसका गुद्धोकरण नहीं होने पाता।

(ञ) तस्सेवी—जिस दोष की आलोचना करनी हो, उसी दोष को सेवन करने वाले के पास आलोचना करना आलोचना-दोष है। जो स्वयं दोषी है, वह दूसरो को प्रायश्चित्त देकर दोषो से मुक्त कैसे कर सकता है ?

सत्य और निष्कपट हृदय से जो आलोचना की जाती है, उसके माध्यम से पता लग जाता है कि यह साधक किस प्रायश्चित्त से गुद्ध हो सकता है ? गुरु करुणा के समुद्र होते हैं, वे इस लोक में तथा परलोक में सभी स्थानों पर शिष्य का हित ही सोचते हैं, वे शिष्य की उन्नति में सहायक होते हैं।

शिष्य तीन तरह के होते हैं—एक वे जिन्हें गुरु को कुछ कहना नहीं पडता, अपितु आत्म-प्रेरणा से गुरु-आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे शिष्य सुशिष्य कहल ते हैं। जो कहने पर ही कार्य करने वाले हैं, जिन में अपनी सूझ-बूझ नहीं होती, वे शिष्य कहे जाते हैं और जो न अपनी सूझ-बूझ से काम लेते हैं और न गुरु आदि के कहने पर ही कार्य करते हैं, वे कुशिष्य माने जाते हैं। इन में से सुशिष्य सर्वा-राधक होते हैं, शिष्य कुछ आराधक भी होते हैं और कुछ विराधक भी होते हैं, किन्तु कुशिष्य सर्वथा विराधक ही हुआ करते हैं।

जैसे क्रिया के विपरीत होने से कार्य भी विपरीत ही हो जाता है, वैसे ही क्रिया सम्यक् होने से कार्य भी सम्यक् होता है। मुशिष्य नित्यप्रति आलोचना बोलकर या लिखकर करता है। जैसे शरीर में पित्त बढ़ जाने से जंत्र तक उल्टी के द्वारा वह पित्त बाहर नहीं निकल जाता, तब तक शरीर में घबराहट रहती है, उसके निकल जाने पर वेचनी भी दूर हो जाती है, वैसे ही आलोचना करने से सभी दोष विलुप्त हो जाते हैं, मन सब तरह से समाहित हो जाता है, अतः सदोष साधक के लिए आलोचना करना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा परलोक सुखकर नहीं होता है। योगी बनने के लिये यही प्रथम सीढ़ी है, इस पर साधक को सावधान होकर चढ़ने का प्रयास करना चाहिये। ●



जाएगी । आश्रव और वध का यदि अपलाप हो जाए तो जीव का जन्म-मरण अकारण ही मानना पड़ेगा । संवर और निर्जरा ये साधना के मूल मंत्र हैं, इनका यदि अपलाप हो जाए तो आश्रव-निरोध और वध को क्षीण कैसे किया जा सकेगा ? मोक्ष तत्त्व का अपलाप करने से साधना का चरम एव परम लक्ष्य ही समाप्त हो जाएगा । अतः सम्यग् जानी प्रायश्चित्त-दाता मे इस दृष्टि भी निरपलाप गुण का होना आवश्यक है । वीतराग भगवान् ने जिन तत्त्वों का निरूपण किया है, द्रव्य और द्रव्य-पर्याय, गुण और गुण-पर्याय जो जैसा है उसे उसके यथार्थ रूप में अनेकान्तवाद द्वारा समझना, फिर इस निर्णय तक पहुँचना कि जो त्याज्य एव हेय है उससे निवृत्त होना चाहिये और जो ग्राह्य एव उपादेय है उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिये, तथा जो साधक जीवन के लिये उपयोगी एव ज्ञातव्य है, उन्हे ध्यान का विषय बनाना चाहिये । इस प्रकार उन तत्त्वों का विभागीकरण करना सम्यग्ज्ञान है । वस्तु में जो धर्म या गुण अस्तित्व से विभूषित है उसे नास्तित्व के पक्ष से कलंकित करना और जो नास्तित्व धर्म से युक्त है उसे अस्तित्व धर्म से युक्त करना मिथ्यावाद एव अपलाप है ।

मिथ्यावाद का विरोधी दृष्टिकोण सम्यग्वाद है । सम्यग्वाद ही निरपलाप है । निरपलाप जैन दर्शन का प्रमुखतम आधार है । अपलाप कर्म-बंध का कारण है और निरपलापता मोक्ष संवर एव निर्जरा का प्रधान अंग है । इसी को दूसरे शब्दों में अस्तित्व-वाद भी कहते हैं । अशुद्ध प्ररूपणा न करना ही निरपलाप है और कथनी एव करनी में लुकाव-छिपाव न किया जाए उसी को शुद्ध प्ररूपणा कहते हैं ।

किए गए आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान मन में, बुद्धि में और शरीर में स्थिरता नहीं रहने देते और मानसिक एवं वैचारिक अस्थिरता योग की शत्रु है ।

आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान का मूल है आपत्ति । आपत्ति का अर्थ है—दुःख, क्लेश, विघ्न, आफत, वैरोजगागी-ग्राजीविका का अभाव, दोषारोपण और विपदा । आपत्ति में प्रत्येक प्राणी भयभीत होता है । जब किसी व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि आपत्ति को झेलने से मेरा भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा तो वह आनेवाली आपत्ति का भी स्वागत करने लगता है । जो आपत्ति का स्वागत करता है, वही महामानव है ।

तितिक्षु महामानव को अन्तरात्मा भी कह सकते हैं, वहि-रात्मा महामानवता की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि वह तितिक्षाशील बनकर कष्टों का स्वागत नहीं करता ।

आपत्ति चार प्रकार की होती है—द्रव्यापत्ति, क्षेत्रापत्ति, कालापत्ति और भावापत्ति । इन का विश्लेषण पहले अध्याय में किया जा चुका है ।

जितनी भी आपत्तियाँ प्राणी मात्र पर आक्रमण कर सकती हैं, उनकी गणना -यदि संक्षेप में की जाए तो उपर्युक्त चार की संख्या का उत्लघन नहीं होता । आपत्तियों का सामना केवल समता द्वारा ही किया सकता है, क्योंकि जब कोई अन्तरात्मा समता के भीतर प्रवेश कर जाता है-तब उस पर होने वाले आपत्तियों के प्रहार भले ही हजारों-लाखों हों, वे उसकी प्रगति में बाधक नहीं बन सकते । जब किसी कछुए पर शिकारियों का प्रहार होता है, तब वह अपने अंगो-उपाङ्गों को सकोच कर खोपड़ी में

प्रविष्ट कर लेता है, तब उस पर किसी बाहरी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह सब तरह सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो साधक किसी भी आपत्ति के आने पर सयम, तप और अहिंसा रूप धर्म का अवलम्ब लेकर आत्म-अवस्थित हो जाता है, निश्चय ही सफलता उसके चरण चूमती है। जीवन का चरम लक्ष्य है—दुःखों में अनुद्विग्न रहना और सुखों में निस्पृह रहना। इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही साधना-मार्ग की सबसे बड़ी सफलता है। ●



नो कित्ति-वण्ण-सद्द-सिलोगट्टयाए तवमहिट्ठिञ्जा,
अर्थात्—इह लौकिक सुखो के लिये तप न करे ।

स्वर्गादि के सुखो की प्राप्ति के लिये भी तप न करे ।

यश, कीर्ति, वर्ण शब्द और श्लोक के लिये भी तप न करे ।

अब प्रश्न होता है कि यदि साधक उपर्युक्त कारणों से तप न करे तो फिर किस उद्देश्य से तप करे ? अन्ततोगत्वा कोई न कोई उद्देश्य तो साधक के सामने होता ही है । बिना उद्देश्य के कोई भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता । अरिहन्त भगवान तप के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं —

नन्नत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिट्ठिञ्जा

केवल कर्मों की निर्जरा के लिये ही तप करना चाहिये । इसी से वास्तविक मोक्ष-सुख एव आध्यात्मिक सुख की उपलब्धि होती है । जो लोग सासारिक सुखो की आशा से तप करते हैं, उनकी सुख-आशा यथासम्भव पूर्ण हो ही जाती है, किन्तु वे निर्वाण-सुख प्राप्त न करके ससार-चक्र में ही परिभ्रमण करते रहते हैं । 'तप से राज और राज से नरक' की उक्ति को ऐसे लोग ही चरितार्थ करते हैं ।

भगवान महावीर ने न स्वयं मिथ्या तप की साधना की और न दूसरो को मिथ्या तप का मार्ग बताया है । उन्होने राजसी और तामसी तप का मुमुक्षुओ के लिये निषेध किया है । केवल सात्त्विक तप करने के लिये ही प्रेरणा दी है । इसी को दूसरे शब्दों में अनिश्रितोपधान तप कहा गया है । अनिश्रितोपधान शब्द का "किसी दूसरे की सहायता के बिना तप करना" यह अर्थ भी सुसंगत है । यही तप समाधि-जनक तथा सब तरह के विकारो को नष्ट करने वाला है । इसी तप से साधक परमात्म-पद की प्राप्ति कर सकता है ।

योग . एक चिन्तन]

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
५. शिक्षा
 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

मनुष्य के जितने भी विचार हैं वे सब के सब उसके अपने नहीं होते, कुछ घर के सदस्यों से मिलते हैं, कुछ साधियों से, कुछ तत्कालीन समाज से, कुछ सत्सग से, कुछ साहित्य से, कुछ पत्र-पत्रिकाओं से, कुछ शास्त्रों से कुछ जीव-जन्तुओं से, कुछ जड़-पदार्थों से प्राप्त होते हैं और कुछ अपने ही अनुभव के आधार पर चित्त में समुदित होते हैं। कुछ विचार सपक्षरूप में उदित होते हैं और कुछ विपक्षरूप में। कुछ विचारों को मन व्यर्थ समझ कर छोड़ देता है और कुछ को भूल जाता है। जो विचार आज उसे सत्य प्रतीत होते हैं, कालान्तर में वे ही विचार असत्य प्रतीत होने लगते हैं और जो विचार आज असत्य लगते हैं वे ही विचार कालान्तर में सत्य सिद्ध होते हैं। अतः विचारों में सत्य-असत्य का निर्णय चिन्तन मनन से ही होता है।

विचार प्रायः भाषा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि मानव सब से पहले भाषा सीखता है, तत्पश्चात् भाषा-विज्ञान। शब्द शुद्ध है या अशुद्ध इसका निर्णय वह व्याकरण के नियमों से करता है। छन्द, रस, रीति, काव्य, अलंकार गुण, दोष एवं गूढ़-निष्पत्ति आदि का सामान्य एवं विशेष ज्ञान ही भाषा-विज्ञान है।

भाषा-विज्ञान श्रुतज्ञान का अभिन्न अंग है। श्रुत-ज्ञान

सीखा जाता है और सिखाया भी जाता है। मतिज्ञान, अवधिज्ञान मन पर्यव-ज्ञान और केवलज्ञान ये चार ज्ञान सीखने-सिखाने से उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि ये ज्ञान अक्षर रूप नहीं है। जो कुछ भी सीखा जाता है या सिखाया जाता है, वह श्रुतज्ञान है।


अनुशासन में रहने की रीति नीति के ज्ञान को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा दो प्रकार की होती है, ग्रहण-शिक्षा और आसेवन-शिक्षा। इन्हीं को हमारे शब्दों में विद्या पढ़ने की और कला सीखने की क्रिया भी कहते हैं। विश्व में विज्ञान और कला का ही बोल वाला है। लोक-व्यवहार में मनुष्य अक्षर-ज्ञान प्राप्त करके अर्थ-बोध और अर्थ-बोध के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करता है वह ग्रहण-शिक्षा है और जो वह जीवन-कला या धर्म कला का नित्य प्रति अभ्यास करता है वह आसेवन-शिक्षा है।

आगम श्रद्धागम्य भी है और ज्ञानगम्य भी। जब शिष्य गुरु में सूत्रगत मूल पाठ का उच्चारण सीखता है पद और पदों के अर्थ का ज्ञान करता है, आज्ञा और धारणा से अर्थ के वास्तविक अभिप्राय को जानता है, तब यह क्रम ग्रहण-शिक्षा का माना जाता है।

श्रुतज्ञान सीखने पर जो जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसके दो रूप—हैं निवृत्ति और प्रवृत्ति। ये चारित्र के अंतरग और बहिरग कारण हैं। कपायो एव राग-द्वेष आदि के विचारों से निवृत्त होना चारित्र का अंतरग कारण है। निवृत्ति का ही दूसरा नाम विवेक है।

शरीर की प्रत्येक क्रिया में समय-पूर्वक प्रवृत्ति करना यतना है, अतः खान-पान में, गमनागमन में, उठने-बैठने में, शरीर के

सकोचन-प्रसारण मे, वस्त्र-पात्र आदि उपकरणो के प्रतिनेखन-प्रमार्जन मे, वस्तु के उठाने-रखने मे, मल-मूत्र आदि के त्याग मे यतन करना तथा वाणी बोलने मे समय से काम लेना इस प्रकार की सुप्रवृत्ति चारित्र्य का वाह्य अंग है। दुष्प्रवृत्तियो से निवृत्ति और सत्कायो मे प्रवृत्ति ही चारित्र्य है। चारित्र्य जीवन की सर्वोच्च कला है। कला का अभ्यास विना सीखे नही हो सकता, जब तक चारित्र्य की उपयोगिता पूर्ण न हो जाए, तब तक क्षण-क्षण मे आसेवन-शिक्षा का अभ्यास करते ही रहना चाहिये। ग्रहण-शिक्षा से ही आसेवन-शिक्षा पल्लवित, पुष्पित एव फलित होती है। ग्रहण शिक्षा के विना आसेवन-शिक्षा अर्कचित्कर है, अत कहा भी है 'पढम नाण तमो दया' पहले ज्ञान होगा तभी जीवो पर दया की जा सकती है। छ काय का ज्ञान होने पर ही अहिंसा महाव्रत पल सकता है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब अहिंसा के पोषक एव परिवर्धक तत्त्व हे। अत पहले ग्रहण-शिक्षा का अभ्यास करना चाहिए, फिर आसेवन-शिक्षा का। शिक्षा योग-साधना की पाचवी सीढी है। ●



किया जाए, वह अपने अशुचि स्वभाव का परित्याग नहीं करता, क्योंकि इसमें नित्य मल-मूत्र आदि उत्पन्न होते रहते हैं। यदि शान्त एवं स्थिर होकर सोचा जाय तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर का कोई भी अवयव घृणा-जनक पदार्थों से गून्य नहीं है।

यह शरीर आधि-व्याधि आदि प्रनेक रोगों का घर है। इसे कोई गगाजल या समुद्र के जल से भा गुट्ट करना चाहे तो भी यह शूद्ध नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य को लेकर ज्ञानी जन शीत जल से या गर्म जल से स्नान नहीं करते, क्योंकि स्नान बनाव का मुख्य अंग है, बनाव काम-वासना की अभिवृद्धि करता है। इतना ही नहीं, वे न केशालकार करते हैं, न वस्त्रालकार, न आभरणालकार और न माल्यालकार करते हैं, ये सब विभूषा के साधन हैं और इनका उद्देश्य विपरीत लिंगी का आकर्षण ही होता है।

आत्महित का इच्छुक साधक विभूषा, काम-वासना को उत्तेजित करने वाला सग और पीष्टिक पदार्थों का आहार इन सबको तालपुट विष के समान समझता है। अतः वह शरीर के किसी भी बनाव-शृंगार की ओर कभी भी ध्यान नहीं देता। वह जगत् के स्वभाव को और शरीर के स्वभाव को भली भाँति जानता है। उसके लिए जगत् और शरीर दोनों तरह का स्वभाव ससार में फमाने के लिए नहीं, अपितु सवेग और वैराग्य की जागृति के लिये है। कहा भी है 'जगत्काय स्वभावी सवेग-वैराग्यार्थम्'।

(तत्त्वार्थ सूत्र अ० ७वाँ)





७. अज्ञातता



इस का अर्थ है छिपाव, अर्थात् अपने प्रत्येक शुभ अनुष्ठान को—पाठ, जप, ध्यान एव तप आदि को इस प्रकार करना चाहिये जिससे उसे सांसारिक लोग न जान पाए, तप आत्म-शुद्धि के लिये हो, प्रदर्शन के लिये नहीं। साधक को अपना तप किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिये, यश और पूजा की कामना किये बिना इस प्रकार तप करना चाहिए कि किसी को पता ही न लगे। अज्ञात तप मन को शान्त बनाता है तथा अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा और शुभानुबन्धी शुभ फल देनेवाला होता है।

इस तप की आराधना वही कर सकता है जिसको मान-प्रतिष्ठा की भूख न हो, प्रसिद्धि की कामना न हो, सासारिक सुख-समृद्धि की आशा न हो, इहलोक और परलोक की इच्छा से जो निस्पृह हो, दृष्ट एवं अदृष्ट वैषयिक सुखों की तृष्णा से रहित हो, जिसमें तप करने की सहज भावना हो, जो तप करने की विधि का ज्ञाता हो, तप की साधना में श्रद्धा रखनेवाला हो, भगवान की वाणी पर दृढ निष्ठा रखता हो, अत्मा पर और कर्म सिद्धांत पर जिसका दृढ विश्वास हो, जो चारित्रवान हो, इतना ही नहीं जितेन्द्रिय भी हो तथा मन्द-कपायी हो, विनीतता एव आर्जव आदि गुणों से युक्त हो, आगमों का पारगामी हो, वही इस अज्ञात तप का आराधक बन सकता है।

कोई भी घनाढ्य व्यक्ति जैसे किसी के सामने अपनी संपत्ति या आमदनी को वास्तविक रूप में नहीं बताता, उसे गुप्त रखता है, वैसे ही तप भी साधु का महान् धन है, उसे गुप्त रखने में ही उसका कल्याण है। सेठों के खुले धन को देखकर जैसे उनके आस-पास अर्थार्थियों की टोली मड़राने लग जाती है वैसे ही प्रसिद्धि प्राप्त तपस्वी को स्वार्थ-परायण, गृहस्थ समय-असमय घेरे रहते हैं, जिससे उसकी साधना में शैथिल्य आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अधिक जन-ससर्ग साधना-मार्ग का बाधक होता है।

तपस्वी को चाहिये कि वह "गृहसंयवं न कुञ्जा, कुञ्जा साहूहि संयवं"—गृहस्थों के साथ परिचय न करे साधुओं के साथ ही परिचय करे, क्योंकि "संसर्गजा दोष-गुणा भवन्ति" जो जैसा संसर्ग करेगा वह वैसा होकर ही रहेगा। अतः साधक को अज्ञात-तप ही करना चाहिए, उसे जलसे और जलूसों के चक्कर में नहीं पडना चाहिए।

हम देखते हैं कि आज के तपस्वी की वृत्ति विज्ञापनमयी हो गई है, वह तप करता है शोहरत के लिये, चले-चेलियां बढ़ाने के लिये एवं मान-प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिये। ऐसे तप की तप नहीं कहा जा सकता, उसे यदि केवल कार्यक्लेश कहे तो ठीक रहेगा तप के लिये कार्या को क्लेश देना बुरा नहीं, प्रदर्शन के लिये कार्या को क्लेश देना हिंसा है। प्रदर्शन के लिये कार्या को क्लेश तो सरकस वाले भी देते हैं, उसे न तो तप कहा जा सकता है और न ही उससे देवलोकों की अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अतः एकान्त स्थान में आत्मोत्थान के लिये ही अज्ञाततप करना चाहिये।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ८. अलोभ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

यहा लोभ शब्द के विपरीतार्थक शब्द 'सन्तोष' का प्रयोग न करके निषेध सूचक 'अलोभ' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे सभी तरह से लोभ के परित्याग की भावना ध्वनित की गई है।

इन्द्रियो के द्वारा जड या चेतन का प्रत्यक्ष होते ही मन में उसे प्राप्त करने की जो आकुलता जागृत हो जाती है वही लोभ है। जब लोभ मन में पैदा होता है, तब मन उचित-अनुचित का विवेक खो देता है। लोभ के वशीभूत होकर मानव हिंसा भी करता है, झूठ और चोरी में भी प्रवृत्त होता है, दूसरे की वस्तु को हथियाने की कोशिश भी करता है।

लाभ से लोभ बढ़ता है, कपट उसका साथी है, लोभ और कपट का संयोग सभी पापों को जन्म देता है। लोभ से सभी तरह के मधुर सम्बन्ध खटाई में पड़ जाते हैं। मन की शान्ति भग हो जाती है।

जब साधक त्यागवृत्ति में पहुँच जाता है तब उसके लिये भगवान निर्देश करते हैं कि अब अपने जीवन में लोभ का उद्भव न होने दो, जब चित्त पर लोभ की छाया भी न रह जाय वही अलोभ की दशा है। जब साधक आत्मस्वरूप में रमण करता है, सन्तुष्ट रहता है, तब उसमें लोभ की सूक्ष्म वृत्ति भी नहीं रह

जाती है। एक लोभ के छोड़ने से उसके सहयोगी सभी दुष्कृत स्वत छूट जाते हैं।

अलोभ आत्मा का उत्थान करनेवाला है और लोभ आध्यात्मिकता के गिखरो से पतन कराने वाला है। हजारो गुणो मे प्रमुख गुण है अलोभ, जब कि हजारो अवगुणो मे मुख्य अवगुण है लोभ। अलोभ आत्मा का निज धर्म है और लोभ परधर्म। लोभ से आत्मा ससार की ओर आकृष्ट होता है और अलोभ परमात्मा की परिधि मे पहुचाने वाला है। अलोभ सयम है और लोभ वासना है। अलोभ आत्मा का स्वाभाविक गुण है और लोभ वैभाविक एव औपचारिक गुण है। अलोभ अखण्ड गान्ति एव आनन्द का असीम हृद है और लोभ दुःख-परम्परा की महाज्वाला है। लोभ का उन्मूलन उसके त्याग से होता है। लोभ के निवृत्त हो जाने पर अलोभ स्वत. उत्पन्न हो जाता है। लोभ असत्य का अनुरागी है और अलोभ सत्य का सहचर है। अत अलोभ उच्चसाधक का भूषण है। सभी सांसारिक प्रवृत्तियो का तन्तु लोभ से जुडा रहता है। चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना, वासना ये सब लोभ के ही अनेक रूप है। एक विचारक के शब्दो मे—

चाह मिटी चिन्ता गई, मनुआ बेपरवाह।

जिसको कछु न चाहिये सोई शहनशाह ॥

अलोभ साधक को गहनशाह—इच्छा-मुक्त महान् सन्त बना देता है।



किन्तु उनका मन क्रुद्ध होता रहता है, परन्तु वे क्रोध के भाव को बाहर प्रकट नहीं होने देते ।

(ख) कुछ साधक आन्तरिक रूप से तो सर्वथा सहनशील रहते हैं, किन्तु बाहर से क्रोध करते हुए से प्रतीत होते हैं ।

(ग) कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो आन्तरिक एवं बाह्य दोनों दृष्टियों से सहनशील होते हैं ।

(घ) कुछ ऐसे हीन साधक भी होते हैं जो न शारीरिक दृष्टि से सहनशील होते हैं और न मानसिक दृष्टि से ।

इनमें तीसरा रूप सर्वसाधक का है और चौथा रूप सर्वविराधक का है । इसी प्रकार :—

(क) कुछ साधक जिनमें अपनत्व होता है उनकी बात तो सहते हैं दूसरों की नहीं ।

(ख) कुछ साधक दूसरों की बात या प्रहार को सह लेते हैं, किन्तु अपने द्वारा किए गए व्यवहार को सहन नहीं करते हैं ।

(ग) कुछ साधक न अपने की सहते हैं और न दूसरों की सहते हैं ।

(घ) कुछ साधक अपने द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार को भी सहन करते हैं और दूसरों के दुर्व्यवहार को भी शान्त भाव से सहन कर लेते हैं ।

इनमें पहला श्रेष्ठ, दूसरा कुछ श्रेष्ठ, तीसरा अत्यन्त निकृष्ट और चौथा श्रेष्ठतर माना जाता है । तितिक्षा के बिना साधनाशील व्यक्ति का न तो समाज पर कोई प्रभाव होता है और न ही उसका जीवन आत्मोत्थान में सहायक हो पाता है । सहनशील व्यक्ति का मन आकुलता एवं अशान्ति से रहित होने के कारण एकाग्र रहता है, अतः वह अपने साधना-मार्ग पर सहज स्वभाव से प्रगति करने में समर्थ होता है ।

यह गुण जीवन में उतर आता है तभी आलोचना के द्वारा सभी दोष या पाप निकल कर बाहर हो जाते हैं। प्रायश्चित्त के द्वारा सभी छिद्र वन्द हो जाते हैं, आश्रवों का निरोध हो जाता है, सवर एवं समय अपूर्ण से पूर्ण की ओर बढ़ते हैं। आर्जव गुण जैनत्व से ओतप्रोत है। आर्जवगुण से साधक आराधक बनता है और मायाचारिता से विराधक। अपनी साधना में उत्तीर्ण होना ही आराधकता है, उसमें अनुत्तीर्ण होना ही विराधकता है। आर्जव गुण से युक्त जीव ही मोक्ष-पथ का पथिक बन सकता है। इस गुण की निर्मलता के साथ-साथ सभी गुण स्वयं निर्मल हो जाते हैं, मोह की सभी प्रकृतियाँ मन्द, मन्दतर एवं मन्दतम पड़ जाती हैं, उनका बल क्षीण हो जाता है और आत्मा का बल बढ़ जाता है। अपना बल बढ़ जाने से कर्मों की पराजय निश्चित ही है। यदि हम गभीरता से विचार करें तो ऐसा कहना अनुचित न होगा कि शान्ति, नम्रता आदि गुणों में भी आर्जव गुण अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी देखरेख में रहते हुए साधक के हृदय में कोई भी दोष प्रवेश नहीं कर सकता।

आर्जव का अर्थ सीधा-पन या भोला पन भी हो सकता है। बचपन तक मानव में भोला-पन रहता है, आयु-वृद्धि के साथ-साथ भोलेपन का ह्रास होता जाता है। जो साधक अपने इस गुण का ह्रास नहीं होने देता वह सदैव सुखी रहता है। भोले-पन में निष्कपटता का उदय स्वाभाविक है, अतः आर्जव गुण से युक्त साधक अपने भोलेपन के कारण बच्चे की तरह तीव्र रागद्वेष से मुक्त रहता है, अतः वह सरलता से मोक्ष-पथ पर बढ़ने में सफल हो जाता है।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ११. शुचि ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

शुचि का अर्थ है पवित्रता। दूसरे शब्दों में इसको उत्तम गौच भी कहते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को और अपने वस्त्रादि उपकरणों को अपवित्र नहीं होने देता, यदि कारण वग अपवित्र हो भी जाए तो उन्हे अपवित्र नहीं रहने देता, बल्कि उन्हे शीघ्र ही शुद्ध करने का प्रयास करता है इसी प्रकार हमें मन को भी कभी अपवित्र नहीं होने देना चाहिये। यदि किसी कारण से मन अपवित्र हो जाए—उसमें बुरे भाव आ जाए तो उन्हे हटाकर शीघ्र ही मन को पवित्र कर लेने का प्रयास करना चाहिये। द्रव्य को द्रव्य से शुद्ध किया जा सकता है, भावों को नहीं, अशुद्ध भावों को शुद्धि तो शुद्ध भावों से ही हो सकती है।

आचार और विचार में पवित्रता का होना ही शुचि है, आन्तरिक मैल को धोना ही वास्तविक पवित्रता है। शरीर बाह्य रूप से चाहे पवित्र हो जाय—साफ हो जाय, किन्तु आन्तरिक रूप से इसकी शुद्धि संवत्था असम्भव है, क्योंकि यह अशुचि पदार्थों का स्रोत है। गंगा की धारा में महीनों तक डुबाए रहने पर भी इसकी पवित्रता संभव नहीं। विण्ठा से भरे हुए घड़े को ऊपर से धो देने पर भी क्या वह पवित्र हो सकता है? कभी नहीं। पानी से इस शरीर की शुद्धि भी औपचारिक होती है, वास्तविक नहीं।

प्रश्न हो सकता है यदि शरीर दुर्गन्ध पूर्ण एव अपवित्र ही है तो आचार-विचार की पवित्रता इस में कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जैसे दुर्गन्ध-पूर्ण कीचड़ में उत्पन्न कमल सुन्दर एव सुरभि से परिपूर्ण होता है वैसे ही इस अपवित्र औदारिक शरीर-में आचार-विचार भी पवित्र हो सकते हैं और उनके योग से शरीर की महत्ता भी बढ़ जाती है । विचारों की पवित्रता से मन, हितकर एव प्रिय सत्य से वाणी और आचार की पवित्रता से शरीर-पवित्र हो जाता है ।

शुचि के दो रूप हैं—आचार की पवित्रता और विचारों की पवित्रता साधक को कभी भी अपने आचार-विचार को अपवित्र नहीं होने देना चाहिये । यदि कारण वश विषयो एव कषायों के योग से कलुषित हो जाए, तो उन्हें तुरन्त पवित्र करने का प्रयास किया जाना चाहिये । शुद्ध विचारों से आचार पवित्र होता है और शुद्ध आचार से विचार पवित्र होते हैं । आचार और विचार की पवित्रता ही आत्मा की पवित्रता है । आचार-विचार की पावनता बनाए रखने में ही मानव-जीवन की सफलता है ।

-महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद पाण्डवों ने सबसे-पहले बड़े समारोह पूर्वक एक राजसूय-यज्ञ-सपन्न किया, उसके बाद वे नरसंहार के महा पाप मल-से मुक्त होने के लिये तीर्थ-स्नान-को-चल पड़े । कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर उन्होंने स्नान न-किया हो । वे अठसठ तीर्थों में स्नान करके वापसी पर-द्वारका नगरी में श्री कृष्ण-जी के पास पहुँचे । उनका मन-पाप-भार से अब भी आकुल था । मानसिक शुद्धि एव शांति का कोई भी लक्षण वे अपने जीवन-में नहीं देख-पा रहे थे । अन्त

मे उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि क्या कोई ऐसी भी नदी है, जिस मे स्नान करके हमारी अन्तरात्मा शुद्ध एव पवित्र हो जाए ?”

श्री कृष्ण जी ने कहा ‘युधिष्ठिर । एक ऐसी नदी रहती है जिसमे तुमने अभी तक स्नान किया ही नहीं-। उसमे स्नान किए बिना तुम्हारा मनोरथ फलित होना असम्भव है । उस नदी का नाम शान्ति नदी है, जोकि सयम-जल से परिपूर्ण है । उसमे सत्य का प्रवाह है, शील और मर्यादा ही उसके तट हैं, उसमे दया की ऊँची-ऊँची तरंगें उठती रहती हैं, उस नदी मे स्नान करो । पानी से अन्तरात्मा की विशुद्धि नहीं होती ।’

इस निर्देश से यह प्रमाणित होता है कि सयम, सत्य, शील और दया की पावन भूमि पर ही मानसिक शान्ति का उदय होता है और मानसिक शान्ति के बिना आन्तरिक शुद्धि सर्वथा असम्भव है । उक्त सभी साधन कर्म-मल-को दूर करने वाले हैं, अतः शान्ति एव समता की नदी मे स्नान करने से ही आत्मा की शुद्धि होती है । विशेषता यह है कि इस नदी मे जो एक बार स्नान कर लेता है वह फिर सदैव पाप-कलुष से दूर रहता है, उसका मन बुरे विचारों से सर्वदा बचा रहता है, उसकी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं, उसकी अन्तरात्मा से शुचिता का स्रोत फूट पडता है, फिर उसे बाह्य शुद्धि की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता । वह तो क्या उसके शरीर का स्पर्श करने वाले का मन भी शुद्ध हो जाता है । यही तो शुचि-धर्म की विशेषता है । इसी सयम-स्नान को ‘योग-संग्रह मे ‘शुचि-धर्म’ कहा गया है । ●

१. शान्ति-नदी-सयम-तोयपूर्णा, सत्यवहा शीलतटा दयोभिः ।

तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र । न वारिणा-शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥

महाभारत शान्तिपर्व

५ आस्तिक्य—जीवादि नव पदार्थों को, द्रव्यो को, स्वर्ग, नरक आदि की सत्ता को स्वीकार करना ही आस्तिक्य है ।

इन पाचो गुणो से सम्पन्न महासाधक सम्यग्दृष्टि बन जाता है, उसके हृदय से राग द्वेष की तीव्रता मिट जाती है, उसकी आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाती है, यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यग्दर्शन है ।

अनादि कालीन ससार-प्रवाह मे भिन्न-भिन्न प्रकार के दु खो का अनुभव करते-करते जब सब कर्मों की स्थिति अन्त-कोटाकोटी सागरोपम की किसी योग्य आत्मा मे यथा-प्रवृत्ति-करण के द्वारा शेष रह जाती है, तब पहले से भी अधिक परिणामो की शुद्धि हो जाती है जो कि उसके लिये अपूर्व होती है । अपूर्वकरण से राग-द्वेष की वह तीव्रता मिट जाती है जो तत्त्व-ज्ञान और सत्य-निष्ठा मे बाधक है, अपूर्वकरण से जब कर्म-ग्रन्थि या मिथ्यात्व-ग्रन्थि नष्ट हो जाती है, तब इस अवस्था की वृत्ति को अनिवृत्ति-करण कहते हैं । इसी वृत्ति के उदित होने पर सम्यग्दृष्टि जीव क्षणिक सम्यग्दर्शन के अभिमुख होता है ।

यहा तत्त्व शब्द का अभिप्राय—अनादि, अनत स्वतन्त्र सत्ता-त्मक तत्त्व नही, बल्कि मोक्ष-प्राप्ति मे उपयोगी ज्ञेय भाव है । मोक्षार्थियो एव जिज्ञासुओ के लिए जिन वस्तुओ का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है वे ही पदार्थ यहा तत्त्व-रूप से कहे गए है । मोक्ष मुख्य साध्य है, अत मोक्ष और उसके साधनो को जाने बिना मोक्ष-मार्ग मे प्रवृत्ति नही हो सकती ।

मोक्ष के विरोधी तत्त्वो का और उन विरोधी तत्त्वो के कारणो के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भी मुमुक्षु अपने पथ मे

दृष्टता में प्रवृत्ति नहीं कर सकता, अतः तत्त्व-विषयक पक्ष और विपक्ष दोनों का वास्तविक ज्ञान होना ही सम्यग्ज्ञान है।

आत्मा का निश्चय होना सम्यग्दर्शन है और आत्म-ज्ञान होना ही सम्यग्ज्ञान है। मिथी में जैसे उज्ज्वलना और माधुर्य एक साथ रहते हैं, वैसे ही आत्मा में सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ये दोनों एक साथ रहते हैं। जब जीव में सम्यग्दर्शन का उद्भव होता है, तब उसकी चेतना ज्ञान रूप में परिणत हो जाती है। जीव का वही ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सम्यग्ज्ञानी हेय और हेय के कारणों को विष समझकर सर्वदा के लिए छोड़ देता है और उपादेय के कारणों को अमृत समझकर सदा-सदा के लिए ग्रहण कर लेता है।

अज्ञान का स्वरूप इससे विपरीत है। अज्ञान ससार का कारण है और ज्ञान मोक्ष का, अज्ञान का सहचारी मिथ्यात्व है और ज्ञान का सम्यग्दर्शन। सम्यग्दर्शन उत्पन्न होते ही जीव का दृष्टिकोण बदल जाता है, आध्यात्मिक उत्क्रान्ति का उदय हो जाता है। सम्यग्दर्शन सम्बन्धी विरोधी कारणों के उपस्थित होने पर भी स्थिर रहने वाला साधक स्थित-प्रज्ञ कहलाता है। सम्यग्दर्शन के विरोधी कारणों को जानना और उनसे सावधान रहना सम्यग्दृष्टि के लिये अत्यावश्यक है। वे विरोधी कारण ही सम्यग्दर्शन के दूषण अथवा उसके अतिचार कहलाते हैं, जो सख्या में पांच हैं :—

१. शंका—शंका का अर्थ सदेह और भय है। जिन-भाषित तत्त्वों के प्रति सदेह का होना शंका है और जिसका मन सात प्रकार के भयों से व्यथित है वह शकालु है। पहले भय के कारण

शका उत्पन्न होती है और शक्तिपदार्थ का प्रत्यक्ष होने पर मन भय से व्याकुल हो जाता है ।

२. कांक्षा—धर्माचरण के द्वारा सुख-समृद्धि पाने की इच्छा कांक्षा है और एकान्तवादियों के दर्शन द्वारा स्वीकृत इच्छा भी कांक्षा है ।

३. विचिकित्सा—इसके दो रूप हैं—धर्म के फल में सदेह और चारित्रवान् से घृणा-करना । निन्दनीय व्यवहार करना या कुदृष्टियों से घृणा करना या मलमूत्र आदि अपावन पदार्थों से घृणा करना भी विचिकित्सा है ।

४. पर-पाषण्ड-प्रशंसा—मिथ्यादृष्टियों की प्रशंसा और स्तुति करना ।

५. पर-पाषण्ड-परिचय—मिथ्यादृष्टियों के अधिक परिचय में रहना या उनकी सेवा करना ।

इन पाँच अतिचारों से सम्यग्दर्शन दूषित हो जाता है । दूषित सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व के अभिमुख हो जाता है । मिथ्यात्व सब विपत्तियों का मूल कारण है ।

सम्यग्दर्शन के आठ भूषण हैं, जिन से सम्यग्दर्शन विशुद्ध, विशुद्धतर और विशुद्धतम होजाता है । इन्हे ही दूसरे शब्दों में दर्शनाचार भी कहते हैं, जैसे कि —

१. नि शकित—सम्यग्दृष्टि को सदैव असदिग्ध और अभय ही रहना चाहिए ।

२. नि कांक्षित—जिन-धर्म में अटल विश्वास रखते हुए योग एक चिन्तन]

धर्माचरण के फलरूप में भीतिक सुख-समृद्धि की कामना भी नहीं करनी चाहिये ।

३ निर्विचिकित्सा—सम्यग्दृष्टि कभी भी धर्मफल के प्रति सदेह नहीं करता और न ही किसी जड़ चेतन की अवहेलना करता है और न ही उनसे घृणा करता है तथा उनकी निन्दा भी नहीं करता ।

४ अमूढदृष्टि—विभिन्न धर्मावलम्बियों की विभूति देखकर जो मोह उत्पन्न होता है उसे मूढता कहा जाता है । मिथ्यादृष्टियों की प्रणामा एव स्तुति करना उन्हें पुरस्कार देना ये सब मूढता के ही परिणाम हैं । सम्यग्दृष्टि अपने जीवन में कभी भी मूढता नहीं आने देता ।

मूढता तीन प्रकार की होती है लोक-मूढता, देव-मूढता और पापण्ड-मूढता । नदी स्नानादि में धार्मिक विश्वास करना लोक-मूढता है । राग-द्वेष के वशीभूत हुए देवों की उपासना करना देव-मूढता है और हिंसा आदि पाप-कार्यों में प्रवृत्त साधुओं की सेवा-सुश्रूषा करना पापण्ड मूढता है ।

५ उपवृंहण—सम्यग्दर्शन की पुष्टि करना, धर्मात्माओं का या श्री-सद्य-सेवियों का उत्साह बढ़ाना उपवृंहण है । कही-कही उपवृंहण के स्थान पर उपगूहन शब्द भी उपलब्ध होता है, जिसका भाव है अपने गुणों का गोपन करना या प्रमादवश हुए किसी के दोषों का प्रचार करना ।

६ स्थिरीकरण—धर्म-मार्ग से या न्याय-मार्ग से फिसलते हुए को पुनः धर्म-मार्ग में स्थिर करना ।

७ वात्सल्य—मोक्ष के कारणीभूत धर्म में और अहिंसा में श्रद्धा रखना तथा सहर्षामियों में वात्सल्य-भाव रखना, आहार-पानी, वस्त्र एवं औषध आदि से उनकी सेवा करना, विनय करना भक्ति और प्रीति के भाव रखना वात्सल्य है।

द. प्रभावना—जैसे भी हो जिन-शासन की महिमा बढ़ाना, तीर्थ की उन्नति हो वैसे कार्य करना, अपनी आत्मा को ज्ञान, दर्शन और चरित्र से प्रभावित करना प्रभावना है। ये सम्यग्दर्शन के आठ आचार हैं। साधक को इनकी आराधना नित्यप्रति करनी चाहिए।

सम्यग्दृष्टि के रूप—

आत्म-शुद्धि, दृष्टि-शुद्धि, उपाय-शुद्धि और ध्येय-शुद्धि इन चारों का समावेश सम्यग्दृष्टि में होता है।

कषायों की मन्दता के कारण आत्मा की अन्तर्मुखी वृत्तिका होना आत्म-शुद्धि है।

सत्य के परीक्षण के लिए द्वेष तथा पक्षपात से दूर रहकर प्रत्येक वस्तु को अथवा प्रत्येक विचार को तटस्थ वृत्ति से देखने और समझने की क्षमता ही दृष्टि-शुद्धि है।

वस्तु के जानने के जितने भी उपाय हैं उनके निर्दोष तथा वैज्ञानिक परीक्षण ही उपाय-शुद्धि कहा जाता है।

साधक के सामने किसी महान लक्ष्य का रहना ध्येय-शुद्धि है।

इनमें से पिछली तीन शुद्धियाँ तभी जीवन में आ सकती हैं, जबकि पहली अर्थात् आत्मशुद्धि प्राप्त हो जाय, उसके बिना अन्य शुद्धियों की प्राप्ति असम्भव ही होती है।

सम्यग्दृष्टि साधक की साधना निर्दोष होनी चाहिये। साधना

के त्यागने योग्य चार दोष बतलाए गए हैं। जैसे कि दग्ध, शून्य, अविधि और अतिप्रवृत्ति।

दग्ध—एक क्रिया को समाप्त किए बिना दूसरी क्रिया प्रारम्भ करने से पहली क्रिया भस्म हो जाती है।

शून्य—जिस साधना में उपयोग नहीं है, मन की स्थिरता एवं सलग्नता नहीं है, वह द्रव्य साधना है भाव-साधना नहीं।

अविधि—प्रत्येक क्रिया विधि-पूर्वक ही करनी चाहिए अविधि से की गई कोई भी क्रिया सफल नहीं होती।

अतिप्रवृत्ति—अपनी शक्ति से भी अधिक साधना करना अतिप्रवृत्ति है।

सम्यग्दर्शन के भेद—

सम्यग्दर्शन तीन प्रकार का होता है—श्रीपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। सम्यग्दर्शन के आवरणभूत दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम, क्षायोपशम, और क्षय से इसका उद्भव होता है। इन भावों से सम्यग्दर्शन की शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता है। श्रीपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिक की अपेक्षा क्षायिक भाव वाला सम्यग्दर्शन उत्तरोत्तर विशुद्ध एवं विगुद्धतर होता है। चौथे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक श्रीपशमिक, चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक क्षायोपशमिक और भवस्थ की अपेक्षा चौथे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। सिद्धों की अपेक्षा क्षायिक सम्यग्दर्शन-सादि अनन्त है। श्रीपशमिक सम्यग्दर्शन की स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण मानी गई है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन की स्थिति कम से कम अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट छयासठ सागरोपम से कुछ अधिक तथा क्षायिक सम्यग्दर्शन की स्थिति सादि अनन्त है। जिस जीव में जो

भी सम्यग्दर्शन है उसी से वह सम्यग्दृष्टि कहलाता है। सम्यग्दृष्टि बनते ही अनेक आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर साधक सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है।

अभय और निर्भय

जो साधक स्वयं भय से मुक्त है और दूसरों को भी भय से मुक्त करने की क्षमता रखता है वह अभय है और जो साधक भयानक वातावरण और भय के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता वह निर्भय है। सम्यग्दृष्टि में किसी भी प्रकार का भय होता ही नहीं, वह किसी से डरना जानता ही नहीं। अधिकांश मानसिक व्याधियों भय से उत्पन्न होकर फिर वे स्वयं भय-उत्पादक हो जाती हैं, जैसे किसी माँ को लड़की कालान्तर में स्वयं माँ बन जाती है। भय उत्पन्न होने के तेरह कारण हैं जैसे कि—


- १ अज्ञान जो व्यक्ति जिस काम से अनभिज्ञ होता है उसे वह काम करते समय भय लगता है तथा जिस स्थान के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होती है वहाँ जाते हुए मनुष्य भयभीत होता है।
- २ संशय—मानव जब अकाशील होता है तब उसकी सशयात्मिका वृत्ति भय-उत्पादिका बन जाती है।
- ३ उदासीनता—मध्यस्थ भाव को उदासीनता कहते हैं, किन्तु यहाँ यह अर्थ अभीष्ट नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है उत्साह-हीन अवस्था। उत्साहहीन व्यक्ति सर्वदा त्रस्त रहता है।
- ४ अनिश्चितता—मानसिक अस्थिरता से भय उत्पन्न होता है।

५. अनतिकता—चारित्र्य की निर्बलता से भय पैदा होता है ।
६. अशक्तता—शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता और असमर्थता भय की मां है ।
७. अयोग्यता—जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य नहीं है उसे वह कार्य करते हुए भय की अनुभूति अनायास ही होने लग जाती है ।
८. अकर्मण्यता—जहा आलस्य है वहा भय मुह खोल कर आता है ।
९. दीनता—पारिवारिक दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, उत्साह की अपेक्षा से, धन की अपेक्षा से जब मानव को अपने दीन-हीन होने का आभास हो जाता है, तब वह भय के मुह मे जा गिरता है ।
१०. पर-वशता—जो मानव अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को खो देता है वह पराधीन हो जाता है और पराधीन व्यक्ति सर्वदा भयभीत रहता है ।
११. असहनशीलता—जिस मे सहनशीलता नहीं होती उसे भी भय डराता ही रहता है ।
१२. व्यसन—व्यसनी व्यक्ति सदैव भयभीत ही रहता है ।
१३. अविश्वास—जिस को किसी पर विश्वास है ही नहीं, वह सदैव भयभीत रहता है ।

सम्यग्दृष्टि साधक मे भय के इन कारणों का अभाव रहता है । वह किसी से डरना जानता ही नहीं, क्योंकि जब कारण का ही अभाव है तो कार्य का अभाव होना स्वत-सिद्ध है ।

सम्यग्दृष्टि का इष्ट सदाचार होता है। सद्+आचार इन दो शब्दों से सदाचार शब्द बनता है। क्षमा, सहिष्णुता, विनय, शील, सेवा और समर्पण इनके सामूहिक रूप का नाम सदाचार है। विवेकशीलता, न्याय प्रियता, वीरता और सच्चरित्रता इन विशेष गुणों के मध्य में सम्यग्दृष्टि सन्तुलित रूप में रहता है। जैसे अग्नि में से मणि-मन्त्र एवं औषधि के द्वारा उष्णता दूर की जा सकती है, वैसे ही राग-द्वेष भी मन के धर्म है, उन्हें योगक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। राग और द्वेष में भय छिपा हुआ है, जब शरीर पर राग होता है, तब रोग एवं मृत्यु का भय उपस्थित हो जाता है, यदि धन पर राग है तब धन-नाश का भय, यदि काम-गुणों में राग है तो वियोग का भय, यश पर राग है तो अपयश का भय, यदि भौतिक सुख पर राग है तो दुख का भय उपस्थित हो जाता है। इसी भय-मुक्तता को लक्ष्य में रखकर सम्यग्दृष्टि वीतरागता एवं द्वेषमुक्तता की ओर बढ़ता है। ●





१३. समाधि



आत्मा मे या परमात्मा मे तल्लीन हो जाना समाधि है । ध्याता, ध्यान और ध्येय की भिन्नता को भूलकर स्वयं ध्येयमय हो जाने की अवस्था ही समाधि है । इस अवस्था मे, मानसिक आनन्द असीम हो उठता है । चेतना की बाह्य वृत्तियां नष्ट जैसी हो जाती हैं, बाह्य पदार्थों की प्रतीति ही नहीं रह जाती, साधक सब क्लेशों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है ।

सम्पूर्वक आधि शब्द मे इस की निष्पत्ति हुई है । जब मानसिक रोगों अर्थात् सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ मोह, राग, द्वेष, चिन्ता, भय, शोक और भ्रान्ति आदि रोग-समूह से मन मुक्त हो जाता है तब वह पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है, मन की उस स्वस्थ अवस्था को भी समाधि कहा जाता है ।

समाधि परमानन्द पाने की एक चाबी है, दुर्गतियों से निकलने का महामार्ग है, मन की वृत्तियों को अन्तर्मुखी बनाने का अमोघ उपाय है, अत्यधिक श्रम, अपथ्य आहार और अनुचित व्यवहार, दूषित निवासस्थान, अकर्मण्यता, व्याधि, सशय, प्रमाद, विषयाभिलाषा, भ्रान्ति-दर्शन, अस्थिरचित्तता मन की असमर्थता आदि सब समाधि के बाधक तत्त्व हैं । वस्तुतः देखा जाए तो चित्त की

प्रसन्नता ही समाधि का फलितार्थ है। तपस्या तथा धर्म-चिन्तन करते हुए कर्मों का विशिष्ट क्षयोपशम या क्षय हो जाने से जो चित्त में विशुद्ध आनन्द की अनुभूति होती है वही समाधि है। चित्त-समाधि के कारणों को स्थान कहते हैं, वे कारण या स्थान इस प्रकार हैं—

चित्तसमाधि-स्थान

१. धर्मलाभ—जिसके मन में पहले धर्म की भावना नहीं उसके चित्त में पहली बार धर्म-भावना आ जाने पर चित्त में हर्षोल्लास भर जाता है।

२. शुभ स्वप्न—जिस सर्वोत्तम स्वप्न की कभी मनुष्य ने कल्पना भी नहीं की-उस उत्तम महास्वप्न के देखने पर उसके मन में विज्ञेय आनन्द की अनुभूति होने लगती है।

३. जाति-स्मरण—अपने पूर्व भवों को देख लेना जातिस्मरण ज्ञान कहलाता है। अनुकूल निमित्त मिलने पर जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है तब चित्त में आनन्द की अनुभूति होती है।

४. देव दर्शन जिसने पहले कभी देव-दर्शन नहीं किया, यदि उस व्यक्ति को अपने पूर्ण वैभव के साथ पहली बार दसो दिशाओं को प्रकाशित करते हुए किसी देव के दर्शन हो जाएं तो वह भी चित्तसमाधि का एक कारण बन जाता है।

५. अवधि-ज्ञान—पहली बार अवधिज्ञान के द्वारा लोक के स्वरूप को जान लेने पर चित्त में अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है।

६. अवधि-दर्शन—पहली बार उत्पन्न हुए अवधिदर्शन से

समस्त लोक को जान लेने पर चित्त मे समाधि अर्थात् असीम आनन्द की अनुभूति होती है ।

७. मन पर्यव-ज्ञान—ढाई द्वीप मे रहे हुए संज्ञी जीवो के मनोगत भावो को जब ज्ञानी मन पर्यव-ज्ञान द्वारा पहली बार जान लेता है, तब ज्ञान और ज्ञेय की सफलता से उसका चित्त अपूर्व आनन्द को उपलब्ध करता है ।

८. केवलज्ञान—जब किसी महान् साधक को केवलज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान से वह सम्पूर्ण लोक-अलोक का साक्षात्कार करता है, तब सर्वतोमहान् ज्ञान और सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थ ये दोनो उस ज्ञानी के चित्त के लिये आनन्दवर्धक बन जाते हैं ।

९. केवल-दर्शन—जब किसी योगी को साधना के क्षेत्र में अग्रसर होते हुए केवलदर्शन उत्पन्न हो जाता है, तत्क्षण सम्पूर्ण लोक और अलोक को प्रत्यक्ष कर लेने पर वह ज्ञानी अतीव आनन्द की अनुभूति करता है ।

१०. निर्वाण-काल—जब केवली जन्म और मरण को तथा उनके मध्यवर्ती सभी प्रकार के दुखो को और क्रियमाण, सचित तथा प्रारब्ध इन कर्मो को सर्वथा क्षय कर देता है, तब सादि-अनन्त अवस्था को प्राप्त करते समय जो सच्चिदानन्द की प्राप्ति होती है, वह भी एक सर्वोत्तम समाधि है ।^१

प्रश्न हो सकता है कि जब जानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म एक साथ क्षय होते है और एक साथ ही केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न होते है तो इनको अलग-अलग चित्तसमाधि-

१. दशाश्रुतस्कन्ध, दशा पाचवी तथा समवायाग सूत्र, समवाय १०

वस्तुतः का क्या कारण हो सकता है ? इस के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जीव का उपयोग दोनों में से जिस ओर होगा वही चित्तसमाधि का कारण बन जाएगा । उत्पन्न होते ही यदि उपयोग केवलज्ञान में है तो केवलज्ञान समाधि का कारण बन जाएगा । यदि केवलदर्शन में उपयोग होगा तो केवलदर्शन समाधि का कारण बनेगा । केवलज्ञान साकारोपयोग और केवलदर्शन निराकारोपयोग है ।

ब्रह्मचर्य-समाधि

ब्रह्म शब्द आत्मा, परमात्मा, तप और वेद के लिये प्रचलित है, चर्य शब्द विचरण, आसेवन, अध्ययन एवं निरोध अर्थ में रूढ है । आत्मा जब अपने स्वरूप में या परमात्मा के गुणों में विचरण करता है, तप का आचरण करता है या शास्त्रों का अध्ययन करता है, तब मन स्वयं ही समाधिस्थ हो जाता है, क्योंकि तत्त्व-चिन्तन, मनन, श्रवण, निदिध्यासन, अनुप्रेक्षा आदि द्वारा नए-नए ज्ञान में मन को लगाने से ब्रह्मचर्य के बाधक तत्त्वों का निरोध स्वयं हो जाता है । ब्रह्मचर्य की आराधना के दो ही मार्ग हैं—ज्ञान-मार्ग और क्रियामार्ग । ज्ञानमार्ग से जिस ब्रह्मचर्य की सिद्धि की जाती है वह समाधिजनक होता है, किन्तु क्रियामार्ग से भी ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकती है । जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में व्यस्त रहता है जिससे काम-वासना के उदय का कभी अवसर ही नहीं मिलता, तब क्रिया-समाधि की अवस्था होती है । इन दो मार्गों में से ज्ञानमार्ग ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिये सर्वश्रेष्ठ एवं समाधिजनक है । क्रियामार्ग समाधि-जनक होने में वैकल्पिक है ।

गुप्ति और वृत्ति—

गुप्ति का अर्थ रक्षा है और वृत्ति का अर्थ है बाध । जैसे बाध

से खेती की रक्षा होती है वैसे ही ब्रह्मचर्य की रक्षा भी वाड से होती है। खेती की रक्षा के लिये चारों ओर वाड लगाई जाती है, इसी प्रकार जब ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दस प्रकार की वृत्तियाँ रूपी वाडे लगाई जाती हैं तभी गुप्ति हो सकती है। एक भी वाड दुर्बल होने से समाधि भंग हो जाती है। समाधि भंग होने से ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य स्वयं भगवान है—(तं वभं भगवत्)।

जैसे भगवत् सिद्धि किसी विशेष साधना से ही हो सकती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी ज्ञानमार्ग और तपोमार्ग से हो सकती है। 'तवेमु वा उत्तमं वन्नचेर—सभी तपो मे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तप है।' ब्रह्मचर्य के गिखर पर तपोबल और ज्ञानबल से ही पहुँचा जा सकता है। इनके बिना जीवन में ब्रह्मचर्य भगवान का अवतरण और अवस्थान नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य की साधना करने का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को है। स्त्री के लिए स्त्री सजातीय है और पुरुष विजातीय है। पुरुष के लिए पुरुष सजातीय है। ब्रह्मचर्य की दस वाडे हैं। सभी की सभी वाडे सुदृढ होनी चाहिये तभी ब्रह्मचर्य भगवान की आराधना सफल हो सकती है।

ब्रह्मचर्य की दस वाडे :—

१ पहली वाड—जिस स्थान में या मकान में पशु-नपुंसक या विजातीय प्राणी रहते हो वहाँ ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी का ठहरना उसके ब्रह्मचर्य-व्रत के लिए हानिकारक होता है। यह सभी जानते हैं कि जहाँ बिल्ली रहती है वहाँ मूपक के लिये ठहरना हानिकारक है।

२ दूसरी वाड—ब्रह्मचारी विजातीयों की जाति, कुल, रूप,

आदि का वर्णन न करे, क्योंकि उनकी कथाओं, विकथाओं में रुचि लेने पर ब्रह्मचर्य का भंग होना स्वाभाविक है। यह सर्व-प्रसिद्ध है कि नीबू आदि खट्टी वस्तु की बात करने मात्र से मुह में पानी आए बिना नहीं रहता।

३ तीसरी वाङ्—विजातीयों के साथ एक आसन पर न बैठे। जिस आसन या स्थान पर पहले से ही विजातीय आसीन हो उसके उठ जाने पर भी दो घड़ी तक वहाँ बैठने का प्रयास न करे। जैसे सतप्त भूमि पर रखे हुए घी के घड़े में घी पिघले बिना नहीं रह सकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी वहाँ पिघल जाता है।

४ चौथी वाङ्—विजातीयों के आकर्षक मनोहर अंग-उपाङ्गी को आसक्ति पूर्वक न देखे और दृष्टि के साथ दृष्टि भी न मिलाए। क्योंकि ऐसा करने पर ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। कच्ची आखों से सूर्य को देखने पर आखों को नुकसान पहुँचता ही है।

५ पाँचवीं वाङ्—दीवार से, पर्दे से, झरोखे से, खिडकी से अन्दर होने वाले विजातीयों के अश्लील गीत, रीने के शब्द, हसी मजाक, विलाप, वासनोत्तेजक शब्द आदि आसक्ति पूर्वक न सुने न देखे। क्योंकि वादल की गर्जना मुन्नकर जैसे मोर नाचने लगता है वैसे ही मन भी अश्लील बातें सुनकर अश्लीलता की ओर अग्रसर होने लग जाता है।

६ छठी वाङ्—गृहस्थ अवस्था में जो काम-चेष्टाएँ देखी सुनी या की हैं, उनका पुनः स्मरण न करे, क्योंकि भुक्त भोगों की स्मृति वासना को उत्तेजित कर ब्रह्मचर्य को भंग कर देती है, जैसे अभीष्ट जन-धन के नष्ट होने पर जब-जब उनकी याद आती है तब-तब मन में शोक डमड़े बिना नहीं रहता। जिसका स्मरण

ही मानसिक शान्ति को भग कर देता हो उसका स्मरण न करना ही श्रेयस्कर होता है ।

७ सातवीं वाङ्—प्रणीत अर्थात् पौष्टिक भोजन न करे, क्योंकि सरस पौष्टिक वासनोत्तेजक पदार्थों का आहार करना भी ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक होता है । जैसे सन्निपात के रोगी के लिए दूध और मिश्री का भोजन प्राणनाशक बन जाता है वैसे ही प्रणीत आहार ब्रह्मचर्य का नाशक बन जाता है ।

८ आठवीं वाङ्—ब्रह्मचारी नीरस एव शुष्क भोजन भी ठूस-ठूम कर न खाए, प्रमाणोपेत आहार-पानी का ही उपयोग करे । श्रीकृष्ण कहते हैं—

“युक्ताहार-विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।”

समुचित आहार, समुचित विहार, समुचित क्रिया, समुचित निद्रा होने पर ही साधक के लिये योग दुःख विनाशक बन पाता है ।

अधिक खान-पान करने से पेट में वह शुष्क भोजन फूल कर शारीरिक विकृतियों को उत्पन्न करता है । जैसे जीर्ण-शीर्ण थैली में रखा हुआ रत्न निकल जाता है वैसे ही ब्रह्मचर्य-रत्न भी विकृत शरीर से निकल जाता है ।

९ नौवीं वाङ्—साधक स्नान, मजन, अलंकार, विभूषा आदि से शरीर विभूषित न करे । अलंकृत शरीर वाला व्यक्ति विजातीयों के लिए प्रार्थनीय होता है, क्योंकि विभूषा का प्रयोजन विपरीत लिंगी का आकर्षण ही होता है । यदि कोई पथिक चमकीले वस्त्र में लपेट कर रत्न को अपने पास रखे तो चोर ठग आदि उसे

हथियाने की कोशिश किये बिना नही रहते, गूदड़ियो मे ही लाल आदि रत्न सुरक्षित रह सकते हैं ।

१०. दसवीं वाड़—ब्रह्मचारी काम-वासना के अनुकूल शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का अनुभव करने की कभी भी कोशिश न करे, क्योंकि ये काम-गुण हैं । काम-गुण मानव को अपनी ओर नही खींचते, बल्कि मानव काम-गुणो को आसक्ति के साथ अपनी ओर खींचता है ।

एक वाड के उल्लघन करने से भी अनेक विपत्तिया और अनेक तरह की हानिया हो सकती है, यदि अनेको का उल्लघन किया जाय तो शान्ति और समाधि कहा स्थिर रह सकती है ? तीन लोक की सपत्ति भी जिस की कीमत नही पा सकती, उसकी रक्षा की जवाबदारी साधक पर कितनी है ? यह निश्चय और ज्ञान का ही विषय है ।^१

दशविध समाधि—

सम्यग् निवृत्ति-और सम्यक् प्रवृत्ति ये दोनो समाधि के मुख्य अंग है । अपूर्व आनन्द, परमशान्ति और सात्विक अवस्था मे मन का प्रवेश रूप जो समाधि है उसके दस कारण माने गए है, जैसे कि —

१. प्राणातिपात-विरमण—जब मानव छोटी-बड़ी सभी प्रकार की हिंसा से निवृत्ति पाकर अनिमेप दृष्टि से अहिंसा भगवती के दर्शन करता है, तब मन समाधि का अनुभव करता है । हिंसा से निवृत्त होकर अहिंसा की ओर बढ़ना भी समाधि है ।

१ उत्तरा० अ० १६ ।

२ मृषावाद-विरमण—असत्य के सभी भेदों में पूर्णतया निवृत्त होना और निर्दोष सत्य की ओर प्रवृत्ति करना, मृत्यु भगवान के दर्शन करना, ये सब समाधि-मन्दिर में प्रवेश करने के मार्ग हैं।

३ अदत्तादान-विरमण—बिना आज्ञा के किसी की वस्तु को ग्रहण करना, अदत्तादान है। किसी भी जड़-चेतन आदि छोटी-बड़ी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा लिए बिना न उठाना अदत्तादान-विरमण है। इससे भी मन समाधिस्थ होता है।

४ सैथुन-विरमण—काम-वासना के छोटे-बड़े सभी पहलुओं से निवृत्त होना और ब्रह्मविद्या में सलीन होना समाधि का चौथा कारण है।

५ परिग्रह-विरमण—कनक और कामिनी से, चल और अचल संपत्ति से, सोने-चादी से, धन-धान्य से, पशु-पक्षी से, यान-वाहन से अर्थात् ममत्व के सभी साधनों से निवृत्त होकर उत्तम संतोष में प्रवृत्ति करने पर मन की विषमता समाप्त हो जाती है और साधक का समता के क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। समता के असीम क्षेत्र में प्रवेश करने से समाधि स्वयं हो जाती है।

६ ईर्या-समिति—सयम, विवेक एवं यतना से काय की प्रवृत्ति करना।

७. भाषा-समिति—सयम, विवेक एवं यतना से भाषा बोलना।

८. एषणा-समिति—आहार-पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, चौकी, पट्टा आदि निर्दोष एवं कल्पनीय वस्तुओं का सयमी जीवन के अनूकूल यतना से ग्रहण करना।

६. आदान-भाण्ड-मात्र निक्षेप-समिति—अपने अधिकार में रही हुई किसी वस्तु को उठाते और रखते हुए यतना से प्रवृत्ति करना ।

१० उच्चार - प्रम्वरण - खेल - जल्ल - मल्ल-परिष्ठापनिका समिति—जहां न कोई आता हो और न देखता हो, अचित्त भूमि देखकर शरीर की सब तरह की मूल को यतना से यदि त्यागा जाए तो सभी समितिया समाधि-जनक हो जाती हैं ।^१

चतुर्विध समाधि—

विनय-आराधना, श्रुत-अध्ययन, निर्दोष तप और निरतिचार आचार इन चार भेदों में से यदि किसी एक भेद में कोई सलग्न है तो उसे जिस क्षण की आराधना करते हुए अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है उसके लिये वही क्षण समाधि रूप हो जाता है ।^२ जिसको जिस कारण से समाधि प्राप्त हुई है उसी कारण के अनुरूप ही उस समाधि का नाम पड़ जाता है । जैसे कि विनय-समाधि श्रुत-समाधि, तप -समाधि और आचार-समाधि । समाधि कोई भी हो उससे मानसिक शान्ति एवं असीम आनन्द की उपलब्धि अवश्य ही होती है । समाधि शारीरिक भान से ऊपर उठकर मन की स्थिरता है और इस मानसिक स्थिरता से आनन्द के दिव्य स्रोत अनायास ही उमड़ने लगते हैं, अतः साधक को समाधिस्थ होकर योग-मार्ग पर अग्रसर होते रहने का प्रयास करते रहना चाहिये । ●



१ स्थानाग दसवा स्थान ।

२. दशवैकालिक सूत्र अ० ९ वा ३०४ ।

योग । एक चिन्तन]

१४. आचार

जिसका पालन चारों ओर की मर्यादाओं को ध्यान में रख कर किया जाए वही आचार है दूसरे शब्दों में उत्तम जनों द्वारा आचरित कार्यों का आचरण करना ही आचार है ।

आचार पाच प्रकार का होता है । ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप-आचार और वीर्याचार । लोक व्यवहार में जैसे प्रत्येक क्षेत्र के कार्य-विभाग में विशेष जानकारी की आवश्यकता रहती है वैसे ही धर्म-क्षेत्र में भी विशेष तात्त्विक जानकारी के बिना कोई भी साधक आगे नहीं बढ़ सकता । साधक अध्ययन के द्वारा जो श्रुतज्ञान की अभिवृद्धि करता है वही ज्ञानाचार है, अथवा नए-नए ज्ञान की प्राप्ति और प्राप्त ज्ञान की रक्षा के लिये सद् प्रयत्न को ही ज्ञानाचार कहा गया है ।

सम्यग्दर्शन हठवाद और हृदिवाद का विरोधी तत्त्व है । सत्य और असत्य की परस्पर में निश्चय लाने वाला और साधना-के क्षेत्र में दृढता लाने वाला यदि कोई तत्त्व है तो वह सम्यग्दर्शन ही है । इसकी उपस्थिति में जीव सम्यक्-प्रवृत्ति और सम्यग्निवृत्ति स्वतः ही करने लगता है । जीवादि नवतत्त्वों का ठीक-ठीक ज्ञान तथा तत्त्ववेत्ता की विनय-भक्ति एवं सेवा करना ये दोनों सम्यक्-प्रवृत्तियाँ हैं । इन्हीं सत्-प्रवृत्तियों को सम्यक्-चारित्र्य कहा जाता है ।

सम्यग्दर्शन साधक को चारित्र्य-भ्रष्टता और एकान्त मिथ्या-वादियों की सगति से दूर रखता है। सम्यग्दृष्टि मोक्ष के उपायों में, जिनवाणी में एवं अखण्ड सत्य में निश्चित रहता है। मिथ्यात्व या मिथ्यावादों और सासारिक सुख-साधनों से वह निस्पृह रहता है। वह भयकर विपत्तियों से घिर जाने पर भी धर्म फल के प्रति सन्देह नहीं करता। मिथ्यादृष्टियों के चमत्कार को देख कर भी उसकी चेतना मूढ़ता से दूर रहती है। वह तीर्थङ्करों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने वालों की प्रशंसा करता है। जो व्यक्ति सन्मार्ग से फिमल रहा हो उसे पुनः धर्म में स्थिर करता है, सह-धर्मियों लोगों पर वात्सल्य एवं प्रीति रखता है, मार्गानुसारी जीवों को प्रभावना के द्वारा जिन-मार्ग पर लाता है। इस प्रकार के सभी कार्य दर्शनाचार कहलाते हैं।

सर्व देश और सर्व-काल में बिना किसी आगार या अपवाद के जिन व्रतों की आराधना की जाती है, उन्हें सार्वभौम महाव्रत कहते हैं। महाव्रतों में साधक को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती। जिन में छूट दी जा सकती है, वे महाव्रत नहीं, बल्कि अणुव्रत कहलाते हैं। महाव्रत ग्रहण करते समय साधक कोई छूट नहीं रखता, वह तीन योग और तीन करण से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह का त्याग कर देता है, इन से पूर्णतया निवृत्त होने की प्रतिज्ञा लेता है। इतना ही नहीं पृथ्वी-काय, अप्काय, तेजस्-काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय की हिंसा का तीन योगों और तीन करणों से जीवन भर के लिये त्याग कर देता है।

महाव्रत एक ही नहीं प्रत्युत पांच हैं। कोई भी महाव्रत न बड़ा है और न छोटा, सभी अपने-अपने महत्त्व और उपयोगिता

की दृष्टि से श्रेष्ठ एव महत्त्वपूर्ण है। इनका अस्तित्व सभी चारित्रो मे पाया जाता है।


रात्रि-भोजन-विरमणव्रत नित्य तपस्या का परिचायक है। इस तप की साधना के लिये रात्रि में जीवन भर के लिये सभी तरह के खान-पान का परित्याग, इतना ही नहीं रात्रि को खाने-पीने की वस्तुओं के मग्नह का भी त्याग, यहां तक कि रात्रि को औपधि-सेवन का भी त्याग कर देना होता है। अन्य सभी महाव्रतों और रात्रिभोजन-विरमणव्रत मे साधक किसी प्रकार की छूट या आगार नहीं रखता और न आगार रखने वाले को महाव्रतों का पालक कहा जाता है।

मावंभौम महाव्रतों की रक्षा समिति और गुप्ति से की जाती है। ईर्या-समिति, भाषा-समिति, एपणा-समिति, आदान-भण्डमात्र-निक्षेपणा-समिति और उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-मल-पिठिव-णिया-समिति—इन पांचो समितियों का सम्यक्तया पालन करने को ही समिति या सम्यक्प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। जब साधक अशुभ सकल्पों से मन को, अशुभ एव अमंगल वाणी से वचन को और अशुभ प्रवृत्ति से काया को नियन्त्रित करता है तब उसी को गुप्ति या सम्यग्निवृत्ति कहते हैं। चारित्राचार के सभी भेद समिति एव गुप्ति मे निहित हो जाते हैं।

जिस तप से विषय, कपाय और अन्तर्मल भस्म हो जाएं, अहिंसा भगवती की सफल एव पूर्ण आराधना हो जाए, जीवन सन्तोष से परिपूर्ण हो जाए शरीर पर मम-व भी न रहने पाए, अध्ययन और ध्यान में मन सलीन हो जाए, पूज्य जनों के प्रति विनयभक्ति, प्रीति एव सेवा की भावना जाग जाए, राग, द्वेष, मोह विल्कुल मन्द पड जाए, मान, एव प्रतिष्ठा की भूख शान्त


हो जाए, खान-पान के पदार्थों में आसक्ति न रहे, परीषह और उपसर्ग उपस्थित होने पर उन्हें समभाव से सहन करने लगे, स्वर्गीय सुख-साम्राज्य से विरक्त रहे, निदान न करे, नित्यप्रति कष्ट सहने का अभ्यास करता रहे, केशलोच करना, वस्त्र न रखना या ज़रूरत से कम रखना, सर्दों के दिनों में शीत सहना, गर्मियों के दिनों में धूप की आत्तापना लेना, वीरासनादि लगाना, पैदल विहार करना, पैरों में जूता न डालना, सिर से नगे रहना, निर्दोष गोचरी करके आहार करना, रसीले पदार्थों एवं विगयो का त्याग करना, जितेन्द्रिय बनना, मन को जीतना, मौन रखना इत्यादि सब तप के ही अनेक रूप हैं ।

जैन आगमों में तपस्या बारह प्रकार की बनलाई गई है । ज्ञाना-चार के आठ रूप, दर्शनाचार के आठ रूप, चारित्र्याचार के आठ रूप और बारह प्रकार के तप—इन छत्तीस आचारों का यथाशक्य यथासम्भव निरन्तर पालन करना और इनके पालनार्थ अपनी शक्ति का प्रयोग करना वीर्याचार है, अतः पाँच प्रकार के आचारों का जीवन के अन्तिम श्वास तक पालन करना ही आचार है ।





१५. विनयोपेत



दिपूर्वक णीञ् प्रापणे धातु मे विनय शब्द की निष्पत्ति होती है। विनय शब्द अनेकार्थक है। अभ्युत्थान, प्रणाम, भक्ति, प्रीति, शिष्टता, नम्रता, सयम, शिक्षा, अपनयन, लक्ष्यचिन्दु मे पहुचाने वाली साधना, इन सब का विनय शब्द से ग्रहण हो जाता है, परन्तु विनय का मुख्य अर्थ है आचार।

विनय ही धर्म का मूल है, इसी सदर्भ मे एक शास्त्रीय वार्ता प्रस्तुत करना उचित रहेगा।

एक वार सुदर्शन सेठ ने थावच्चा पुत्र से प्रश्न किया—
'भते ! आपकी दृष्टि मे धर्म का मूल क्या है ?'

उत्तर मे थावच्चापुत्र ने कहा— 'सुदर्शन ! मेरा यह विश्वास है कि धर्म का मूल विनय है। विनय के दो भेद है, अगार-विनय और अनगार-विनय। आवक की ग्यारह उपासक प्रतिमाओ और वारह व्रतो का समावेश अगार-विनय मे हो जाता है। अठारह पापो से निवृत्ति, पाच महाव्रत, छटा रात्रि भोजन-विरमण, दशविध श्रमण-धर्म, दशविध उत्तर-गुण-प्रत्याख्यान इस प्रकार के सभी साधन अनगार-विनय के ही अग हैं। गृहस्थ और साधु दोनो का प्रथम कर्तव्य विनय है। जबकि विनय को धर्म का मूल बताया गया है, तब जीवन की भूमि पर विना मूल के धर्मवृक्ष का विकास असम्भव ही है।

विनय का स्वरूप और उसके भेद—

धर्म की ओर झुकाव का होना या अपने आप को धर्म-साधना एव गुरुजनो के लिये अर्पित कर देना विनय है, अथवा जिसके द्वारा सम्पूर्ण दुःखो के कारणीभूत आठ कर्मों का उन्मूलन एव क्षय हो वह विनय है, अथवा अपने से बड़े तथा गुरुजनो का देश और काल के अनुसार सत्कार सन्मान करना विनय है। इसके सात भेद हैं १ ज्ञान-विनय, २ दर्शन-विनय, ३ चारित्र-विनय, ४ मनो-विनय, ५ वचन-विनय, ६ काय-विनय और ७ लोकोपचार-विनय।

१. ज्ञान-विनय—

ज्ञान और ज्ञान के आधार भूत ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उनके प्रति भक्ति एव बहुमान दिखाना, उनके द्वारा बताए हुए तत्त्वो पर भली-भान्ति विचार एव मनन करना, निरन्तर ज्ञान का अभ्यास करना और विधिपूर्वक ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञान-विनय है। इसके पाच भेद हैं, यथा—मतिज्ञान-विनय, श्रुतज्ञान-विनय, अवधिज्ञान-विनय, मन पर्यवज्ञान-विनय और केवल-ज्ञान-विनय।

२ दर्शन-विनय—

देव—अरिहन्त (वीतराग) गुरु-निर्ग्रन्थ, केवलि-भाषित धर्म और जिनवाणी इन सब पर श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है। जिनको भक्ति और श्रद्धा से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, जिनका ज्ञान स्वच्छ एव निर्मल हो गया है, उनके-प्रति विनय का होना दर्शन-विनय है। इसके मुख्यतया दो भेद हैं, सुश्रूपाविनय और अनाशातना-विनय। इनमे सुश्रूषा विनय के दस भेद हैं। जैसे कि—

- (क) श्रम्युत्थान—गुरु एव वडे सन्तो को मामने मे आते देखकर खडे हो जाना ।
- (ख) आसनाभिग्रह—“पधारिन्धे, इम आमन को अलकृत कीजिए, इत्यादि विनीत वचन कहना ।
- (ग) आसन-प्रदान—बैठने के लिए उन्हे आसन देना ।
- (घ) सत्कार—उनका आदर सत्कार करना ।
- (ङ) सम्मान—उन्हे बहुत सम्मान देना ।
- (च) कीर्तिकर्म—उनकी स्तुति एवं गुण-गान करना, सविधि वंदना करना ।
- (छ) अजलि प्रग्रह—उनके सामने हाथ जोडना ।
- (ज) अनुगमनता—वापिस जाते समय कुछ दूर तक पहुंचाने जाना ।
- (झ) पर्युपासनता—बैठे हो तो उनकी उपासना करना ।
- (ञ) प्रतिसंसाधनता—उनके वचनों को श्रद्धा से स्वीकार करना ।

वैमे तो शुश्रूषा का अर्थ है सुनने की इच्छा । आज्ञा और प्रवचन सुनने की इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं । शुश्रूषा के स्थान पर सुश्रूषा शब्द का प्रयोग भी होता है, जिसका अर्थ है गुरुजनों की सेवा-भक्ति । जिस विनय का सम्बन्ध सेवा-भाव से हो वह सुश्रूषा विनय है और जिसमे सुनने की इच्छा होती है वह शुश्रूषा करने वाला साधक अपने मेव्य से कभी भी दूर नहीं रहता । जहा तक उसे सेव्य के दर्शन होते रहे या जहा तक उनकी आज्ञा परिचायक शब्द सुविधा पूर्वक सुनने को मिल सके, वहा तक वह उनके

सान्निध्य का परित्याग नहीं करता। अभिप्राय यह कि जिस विनय के पीछे सेवा-भाव छिपा हो वही शुश्रूषा विनय है।

दर्शन विनय का दूसरा भेद अनाशातना-विनय है। विपरीत वर्तन, असद्व्यवहार, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, अश्रद्धा आशातना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आशातना न करना ही अनाशातना-विनय है। अरिहन्त भगवान, केवलि-भाषित धर्म, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, सघ, सार्धमिक, क्रियावान्, मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी मन पर्याय-ज्ञानी और केवलज्ञानी इन पन्द्रह की आशातना न करना, इनकी भक्ति और वर्णवाद करना अनाशातना-विनय है। इन तीन कार्यों के करने से इसके पन्द्रह भेद हो जाते हैं। हाथ जोड़ना आदि विनय के बाह्य आचार को भक्ति कहते हैं और हृदय में श्रद्धा और प्रीति रखना बहुमान है तथा वाणी से दूसरो के सामने गुणानुवाद करना प्रशंसा करना वर्णवाद है।

३. चारित्र्य विनय

चारित्र्य का अर्थ है सयम, नियम, विरति या व्रत। चारित्र्य-प्राप्ति के लिए विनय करना या चारित्र्यवान की विनय करना चारित्र्य-विनय है। ज्ञान दर्शन-पूर्वक होता है और ज्ञान-पूर्वक चारित्र्य की आराधना होती है। ज्ञान-पूर्वक ग्रहण किया हुआ चारित्र्य ही सम्यक् चारित्र्य हुआ करता है। अज्ञान पूर्वक ग्रहण किया हुआ आचरण चारित्र्य नहीं, वह तो चारित्र्याभास है।

चारित्र्य-विनय के पाच भेद हैं—सामायिक-चारित्र्य-विनय, छेदोपस्थापनीय-चारित्र्य-विनय, परिहार-विशुद्धि-चारित्र्य-विनय, सूक्ष्म-सपराय-चारित्र्य-विनय और यथाख्यात-चारित्र्य-विनय।

पहले और दूसरे चारित्र की गति छठे से नौवें गुणस्थान तक है, तीसरे चारित्र की गति छठे और मातर्वे गुण-स्थान तक है, चौथे चारित्र की गति केवल दमत्रे मे ही है और पाचवा चारित्र ग्यारहवे, बारहवे तेरहवे तथा चौदहवे गुणस्थान मे पाया जाता है ।

पहले और चौबीसवें तीर्थङ्कर के युग मे पाच चारित्रो का अस्तित्व पाया जाता है, महाविदेह मे और मध्य के वाईस तीर्थ-ङ्करो के युग मे छेदोपस्थापनीय और परिहार-विशुद्धि-चारित्र का अस्तित्व नही होता । पाच चारित्रो में से किसी भी चारित्र का पालन करना चारित्र-विनय है ।

४. मनोविनय—

मनोविनय शब्द के तीन अर्थ होते है—मन की विनय, मन से की जाने वाली विनय, विनय से श्रोत-प्रोत मन की प्रवृत्ति । इनमे से पहले अर्थ को छोडकर शेष सभी अर्थ यहां अभीष्ट हैं ।

इसके दो भेद है प्रशस्त मनो-विनय और अप्रशस्त मनो-विनय । पाप-रहित मन की प्रवृत्ति, क्रोधादि दोषो से रहित मन प्रवृत्ति, कायिक आदि क्रियाओ मे आसक्ति-रहित मन की प्रवृत्ति, शोकादि रहित मन की प्रवृत्ति, आश्रव-रहित मन की प्रवृत्ति, अपने या दूसरे प्राणियो को दण्डित न करने की प्रवृत्ति और जीवों को भय न उपजाने की प्रवृत्ति मनो-विनय है । सवर, निर्जरा और पुण्यानुबधो पुण्य का वत्र प्रशस्त मनो विनय से ही होता है ।

५ वचन-विनय—

भाषा के सभी दोषो से अपने को बचाना प्रशस्त वचन-विनय है ।

६ काय-विनय—

काय से आचार्य आदि का विनय करना, काय की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना, सावधानी से गमना-गमन करना, सावधानी से खड़े होना, सावधानी से बैठना, सावधानी से लेटना, सावधानी से देहली आदि को लाघना और सभी इन्द्रिय और योगी को यतना से वर्ताना ये सब प्रशस्त काय-विनय के रूप हैं। अशुभ सकल्पो से मन को, अशुभ वाणी से वचन को और अशुभ प्रवृत्ति से काय को लीटाना, वचाना और शुभ प्रवृत्तियों में लगाना सच्ची एव प्रशस्त विनय कहलाती है।

विनय, भक्ति, प्रेम एव प्रीतिवश किसी देवी-देवता की आराधना के लिये या असयमियों के प्रेमवश होकर द्रव्य-पूजा करना धर्म के नाम पर छ, काय की हिंसा करना, पशु-बलि देना, चोरी करना, भक्ति वश मन, वचन और काय की असयमपूर्वक प्रवृत्ति करना, क्रमशः अप्रशस्त मन-विनय, वचन-विनय और काय-विनय हैं। यह पाप-वध का भी कारण हो सकती हैं और पापानुबन्धी पुण्य का कारण भी हो सकती है, अतः यह सवर-निर्जरा और शुभानुबन्धी शुभ का वन्ध नहीं होने देती, इसीलिये ये तीनों अप्रशस्त विनय साधक के लिये सर्वथा त्याज्य हैं।

७ लोकोपचार-विनय

जो बाह्य क्रियाएँ केवल दूसरों की दुःख निवृत्ति के लिए या सुख पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती हैं, वे लोकोपचार विनय के अन्तर्गत आती हैं। लोकप्रिय बनने के जो साधन हैं उनको उपयोग में लाते समय जो कुछ करना होता है वह लोकोपचार विनय है। मुनिवरो ने इसके सात भेद प्रस्तुत किये हैं—

(क) अट्ठासवत्तिय—गुणी जनो के पास रहना, सुमगति मे रहना या शास्त्र-अभ्यास मे दत्तचित्त रहना ।

(ख) परच्छन्दाणवत्तिय—बड़ो की इच्छानुसार कार्य करना ।

(ग) कज्जहेउ—अपने ज्ञानादि कार्यों के लिए उन्हें आहारादि ला कर देना एव साता पहुंचाना ।

(घ) कयपडिकिरिया—अपने ऊपर किए हुए उपकारो का बदला चुकाना अथवा आहारादि के द्वारा गुरु की सेवा करने से गुरु प्रसन्न होंगे और उसके बदले मे वे मुझे ज्ञान सिखाएंगे ऐसा सोचकर उनकी विनय करना ।

(ङ) अत्तगवेसणया—ग्लान, रोगी, असमर्थ एव दीन-हीन की सार, सम्भाल करना ।

(च) देसकालणया—देश और काल के अनुसार कार्य करना ।

(छ) सवत्थेसु-अपडिलोमया—छोटे-बड़े सभी कार्यों मे बड़ो की आज्ञा के अनुकूल प्रवृत्ति करना, इन्कार मे नही, इकरार मे उत्तर देना, उनकी इच्छा के प्रतिकूल कभी कोई कार्य न करना लोकोपचार विनय है । इसकी आराधना साधु एवं श्रावक सभी को करनी चाहिए ।^१

ज्ञान विनय से लेकर लोकोपचार विनय तक विनय के इन सात भेदो में सभी धर्मानुष्ठानो का अन्तर्भाव हो जाता है । धर्म का सर्वस्व ही विनय है । इसीलिये कहा जाता है “विणयमूलो धम्मो”—विनयरूप मूल पर ही धर्म रूप वृक्ष विकसित होता है ।

विनयवाद भी भारतीय सम्प्रदायविशेष का एक सिद्धान्त है ।

१ भगवतीसूत्र, २५वा शतक । स्यानाङ्ग सूत्र ७वा स्यान, श्रीपपातिक सूत्र ।

उसकी मान्यता है कि देव, दानव, राजा-रक, हाथी, घोडा, कौआ, गरुड, गाय शृगाल कुत्ता, और तापस आदि को नमस्कार करने से क्लेशो का नाश होता है, क्योंकि विश्व के सभी प्राणी ब्रह्म के ही रूप हैं, अतः इनकी विनयभक्ति करने से मोक्ष-प्राप्ति भी हो सकती है। जैन दर्शन इस विनयवाद को विल्कुल नहीं स्वीकार करता, क्योंकि असयमियों की विनय धर्म का अंग नहीं बन सकती।

विनय-सम्पन्न व्यक्ति को विनीत और जो विनीतो मे भी श्रेष्ठ है उसे सुविनीत कहते हैं। सुविनीत मे ही पन्द्रह गुण होते हैं। सुविनीत मे विनय के सभी गुण पाए जाते हैं। सुविनीत का जीवन-स्तर लोगो के जीवन-स्तर से बहुत ऊचा होता है। यदि उसे छद्मस्थो मे सर्वगुणसम्पन्न कहा जाए तो अनुचित न होगा। वे पन्द्रह गुण निम्नलिखित हैं।

१ नीयावत्ती—जो सब के साथ नम्र व्यवहार करता है वह सुविनीत है। जो शिष्य न तो गुरु से ऊची शय्या पर बैठता है, न गुरु के आगे चलता है, न समकक्ष चलता है, पीछे भी न अति दूर न अति निकट चलता है, नीचे बैठता है, मस्तक झुका कर प्रणाम करता है, बड़ी नम्रता से सशय-निवृत्ति के हेतु गुरु से पूछता है, यदि कभी असावधानी से गुरु के शरीर या उपकरणो के साथ सघटा लग भी जाए तो तत्काल क्षमा-याचना करता है और अपनी भूल स्वीकार करता है, भविष्य मे ऐसी भूल कभी नहीं होगी यह विश्वास दिलाता है, वही शिष्य सुविनीत है।

२ अचवले—सुविनीत चपल नहीं होता। गति, स्थान, भाषा और भाव की अपेक्षा से चपल व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं—

जो दौड़ता हुआ चलता है वह गति-चपल है ।

जो वैठा-वैठा हाथ पैर मारता रहता है वह स्थान-चपल है ।

जो अमत् बोलता है, कडा या रुखा बोलता है, विना सोचे-विचारे बोलता है, अवसर निकल जाने के बाद यह कार्य अमुक देश में और अमुक काल में यदि किया जाता तो अच्छा होता ऐसा कहने वाला भाषा-चपल कहलाता है ।

जिसके भाव दूध के उफान की तरह कभी बढ़ते हैं और कभी उतर जाते हैं, प्रारम्भ किए हुए सूत्र और अर्थ को बीच में ही छोड़कर दूसरे सूत्र और अर्थ का अध्ययन करने लगता है वह भाव-चपल है । साधक को चपल नहीं स्थित-प्रज्ञ होना चाहिए ।

३. अमाई—सुविनीत मायावी नहीं होता । वह गुरु से या अपने साथियों से कभी भी छल-कपट नहीं करता, वह सदैव सब से निष्कपट व्यवहार करता है । निष्कपट व्यक्ति सब को अच्छा लगता है । जो दूसरों के द्वारा किए जाने वाले कपट को समझता है, किन्तु स्वयं कपट नहीं करता वही अमायी कहलाता है, अनजान या मदमति को अमायी नहीं कहा जा सकता ।

४. अकुंठहले—खेल, तमाशा, इन्द्रजाल, नट-नाटक आदि इन्द्रियों के विषय और चमत्कारिणी विद्याएँ पाप-सर्वर्धनी होती हैं । सुविनीत में कभी कुनूहल अवगुण नहीं होता, वह उन्हें देखने के लिए कभी उत्सुक नहीं होता । अमर्यादित उत्सुकता साधक को धर्म में स्थिर नहीं रहने देती ।

५. अप्प चाहिक्खवई—सुविनीत किसी का तिरस्कार नहीं करता । अल्प शब्द थोड़े और अभाव का वाचक है । अयोग्य को धर्म में प्रेरित करने की दृष्टि से थोड़ा सा उसका तिरस्कार भी ही

जाता है, किन्तु किसी का भी तिरस्कार करना श्रेयस्कर नहीं, होता ।

६ पवध च न कुव्वड—सुविनीत क्रोध को मन में स्थिर नहीं रहने देता, अधिक समय तक क्रोध करते रहना अविनीतता है । जैसे पानी में खीची हुई लकीर अधिक देर तक नहीं रहती वैसे ही क्रोध आये और तत्काल शान्त हो जाए यही विनीतता के पथिक के लिए प्रशस्त मार्ग है ।

७ मेतिज्जमाणो भयई—सुविनीत मित्रता रखने वाले के प्रति कृतज्ञ रहता है । कृतज्ञता नहीं रखने से साधक की उन्नति एवं गुणवृद्धि क्षण-क्षण में हीन होती जाती है ।

८ सुयं लद्धुं न मज्जई - सुविनीत श्रुतज्ञान प्राप्त करने पर भी मद नहीं करता । धर्म-साधना में माया करना और विद्वत्ता प्राप्त करके अहंकार करना अजीर्ण है । श्रुतज्ञान अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं, नम्रता के विकास के लिये होता है ।

९ न य पाव परिवेदी जो भूल या खलना होने पर किसी का अपमान नहीं करता, अथवा किसी पर झूठा कलक नहीं चढाता वह सुविनीत है ।

१० न य मित्तेसु कुप्पइ—सुविनीत कभी भी मित्रों पर क्रोध नहीं करता । हितशिक्षक, ज्ञानदाता, गुरु, आचार्य आदि सब मित्र हैं, वह उनके प्रति कभी भी रोष प्रकट नहीं करता ।

११. अप्पियस्सा वि मित्तस्स रहे कल्लाण भासई—सुविनीत एकान्त में भी अप्रिय मित्र की प्रशंसा ही करता है, निन्दा नहीं करता । बुराई करने वाले व्यक्ति द्वारा पहले किए गए किसी उपकार का स्मरण करके उसके परोक्ष में भी उसकी प्रशंसा ही करता है ।

१२. कलह-डमर वज्जिए—सुविनीत शिष्य किसी के साथ न वचन से कलह एव झगडा करता है और न हाथापाई करता है ।

१३ बुद्धे अभिजाइए—सुविनीत शिष्य तत्त्व को जानने वाला एव लिए हुए समय-भार का निर्वाह करने वाला होता है । अभिजाति का अर्थ है कुलीनता । कुलीन वही है जो धारण को हुई मर्यादाओं का जीवन भर पालन करता है ।

१४. हिरिम—सुविनीत शिष्य लज्जावान् होता है । लज्जा एक तरह का मानसिक सकोच है, जो अनुचित कार्य करने में लजाता हो वह लज्जावान् कहलाता है । लज्जा भी समय का एक मुख्य अंग है । वह भी कभी-कभी मनुष्य का उद्धार कर देता है, अतः साधक का लज्जावान् होना भी आवश्यक है ।

१५ पडिसलीणे—जो इन्द्रियो और मन का सगोपन करने वाला होता है । किसी भी सभ्य व्यक्ति को निष्प्रयोजन दिन भर इधर-उधर नहीं फिरते रहना चाहिए । प्रतिमलीन शब्द के द्वारा इसी आचरण की शिक्षा दी गई है । सुविनीत व्यक्ति ही गुणों से समृद्ध होता है । जो इन पद्वह गुणों से मपन्न है वही बुद्धिमान व्यक्ति सुविनीत कहलाता है ।

जिसमें विनय और सुविनीत के सभी लक्षण एव गुण पाए जाते हैं वह निश्चय ही सम्यग्दृष्टि एव रत्नत्रय का आराधक है, वही श्रुतज्ञान का बहुमुखी विकास करता हुआ बहुश्रुत की कोटि में पहुँच जाता है ।

तीर्थङ्कर महावीर ने बहुश्रुत को सर्वोत्तम सोलह उपमाओं से उपमित किया है । बहुश्रुत मुनि अपना और दूसरों का कल्याण करता हुआ यथाशीघ्र कर्मों के बधन से मुक्त हो जाता है । अतः

विनय, बहुश्रुत, समय एव विवेक का परस्पर घनिष्ठ सवध है। विनय से ही मानव गुणों का भण्डार बनता है "विनयाद् याति पात्रताम्" अभिमान की कमी से विनय की पात्रता बढ़ती है। अभिमान जीवन में कठोरता पैदा करता है, उसके निकल जाने से आत्मा में उस विनय का विकास होता है जिससे साधक सुगति के पथ पर प्रगति करता हुआ मद्दान् योगी बन कर आत्मोद्धार कर सकता है। ●



राजमार्ग सबके लिए हित-कर एव श्रेयस्कर होता है, वैसे ही तीर्थङ्कर भगवान का बताया हुआ साधना-मार्ग राजमार्ग है। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य इन तीनों का समन्वित पथ ही मोक्षमार्ग है। इस राज-मार्ग को छोड़कर जो भूलकर भी अन्य मार्ग की चाहना नहीं करता, वही धृतिमति का उपयोग कर सकता है, धृतिमति की स्थिति को ही दूसरे शब्दों में स्थित-प्रज्ञता कहा जाता है। स्थित-प्रज्ञ साधक आचार विचार में सयम-तप में सवर-निर्जरा में सदैव अडिग रहता है। भयकर उपसर्गों के उपस्थित होने पर भी ध्यान और समाधि में स्थिर रहता है। उसकी धीरता के सामने दिव्य शक्तिया भी पराजित होकर नत मस्तक हो जाती हैं।

बुद्धि में धैर्य का होना यह प्रमाणित करता है कि उसके विचारों का स्रोत सम्यग्दर्शन से विशुद्ध है मिथ्यात्व की मलिनता से रहित है। मन में धैर्य का होना यह सिद्ध करता है कि साधक की श्रद्धा एव विश्वास दृढ़ है। शरीर में रहा हुआ धैर्य साधक को किसी प्रकार के भय और प्रलोभनों द्वारा मर्यादा से विचलित नहीं होने देता। यदि तीनों में धैर्य है तो वह साधक उच्चकोटि का महात्मा है।

हठ और धैर्य में अन्तर

अपनी अनुचित एव गलत बात पर अडे रहने की प्रवृत्ति को हठ कहा जाता है। सत्यग्राही होना या सत्य पर आग्रह करना धैर्य है। जिस कार्य या विचार से अपना और दूसरों का भला हो, उस कार्य या विचार पर दृढ़ रहना धैर्य है, जिससे सबका हित एव सुख नष्ट हो रहा हो ऐसे विचार या कार्य पर मोह-वश अटल रहना हठ है। धैर्य होना चाहिए, हठ नहीं। कहा भी है—

“धैर्य धर्म मित्र अरु नारी, आपत-काल परखिए चारी।” ●

भाव की अभिव्यक्ति होती है। जब सवेग मोक्ष की ओर तीव्रतम हो जाता है तब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ सभी क्षीण हो जाते हैं। सम्यग्दर्शन सदा-सदा के लिए विशुद्ध हो जाता है। जिसका सम्यग्दर्शन निरावरण एवं विशुद्ध हो जाना है, वह पाप-कर्म नहीं करता, परिणाम स्वरूप वह उसी भव में या तीसरे भव में अवश्य ही मुक्त हो जाता है।

सवेग से साधक परमात्म-पद की ओर तीव्रतम गति से दौड़ लगाता है, वे-रोकटोक आगे बढ़ता रहता है। वह सवेग केवलि-भाषित धर्म के प्रति श्रद्धा की विशुद्धि करता है। गुणों की परम्परा सवेग से प्रारम्भ होती है। परम एवं चरम लक्ष्य में उसकी पूर्णता हो जाती है।

सवेग का सहचारी गुण निर्वेद है, निर्वेद का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य तीन प्रकार का होता है—ससार-वैराग्य, शरीर-वैराग्य और भोग-वैराग्य। जब मोक्ष की अभिलाषा होती है तब निश्चय ही वैराग्य का होना भी अवश्यभावो होता है। वैराग्य के कारण जब ससार, शरीर एवं भोगों से जीव विमुक्त हो जाता है तब दूसरी ओर सवेग बढ़ जाता है। अतः सवेग से निर्वेद का विकास होता है और निर्वेद से सवेग का। जिसने केवल एक मोक्ष को ही लक्ष्य बनाया हुआ है, वह डधर-उधर के मिथ्या-मार्गों में नहीं भटकता।

ससार के अनेक मार्ग हैं, जबकि मोक्ष मार्ग एक है। बंध और बंध-हेतुओं से पूर्णतया निवृत्ति ही मोक्ष है। सवेग मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करता है, अतः चित्तवृत्तियों को निरुद्ध कर मोक्ष-पथ पर बढ़ने के लिये साधक सवेग का सहारा लेकर लक्ष्य-प्राप्ति में सफल होता है।

शान्ति सयम की ओर ही ले जाती है। असयम से आत्मा पर इन्द्रियो की विजय होती है, जबकि सयम से आत्मा की इन्द्रियो पर पकड हो जाती है। अतः प्रणिधि का जो अन्तरंग रूप है वही साधक के लिए ग्राह्य है।

हर्ष और शोक से मुक्त अवस्था में ही प्रणिधि का भाव जीवन में उतरता है, क्योंकि हर्ष और शोक ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसमें हम हानि या अभाव अनुभव करते हैं वह है शोक, जिसमें लाभ या प्राप्ति का अनुभव करते हैं वह है हर्ष, दोनों में सम रहना ही शान्ति, समता एवं चित्त की एकाग्रता है। प्रणिधि-साधना का साधक सदैव विपत्ति में धैर्य व दृढता की परीक्षा और सपत्ति में क्षमा व उदारता की परीक्षा देता ही रहता है। उसकी प्रत्येक घड़ी परीक्षा की उत्तीर्णता के साथ बीतती है। उसकी वृद्धि हंस के समान गुण-ग्राहिणी होती है, उसका हृदय स्फटिक रत्न के समान स्वच्छ, वाणी में माधुर्य एवं प्रिय सत्य, दृष्टि में मध्यस्थता, तन में सहनशीलता हुआ करती है।

प्रणिधि बहुत बड़ी निधि को भी कहते हैं। जिस साधना की आराधना करने पर गुणों की अक्षीण महानिधि प्राप्त हो जाए वह भी प्रणिधि है। चेतना के स्वच्छ एवं निर्मल प्रवाह को भी प्रणिधि कहा जाता है। निष्कपट आचार-विचार की साधना भी इसी नाम से पुकारी जाती है। जो स्वकर्तव्य के पालन में अप्रमत्त है और फल के प्रति निष्काम है, वही इसकी आराधना कर सकता है।





१६. सुविधि



सुविधि यह शब्द अनेकार्थक है। चौबीस तीर्थकरों में नीचे तीर्थकर का नाम सुविधि था। सुन्दर अनुष्ठान एवं पावन क्रिया-कलाप अर्थात् धर्मानुष्ठान का अपर नाम भी सुविधि है। जिस साधना की आरावना बहुत अच्छी विधि से की जाए उसे भी सुविधि कहते हैं।

किसी शुभ कार्य को करने की महत्ता इसी में है कि वह वैज्ञानिक एवं कलापूर्ण विधि से किया हुआ होना चाहिए। विश्व में सब से मुश्किल काम अपना सुधार है और सब से आसान कार्य दूसरो की नुकताचीनी है। जो शुभ कार्य के लिए प्रशंसा के भूखे रहते हैं उनके हृदय में पुण्य-कार्य के प्रति वास्तविक प्रीति नहीं होती, क्योंकि उनके हृदय में झूठी प्रशंसा का आकर्षण समाया रहता है।

जो अपनी छलकती हुई आंखों से, पवित्र विचारों से मधुर वाणी से और शुभ कार्यों से आनन्द वरसाता है, हमेशा उसी को लोग प्रसन्न रखते हैं। सबसे प्रिय है करना और न कहना तथा सबसे अप्रिय है—कहना और न करना।

जब मानव के अन्तःकरण में धर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम का उद्रेक बढ़ जाता है तब उससे जो भी कार्य होता है वह भलाई का ही होता है, क्योंकि धर्म का प्रेम परिश्रम को हल्का


और दुख को मधुर बना देता है। भूलो से प्रेम और बुरो को क्षमा करना ये दोनो तत्त्व चरित्र-निर्माण मे परम सहायक हैं।

सुपात्रदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, मन-संयम, वचन-संयम और काय संयम इत्यादि सभी शुभ क्रियाए पावन अनुष्ठान हैं। विवेक-पूर्वक कपायो से निवृत्त होकर शुभ अनुष्ठानो मे प्रवृत्ति और सभी अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति ही सुविधि है। जैसे अग्नि, पानी और विद्युत् इन मे किसी को सुखी या दुखी करने की इच्छा नही है, तो भी उनमे यह शक्ति है कि सुविधि से काम लेनेवाले को सुखी और अविधि से काम लेने वाले को दुखी होना ही पडता है। वैसे ही भगवान वीतरागी है, उनकी आज्ञा का सेवन सुविधि से किया जाए तो सुख और अविधि से सेवन करने वाले को दुख प्राप्त होता है। यह भगवान का या धर्म का नही, अपितु व्यक्ति के अपने ही गुण-दोष का परिणाम है। काम, क्रोध, मान, लोभ, मोह और अज्ञान आदि विकार आत्मा के भीतरी शत्रु हैं, जिस उपाय से इन शत्रुओ को जीता जा सकता है, उस उपाय को ही जिन-धर्म कहते है। उस उपाय को ही दूसरे शब्दो मे सुविधि कहा जाता है। उस उपाय को जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वही सम्यग्ज्ञान है। विशाल आपत्तियो को, भयकर सकटो को, सभी तरह के भयो को, प्रतिकूल वधो को तथा पराधीनता जैसी अपमानता को केवल ज्ञानाग्नि ही भस्म कर कर सकती है।

सुविधि पूर्वक भगवान की भक्ति करने से जैसे कल्याण होता है वैसे ही पुण्य अनुष्ठान करने से भी आत्मा का कल्याण होता है। यह भी कर्मा से निलिप्त रहने की एक रीति है। सुविधि भी अन्तर्वल है। इसी मे अनासक्ति भाव का अन्तर्भाव हो जाता

है। भाव एक स्फुरण है, विचार एक योजना है। भाव में प्रेरणा, गुण में आकर्षण और बल में दब-दबा होता है। बल में राग-द्वेष गुण में स्नेह और भाव में आनन्द एवं शान्ति है।

भाव जब साकार एवं क्रियात्मक बन जाता है, तब वह गुण कहलाता है। गुण जब दूसरे को प्रभावित करता है, तब वह बल कहलाता है। भाव हृदय को स्पर्श करता है, गुण बुद्धि को प्रमुदित करता है। बल शरीर को वशीभूत करता है, भाव अपने आप बढ़ता है। गुण साधना से प्राप्त होता है और बल आयोजन एवं अभ्यास से प्राप्त होता है। गुण तप से, कषायों की मदता से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, अनेकान्तवाद के आश्रयण से और सतत साधना से विकसित होता है। सुविधि भी अपने आप में महत्त्वपूर्ण गुण है। जब वह सीमा से असीम बन जाता है, तब वह आत्मा को निश्चय ही परमात्मा बना देता है। परमात्मपद को प्राप्त करना ही आत्मा का लक्ष्य-बिन्दु है।



मूर्गी अण्डा आदि एव जलचर, स्थलचर पक्षी आदि जीवो मे आत्मा नही है, केवल प्राण ही हैं, इसलिए इनके खाने मे कोई दोष एव पाप नही, ऐसा समझना मिथ्यात्व है। अजीव को जीव समझना, जैसे शरीर, इन्द्रिय और मन ये अपने अस्तित्व की दृष्टि से जड है, इनको ही आत्मा समझना मिथ्यात्व है। धर्म को अधर्म समझना, जैसे सत्य अहिंसा त्याग तप, गान्धि ब्रह्मचर्य क्षमा, आर्जव आदि धर्मो को अधर्म मानना मिथ्यात्व है। अधर्म को धर्म मानना हिंसा, झूठ, चोरी, आदि पापो मे आसक्त रहना, मद्य-पान करना जुआ खेलना, मांस खाना भोगविलास को धर्म समझना मिथ्यात्व है। जिनको कनक और कामिनी अपनी ओर खीच नहीं सकते, सासारिक लोगो की प्रशंसा प्रसन्न नहीं कर सकती, जो जर-जोरू और जमीन के त्यागी हैं, ऐसे साधुओ को भी साधु न समझना मिथ्यात्व है। जो कनक-कामिनी के दास बने हुए हैं, जिनको सासारिक लोगो से प्रशंसा एव प्रतिष्ठा पाने की दिन रात इच्छा बनी रहती है, ऐसे साधु वेषधारियो को साधु समझना मिथ्यात्व है। ससार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना-मिथ्यात्व है। मोक्षमार्ग को ससार का मार्ग समझना मिथ्यात्व है। कर्मरहित को कर्मसहित समझना, जैसे परमात्मा राग द्वेष आदि विकारो से रहित है, फिर भी यह समझना कि भगवान् अपने भक्तो की रक्षा के लिए दैत्यो का नाश करते हैं, अमुक स्त्री की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पति बनते हैं, यह मिथ्यात्व है। कर्म-सहित को कर्म-रहित मानना, भक्तो की रक्षा और शत्रुओ का नाश, यह राग-द्वेष के बिना हो नहीं सकता और रागद्वेष कर्म सम्बन्ध के बिना हो नहीं सकते, फिर भी उन्हे कर्म-रहित मानना, यह समझना कि वे सब कुछ करते हुए भी अलिप्त है। इस प्रकार

की धारणाएँ मिथ्यात्व के अन्तर्गत हो जाती हैं।

अथवा मिथ्यात्व पाच प्रकार का होता है, जैसे कि तत्त्व की परीक्षा किए बिना ही किसी एक सिद्धान्त का पक्ष करके पक्ष का खण्डन करना आभिग्रहिक मिथ्यात्व है। किसी तत्त्व की गुणदोष की परीक्षा किए बिना ही सर्व पक्षों को बराबर समझना, सत्य और असत्य को बराबर समझना, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है। अपने पक्ष को असत्य जानकर भी उसकी स्थापना करने के लिए आग्रह करना- आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है। वीतराग देव, जिनवाणी, गुरु निर्ग्रन्थ और केवलि-भाषित धर्म इनमें तथा नव तत्त्वों के प्रति सदेहशील बने रहना साशयिक मिथ्यात्व है। मोह की प्रगाढतम अवस्था में रहना, सुविचार या विशेषज्ञान के अभाव में रहना अनाभोग मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनन्त है, भव्यों की अपेक्षा अनादि सान्त है और प्रतिपाती की अपेक्षा सादि सान्त है। मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन सबसे बड़ा आश्रव है।

सम्यग्दर्शन-सवर वह कहलाता है, जिसके उत्पन्न होते ही मिथ्यादर्शन रूप आश्रव-स्वर्यं रुकें जाएं।

सम्यग्दर्शन तीन प्रकार का होता है औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक।

मिथ्यात्व और उसकी सहचारिणी सभी प्रकृतियों का जब पूर्णतया उपशमन हो जाता है, तब उनमें से किसी का विपाकोदय तो क्या, प्रदेगोदय भी नहीं होता। आत्मा की वह शुद्ध अवस्था ही औपशमिक सम्यग्दर्शन है। जब मिथ्यात्व और उसकी सहचारिणी प्रकृतियों में से किन्हीं का उपशमन एव

किन्ही का क्षय कर देने पर सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन किया जा रहा हो तब आत्मा की उस शुद्ध अवस्था को ही क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहा जाता है। जब सम्यग्दर्शन विरोधिनी सभी प्रकृतियों को क्षय कर दिया जाता है, तब आत्मा में जो शुद्धतर अवस्था होती है वह क्षायिक सम्यग्दर्शन है। श्रीपशमिक की स्थिति अतर्मुहूर्त है। क्षायोपशमिक की ६६ सागरोपम से कुछ अधिक और क्षायिक की स्थिति सादि अनन्त है। जब आत्मा सम्यग्दर्शन के प्रकाश में पहुँच जाता है, तब उस पर मिथ्यात्वरूप अन्वकार का आक्रमण नहीं होता। जैसे प्रकाश-पुंज अधकार का निरोध करता है वैसे ही सम्यग्दर्शन से मिथ्यात्व का निषेध या निरोध स्वतः हो जाता है, अतः सम्यग्दर्शन भी सवर है।

२. अव्रत—अणुव्रत और महाव्रत के अभाव का नाम अव्रत है। असयत एव अमयादित जीवन में ही इस आश्रव का अस्तित्व पाया जाता है। पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक सभी जीव अव्रती है और अव्रती का जीवन बहुधा मर्यादाहीन होता है। उसके लिये हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह आदि पापों के सभी द्वार खुले रहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ऐन्द्रियिक सुख है, उसकी उत्तरोत्तर प्राप्ति के लिए वह सब तरह के पापाचरण या अपराध करने के लिए भी उद्यत रहता है। यदि राज-भय से समाज-भय से या किसी असमर्थता के कारण कोई पापाचरण नहीं करता तो वह व्रती या सयमी नहीं है। जो किसी भी व्रत का पालन नहीं करते उन्हें अविरत भी कहते हैं। अविरत जीव सात प्रकार के होते हैं जैसे कि—

१. जो व्रतों के स्वरूप को नहीं जानते उनकी निष्ठा त्याग में नहीं हो सकती, अतः वे किसी के कहने से व्रतों को अंगीकार भी

नहीं करते और न उनका पालन ही करते हैं। इस प्रकार के लोग विल्कुल साधारण होते हैं।

२. उन्हें भी अन्नती कहा जाता है जो व्रतो को न तो जानते हैं और न अगीकार ही करते हैं, किन्तु अज्ञानता से पालते हैं, ऐसे तापस एव वालतप करने वाले मिथ्यादृष्टि माने जाते हैं।

३. वे भी अविरतो की कोटि में माने जाते हैं जो व्रतो के स्वरूप को जानते भी नहीं, और स्वीकार करके पालते भी नहीं। ऐसे लोग पार्श्वस्थ-साधु वेपधारी हाते हैं, वे लौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधुवेष में रहते हैं।

४. उन्हें भी पूर्णतया विरत नहीं कहा जा सकता है—जिन्हें व्रतो का ज्ञान नहीं, किन्तु उन्हें धारण करते हैं और बराबर पालन भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगीतार्थ मुनि कहे जाते हैं। जो साधुता से विल्कुल अपरिचित हैं वे अगीतार्थ माने जाते हैं।

५. जिन को व्रतो का ज्ञान तो है, फिर भी न तो व्रतो को धारण करने हैं और न पालते ही हैं, वे अविरत-सम्यग्दृष्टि हैं। राजा श्रेणिक और श्री कृष्ण इसी कोटि के मानव हुए हैं।

६. जो व्रतो के स्वरूप को जानते हुए भी न स्वीकार कर सकते हैं और न पालन ही कर सकते हैं। एकान्त सम्यग्दृष्टि अनुत्तर वैमानिक देव इसी कोटि में आते हैं।

७. जो व्रतो के स्वरूप को जानते भी हैं स्वीकार भी करते हैं, पालन नहीं कर सकते, वे मरीचि की तरह सविग्न पाक्षिक होते हैं।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्-ग्रहण और सम्यक्-पालन से ही व्रत सफल होते हैं। जिनको न व्रतो का ज्ञान है, न उनका विधिपूर्वक ग्रहण ही करते हैं और न व्रतो का यथार्थ पालन ही करते हैं, यदि कभी

घुणाक्षर न्याय से वे व्रतो को पाल भी ले तो उससे वे व्रती नहीं बन सकते हैं। अविरतो के उपर्युक्त सात भेदों में से पहले चार भेद मिथ्यादृष्टि अविरतो में पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें व्रतो का यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं, अतः उनका व्रत-ग्रहण एव व्रत-पालन अकिञ्चित्कर माना जाता है। शेष तीन भेद सम्यग्-दृष्टि अविरतों में पाए जाते हैं। यद्यपि अविरत सम्यग्दृष्टि यथाविधि व्रतो का ग्रहण तथा पालन नहीं कर सकता, तथापि वे व्रतो के स्वरूप को यथार्थतः जानते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि जीव व्रत-नियमों को यथावत् जानते हुए भी व्रतो को स्वीकार एव पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्रप्रत्याख्यान कपाय-चतुष्क का उदय होता है। वह उदय काल देशव्रत एव सर्वव्रतो के धारण व पालन का प्रतिबन्धक है।

देशव्रत और सर्वव्रतो के स्वरूप को भली-भाँति जानकर ही सम्यग्दृष्टि जीव विधिपूर्वक उन्हें धारण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं, तभी वे क्रमशः अणुव्रतो या महाव्रती कहलाते हैं। अव्रत आश्रव है और व्रतसवर है। सुव्रती बनने से ही अव्रती होने या अविरति होने का कलक उतर सकता है। व्रत सवर से अव्रत-आश्रव का निरोध हो जाता है। पाचवे गुणस्थान से लेकर सभी गुण-स्थान उत्तरोत्तर व्रत-सवर के हैं।

३ प्रमाद—आदि के छ गुणस्थान प्रमाद से लिप्त हैं। प्रमाद भी अव्रत की तरह आश्रव है। प्रमाद का अर्थ है अन्तःकरण की दुर्बलता, धर्मविमुखता, अकर्तव्य में प्रवृत्ति और कर्तव्य की विस्मृति। अथवा जिस कारण से जीव का मोक्ष मार्ग में उत्साह एव प्रीति न होने पाए, वह प्रमाद है। प्रमाद के आठ भेद हैं।^१

१ प्रवचनसागरोद्धार, द्वार-२०७।

जैसे कि—

(क) अज्ञान-प्रमाद—मोक्षमार्ग से विल्कुल अनभिज्ञ रहना-अज्ञान-प्रमाद है ।

(ख) संशय-प्रमाद—मोक्षमार्ग के प्रति सशयशील रहना, क्या पता मोक्ष मार्ग कोई है या नहीं ? क्या पता नव तत्त्व सत्य है या मिथ्या ? इस तरह का संशय होना संशय-प्रमाद है ।

(ग) मिथ्याज्ञान-प्रमाद—तथ्य से विपरीत ज्ञान मिथ्याज्ञान-प्रमाद है ।

(घ) राग-प्रमाद—दृष्टिराग, स्नेहराग और काम-राग ये राग के तीन भेद हैं । मोह के दलदल में फसाने वाला यदि कोई विकार है तो वह राग ही है । वह किसी मानव में तीव्र होता है और किसी में मद्ध । हजारों अवगुणों के होते हुए भी उन्नत को छोड़ने के लिए मनोभूमिका तैयार न होने-से वह राग है ।

(ङ) द्वेष-प्रमाद—जिस कारण से अप्रीति पैदा हो जाए-वह द्वेष है, इसका स्वभाव है दूसरे में नफरत करना । जिस पर-इसकी क्रूर दृष्टि हो जाती है वह भले ही हजारों गुणों-से सपन्न-वयो-न हो, उसे अपनाने के लिये-वह-इन्कार ही-करता है ।

(च) स्मृति-भ्रंश-प्रमाद—अपने कर्तव्य को भूल जाना स्मृति-भ्रंश-प्रमाद है ।

(छ) धर्म-अनादर-प्रमाद—केवल-भाषित धर्म का-अनादर करना-एव उसकी प्राप्ति के-लिये-यत्न न करना ।

(ज) योग-दुष्प्रणिधान-प्रमाद—मन, वचन और काय को अशुभ क्रियाओं में लगाना प्रमाद है ।

कुछ आचार्यों ने प्रमाद के पाच रूप बतलाए हैं जैसे कि—

१. मद्य-प्रमाद—मद्य आदि नगीले पदार्थों का सेवन करना, नशे में चूर रहना प्रमाद है।

२ विषय-प्रमाद—इन्द्रियो के विषयो में आसक्ति रखना विषय-प्रमाद है।

३ कषाय-प्रमाद—राग-द्वेष के बगीभूत होना कषाय प्रमाद है।

४ निद्राप्रमाद—निद्रा के अधीन रहना, ज़रूरत से ज्यादा सोना प्रमाद है।

५ विकथा-प्रमाद—धर्मकथा को छोड़कर शेष सभी कथाओं का समावेश विकथा में हो जाता है। काम-वासना उद्दीपक बातें करना और खाद्य पदार्थों के खाने की लालसा प्रकट करना। खाने-पीने की बातें करने से अकल्पनीय, अनेषणीय आहार की इच्छाएँ जाग उठती हैं। अखवारी दुनियाँ में अमूल्य समय नष्ट करना, राजाँ की निन्दा-स्तुति में या इधर-उधर की व्यथ की बातों में समय नष्ट करना विकथा है। विकथा से सम्यग्दर्शन, सम्यग्गज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इनमें से कोई भी अतिक्रम आदि दोष से दूषित हो सकता है, अतः विकथा भी प्रमाद ही है। प्रमाद के बगीभूत होकर जीव कुछ का कुछ करता है, कुछ भी बोल देता है और कुछ का कुछ सोचता है। प्रमाद से बचने का उपाय अप्रमाद है।

अप्रमाद सवर है, इसकी विद्यमानता में जीवन के किसी भी क्षण में प्रमाद का प्रवेश नहीं हो सकता। सातवे गुणस्थान से लेकर आगे के सभी गुणस्थानों में साधक अप्रमादी कहलाता है। अप्रमाद अवस्था में ही धर्मध्यान की पूर्णता होती है। मानव का सबसे बड़ा हित अप्रमाद में रहने से ही है। आध्यात्मिक गुण-

निधान यदि मिल सकता है तो वह अप्रमत्तता से ही मिल सकता है। जिस पावर हाउस में वैज्ञानिकों द्वारा स्थान-स्थान में "खतरा-खतरा" लिखा हुआ होता है, जब कोई मानव दर्गक बनकर उसमें प्रवेश करता है तो वह सब तरह से सावधान रहता है, क्योंकि अपने को खतरे से बचाने में ही उसकी बुद्धिमत्ता है। जहाँ चोर-उचकके जेबकतरे चारों ओर घूम रहे हों, वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं की रक्षा सावधानी से करता है तो इसी में उसका चातुर्य माना जाता है। जिस साधक के पास विश्व में सर्वोत्तम एवं सुदुर्लभ रत्नत्रय हो उन सबकी रक्षा वह अप्रमाद से करता है, इसी में उसका चातुर्य है। अप्रमाद सवर है और सवर धर्म है। साधक को भारण्ड-पक्षी की तरह सदा अप्रमत्त रहना उचित है। प्रमाद के किसी भी रूप का कभी भूल कर भी आचरण न करना ही अप्रमाद सवर है।

४ कषाय—यह जैन सस्कृति का एक पारिभाषिक शब्द है। जिससे ससार की वृद्धि हो, जन्म-मरण की परम्परा अविच्छिन्न बनी रहे और जिससे आठ प्रकार के कर्मों का बंध हो, वही कषाय है। जैसे हरड़, बहेड़ा, आवला इनके समुदाय की त्रिफला सजा है, अन्य किन्हीं तीन फलों का समूह त्रिफला नहीं हो सकता, वैसे ही क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार विकारों के समूह का नाम कषाय है। कषाय के चार रूप हैं—अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन।

जिस कषाय के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक ससार में भ्रमण करता है, उस कषाय को अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं। यह कषाय अत्यन्त निकृष्ट स्तर का है और जीवन भर के लिए बना रहता है। इसमें वर्तमान जीव नरकगति के योग्य कर्मों का बंध करता है तथा सम्यग्दर्शन का घात करता है।

इस कपाय के चार भेद हैं—अनन्तानुबंधी क्रोध, अनन्तानुबंधी मान, अनन्तानुबंधी माया और अनन्तानुबंधी लोभ । इनका पृथक्-पृथक् स्वरूप इस प्रकार है—

क्रोध का स्वभाव है प्रीति और प्रेम में दरारे पैदा कर देना । इनमें से कुछ दरारे कालान्तर में स्वयं मिट जाती हैं और कुछ उपायों द्वारा मिलाकर एक करनी पड़ती हैं । कुछ दरारे ऐसी भी होती हैं जो विलकुल भी नहीं मिट सकती । किसी ज्वालामुखी पर्वत के फट जाने से जो पर्वत में दरारे पड़ जाती हैं, उन दरारों का मिलाना जैसे अशक्य है, वैसे ही जीवन भर अनेक उपाय करने पर भी जिसका क्रोध पुनः शान्त होता ही नहीं, वह प्रेम की भूमि में दरारे ही दरारे डालता जाता है । जिससे उत्पन्न द्वेष मानव को अशान्त कर देता है । ऐसे क्रोध का गमन करना अशक्य ही होता है ।

मान का स्वभाव है अकड—कठोरता । मन में, शरीर में तथा वाणी में कठोरता का होना यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति दूसरे का मान सन्मान करना जानता ही नहीं है ।

मान के प्रवेश होते ही दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार स्वभावतः होने लग जाता है । जिसका मान किसी भी उपाय से नहीं नमता, वह कठोर पत्थर के खभे के समान होता है, उसे कोई भी यत्र या उपाय मोड़ नहीं दे सकता ।

माया में वक्रता एवं कुटिलता होती है । आन्तरिक छल-बल मित्रता का नाश कर देता है । जैसे कठिन वास की जड़ का टेढ़ापन किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही माया की वक्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता । वक्रता उसका अभिन्न अङ्ग है ।

लोभ व्यक्ति को विविध प्रकार से भौतिक पदार्थों के ऐसे आकर्षणों में बाध देता है जिनका मिटना अशक्य हो जाता है। जैसे हडताल-का रग वस्त्र या तन्तु पर से कभी नहीं उतरता, वैसे ही अनन्तानुबन्धी लोभ का रग अमिट होता है।

इस प्रकार के क्रोध मान, माया और लोभ रूप कषाय अनन्तानुबन्धी होते हैं। इस प्रकार का कषाय डाकू, कसाई, गिकारी और अधर्म-रत राजाओं में पाया जाता है। इस कषाय का अस्तित्व आदि के तीन गुणस्थानों में पाया जाता है। इस अनन्तानुबन्धी कषाय पर विजय पाकर उसकी निवृत्ति करना संभव है।

जिस कषाय का उदय होने पर साधक सम्यग्दृष्टि तो रह सकता है, किन्तु श्रावक-धर्म की उपलब्धि नहीं कर सकता, उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। जिस जीव में इस स्तर का कषाय उदित हो जाता है वह अघ्निक से अधिक एक वर्ष तक ठहर सकता है। इसके उदय होने पर तिर्यञ्चगति के योग्य कर्मों का बंध और श्रावकवृत्ति का घात किया जाता है। इसका स्वरूप इस प्रकार है—

जिसका क्रोध उस दरार के समान है जो सूखे तालाव आदि में मिट्टी के फट जाने से पड़ जाती है और वर्षा हो जाने पर वह दरार फिर स्वतः ही मिल जाती है। इस स्तर का क्रोध कुछ उपायों से शान्त हो सकता है। वह इतनी जल्दी शान्त नहीं होता फिर भी उसके अस्तित्व की अवधि वर्ष भर मानी जाती है।

जिसका मान हड्डी के स्तम्भ के समान होता है उसे बड़े परिश्रम से नमाया जा सकता है आसानी से नहीं। किसी वज्ञानिक विधि से ही उस स्तम्भ में कुछ नम्रता लाई जा सकती है साधारण तरीके से नहीं। इसी प्रकार कुछ साधकों में मान इस

प्रकार का होना है जिसे तप द्वारा शास्त्र-वचनो द्वारा एव सन्तो के उपदेश द्वारा भुकाया जा सकता है ।

जैसे मेढे के सीग का टेढापन विशेष विधियो से सीधा हो जाता है, अर्थात् कुछ उपायो से उसे सीधा किया जा सकता है, वैसे ही कुछ साधको की माया बड़े परिश्रम से ही दूर हो सकती है । इस माया की स्थिति भी उत्कृष्ट साल भर रह सकती है ।

गन्दे नाले का कीचड यदि वस्त्र आदि मे लग जाए तो वह अतिकष्ट से छूटता है । अप्रत्याख्यान लोभ का स्वभाव भी इसी प्रकार का होता है । यह कषाय चौथे गुण स्थान तक रहे हुए जीवो मे पाया जाता है । इस कषाय के क्षय या उपशम करने को भी संवर कहा जाता है । अविरत-सम्यग्दृष्टि मानव सवत्सरीपर्व पर क्षमापना द्वारा इसे छोड देते हैं, इस अपेक्षा से इस कषाय की स्थिति साल भर की बताई गई है ।

प्रत्याख्यानावरणीय कषाय वह कहलाता है जिसकी उपस्थिति मे सर्वविरतित्व के भाव उदित नही हो पाते और वह देश-विरतित्व (श्रावक धर्म) मे बाधक नही बनता । इस कषाय की स्थिति उत्कृष्ट, चार महीने की मानी गई है । इस कषाय के उदय भाव मे जीव मनुष्यगति-योग्य कर्मों का उपार्जन करता है । इस कषाय के अतर्गत जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका स्वभाव रेत मे खीची हुई लकीर के समान होता है । रेत मे लकीर खीचने पर कुछ ही समय मे वायुवेग से वह लकीर रेत से भर जाती है, वैसे ही यह क्रोध, क्षमा आदि सुविचारो से शान्त हो जाता है ।

जो मान काठ के खभे के समान है जैसे काठ को तेल मसलने से या अग्नि का सेक देने से वह नम जाता है, वैसे ही जो मान

किन्ही विशेष उपायो से हट जाता है, वह मान इसी कोटि का होता है ।

जैसे चलता हुआ बैल जब मूत्र करता है, तब धरती पर टेढ़ी-मेढ़ी लकीर पड़ जाती है । उसके सूख जाने पर या उस लकीर पर वायुवेग से धूल गिर जाने पर जैसे उसका टेढ़ापन मिट जाता है, वैसे ही जिस माया या वक्रता को कुछ परिश्रम से दूर किया जा सकता है, वह माया इस कषाय की कोटि में मानी जाती है ।

काजल का रग या खजन (गाड़ी के पहिए का काला तेल) का रग जिस शरीर पर या वस्त्र पर चढ़ जाता है, वह रग फिर कठिनाई में ही हटता है । वैसे ही लोभ भी जाव को जब अपने रग में रग देता है, तब वह लोभ का रग जल्दी तो नहीं, अनेक उपायो से अवश्य उतर जाता है । जब इस लोभ कषाय का क्षय या उपशम होता है, तब प्रत्याख्यानावरण कषाय का आश्रव निरुद्ध हो जाता है । यह भी आशिक कषाय-सवर माना जाता है ।

सज्वलन कषाय की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः दो मास, एक मास, एक पक्ष और अंतर्मूर्त की है । इसके उदय से जीव देवगति के योग्य-कर्मों का वन्ध करता है । इस कषाय की उपस्थिति में वीतरागता की अनुभूति नहीं होने पाती । सज्वलन कषाय का स्वरूप इस प्रकार है—

सज्वलन कषाय वाले साधक का क्रोध पानी में खीची हुई लकीर के समान होता है जोकि सुविचारों से शीघ्र ही शान्त हो जाता है । उसका मान वेत की छटी के समान होता है, जिसको आसानी से नमाया जा सकता है । जीवन में अनेकान्तवाद के अवतरण से सब तरह की अकड, हठीलापन एवं दुराग्रहों से उत्पन्न हुई अहता क्षण भर में विशोर्ण हो जाती है । जिसमें ऊन के धागे के

समान रहा हुआ माया का टेढ़ापन यथाशीघ्र दूर हो जाता है। जिसका लोभ हल्दी के रंग के समान सहज ही उतर जाता है। इस तरह के कषाय को सज्वलन कषाय कहते हैं। इस कषाय का अस्तित्व छटे से दसवे गुण-स्थान तक पाया जाता है। ग्यारहवे, बाहरवे, तेहरवे और चौदहवे गुणस्थान में कषाय-आश्रव का पूर्ण निरोध हो जाता है। सबसे पहले अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षय होता है, उसके बाद अप्रत्याख्यान कषाय का, फिर प्रत्याख्यानावरण का और अन्त में सज्वलन कषाय का क्षय होता है। इसी को अकषाय-सवर कहते हैं।

५ योग—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति—व्यापार को आगमो की भाषा में योग कहते हैं। इनकी प्रवृत्ति शुभ भी होती है और अशुभ भी। अशुभ-प्रवृत्ति को पाप और शुभ प्रवृत्ति को पुण्य कहा जाता है, परन्तु जैन दृष्टि से दोनों ही आश्रव हैं। योगो की प्रवृत्ति पहले से लेकर तेहरवे गुणस्थान तक जीवो में रहती है। प्रमत्त गुणस्थानो तक दोनों तरह की प्रवृत्तिया रहती है, किन्तु अप्रमत्त गुण स्थान से लेकर तेहरवे सयोगी केवल-गुणस्थान तक शुभ प्रवृत्ति ही होती है, अशुभ नहीं। चौदहवे गुण-स्थान में पहुँच कर साधक अयोगी केवली बन जाता है, तब तीनों योगो की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। योग की पूर्ण निवृत्ति ही सवर है। सब से पहले अशुभ योगो से निवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद उत्तरोत्तर गुण-स्थानो में शुभ योगो से भी निवृत्ति होती जाती है। योग-निवृत्ति ही सवर है। यह सवर ही ध्यान की एकग्रता का साधक है। ●

१ पच आसवदारा पण्णत्ता, त जहा—मिच्छत्ता, आविरई, पमाओ, कसाया, जोगा । ठाणाङ्गसूत्र-ठाणा-५,

जीवन में यदि एक भी दोष प्रविष्ट हो जाता है तो जीवन-यान का साधना-पथ पर अग्रसर होना कठिन हो जाता है ।

दोष अनेक तरह के होते हैं, किन्तु उनमें दो तरह के दोष मुख्य हैं—जैसे कि व्यावहारिक और नैश्चयिक । व्यावहारिक दोष भी सैकड़ों ही नहीं, हजारों तरह के होते हैं, उनमें से भी कोई दोष सामान्य और कोई विशेष होता है । व्यावहारिक दोष व्यावहारिक क्षेत्र में समुन्नति एवं सफलता नहीं प्राप्त करने देते और नैश्चयिक दोष आध्यात्मिक साधना में साधक को अग्रसर नहीं होने देते ।

अपने में रहे हुए दोषों का ज्ञान मनुष्य को स्वतः भी होता है, किसी अनुभवी एवं साधना-सम्पन्न महापुरुषों द्वारा भी दोषों का ज्ञान कराया जाता है और शास्त्रों के अध्ययन से भी अपनी अज्ञता एवं दोषों का ज्ञान हो जाता है । जैसे मकान में घुसे हुए एवं इधर-उधर छिपे हुए चोरो को कोई समर्थ व्यक्ति एक-एक को खोज-खोज कर पकड़ता है और बाहिर निकाल देता है । इसी प्रकार साधक भी अपने जीवन में छिपे हुए दोषों को भीतर नहीं रहने देता । जैसे दान्तों के अन्तराल में फसे हुए तिनके आदि को जिह्वा निकाल कर ही दम लेती है । जब तक वह न निकल जाए, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, वह बार-बार उसी स्थान का स्पर्श करती है। वैसे ही अपने द्वारा कृत दोषों को निकाल कर ही साधक शान्ति का अनुभव कर सकता है । साधक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दोष देखना ही तो अपना 'देखो', जिससे दोष दूर करने की प्रवृत्ति पैदा हो और 'अहंकार' मिट कर जीवन में नम्रता का उदय हो और यदि गुण देखने हो तो दूसरों के देखो, जिस से गुणग्राहकता की वृत्ति जागृत हो सके । दोषों के ह्रास से गुणों का विकास

होता है। रगड के बिना जैसे रत्नो पर पालिश नही होती, इसी प्रकार कठिनाइयो के बिना मानव पूर्ण नही हो पाता और दृढ साधना के बिना जीवन मे से दोष नही निकलने पाते।

दुनिया मे सब से कठिन काम अपना सुधार है और सबसे आसान काम दूसरो की आलोचना एव नुक्ताचीनी है। पाप एव दोषो की पहचान ही मुक्ति-मार्ग का प्रथम कदम है। मानव-रोगो के भय से खाना तो बन्द कर देता है किन्तु दण्ड और मरण के भय से वह पाप एव बुराई बन्द नही करता। मानव की यही बड़ी कमजोरी है। जो साधक सच्ची निवृत्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह तमाम पापो, दोषो और उल्टी समझ को झोड दे। कोई भी दोष छोटा नही है, घड़ी की मशीन में कोई भी पुर्जा छोटा नही होता। एक दोष दूसरे दोष के प्रवेश के लिये इन्द्रिय रूपी द्वार खोल देता है। मनुष्य से दोष या भूल हो जाना स्वाभाविक है। जो दोष-सेवन हो जाने से दुखी होता है, वह साधु है और जो उस पर अभिमान करता है वह शैतान है। यदि कोई व्यक्ति किसी दोष को दो-चार बार कर लेता है तो फिर उसे वह अपराध नही प्रतीत होता। वह मानसिक भाव जो मिथ्याज्ञान से उत्पन्न होता है और जिसकी प्रेरणा से मनुष्य बुरे कामो में प्रवृत्त होता है वह दोष है। दोष एक ही नही अनेको हैं। चाहे दोष कैसा भी हो, उससे आत्मा का पतन होता है साधक विराधक बन जाता है। दोषो का उपसंहार जीवन के उत्थान का एव आराधक बनने का मार्ग है। ज्यो-ज्यो रागद्वेष की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और निवृत्ति बढ़ती जाएगी, त्यो-त्यो समत्वयोग के साथ-साथ सभी गुणो का विकास स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। अतः साधक को आत्म-दोषो का उपसंहार करने के लिये सर्वदा यत्नशील रहना चाहिये। ●

२२. सर्व-काम-विरक्तता

प्रत्येक शब्द अनेकार्थक है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। काम शब्द भी अनेकार्थक है, और यह प्रसंगानुसार दो अर्थों में रूढ है—इच्छा और कामवासना। आशसा, आशा, तृष्णा, वाञ्छा, काम, ये सब इच्छा के ही अपर नाम हैं। इच्छाओं का सम्बन्ध प्रायः जड-चेतन पदार्थों से है। इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है।

इच्छा और भूर्धा दोनों परिग्रह के अंग हैं। परिग्रह की अपेक्षा, इच्छा महती है। इच्छा को शास्त्रकारों ने दस भागों में विभक्त कर दिया है। प्रत्येक भाग में भी इच्छा के अनेक रूप हो सकते हैं जैसे कि—

१. इहलोकाशसा-प्रयोग—इस लोक से जिस इच्छा का सम्बन्ध है, वह इहलोक-आशसा है। जब यह आशसा बलवती हो जाती है, तब उस आशसा के साथ 'प्रयोग' शब्द का निवेश कर दिया जाता है। इच्छा करनेवाला जीव जिस भव में है, उसी से मिलता-जुलता भव मृत्यु के बाद भी प्राप्त हो तथा शरीर बल, रूप, सुख, सत्ता समृद्धि इत्यादि लौकिक वैभव से समृद्ध भव की कामना करना 'इह लोक-आशसा-प्रयोग' है।

२. परलोकाशसा-प्रयोग—जिस इच्छा का सम्बन्ध परलोक

से है, अर्थात् देव आदि भवो से है, उसे परलोक-आशसा-प्रयोग कहा जाता है। इस लोक-में तपस्या आदि शुभाचरणो के बदले में मुझे इन्द्र आदि का पद मिले, अथवा नौ-प्रकार का निदान करना 'परलोकाशसा-प्रयोग है।' जिस साधक की बहुत सी कामनाएँ इस लोक में अपूर्ण रह गई हैं, वह मानव अगामी भव में सब तरह से सफल होने के लिए "परलोकाशसा-प्रयोग" करता है।

३ उभयलोकाशसा-प्रयोग—जिस बलवती इच्छा का 'सब धर्मो लोको से हो वह उभयलोकाशसा-प्रयोग है। यह इच्छा दोनों लोको को स्पर्श करनेवाली होती है। इस लोक में सब तरह समुन्नत बनूँ और परलोक में भी समुन्नत ही बना रहूँ, अथवा इस लोक में की गई तपस्या आदि के फल स्वरूप में परलोक में सर्वोच्च देव बनूँ और वहाँ से आयुपूर्ण कर इस लोक में चक्रवर्ती एवं राष्ट्रपति आदि बनकर सुख भोगूँ, यह कामना ही 'उभय-लोकाशसा-प्रयोग' है।

सामान्य इच्छाएँ तीन तरह की होती हैं, किन्तु विज्ञेय-विवक्षा से इनके सात भेद इस प्रकार किए गए हैं।

(क) जीविताशसा-प्रयोग—जिस इच्छा का सम्बन्ध दीर्घ-कालिक जीवन से हो, वह इस कोटि में गणित है। सुख, समृद्धि, राजसत्ता, मान-प्रतिष्ठा, शुभ परिवार की प्राप्ति कर जीने की इच्छा करना या अपने ही स्त्री-पुत्र आदि के जीने की इच्छा करना 'जीविताशसा प्रयोग' है।

(ख) मरणाशसा-प्रयोग—दुःखो एवं रोगो से तग आकर मरने की इच्छा करना, मेरा मरण शीघ्र ही जाए ताकि मेरा इस दुःख से छुटकारा हो जाए, अथवा लज्जा एवं अपमान के वशीभूत होकर मरने की इच्छा या मरने की तैयारी करना

‘मरणाशसा प्रयोग’ है ।

(ग) कामाशसा प्रयोग—जिम उच्छा का संवध मन पसन्द गव्द और रूप से हो, जैसे कि मुझे अभीष्ट शब्द सुनने को मिले और अभीष्ट रूप देखने को मिले, ऐसी कामना करना “कामाशसा-प्रयोग” है ।

(घ) भोगाशसा-प्रयोग—अभीष्ट गन्ध, रस और स्पर्श की अनुभूति को भोग कहते हैं, अमुक तरह के सुगन्धित पदार्थ, खाने-पीने के स्वादिष्ट पदार्थ और अनुकूल स्पर्शवान् पदार्थ मुझे मिलें, ऐसी चाहना करना ‘भोगाशसा-प्रयोग’ है ।

(ङ) लाभाशसा-प्रयोग—लाभ भी अनेक तरह का होता है—विजय-लाभ, सपत्ति-लाभ, सत्ता-लाभ, शुभ परिवार का लाभ, सुख एवं ऐश्वर्य का लाभ, स्वास्थ्य-लाभ, और समुन्नति-लाभ आदि । इस प्रकार की लौकिक एव भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामना करना तथा योगजन्य, एव तपोजन्य लब्धियों को प्राप्त करने की कामना करना या मेरे अमुक साथी को उक्त लाभ हो, ऐसी कामना को “लाभाशसा प्रयोग” कहते हैं ।

(च) पूजाशसा-प्रयोग—मैं देवों की तरह पूजा जाऊँ या पूज्यजनों की तरह ससार में मेरी पूजा हो, मेरा ही सब और बोल-वाला हो, ऐसी तीव्र इच्छा को ‘पूजाशसा-प्रयोग’ कहते हैं ।

(छ) सत्काराशसा-प्रयोग—मेरा सब लोग आदर-सत्कार करे, इनाम मिले, भरी सभा में अभिनन्दन हो, स्वागत एव विदाई समारोह हो, मुझे थैली भेंट की जाए एव अमूल्य पदार्थों के उपहार मिले, लोगों से इस तरह के सत्कार की कामना करना ‘सत्कारा-शसा-प्रयोग’ है । इन सभी तरह की इच्छाओं से विरक्त होना

१. स्थानाङ्गसूत्र, स्थान दसवा

सर्वकाम विरक्तता है ।

काम शब्द का अर्थ काम-वासना भी है । वेद-मोहनीय कर्म-प्रकृति के उदय से मन, वाणी और काय में जो विकृतिया आती हैं, यह उन विकृतियों का ही परिणाम है । जैसे भौतिक-सिद्धिया साधक को भटका देती हैं, वैसे ही भौतिक एव वासना-जन्य आनन्द भी आध्यात्मिक आनन्द से साधक को भटका देता है । वेद का अर्थ है—वासना की पूर्ति के लिए विपरीत लिंगी की चाहना । उस वेद-मोहनीय-कर्म प्रकृति की सत्ता को समय-पूर्वक तप द्वारा बलहीन किया जाता है । सत्ता के बलहीन होने से उसका उदय भी मंद, मंदतर एव मंदतम हो जाना स्वाभाविक है । जब संचित कर्म-प्रकृति की स्थिति और उसके फल देने की शक्ति नहीं जैसी हो जाती है, तब उस प्रकृति का उदय साधक के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाता । तभी उसमें सर्व-काम-विरक्तता की साधना जागृत होती है । कामाग्नि को योग से शान्त किया जाता है । सबसे पहले कषायाग्नि को शान्त किया जाता है, उस से मन शान्त हो जाता है । मनके शान्त होने पर इन्द्रिया भी अपने-अपने विषय को ग्रहण करने के लिए उत्सुक नहीं रह जाती । इन सबके शान्त हो जाने पर वासना स्वयं शान्त हो जाती है । इस क्रम से सर्व-काम-विरक्तता नामक योग-संग्रह की आराधना सहज हो जाती है । साधक को सदैव सर्वकाम विरक्तता की साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए ।

पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इच्छा के आठ भेद किए हैं । मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा प्रस्तुत भेदों की अपेक्षा जैनागमों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त इच्छा-विभाग अधिक उपयुक्त एव मनो-वैज्ञानिक है ।

तल्लीन करनेवाली आत्मा की विशुद्ध परिणति या सम्यक् क्रिया ही चारित्र्य है। साधक ज्यो-ज्यो योगों अर्थात् प्रवृत्तियों का निरोध करता है, त्यो-त्यो उसकी स्व-स्वरूप में तल्लीनता बढ़ती जाती है। योगो का पूर्णतया निरोध ही चारित्र्य की उपयोगिता है। ज्ञान-दर्शन की अन्तर्मुखी प्रवृत्ति ही चारित्र्य है। कपायो और लेश्याओ से योग चञ्चल हो उठते हैं, इन दोनों से निवृत्त होते ही योग-निरोध स्वतः ही हो जाता है।

यद्यपि भावों की विशुद्धि को ही चारित्र्य कहते हैं, तथापि उसके आन्तरिक एव वाह्य भेदों से वह पाच प्रकार का है, जैसे कि— सामायिक-चारित्र्य, छेदोपस्थापनीय-चारित्र्य, परिहार-विशुद्धि-चारित्र्य, सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र्य और यथाख्यात-चारित्र्य। इनका परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है —

१ सामायिक—जिससे समत्व-योग का या रत्नत्रय का लाभ हो वह सामायिक है। सर्व सावद्य योगी का त्याग और निर्वेद्य प्रवृत्ति एव निवृत्ति का सेवन अथवा राग-द्वेष से रहित आत्मा द्वारा प्रतिक्षण अपूर्व कर्म-निर्जरा से होने वाली आत्म-विशुद्धि सामायिक है।

यो तो चारित्र्य के सभी भेद सावद्ययोग विरतिरूप हैं, इस अपेक्षा से सभी भेद सामायिक में गभित हो जाते हैं, क्योंकि छेदोपस्थापनीय आदि सभी भेदों का आधार सामायिक चारित्र्य ही है। इसके बिना अन्य चारित्र्यों का जीवन में अवतरण नहीं हो सकता। तीर्थङ्कर भी सर्व प्रथम सामायिक चारित्र्य ही ग्रहण करते हैं, अतः इसका अस्तित्व सभी तीर्थङ्करो के शासनकाल में पाया जाता है। इसे धारण किए बिना कोई भी साधक किसी अन्य चारित्र्य का अधिकारी नहीं बन सकता।

इसके भी मुख्यतः दो भेद हैं—देश-सामायिक और सर्व-सामायिक । जो दो घड़ी आदि के रूप में समय की सीमा बाधकर दो करण एवं तीन योग से सामायिक की जाती है वह देश-सामायिक है । इसका अधिकारी आदर्श गृहस्थ होता है ।

जो तीन योग और तीन करण से धारण किया जाता है तथा जिसमें समय और देश का सीमा नहीं बाधी जाती, जो ग्रहण-काल से लेकर जावन भर के लिए धारण किया जाता है—वह सर्व-सामायिक है । जो नर-नारी सर्व सामायिक को धारण करते हैं वे साधु एवं साध्वी कहे जाते हैं ।

छेदोपस्थापनीय—जिस चारित्र्य में पूर्व पर्याय का छेद एवं महाव्रतो का उपस्थापन (आरोपण) होता है, अर्थात् पूर्व पर्याय का छेद करके जो महाव्रत दिए जाते हैं, उसे 'छेदोपस्थापनीय' कहते हैं । सार्वभौम पाच महाव्रतो का पालन साधुत्व की अनिवार्य गर्त है, इनका पालन किए बिना कोई भी साधक साधु नहीं कहला सकता । पांचो महाव्रतो का परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध है । एक महाव्रत के भंग होने से सभी महाव्रत भंग हो जाते हैं और एक के दूषित होने से सभी महाव्रत दूषित हो जाते हैं । प्रसंगानुसार महाव्रतो का मक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा ।

१. प्राणातिपात-विरमण-महाव्रत—

प्राणो का अतिपात, विनाग अर्थात् अपहरण करना ही प्राणातिपात है । विरमण का अर्थ है उस प्राणातिपात से निवृत्ति, अर्थात् हिंसा से सर्वथा विरक्त होना ही पहला महाव्रत है । अहिंसा दो प्रकार की होती है—विधिरूपा और निषेधरूपा । यदि दोनों में परस्पर तुलना की जाए तो निषेधरूपा अहिंसा का क्षेत्र विशाल

है। किसी को मारना तो दूर रहा पीडा, पहुंचाना भी हिंसा ही है। दोनो क्रियाओ से दूर रहना यह निषेध-प्रधान अहिंसा है।

किसी की सेवा करना, रक्षा करना एव उसे सकटो से बचाना विधि-प्रधान अहिंसा है। निषेध-प्रधान अहिंसा ही महाव्रत है। विधि-प्रधान अहिंसा तो कुछ मर्यादाओ मे बंध कर चलना मात्र है।

वस्तुतः देखा जाए तो अहिंसा कायदे-कानूनो का धर्म नहीं है, अहिंसा दुर्बलो का मार्ग नहीं है, अहिंसा कायरो का पन्थ नहीं है, अहिंसा कोई बातो की सिद्धि नहीं है और अहिंसा किसी सम्प्रदायविशेष की अपनी निधि भी नहीं है। अहिंसा को समझने और उसका पालन करने के लिये उदार चरित्र और ज्ञान की आवश्यकता होती है। आचार और विचार मे, चरित्र और बल में, कर्तव्य और मनोभावना मे, साधक को अहिंसा का सर्वतोभावेन पालन करना हीता है। अपने भीतर निरीक्षण करने पर ही अहिंसा का पालन दृढ मन से हो सकता है। अहिंसा की आराधना के लिये मन में मैत्री, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, सहिष्णुता का होना अनिवार्य है। इनके बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने प्रति कठोर होता है वही दूसरे के प्रति उदार हो सकता है।

जब तक अहिंसक के मन मे दूसरे की फजौहत से गुदगुदी होती है, जब तक यही समझा जाता है कि उसमे अभी दुष्टता बाकी है। अहिंसा भगवती की आराधना करनेवाले साधक के लिये सब से पहले कषायो की उपशान्ति आवश्यक है, क्योंकि कषायवृत्ति का और अहिंसावृत्ति का परस्पर विरोध है।

जीवन पर्यन्त त्रस और स्थावर सभी जीवो की हिंसा से सर्वथा निवृत्त होना, न स्वयं मन से हिंसा करना, न वाणी से

हिंसा करना, न काय से किसी की हिंसा करना, दूसरो से भी मन, वाणी और काय से हिंसा न-कराना, हिंसा करनेवाले का मन-वाणी-काय से समर्थन भी न करना ही अहिंसा की पूर्ण आराधना है। इस महाव्रत की पाच भावनाएँ हैं, जैसे कि—

१. ईर्यासमिति-भावना—साधु या साध्वी को चाहिए कि चलते समय, बैठते समय, सदैव ईर्यासमिति के पालन का ध्यान रखे ईर्यासमिति के बिना जीव-हिंसा से बचना असम्भव है।

२. मनोगुप्ति—नयम-शील अप्रमत्त साधु अपने मन को शुभ प्रवृत्तियों में हो लगाए। जो साधु मनोगुप्ति पर ध्यान नहीं देता वह निश्चय ही प्राणियों की हिंसा करता है। काय-गुप्ति होते हुए भी मन की दुष्ट प्रवृत्ति कर्म-बध का कारण बन जाती है। “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः”—निश्चय ही बध और मोक्ष का कारण मन ही है, अतः मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

३. वचन-गुप्ति—अहिंसा को पापों में प्रवृत्त करनेवाली एव दूसरों को कष्ट देनेवाली ऐसी भाषा-कभी नहीं बोलनी चाहिये। जिससे किसी प्राणी की हिंसा हो, उसे कष्ट हो, क्योंकि सावध भाषा में प्रवृत्ति करने वाले से प्राणियों की हिंसा का होना अनिवार्य है।

४. आदान भण्डमात्र-निक्षेपणा-समिति—वस्त्र पात्र आदि किसी भी उपकरण को अयतना से लेने और रखने से प्राणियों की हिंसा का होना सम्भव है, अतः किसी भी वस्तु को देखकर, झाड़ कर, साफ कर यतनापूर्वक उसे ग्रहण करे और रखे, तभी इस महाव्रत की रक्षा हो सकती है।

५. आलोकित-पान-भोजन—साधु खुले मुह वाले पात्र-

मे आहार पानी ग्रहण करे, प्रकाश वाले स्थान में देखकर भोजन करे, विना देखे आहारादि ग्रहण करने वाला या उसका सेवन करनेवाला साधक प्राणियों की हिंसा से बच नहीं सकता है ।

जो साधक इन पाच भावनाओं से भावित है वही इस महाव्रत का रक्षक एव पालक है ।

२. मृषावाद-विरमण महाव्रत—

अपने लिये, पर के लिये या दोनों के लिये किसी भी स्थिति में क्रोध से, लोभ से, भय एव हंसी-मजाक में मन-वाणी और काय से स्वयं न झूठ बोलना, न दूसरो से झूठ बोलवाना और, झूठ बोलने वाले का समर्थन भी न करना, मन से सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलना और काय से सब के साथ सद् व्यवहार करना यह है उच्च साधक का दूसरा महाव्रत । मौन रखना, विकथाओं से बचना भी इस महाव्रत के अंग हैं । यदि साधक को झूठ से बचना है तो पहले उसे अत्युक्ति से बचना आवश्यक है । शास्त्र, कला और आध्यात्मिक सौंदर्य ये सब सत्य को ओर ले जाने वाली सीढियाँ हैं । सत्य उसी के हृदय में उदित होता है, जिसका जीवन परम सात्विक हो, जो रागद्वेष से रहित हो । ज्यो-ज्यो साधक सत्य की ओर बढ़ता है, त्यो-त्यो दूर की बातें उसे प्रत्यक्ष देखने लगती हैं । सत्य स्वयं भगवान है, यदि किसी ने भगवान के दर्शन करने हो तो वह सत्य के दर्शन करले, उसे भगवान के दर्शन स्वतः ही हो जायेंगे ।

असत्य नैगेटिव है, जब कि सत्य पाजिटिव है । सत्य और असत्य दोनों ही अनन्त हैं । असत्य से जब साधक पूर्णतया निवृत्त हो जाता है तब निश्चय ही उसे अखण्ड सत्य के दर्शन होने

लगते हैं। दूसरे महाव्रत की पाच भावनाएँ हैं उनके सम्यक्पालन करने से ही सत्य के दर्शन हो सकते हैं। जैसे कि—

(क) अनुविचिन्त्य भाषणता—सत्यवादी को सम्यग्-ज्ञान पूर्वक विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे बोलने वाला कभी असत्य से बच नहीं सकता।

(ख) क्रोध-विवेक—सत्यवादी को क्रोध के दुष्परिणामों को जानकर उसे छोड़ देना चाहिए। क्रोधान्ध व्यक्ति सत्य की मर्यादा का उलघन कर जाता है स्व-पर का भान उसमें नहीं रहता, वह सत्य-असत्य का विवेक खो बैठता है। अतः जब भी क्रोध आने लगे तभी उसका नियन्त्रण करना क्रोध-विवेक है।

(ग) लोभ-विवेक—मानव लोभ के बगीभूत होकर झूठ बोल जाता है, क्योंकि धन-प्राप्ति की इच्छा असत्य की सबसे प्रिय सखी है, अतः सत्यवादी को सत्य की रक्षा के हेतु लोभ से भी निवृत्त होना चाहिये। साधक के लिये सन्तोष से लोभ का नियन्त्रण करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

(घ) भय-विवेक—सत्य की रक्षा के लिये और झूठ से बचने के लिए सत्यवादी को निर्भीक रहना चाहिए। अपने प्राणों को बचाने की इच्छा सत्यव्रत को दूषित कर देती है, प्राण-भीरु साधक महाव्रतों की रक्षा नहीं कर सकता है।

(ङ) हास्य-विवेक—जिसे सत्यवादिता की रक्षा करनी है और सत्य भगवान की आराधना करनी है, उसे हंसी-मजाक छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हास्य-वश मानव बहुधा झूठ बोल जाता है। जब तक बात में झूठ की पुट न दी जाए तब तक हंसी-मजाक का रूप ही नहीं बनता है, अतः इन पाच भावनाओं से ही सत्य

की सम्यक् आराधना हो सकती है ।

३. अदत्तादान विरमण-महाव्रत—

किसी की बिना दी हुई वस्तु को भूलकर भी न उठाना या वस्तु के स्वामी की आज्ञा लिये बिना किसी वस्तु पर एव स्थान पर अपना अधिकार न जमाना, चोरी की सभी विधियों से विरक्त होना तीसरा महाव्रत है । यद्यपि चोरी के छोटे-बड़े अनेक भेद हैं, जैसे कि किसी की जेब कतरना, किसी का ताला खोलकर वस्तु उठाना, रिश्वत खाना, अमानत में खयानत करना, काला-धन कमाना, किसी की दीवार में संघ लगाना, ठग-विद्या से धन कमाना, किसी की भूमि पर पड़ी हुई वस्तु को हड़प कर लेने की वृद्धि से उठाना, यात्रियों के धन-माल को लूटना, थोड़ा काम करके अधिक लेने की इच्छा रखना, मजदूर से काम अधिक लेना और मजदूरी थोड़ी देना, किसी के लाभ में विघ्न डालना, बिना याचना किए वस्तु का उपयोग करना, शुभ काम किया किसी और ने दूसरो को यह कहना कि 'अमुक काम मैंने किया है, बटवारा ठीक न करना, समय पर काम न करना, किसी वस्तु की आज्ञा ली है किसी और काम के लिए, उसका उपयोग अन्य काम में कर लेना, ये सब चोरी के ही नाना रूप हैं । चोरी की सभी विधियों एव भेदों से पूर्णतया निवृत्ति पाकर जीवन भर के लिए मन, वचन, काया से न स्वयं चोरी करना, न दूसरे से चोरी कराना और न चोरी करने वाले का समर्थन ही करना "अदत्ता-दान-विरमण महाव्रत" है ।

यद्यपि छोटी-बड़ी चोरियों के अनगिनत भेद हैं, तथापि शास्त्रकारों ने उन सब को चार भागों में विभक्त कर दिया है, जैसे कि—द्रव्य-चोरी, क्षेत्र-चोरी, काल-चोरी, और भाव-चोरी ।

वस्तु के स्वामी की आज्ञा लिये विना या उससे याचना किए विना किसी की वस्तु का ग्रहण करना द्रव्य चोरी है ।

किसी स्थान या मकान आदि पर विना आज्ञा के बलपूर्वक आधिपत्य जमाना क्षेत्र-चोरी है ।

द्रव्य और क्षेत्र को जितने समय के लिए ग्रहण किया हो उतना समय पूर्ण होने पर भी वापिस न करना, अपने काम पर ठीक समय से न पहुंचना काल-चोरी है ।

लौकिक दृष्टि से जिस को चोरी कहते हैं, वे प्रायः द्रव्य-चोरी और क्षेत्र चोरी के ही रूप हैं । काल-चोरी भी अपेक्षा-कृत मान ली जाती है । समय पर काम न करना, समय पर कार्यालय में न पहुंचना और समय पर पारिश्रमिक न देना, समय पर कर्जा लेकर न लौटाना चोरी है ।

तप-चोर, वच-चोर, रूप-चोर, आचार-चोर और भाव-चोर, इनका भी आगमो में उल्लेख प्राप्त होता है ।^१ महाव्रती को इन की ओर भी ध्यान-देना चाहिए ।

बहुत बार नाम संमान होने से जनता भ्रम में पड़ जाती है । भ्रान्त व्यक्ति की भ्रांति को न निकालकर उसे और अधिक भ्रांति में डाल देना, दूसरे की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का प्रयत्न करना यह भी चोरी है ।

एक व्यक्ति तपस्वी होने के कारण दुर्बल है और दूसरा व्यक्ति रोगी एवं दुराचारी होने के कारण दुर्बल है । दुर्बल दोनों हैं । ऐसी दशा में अपनी रोग-जन्य एवं वासना-जन्य दुर्बलता को

१ देखो दशवंशकालिक सूत्र का ५ अ०, २ उ०, गा० ४८-४९ ।

'तपस्वी' परायणता-जन्य दुर्बलता बताना तप-चोरी है। अथवा एक साधु शरीर से दुर्बल है और दूसरा तपस्वी साधु तप-परायणता के कारण दुर्बल है, ऐसी दशा में किसी ने भ्रम से दुर्बल साधु से पूछा क्या महातपस्वी आप ही हैं? तब माया की भाषा में उत्तर देना, या मीन रहना, जिस से कि दूसरे की मिथ्याधारणा बढ़े, यह भी चोरी का ही एक रूप है।

एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, एक प्रसिद्ध वक्ता है दूसरा साधारण है। पूछने वाले ने पूछा "क्या प्रसिद्ध वक्ता या व्याख्यान वाचस्पति आप ही हैं?" यदि साधारण सत इसके उत्तर में कपट की भाषा में बोलता है, या मीन से उत्तर देता है तो यह भी वचन-चोरी का ही एक रूप है। इससे माया-चारिता बढ़ती है।

इसी तरह एक साधु, साधु बनने से पहले राजकुमार था दूसरा साधारण कुल में जन्मा था। नाम दोनों साधुओं का एक समाप्त है। किसी ने दूसरे से पूछा, "अमुक राजकुमार ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी तो क्या वे आप ही हैं? इस का उत्तर यदि वह माया की भाषा में देता है तो वह भी चोर है।

दो सन्तों का नाम समान है, उनमें एक का आचार विशुद्ध है, दूसरा साधारण आचार वाला है। किसी ने साधारण आचार वाले से पूछा "जो महात्मा उच्च संयमी हैं, क्या वे आप ही हैं?" वह यदि माया की भाषा में जवाब देता है या चुप रहता है तो वह आचार-चोर है।

किसी ने किसी बहुश्रुत से पूछा—"भते! इस पाठ की आप ने क्या धारणा की है?" ज्ञानी ने मही उत्तर दिया। पूछने वाला कहता है मेरी भी यही धारणा है, मैंने तो आप से केवल परीक्षा

के लिए पूछा था, वस्तुतः उस अर्थ को वह विल्कुल नहीं जानता था। इसको भाव-चोरी कहते हैं। इस तरह दूसरे की मान प्रतिष्ठा को लूटना भी चोरी है। ऐसी चोरी का जन्मान्तर में दुर्गतिरूप फल भोगना पड़ता है और साधक दुर्लभबोधि बन जाता है।

इस महाव्रत की आराधना तभी हो सकती है जबकि पांच भावनाओं का सम्यक् पालन किया जाय। वे पांच भावनाएँ निम्न-लिखित हैं—

(क) अवग्रहानुज्ञापना—साधु या साध्वी को चाहिए कि किसी दूसरे के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं अधिकार प्राप्त स्वामी को भली-भाँति जानकर उससे रहने के लिये स्थान की याचना करनी चाहिए, अन्यथा अदत्तादान का दोष लगना समभव है।

(ख) सीमा-परिज्ञान—अधिकारी वर्ग से उपाश्रय की सीमा को खोलकर उसका सेवन करना चाहिए। एक बार अधिकारियों द्वारा उपाश्रय की आज्ञा प्राप्त होने पर भी, उनसे बार-बार सीमा-परिमाण खोलकर अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोग एवं बुढ़ापे आदि के कारण साधु को परठने-परठाने के स्थान आदि की बार-बार आवश्यकता होती है। अदत्ता-दान दोष से बचाव के लिये अधिकारी-वर्ग एवं किसी दाता को कष्ट न हो, इस भावना की रक्षा के लिये स्थान की विधिवत् खोलकर आज्ञा प्राप्त करना साधु का कर्तव्य है। अनुमति के बिना यदि भय पूर्वक, स्थान का उपयोग किया जाएगा, तो उसे चोरी ही कहना उपयुक्त होगा।

(ग) अवग्रहानुग्रहणता—स्थान विशेष की आज्ञा लेने के

अनन्तर वहा पर रखे हुए चीकी, पट्टा, तृणादि के ग्रहण के लिए भी आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए, नहीं तो बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण और सेवन में चोरी का दोष टल नहीं सकता ।

(घ) आज्ञा-प्राप्त-साधमिकावग्रह सेवन—उपाश्रय में निवास कर रहे एक समाचारी वाले साधुओं से नियत क्षेत्र और काल के लिए स्थान या मकान की आज्ञा लेकर ही वहा रहना चाहिए तथा भोजन आदि करना चाहिए, नहीं तो चोरी के दोष से साधु अछूता नहीं रह सकता ।

(ङ) आज्ञा-प्राप्त भक्त-पान का सेवन—यथाकल्प यथासूत्र प्रासुक एषणीय आहार मिल जाने पर उस आहार को उपाश्रय में लाकर गुरु के समक्ष दिखाए बिना, आलोचना किए बिना उसका सेवन नहीं करना चाहिये । साधुओं की मडली में बैठकर सेवन करे, धर्म-साधना रूप अन्य उपकरणों का सेवन भी गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिए । बड़ो को दिखाए बिना और उनकी आज्ञा लिए बिना किसी भी वस्तु का सेवन करना चोरी है ।

४ मैथुन-विरमण-महाव्रत—

देव मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी दिव्य एव औदारिक काम सेवन का तीन योग और तीन करण से सर्वथा त्याग करना "मैथुन-विरमण-महाव्रत" है । दुराचार से पूर्णतया निवृत्ति पाना ही ब्रह्मचर्य है । वासना की तृप्ति के लिये शारीरिक मिलन को मैथुन कहते हैं । मैथुन से निवृत्त होकर आत्मावस्थित होना ही ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है—कायिक, वाचिक और मानसिक ।

विकृत मन से किसी का स्पर्श नहीं करना, विपरीत लिंगी

के साथ एक आमन पर न बैठना, किसी को वासना-लोलुप दृष्टि में न देखना और विकारी वातावरण से दूर रहना कार्यात्मक ब्रह्मचर्य है ।

विकारोत्पादक गीत एव वार्तालाप आदि न सुनना, वासना वर्धक वातचीत न करना, अश्लील भाषण न करना, कामोत्तेजक पदार्थ न खाना, खाने में संयम रखना, वाचिक ब्रह्मचर्य है । क्योंकि जिसने रसना को नहीं जीता, वह विषयों को नहीं जीत सकता । इसको अस्वाद व्रत भी कहते हैं । एक रसनेन्द्रिय को वश कर लेने से जेप सभी इन्द्रिया स्वयं वश में हो जाती हैं ।

सदैव विचारों को पवित्र रखना, पूर्वकृत भोगों का स्मरण न करना, स्वाध्याय, ध्यान एव चित्तन में मन को लगाना आदि मानसिक ब्रह्मचर्य के रूप हैं ।

काम के समान कोई व्याधि नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई आग नहीं, ज्ञान के समान कोई सुख नहीं ।

काम-वासना दूसरे सब पापों के लिए और दुखों के लिए दरवाजा खोल देती है और ब्रह्मचर्य से सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं—पापों के भी और दुखों के भी । प्रश्न-व्याकरण सूत्र के चौथे सवर द्वार में ब्रह्मचर्य को सर्वोत्तम वृत्तिसं उपमाओं से उपमित किया गया है । ब्रह्मचर्य भगवान है और ब्रह्मचर्य रूप भगवान की आराधना पांच भावनाओं से हो सकती है । वे पांच भावनाएँ निम्न-लिखित हैं .—

१. विविक्त - शयनासन - सेवन—सयम-परायण साधु या सीध्वी को ऐसे स्थान में विल्कुल नहीं ठहरना चाहिए, जो स्थान

कामोद्दीपक चित्रों से नज्जित हो, जहां गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशु रहते हो और जहां नपुंसक का निवास हो, अर्थात् जहां विपरीत लिंगी व्यक्ति रहते हो, वहां साधु को नहीं ठहरना चाहिये, जहां इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ एवं मन की वृत्तियाँ उत्तेजित हो, वहां न ठहरे। वृत्तियों को अन्तर्मुखी होने में सहयोग दे वही स्थान "विविक्त शयनासन" कहलाता है।

२. विजातीय कथा-विवर्जन—स्त्री के लिए पुरुष विजातीय है और पुरुष के लिए स्त्री विजातीय है। केवल विजातीयों में कथा नहीं करनी, एकाकी विजातीयों की सगति कभी न करे, उनके साथ बातचीत भी अधिक न करे, यह दूसरी भावना है।

३. विजातीय-इन्द्रियावलोकन-वर्जन—विजातीयों के मुख-नेत्र आदि अंगों को काम-राग की स्थिर दृष्टि से नहीं देखना चाहिये, क्योंकि उन्हें देखने से सयम को हानि पहुँचती है।

४. पूर्व-क्रोडित अननुस्मरण—गृहस्थ-अवस्था में भोगे हुए काम-भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिये। स्नान, विलेपन, केश-विन्यास आदि रूपों में शरीर की सजावट एवं वनावट में दत्तचित्त व्यक्ति का चित्त चंचल हो जाता है उसमें विकारोत्पत्ति हो जाती है। विभूषण से भी दूर रह कर ही साधु अपने शील की रक्षा कर सकता है।

५. प्रणीताहार-विवर्जन—शीलवान साधक को चाहिए कि वह थोड़ा खाए और थोड़ा ही पीए। "अप्पपिण्डासी पाण्णासी" संरस, स्निग्ध एवं पौष्टिक आहार का उपयोग न करे और प्रमाण से अधिक रुक्ष आहार भी न करे। इन पांच भावनाओं में से यदि कोई भी एक भावना निर्वल हो जाए तो ब्रह्मचर्य जीवन से निकल जाता है।

हट जाने पर परिग्रह, परिग्रह नहीं रह जाता या परिग्रहरूप जड़-चेतन से अलग होने पर राग-द्वेष मोह रूप इवन के अभाव में लालसा की आग स्वत ही शान्त होने लगती है ।

अपरिग्रह महाव्रत की भी पांच भावनाएँ हैं—उनमें से किसी एक में भी ढोल आने पर परिग्रह की भावना स्वत ही उभर आती है । पाचो भावनाएँ मुट्ट हों तो अपरिग्रह महाव्रत सुरक्षित रहता है । वे भावनाएँ निम्न-लिखित हैं —

१. श्रोत्रेन्द्रिय-रागोपरति—कानों के तीन विषय हैं—जीव-शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द । इन्द्रियो और मन के अनुकूल शब्दों पर या शब्दों के साधनों पर राग न रखना और प्रतिकूल शब्द और शब्द के साधनों पर द्वेष न करना, अपरिग्रह की पहली भावना है ।

२. चक्षुरिन्द्रिय-रागोपरति—आखों का विषय है रूप । काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, इन्हीं के मेल-जोल से हज़ारों तरह के रंग बन जाते हैं । उनमें कोई इष्ट है और कोई अनिष्ट । इष्ट रूप पर राग और अनिष्टरूप पर द्वेष न करना अपरिग्रह की दूसरी भावना है ।

३. घ्राणेन्द्रिय - रागोपरति—सूँघने वाली इन्द्रिय को घ्राणेन्द्रिय कहते हैं, इसका विषय है सुगन्ध और दुर्गन्ध । सुगन्ध वाले पदार्थों पर आसक्ति न रखना और दुर्गन्ध वाले पदार्थों पर द्वेष न करना अपरिग्रह की तीसरी भावना है ।

४. रसनेन्द्रिय-रागोपरति—रसना वह इन्द्रिय है जिससे तीखे कड़वे कसैले, खट्टे, मीठे आदि रसों का आस्वादन होता है । रस दो तरह का होता है अनुकूल और प्रतिकूल । अनुकूल

रसो-पर आसक्त न होना और प्रतिकूल रसो पर, द्वेष न करना अपरिग्रह की चौथी भावना है ।

५ स्पशनेन्द्रिय-रागोपरति—जिस इन्द्रिय मे कर्कश, सुकोमल, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, रुक्ष स्निग्ध आदि का जान हो, वह स्पशनेन्द्रिय है । हृदयानुकूल स्पर्श से राग की निवृत्ति और हृदय-प्रतिकूल स्पर्श से द्वेष की निवृत्ति का होना अपरिग्रह है ।

इन्द्रियो के इष्ट पाचो विषयो और उनके साधनो मे सभी प्रकार के परिग्रह का समावेश हो जाता है । उन पर राग-द्वेष न करना ही अपरिग्रह है । किसी इन्द्रिय-पोषक-पदार्थ से ममत्व का त्याग न करना राग है, राग से निवृत्ति पाना ही अपरिग्रह है । द्वेष राग का ही सहचारी है । जहा राग है, वहा द्वेष भी है, राग की निवृत्ति होने से द्वेष भी स्वयं निवृत्त हो जाता है । राग और द्वेष दोनो मोह की प्रकृतिया है । दोनो का साहचर्य अनादि काल से चला आ रहा है । द्वेष नौवे गुणस्थान मे क्षय हो जाता है, जबकि राग दसवें गुण स्थान तक रहता है । इससे प्रमाणित होता है कि जो वीतराग हो गया है, वह निश्चय ही वीत-द्वेष भी है । राग से उपराम या निवर्तन ही द्वेषोपराम है ।

६. रात्रि-भोजन-विरमण-व्रत—

रात्रि मे—सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद 'असणं पाण खाइम साइम' चार प्रकार का आहार-जीवन भरके लिए ग्रहण न करना, सेवन न करना, रात्रि भोजन करने का किसी को आदेश न देना और न रात्रि-भोजन करने वाले का समर्थन करना, न ही रात्रि-भोजन का उपदेश देना, साधु का कर्तव्य है । रात्रि-भोजन परित्याग भी तीन योग और तीन

५ परिग्रह-विरमण महाव्रत—

परिग्रह दो प्रकार का है—द्रव्य-परिग्रह और भाव-परिग्रह । ममत्व का कारण होने से सभी बाह्य पदार्थों का संग्रह द्रव्य-परिग्रह है । पदार्थों पर ममत्व का होना भाव-परिग्रह है । द्रव्य-परिग्रह और भाव-परिग्रह दोनों के त्याग से साधक अपरिग्रही बन सकता है । इन दोनों में भाव परिग्रह की मुख्यता है । उसके निवृत्त होने पर साधक शरीर एवं घर्मोपकरण रखता हुआ उन्हें धारण करता हुआ भी अपरिग्रही माना जाता है ।

नौ प्रकार का बाह्य परिग्रह और चौदह प्रकार का आभ्यन्तर परिग्रह होता है । जैसे कि—खेत, मकान, दुकान आदि वस्तु सोना, चादी, मणि-रत्न, नौकर-चाकर, पशुधन, धन-धान्य, पीतल, ताम्बा, लोहा आदि धातुओं का संचय बाह्य परिग्रह है । ये सब पदार्थ ममत्व के कारण हैं, इनके लिए मानव इधर-उधर दौड़ घूम करता है । साधना-शील व्यक्ति इनको जीवन के लिये साधन मानता है और परिग्रह-प्रिय व्यक्ति उनके लिये जीवन मानता है । दोनों में यही अन्तर है । जड और चेतन, कनक और कामिनी, स्वजन और परिजन, यान-वाहन, दास-दासी, गाय, भैंस आदि सब परिग्रह के अंग हैं । इन्हें पाने की इच्छा रखना, इनके संग्रह के लिये यत्नशील रहना, संगृहीत पदार्थों पर ममत्व रखना, इस प्रकार सासारिक पदार्थों सम्बन्धी इच्छा, संग्रह और मूर्च्छा-ममता ये सब परिग्रह के ही रूप हैं । ममत्व के हट जाने पर इच्छा और संग्रह की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है ।

आभ्यन्तर परिग्रह के चौदह रूप हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, वेद, अरति, रति, हास्य, शोक, भय और जुगुप्सा अर्थात् घृणा ये सब आभ्यन्तर परिग्रह के रूप हैं ।

वस्तु चाहे सख्या मे स्वरूप है या बहुत, कीमत मे या परिमाण में वह अणु हो या स्थूल, सचित्त हो या अचित्त, उस पर से ममत्व को हटाना विचारो मे भी ममत्व को न आने देना, आभ्यन्तरिक अपरिग्रह है। मन, वचन और काया से किसी भी प्रकार का परिग्रह न रखना न दूसरो से रखवाना और परिग्रह रखने वाले का समर्थन भी न करना अपरिग्रह-व्रती का कर्तव्य बताया गया है।

जैसे आस की बूदो से कुआ नही भरता, वैसे ही लोभी और लालची का मन दुनिया की चीजो से नही भरता। गृहस्थो के लिए परिग्रह चाहे भूषण रूप हो, किन्तु साधुओ के लिए वह दूषण है। अनासक्ति की सच्ची परीक्षा—हानि, कष्ट, त्याग, अपमान के समय या अपनो के वियोग के समय ही होती है। ममत्व और अनासक्ति के झगडे मे ससारी जीवो का ममत्व ही जीतता है। इससे दुनिया-दारी और अभिमान खुश हो जाते है, किन्तु मोहान्ध व्यक्ति अपने को गड्ढे मे गिरा हुआ पाता है, और जब साधक की अनासक्ति विजयी होती है, तब आत्मा की प्रफुल्लता, एव आध्यात्मिक मस्ती बढ़ती है। भारतीय सस्कृति मे सदा त्याग, आत्म-विजय, आत्मानुशासन और प्रेम की अविच्छिन्न धाराए वही है, इस सस्कृति के उपासको ने जब भोग मे सुख नही देखा, तब त्याग के मार्ग को अपनाया, जब दूसरे जीते नही गए तब अपनी ओर ध्यान खीचा, उनमे आत्म-विजय की सूझ-बूझ जागो, जब हकूमत बुराइयां नही मिटा सकी, तब आत्मानुशासन का ध्यान आया, जब आग से आग अर्थात् द्वेष से द्वेष शात नही हुआ, तब प्रमत्त से द्वेष की आग बुझाने की रीति अपनाई।

परिग्रह राग-द्वेष का मूल कारण है। राग-द्वेष और मोह के

हट जाने पर परिग्रह, परिग्रह नहीं रह जाता या परिग्रहरूप जड-चेतन से अलग होने पर राग-द्वेष मोह रूप ईश्वर के अभाव में लालसा की आग स्वतः ही शान्त होने लगती है ।

अपरिग्रह महाव्रत की भी पाच भावनाएँ हैं—उनमें से किसी एक में भी ढील आने पर परिग्रह की भावना स्वतः ही उभर आती है । पाचों भावनाएँ मुट्ठ हो तो अपरिग्रह महाव्रत सुरक्षित रहता है । वे भावनाएँ निम्न-लिखित हैं —

१. श्रोत्रेन्द्रिय-रागोपरति—कानों के तीन विषय हैं—जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द । इन्द्रियो और मन के अनुकूल शब्दों पर या शब्दों के साधनों पर राग न रखना और प्रतिकूल शब्द और शब्द के साधनों पर द्वेष न करना, अपरिग्रह की पहली भावना है ।

२. चक्षुरिन्द्रिय-रागोपरति—आँखों का विषय है रूप । काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, इन्हीं के मेल-जोल से हजारों तरह के रंग बन जाते हैं । उनमें कोई इष्ट है और कोई अनिष्ट । इष्ट रूप पर राग और अनिष्टरूप पर द्वेष न करना अपरिग्रह की दूसरी भावना है ।

३. घ्राणेन्द्रिय-रागोपरति—सूँघने वाली इन्द्रिय को घ्राणेन्द्रिय कहते हैं, इसका विषय है सुगन्ध और दुर्गन्ध । सुगन्ध वाले पदार्थों पर आसक्ति न रखना और दुर्गन्ध वाले पदार्थों पर द्वेष न करना अपरिग्रह की तीसरी भावना है ।

४. रसनेन्द्रिय-रागोपरति—रसना वह इन्द्रिय है जिससे तीखे, कड़वे, कसैले, खट्टे, मीठे आदि रसों का आस्वादन होता है । रस दो तरह का होता है अनुकूल और प्रतिकूल । अनुकूल

रसो-पर आसक्त न होना और प्रतिकूल रसो पर द्वेष न करना अपरिग्रह की चौथी भावना है ।

५. स्पशनेन्द्रिय-रागोपरति—जिस इन्द्रिय से कर्कश, सुकोमल, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध आदि का ज्ञान हो, वह स्पशनेन्द्रिय है । हृदयानुकूल स्पर्श से राग की निवृत्ति और हृदय-प्रतिकूल स्पर्श से द्वेष की निवृत्ति का होना अपरिग्रह है ।

इन्द्रियो के इष्ट-पाचो विषयो और उनके साधनो मे सभी प्रकार के परिग्रह का समावेश हो जाता है । उन पर राग-द्वेष न करना ही अपरिग्रह है । किसी इन्द्रिय-पोषक-पदार्थ से ममत्व का त्याग न करना राग है, राग से निवृत्ति पाना ही अपरिग्रह है । द्वेष राग का ही सहचारी है । जहा राग है, वहां द्वेष भी है, राग की निवृत्ति होने से द्वेष भी स्वयं निवृत्त हो जाता है । राग और द्वेष दोनो मोह की प्रकृतिया है । दोनो का साहचर्य अनादि काल से चला आ रहा है । द्वेष नीचे गुणस्थान मे क्षय हो जाता है, जबकि राम-दसवे गुण स्थान तक रहता है । इससे प्रमाणित होता है कि जो वीतराग हो गया है, वह निश्चय ही वीत-द्वेष भी है । राग से उपशम या निवर्तन ही द्वेषोपराम है ।

६. रात्रि-भोजन-विरमण-व्रत—

रात्रि मे—सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद 'असण पाण खाइम साइम' चार प्रकार का आहार जीवन भर के लिए ग्रहण न करना, सेवन न करना; रात्रि भोजन करने का किसी को आदेश न देना और न रात्रि-भोजन करने वाले का समर्थन करना, न ही रात्रि-भोजन का उपदेश देना, साधु का कर्तव्य है । रात्रि-भोजन परित्याग भी तीन योग और तीन करण योग । एक चिन्तन]

से होता है। यह व्रत मूलगुण रूप पाच महाव्रतो और तपस्या आदि उत्तरगुण दोनो का स्पर्ग करता है। यह व्रत अहिंसा आदि सभी महाव्रतो का पूरक एव पोषक है।

रात्रि-भोजन-परित्याग से होने वाले लाभ—

कोई भी व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है। रात्रि भोजन से निवृत्ति होने पर साधक को किन-किन गुणों की प्राप्ति होती है ? यह विचारणीय प्रश्न है। विचारशील मुनीश्वरो का कथन है कि रात को यदि आहार न किया जाए तो अनन्त जीवो को अभयदान मिलता है। जो सूक्ष्म जन्तु रात को नजर नहीं आते, उनकी रक्षा रात्रि मे भोजन एवं पान के त्याग से स्वयं ही हो जाती है। रात्रि-भोजन के त्याग का सभी तीर्थङ्करो ने एक स्वर से समर्थन किया है।

रात्रि भोजन के त्याग से नित्य ही तप का लाभ होता है, क्योंकि इससे तीस अहोरात्र मे से पन्द्रह दिवस तप हो जाता है और कहा भी जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रात्रि-भोजन कभी नहीं करते; उनका एक पक्ष का उपवास भी मासीपवास का फल देता है^१। अहिंसा महाव्रत की रक्षा भी हो जाती है। खाने-पीने की कोई भी वस्तु रात को अपने पास नहीं रखना, इससे अहिंसा व्रत भी निर्दोष रहता है और अहिंसा भी। जैनतर सस्कृतियों मे भी रात्रि-भोजन का निषेध किया गया है—रात्रि मे हवन करना, स्नान करना, श्राद्ध करना, देव-पूजन करना और दान देना ता-

१ ये रात्रौ सर्वदाऽऽहार, वर्जयन्ति मुमेधस ।

तेषा पक्षोऽवासस्य, फलमासे न जायते ॥

निषिद्ध है ही, भोजन तो विशेषकर वर्जित है ।^१

रात्रि-भोजन से हानियां—

रात को भोजन करते समय यदि कीटी खाने में आ जाए तो बुद्धि का नाश होता है, जू खाए-जाने पर जलोदर रोग हो जाता है, मक्खी खाने पर उल्टी आ जाती है, मकड़ी खाने पर कोढ़ पैदा हो जाता है, काटा या डका खाने में आ जाए तो गले में पीड़ा हो जाती है, मच्छर खाने में आ जाए तो सन्निपात का रोग हो जाता है, बिच्छू का भक्षण तालु में घाव कर देता है और यदि बाल गले में फंस जाए तो कठ का माधुर्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि रात्रि में ऐसे जीवों की हिंसा बहुतायत से होती है और रात्रि के समय भोजन में ऐसे जीवों के पड जाने की सम्भावना भी अधिक रहती है, अतः रात्रि-भोजन शरीर के लिए अत्यन्त हानिकारक है ।^२

रात्रि-भोजन अनेक दृष्टियों से हानिप्रद है । रात्रि-भोजन अधा खाना है । इसकी निवृत्ति से मूलगुण और उत्तरगुण दोनों की पुष्टि होती है । अतः यह व्रत भी चारित्र्य का ही अंग है ।

जब तेईसवे तीर्थङ्कर के साधु-साध्वी चौबीसवे तीर्थङ्कर के शासन में प्रवेश करते हैं, तब निरतिचार छेदोपस्थापनीय

- १ नैवाहुतिर्न च स्नानं, न श्राद्धं देवताचर्चनम् ।
- दानं न द्विहितं रात्रौ, भोजनं तु विशेषतः ॥
२. मेघा पिपीलिकाहन्ति, यूका कुर्याज्जलोदरं ।
कुरुते मक्षिका वाति कुण्ठ-रोगं च मूतिका ॥
- कटको दारुखण्डं च, वितेनोति गले व्यथा ।
- मशकः सन्निपातं च, तालुं विध्यति वृषिकः ॥ (योगशास्त्र)

चारित्र्य दिया जाता है। इससे विपरीत मूलगुणों को दूषित करने वाले सर्वविरति साधक को सात्विचार छेदोपस्थापनीय चारित्र्य दिया जाता है।

परिहार-विशुद्धि चारित्र्य—परिहार का अर्थ है विशिष्ट तप, जिस तपोमयी अवस्था में रहकर साधक विशिष्ट तप द्वारा चारित्र्य की विशुद्धि करता है, अथवा जिसमें अनेपणीय आहार आदि का विशेष रूप से त्याग किया जाता है, वह 'परिहार-विशुद्धि चारित्र्य' है। इसका अस्तित्व पहले और चौबीसवें तीर्थङ्करो के शासन-काल में ही पाया जाता है। जिसने पहले कभी परिहार-विशुद्धि-चारित्र्य अंगीकार किया हो, उस साधु के सान्निध्य में इस चारित्र्य को धारण किया जाता है। नव साधुओं का एक गण बनना है, वह गण परिहार-तप अंगीकार करता है। वे तपस्वी-साधु तीन भागों में बंट जाते हैं, जैसे कि पारिहारिक, आनुपारिहारिक और कल्पस्थित गुरु। जो चार साधु पहले छः महोने तप करते हैं, वे पारिहारिक, उनकी सेवा में रहने वाले चार साधु आनुपारिहारिक कहलाते हैं, जिसकी आज्ञा एवं साक्षी से, आलोचना वन्दना पञ्चक्खाण, स्वाध्याय आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, वह कल्पस्थित गुरु कहलाता है।

पारिहारिक साधु ग्रीष्म ऋतु में जघन्य एक उपवास, मध्यम वेला, उत्कृष्ट तेला तप करते हैं। शीतकाल में जघन्य वेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चीला तप करते हैं। वर्षा-काल में जघन्य तेला, मध्यम चीला और उत्कृष्ट पचीला तप करते हैं। छ मास पूर्ण होने के अनन्तर ही पारिहारिक आनुपारिहारिक बन जाते हैं और आनुपारिहारिक पारिहारिक बन जाते हैं। बारह मास बीत जाने पर कल्पस्थित गुरु पारिहारिक बन जाता

है, जेप आठ मे से एक कल्पस्थित गुरु और सात साधु आनुपारि-
हारिक बन जाते हैं। इस क्रम से परिहार-विशुद्धि-चारित्र की
आराधना मे कुल अठारह मास लगते हैं। परिहार-तप पूर्ण होने
पर उनकी तीन गतिया होती हैं, उसी तप को वे पुन भी धारण
कर लेते है, जिन-कल्पी भी बन जाते है, और पुन वापिस उस
गच्छ मे भी सम्मिलित हो जाते है, जिस गण से वह निकला होता है।

सूक्ष्म-संपराय—सम्पराय का अर्थ है कपाय। जिस चारित्र
मे सज्वलन लोभ का उदय सूक्ष्म रूप से होता है, वह सूक्ष्म-
सम्पराय-चारित्र कहलाता है। इस चारित्र का सद्भाव दसवे
गुणस्थान मे होता है। इसके दो रूप है—विशुध्यमान-सूक्ष्म-संपराय
और संक्लश्यमान-सूक्ष्म-संपराय। क्षपक श्रेणि या उपशम श्रेणि
में आरोहण करने वाले साधु के भाव उत्तरोत्तर विशुध्यमान होते
जाते हैं, अतः उसका चारित्र विशुध्यमान-सूक्ष्म-सम्पराय होता है।
जब कोई साधक किसी श्रेणि से नीचे अवतरण करता है तब दसवे
गुणस्थान मे उसका चारित्र संक्लश्यमान सूक्ष्म संपराय होता
है। इसमे वर्धमान या हीयमान परिणाम होते हैं, अवस्थित नही।
दोनों अवस्थाओं में साकारोपयोग होता है।

यथाख्यात-चारित्र—जिस साधु के परिणाम अतिविशुद्ध
हों अथवा जिसमे मोह की सभी प्रकृतिया उपशम हो गई हो
या सर्वथा प्रक्षीण हो गई हो, उसका चारित्र यथाख्यात-चारित्र
होता है। इस चारित्र मे गुणलघ्यान एव वीतरागता की अभि-
व्यक्ति होती है। इसके भी दो रूप है—छाद्यस्थिक वीतरागता और
और केवली वीतर गता। ग्यारहवे और बारहव गुण स्थान मे
छाद्यस्थिक वीतरागता होती है। तेरहवे और चौदहवे गुणस्थान
मे केवली वीतरागता होती है। इस तरह यथाख्यात-चारित्र

अन्तिम के चार गुणस्थानों में पाया जाता है। छठे से दसवें गुण-स्थान तक 'सराग-सयम' होता है, 'वीतराग-संयम' नहीं।

सामायिक चारित्र्य सभी चारित्र्यों को आधार-भूमि है। इसके बिना छेदोपस्थापनीय चारित्र्य नहीं, छेदोपस्थापनीय के बिना परिहार-विशुद्धि-चारित्र्य नहीं। सामायिक-चारित्र्य के बिना मूढम-संपराय - चारित्र्य नहीं, मूढम - संपराय - चारित्र्य के बिना यथाख्यात-चारित्र्य नहीं। आदि के दो चारित्र्यों के द्वारा साधक के मूढ परिणाम-भाव तंत्रे गुणस्थान तक का स्पर्श कर सकते हैं। तीसरे चारित्र्य के माध्यम से साधक के विशुद्ध परिणाम अधिक से अधिक सातवें गुणस्थान तक गति कर सकते हैं। क्षपक-श्रेणि या उपमम श्रेणि की रचना परिहार-विशुद्धि चारित्र्य में नहीं होती। पहले के दो चारित्र्यों में रहते हुए साधक श्रेणी की रचना कर सकता है। चौथा चारित्र्य तो केवल दसवें गुणस्थान में ही पाया जाता है, अन्य गुणस्थानों में नहीं। जहां कयनी और कर्णा एक समान ही, वह यथाख्यात-चारित्र्य है। इसमें वर्तमान साधक जैसे कहता है, वैसे ही करता है। जब उसकी अन्तर्मुखी वृत्तियां अपने आप में पूर्ण हो जाती हैं, तब उस निष्प्रकंप अवस्था का नाम ही यथाख्यात-चारित्र्य है। इसका अस्तित्व वीतरागता में पाया जाता है। आत्मा की पूर्णतया निष्प्रकंप अवस्था इस अयोगि-केवलि-गुणस्थान में होती है, जहां से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। मूलगुण-प्रत्याख्यान सभी चारित्र्यों में अनुस्यूत रहता है।

अणुव्रत—

महाव्रतों की तरह अणुव्रत भी मूलगुण-प्रत्याख्यान हैं। महाव्रतों की अपेक्षा जो व्रत छोटे हैं उन्हें अणुव्रत कहते हैं, जिन

से जीवन लोक-व्यवहार में प्रामाणिक बन जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार एवं तृष्णा का अस्तित्व जिसमें न हो, जिसमें सूक्ष्म पापों से तो नहीं, मोटे पापों से बचाव हो, उसे भी मूलगुण पञ्चक्खान कहा जाता है।

१. स्थूल-प्राणातिपात का पञ्चक्खान—सकल्प-पूर्वक किसी निरपराधी को मारना, उसे तंग करना और विपत्ति में डालना मोटी हिंसा है। उसका त्याग करना, "स्थूल प्राणातिपात-विरमण व्रत" है।

२. स्थूल-मृषावाद का पञ्चक्खान—किसी की धरोहर न दवाना, झूठी गवाही न देना, किसी कन्या या पशु के निमित्त कभी झूठ न बोलना, दूसरा श्रणुव्रत है।

३. स्थूल-अदत्तादान का पञ्चक्खान—किसी की निधि को खोद कर निकालना, गाठ खोलकर वस्तु निकाल लेना, जेब काटना, बिना आज्ञा के चाबी लगाकर ताला खोलना, मार्ग में चलते हुए को लूटना, स्वामी का पता होते हुए भी पड़ी हुई किसी वस्तु को उठा लेना, स्थूल चोरी है। उसका त्याग करना "मूलगुण-पञ्चक्खान" है।

४. स्वदार-सन्तोषित-व्रत—जिसके साथ विवाह हुआ है। उसी स्त्री पर सन्तोष करना, परस्त्री-गमन, वेश्या-गमन आदि दुराचारों का त्याग करना एवं अल्प सन्तान की कामना रख कर पुण्य-दिवसों को छोड़कर उदित-वेद-शमन में प्रवृत्त होना—आदि इस व्रत के ही अनेक रूप हैं।

५. इच्छा-परिमाण-व्रत—अनावश्यक जड़-चेतन पदार्थों का, घन-धान्य का, सोना-चादी का, नौकर-चाकर रखने का और

गाय-भैस, घोडा-ऊट आदि पशु-रखने का, खेत, मकान, दुकान, आदि रखने की सीमा का बन्धन करना- इच्छा-परिमाण व्रत है। गृहस्थ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उक्त पदार्थों की मर्यादा करता है, इच्छाओं को सीमित करता है, अन्याय-अनीति-अत्याचार से द्रव्य का उपार्जन नहीं करता, धर्म से आजीविका कमाता है, रिश्वत नहीं लेता, काला धन नहीं कमाता, यही उसका इच्छा-परिमाण-व्रत है। अहिंसक, जबान का सच्चा, हाथ का सुच्चा, और लंगोट का 'पक्का' होता है। उपर्युक्त गुणों को धारण कर और सतोष तथा उदारता से धर्म-दान देना जीवन-उत्थान का मूल मन्त्र है। मूलगुणों से मानव सर्व-पूज्य बन जाता है।



२४. उत्तरगुण-प्रत्याख्यान

जिस त्याग से उत्तर गुणों की वृद्धि हो, जो त्याग मूल-गुणों का पोषक, रक्षक एवं सवर्धक हो, वह उत्तरगुण-पञ्चकखाण कहलाता है। जैसे खेती के बिना बाढ़ की सार्थकता नहीं होती, उसकी सार्थकता खेती के होने पर ही है। जैसे धन के बिना तिजोरी निरर्थक है, जब वह धन की रक्षा करती है तभी उसकी सार्थकता है। जैसे अन्दर-बाहर दृढ पलस्तर लगाने से मकान की रक्षा भी होती है और उस की सुन्दरता भी बढ़ जाती है, जैसे ग्रीष्म काल में जल-घट को ठण्डे वातावरण में रखने से कुछ देर के बाद जल-स्त्रय ही ठण्डा हो जाता है, वैसे ही मूलगुणों का पोषण, रक्षण एवं सवर्धन उत्तरगुणों से होता है। उत्तरगुण-तपविशेष है, सयम की शोभा तप से है और तप की शोभा सयम-से है। सयम के बिना तप बाल-तप है। तप के बिना सयम सुरक्षित नहीं रह सकता। सयम-साधु-जीवन का अभिन्न अङ्ग है, उसके बिना साधु साधु ही नहीं रह जाता, किन्तु तप यथाशक्ति देश और काल की सीमा बाध कर किया जाता है। जीवन भर के लिये साधना में सलभ रहना ही सयम है, कभी कभी विशेष विधि से जप, ध्यान और स्वाध्याय करना और खाने-पीने का त्याग करना तप है। सयम की मूलगुण कहते हैं और तप को उत्तर-गुण कहा जाता है। सयम आती हुई बुराई को रोकता है और तप के

द्वारा पूर्वकृत कर्मों का क्षय किया जाता है। सब प्रकार की इच्छाओं का निरोध और खान-पान में सन्तोष एव नियमितता रखना तप है। बड़ो की इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार चलना विनय है और अपनी इच्छा का निरोध करना संतोष है। सन्तोष एव गान्ति ही सबसे बड़ा तप है। यद्यपि आगमो मे वाह्य तप के छ भेद वर्णित हैं, तथापि इस प्रसंग मे उनका विवरण नई रीति एवं नई शैली से किया गया है, संख्या भी उनकी दस बतलाई गई है। अतः उन्हें दशविध पञ्चक्खाण भी कहते हैं जैसे कि —

१. अनागत प्रत्याख्यान—भविष्य मे किए जाने वाले तप को पहले ही कर लेना अनागत तप है, अर्थात् महीना, तिथि, वार, नक्षत्र या पर्व के दिन यदि किसी साधु ने उपवास, आयम्बिल, वेला, तेलादि विशिष्ट तप करने की प्रतिज्ञा कर रखी हो, यदि वह कारण वश उस तप की आराधना पहले ही कर लेता है तो उसे अनागत तप कहते हैं। जैसे कि किसी तपशील साधक की आचार्य, तपस्वी, ग्लान आदि की सेवा करने के लिये नियुक्ति होने वाली है, तो वह यह समझ कर कि तपस्या और सेवा एक साथ होनी कठिन हैं, अतः वह उस तपस्या की आराधना समय आने से पूर्व ही कर लेता है और बाद में निश्चिन्त होकर सेवा मे सलग्न हो जाता है। तप की इस विधि को अनागत कहा जाता है।

२. अतिक्रान्त-प्रत्याख्यान—नियत किये हुए उपर्युक्त महीनो और दिनो मे आपवादिक स्थिति उपस्थित होने पर यदि उस समय साधु तप न कर सके तो उसी तप को बाद मे यदि करे, तब उस तप-विशेष को अतिक्रान्त तप कहते हैं।

३. कोटि-सहित प्रत्याख्यान—जब एक पञ्चक्खाण की समाप्ति

और दूसरे पञ्चक्खान का आरम्भ किया जाए, वह कोटि-सहित तप कहलाता है। जैसे कि—रत्नावली, मुक्तावली, कनकावली आदि तपो की जहा पूर्णता होती है, दूसरी बार यदि उसी तप की आराधना करनी हो तो वह वही से प्रारम्भ किया जाता है। उपवास से उस की पूर्णता होती है और उपवास से ही प्रारम्भ होता है—तपस्या की इस विधि को कोटि सहित तप कहते हैं।

४. नियन्त्रित प्रत्याख्यान—जिसने प्रत्येक मास में, जितने दिन तप करने का समय निश्चित किया हुआ है, उसके द्वारा उसी तिथि में उतने काल के लिए वह तप अवश्य करना नियन्त्रित तप है। जो तप अङ्गीकार किया हुआ है वह अवश्य ही करना, भले ही शरीर में भयकर पीडा हो जाए, भले ही विहार करना पड़े, या सेवा में लीन रहना पड़ या अन्य कोई विघ्न-बाधा उपस्थित हो जाए, प्राणों को रहते हुए उसे न छोड़ना नियन्त्रित तप है। इसकी आराधना वज्र-ऋषभ-नाराच-सहनन वाले जिन-कल्पी, पूर्वधर श्रुत-केवली ही कर सकते हैं।

५. सागर-प्रत्याख्यान—आगार-सहित पञ्चक्खान को सागर-प्रत्याख्यान कहते हैं। किसी-किसी तप में आगार अर्थात् अपवाद रखे जाते हैं। उन अपवादों में से किसी एक के उपस्थित होने पर भी त्यागी हुई वस्तु का समय पूरा होने से पहले भी यदि वह वस्तु काम में लेली जाए तो पञ्चक्खान-भंग नहीं होता। अन्नत्यगा भोगेण, सहसागारेण, सव्वसमाहिवत्तियागारेण, महत्तरागारेण, परिट्ठावणियागारेण—इत्यादि अनेक आगार तप में रखे जाते हैं। तप की इस विधि को सागर-प्रत्याख्यान कहते हैं।

६ अनागार-प्रत्याख्यान—जिस पञ्चक्खान में किसी भी

प्रकार का आगार नहीं रखा जाता, चाहे कितनी ही विघ्न-
 वाधाएँ आएँ, किन्तु साधक प्रत्याख्यान को भग नहीं करता, उसे
 अनागार प्रत्याख्यान कहते हैं। अनाभोग और सहसाकार तो
 उसमें भी होते हैं, क्योंकि बिना उपयोग के अगुली आदि मुह में
 पड़ जाने से यदि आगार न हो तो पच्चक्खाण के भग होने की
 संभावना रहती है।

७. परिमाणकृत-प्रत्याख्यान—जिस प्रत्याख्यान में दत्तियों
 की संख्या, कवलो की सख्या, घरो की सख्या, भिक्षा का परिमाण
 या भोज्य एव पेय द्रव्यों की मर्यादा की जाती है वह परिमाण-
 कृत-प्रत्याख्यान कहलाता है।

८. निरवशेष-प्रत्याख्यान—काल-मर्यादा रखकर चतुर्विध
 आहार का सर्वथा परित्याग करना, सथारा करना, किसी भी
 आहार या आगार की छूट न रखना निरवशेष प्रत्याख्यान
 कहलाता है।

९. सकेत-प्रत्याख्यान—नवकारसी, पोरसी, उपवास आदि का
 नियत समय पूर्ण हो जाने के बाद तपश्चर्या करने वाला साधक
 जब तक अशन आदि का सेवन न करे तब तक पच्चक्खाण में
 रहने के लिए उसे किसी तरह का सकेत कर लेना चाहिए, उसके
 लिए ग्रंथकारों ने अनेक सकेत बतलाए हैं, जैसे कि अंगुष्ठ, मुण्ठी,
 ग्रयी, गृह, स्वेद, उच्छ्वास, स्तिबुक, दीपक इत्यादि अनेक तरह
 के सकेत हो सकते हैं। इनमें से किसी भी सकेत को मानकर खाने-
 पीने का पच्चक्खाण किया जा सकता है। जैसे कि—

अंगुठी - जब तक दाएँ हाथ की अमुक अगुली में यह अगुठी
 रहेगी, तब तक खाने-पीने का पच्चक्खाण किया जाता है।

मुट्टि—मुट्टी बंद करके यह निश्चय करे कि जब तक यह मुट्टी नहीं खोलूंगा, तब तक मेरा खान-पान का पचचक्खाण है।

ग्रंथि—किसी कपड़े में गांठ लगाकर मन में निश्चय कर लेना कि जब तक गांठ नहीं खोलूंगा, तब तक पारणा नहीं करूंगा, यह ग्रंथि-सकेत-पचचक्खाण है।

गृह—मन में निश्चय कर लेना कि जब तक घर में प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक तपस्या का पारणा नहीं करूंगा।

स्वेद—मन में यह निश्चय कर लेना कि जब तक तन पर से पसीना नहीं सूखेगा, तब तक मेरा खान-पान का पचचक्खाण रहेगा।

उच्छ्वास—जब तक अमुक सख्या की पूर्ति सासों से नहीं होगी, तब तक खाने-पीने का त्याग रखूंगा।

स्तिबुक—अमुक स्थान में पड़ी हुई पानी की बूंदें जब तक सूख नहीं जाएंगी, तब तक खाने-पीने की वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा।

दीपक—जब तक यह दीपक प्रज्वलित रहेगा, तब तक मेरा पचचक्खाण है।

दर्शन—जब तक गुरुदेव के दर्शन न करूंगा, तब तक तपस्या का पारणा नहीं करूंगा।

नित्य-नियम—जब तक अमुक मंत्र का स्मरण न कर लूंगा, अमुक स्तोत्र का पाठ न कर लूंगा, अमुक ग्रन्थ का स्वाध्याय न कर लूंगा, माला या आनुपूर्वी न पढ़ लूंगा, तब तक खान-पान का उपभोग नहीं करूंगा।

ग्राम—जब तक उस ग्राम में न पहुंच जाऊंगा, तब तक मार्ग

में खान-पान का त्याग रखूंगा ।

आदेश—जब तक कोई मुझे पारणा करने के लिए नहीं कहेगा, तब तक पञ्चक्खाण रखूंगा ।

इस प्रकार अनेको संकेत हो सकते हैं । इन में से कोई सा भी संकेत साधक कर लिया करते हैं । इससे खाने-पीने की बेसव्री एव व्याकुलता नहीं बढ़ती, नहीं तो साधक स्वयं वस्तु के यथा-समय न मिलने से व्याकुल हो सकता है, या गुस्से में आकर यथासमय वस्तु न मिलने पर दूसरो को भी व्याकुल कर सकता है । अतः पारणे वाले दिन भी सवर एव सतोष से समय-यापन करे, यही संकेत प्रत्याख्यान का उद्देश्य है ।

१० अद्धा-प्रत्याख्यान—काल को लक्ष्य में रखकर पञ्च-क्खाण करना अद्धा प्रत्याख्यान है । इसके भी अनेक भेद हैं, उनके नाम और विवेचन इस प्रकार है :—

(अ) नमस्कार-सहित—सूर्य के उदय-काल से लेकर दो घड़ी तक अर्थात् मुहूर्त भर के लिए नमस्कार मंत्र पढ़े बिना आहार ग्रहण नहीं करना । इसी का अपर नाम नवकारिसी भी है, जिस के अन्त में नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया जाता है वह नवकारिसी है ।

(आ) पौरुषी—सूर्य के उदय-काल से लेकर एक पहर दिन चढ़े तक सभी प्रकार के आहार का त्याग करना पौरुषी प्रत्याख्यान कहलाता है । पुरुष की छाया प्रातः घटते-घटते जब अपने शरीर प्रमाण रह जाती है, तब उसे पौरुषी कहते हैं । पौरुषी तप भी यथागम्य करना चाहिए ।

(इ) पूर्वार्ध—प्राकृत भाषा में इसे पुरिमड्ड कहते हैं। दिन के चार पहर होते हैं। दो पहर की पूर्णता सदैव साढ़े वारह बजे होती है। इसी को दिन का पूर्वार्ध भी कहते हैं। दो पहर तक सभी प्रकार के आहार का त्याग करना पूर्वार्ध प्रत्याख्यान कहलाता है।

(ई) एकाशना—दिन में एक बार भोजन करना। इस तप में कम से कम पौरुषी के बाद ही एक बार भोजन करने की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। एकाशना में या बियासना में साधक भोजन करते समय अशन-पान, खादिम, स्वदिम आदि चारों प्रकार का आहार कर सकता है। उसके बाद सभी तरह के आहार का त्याग करना होता है।

(उ) एक-स्थान—इसका भावार्थ है दिन में एक ही आसन से और एक ही बार भोजन करना। दाहिने हाथ एवं मुख के अलावा शेष सब अंगों को हिलाए बिना ही भोजन करना, वह भी एक ही बार। भोजन करते समय जिस अंग-विन्यास से बैठा है उसी आसन से बैठना और पानी भी उसी आसन से बैठे हुए पीना एक-स्थान-तप है।

एकाशना में भोजन करते समय सुन्न पड़ जाने से हाथ-पैर आदि अंगों को बैठे बैठे सिकोडना-पसारना, शरीर का आगे-पीछे हिलाना-डुलाना किया जा सकता है, जब कि एक स्थान में ये सब क्रियाएँ बंद करके काय-गुप्ति के साथ भोजन करना प्रवृत्त है। यह तप करना भी कोई साधारण काम नहीं है।

(ऊ) आचाम्न—आयविल में दूध, दही, घी, तेल, गुड, शक्कर, खाड़, पक्वान्न आदि किसी भी तरह का स्वादु भोजन

नहीं किया जाता है, दिन में एक ही बार रुकें, नीरस भोजन करना होता है। रुखा फुनका या सतू या एक जाति के भुन्ने दोने इनमें से किसी एक के द्वारा आयविल करने का विधान है। एकाशना और एक स्थान तप की अपेक्षा आयविल तप का विशेष महत्त्व है। यह तप जितेन्द्रिय बनने का पाठ सिखाता है। यह रसनेन्द्रिय को संयम की ओर ले जाने वाला तप है। खाने के लिए बैठ कर भी मन पसन्द आहार न करना महान् तप है।

(ए) उपवास—जिस तप में साधक खान-पानादि का त्याग करके अन्तिम-अवस्थित होने का प्रयास करता है, उसे उपवास कहते हैं। इसके दो भेद हैं—चतुर्विध आहार का त्याग और त्रिविध आहार का त्याग। उपवास दोनों में से कोई भी हो, उस से सग्रम की पुष्टि होनी चाहिये, कपायों की मदता हो, मन निर्विकार हो जाए, तभी वह उपवास कहा जाता है। उपवास में मंगल-भावना का होना अवश्यंभावी है। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय होने तक चौबीस घंटे के लिए उपवास किया जाता है। इसकी दूसरी सजा चतुर्थ-भक्त भी है।

(ऐ) चरम—अन्तिम भाग को चरम कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है। दिवस का अन्तिम भाग और आयु का अन्तिम भाग, जिसे दूसरे शब्दों में भव चरम भी कहते हैं। कम से कम दो घंटी दिन रहते ही आहार-पानी से निवृत्त हो कर चरम प्रत्याख्यान कर लेना चाहिए। जब साधक को यह निश्चय हो जाए कि मेरी आयु अब थोड़ी ही रह गई है, अतः पुरलोक के सुधार के लिये अपश्चिम मारणांतिक सलेखना की आराधना विधिपूर्वक कर लेनी चाहिए। जीवन भर के लिए चउविहार या त्रिविहार का त्याग करना चरम-प्रत्याख्यान कहलाता है।

तिविहार में पानी का ग्रहण दिन में ही किया जा सकता है ।

(क) अभिग्रह-प्रत्याख्यान—उपवास आदि तप करने के बाद या विना उपवास के अपने मन में पहले निश्चय कर लेना कि अमुक प्रकार का संयोग मिलने पर या अमुक वस्तु प्राप्त होने पर, अमुक क्षेत्र—स्थान, काल, प्रहर आदि एव किसी भाव-विशेष के होने पर ही आहार ग्रहण करूंगा, इसे अभिग्रह कहा जाता है । इसकी अधिक से अधिक छ महीने की अवधि होती है । नियत समय से पहले अभिग्रह फलित हो जाने पर पहले भी पारणा क्रिया जा सकता है और नियत समय पूर्ण होने पर तो पारणा ही सकता है । यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभिग्रह-पूर्ति से पहले अभिग्रह को किसी के आगे प्रकट नहीं किया जाता ।

(ख) विकृतिक प्रत्याख्यान—जो पदार्थ मन में विकार उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे भोज्य पदार्थों को विकृतिक कहते हैं । विकृतिक में दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, मधु, गुड़, मिष्ठान्न आदि सभी का समावेश हो जाता है । शरीर-यात्रा के लिए आहार तो ग्रहण करना ही होता है, अतः भोजन में सात्विकता का होना जरूरी है । जैसे किसी रोग को ऐसी खुराक दी जाती है जिससे उसका जीवन-निर्वाह भी हो जाए और रोग भी न बढ़े, वैसे ही साधक को ऐसा आहार करना चाहिए जिससे वासना भी न उभरे और जीवन-निर्वाह भी हो जाए । इस तरह की तप-विधि का पालन करने से और विकृति-जनक पदार्थों का त्याग करने से तप स्वयं ही हो जाता है ।

इस तरह की जानेवाली तपस्या से सयम की पुष्टि होती है । श्रद्धा एवं विनय-भक्ति से सयम की आराधना करना ही धर्म-

साधना है। धर्म-साधना ही परमात्म-तत्त्व को पाने का उपाय है। अहिंसा और सयम की आराधना आन्तरिक आचरण है, तप बाह्य आचरण है। जैसे ग्रीष्म काल में पीने को शीत जल मिले और रहने के लिए ठंडी जगह मिले तब शरीर पर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही आन्तरिक आचरण और बाह्य आचरण दोनों से आध्यात्मिक समाधि प्राप्त होती है, आते हुए कर्मों का निरोध होता है और पूर्ववद्ध कर्मों का प्रक्षय होता है।

गृहस्थ के उत्तर गुण सात हैं—तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत। पाच अणुव्रतों की रक्षा तीन गुणव्रत करते हैं और गुणव्रतों की रक्षा चार शिक्षाव्रत करते हैं। मूलगुणों के निकटतम गुणव्रत है। उनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१ दिशा-परिमाण-व्रत—मनुष्य की दौड़ सब ओर हो सकती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे छोटी दिशाओं में मनुष्य चलता है, अतः छ दिशाओं की सीमा बाधना अणुव्रतों के लिए अनिवार्य है। ऐसा करने से मर्यादित क्षेत्र से बाहर गमन-प्रागमन करने का, कारोबार करने का, माल मगवाने या भेजने का स्वयं निषेध हो जाता है। सीमित क्षेत्र से बाहर जाने की इच्छा स्वयं निरुद्ध हो जाती है।

२ उपभोग-परिभोग-परिमाण-व्रत—किसी वस्तु का एक बार ही उपयोग में लाना उपभोग है और किसी वस्तु का बारम्बार काम में या उपभोग में लाना परिभोग कहलाता है। दोनों तरह की वस्तुओं का परिमाण अर्थात् मर्यादा करनी अणुव्रतों के लिए अत्यावश्यक है। इसमें स्नान-मज्जन के साधनों का, खान-पान के पदार्थों का, स्वदेशी-विदेशी वस्तुओं का, पहनने और विस्तरे के

काम में आने वाले ऊनी-सूती वस्त्रों का, फल-फूलों का, पानी की किस्मों का और चौबीस प्रकार के धान्यों का परिमाण करने पर ही अणुव्रतों का विकास हो सकता है।

परिमाणकृत पदार्थों की प्राप्ति उद्योग-धन्धों से ही हो सकती है। उद्योग-धन्धे दो तरह के होते हैं। आर्यविधि से किए जाने वाले और अनार्यविधि से होने वाले। पन्द्रह कर्मादानों का जहा तक हो सकें तीन करण और तीन योग से प्रत्याख्यान करना चाहिए क्योंकि वे सब अनार्यविधि से किए जाते हैं। अतः उनका परित्याग करना आवश्यक है। आर्य-विधि से व्यापार करनेवाला अणुव्रती अल्पारम्भी माना जाता है। छव्वीस वोलों की मर्यादा से और पन्द्रह कर्मादानों—अनार्य-व्यापारों के त्याग करने से इच्छाएँ बहुत कुछ रूक जाती हैं।

३. अनर्थ-दंड-विरमणव्रत—किसी प्राणी को प्रयोजन वश जो दंड दिया जाता है वह अर्थ दंड है। जो किसी भी प्रयोजन के बिना दंड दिया जाता है वह अनर्थ-दंड है। किसी का बुरा सोचना, अचार, मुरब्बा, घी, तेल, अतिगर्म दूध, पानी आदि का वर्तन खुला रखना, लिहाज में आकर अविवेकी को अस्त्र-शस्त्र देना, जिससे दूसरे पाप-कर्म में प्रवृत्ति करे वैसे पापकर्म का उपदेश करना अनर्थ-दंड है। अनर्थदंड का परित्याग किए बिना अणुव्रतों की सम्यक् आराधना नहीं हो सकती, अतः श्रावक के लिये अनर्थ दंड से निवृत्त होना अत्यावश्यक है।

अणुव्रतों की रक्षा के लिए शिक्षाव्रतों की आराधना भी श्रावक के लिए अनिवार्य है। जैसे सर्वाङ्ग शरीर की रक्षा त्वचा करती है और त्वचा की रक्षा जल वायु घूप आदि बाह्यसाधन करते

हैं, वैसे ही शिक्षाव्रतों के बिना गुणव्रत निर्यल और गुणव्रता का निर्वलता से अणुव्रत निर्मूल हो जाते हैं । शिक्षाव्रतों का स्वरूप इस प्रकार है—

१. सामायिक-व्रत—अणुव्रतो और गुणव्रतों की सम्यक् आराधना मे सामायिक विशुद्ध होती है । ज्ञान, दर्शन और देश-सयम की आराधना करना ही सामायिक है । इममे कम मे कम दो घटी, चार घडी या छ- घडी भर पाप सहित मन वाणी और काय के व्यापार का पञ्चवखाण करना, धर्मशास्त्रो का स्वाध्याय और धर्म-ध्यान मे प्रवृत्त होना ही सामायिकव्रत है ।

२. दिशावकाशिक व्रत—कुछ घटो के लिए दिशापरिमाण व्रत को और उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत को और भी मकुचित करना, या चीदह नियमों की मर्यादा करना । इमका विधि-विधान दिन-दिन के लिए भी है, रात भर के लिए भी और अहोरात्र के लिए भी । इस व्रत के सावक को अतिसीमित क्षेत्र में ही अहिमा, मयम और तप की आराधना करने का व्रत लेना चाहिये । इसमें सभी सचित्त वस्तुओ के सेवन करने का त्याग होता है, अचित्त वस्तुओ का भी यथाशक्ति कम से कम उपयोग किया जाता है और किन्ही वस्तु का त्याग भी होता है । इम व्रत को दूसरे शब्दो मे छ- काय-दया और सवर भी कहते है ।

३ प्रतिपूर्णपौषधीपवास व्रत—यह श्रावक के वारह व्रतो में से ग्यारहवा, चार शिक्षाव्रतो मे से तीसरा तथा उत्तर गुणों मे से छठा व्रत है । इसकी आराधना अधिकतर पर्व के दिनो मे की जाती है । पर्व दो प्रकार के होते हैं—भोग-प्रधान और त्याग-प्रधान । जिन पर्वों मे खान-पान का, आमोद-प्रमोद का ढग

समयानुसार परिवर्तित होता रहता है, वे सब भोग-प्रधान पर्व माने जाते हैं। जिन पर्वों में मानव की भावना त्याग की ओर या निवृत्ति की ओर बढ़ती है वे पर्व त्याग-प्रधान माने जाते हैं, जैसे कि अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी, पर्युषण संत्रसरी या किसी तीर्थङ्कर का कल्याणक-दिवस। इन पर्वों में आदर्श गृहस्थ की भावना विशेषकर त्याग की ओर ही अग्रसर रहती है।

पौषधोपवास व्रत भी दो तरह का होता है एक प्रतिपूर्ण और दूसरा आशिक। जिसमें चतुर्विध आहार का अहोरात्र के लिये त्याग हो, उसके साथ ही कुशील सेवन का भी त्याग हो, शरीर के सभी तरह के अलकार, विभूषा, स्नान, मजन, बनाव आदि का पूर्णतया त्याग हो, यहां तक कि उसमें चन्दन आदि का लेप लगाना और मेहदी आदि लगाना भी निषिद्ध हो, जिस आभरण को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता उसे छोड़कर कोई आभरण न पहना जाए पहनने के वस्त्र भी सादे हों वही पौषधोवास व्रत है। इसमें चमकीले भडकीले वस्त्रों का परित्याग भी आवश्यक है। इसमें उद्योगी हिंसा, आरम्भी हिंसा, विरोधी हिंसा का भी दो करण तीन योग से पञ्चकलाण होता है। किसी प्रकार का शस्त्र-अस्त्र अपने पास रखना भी सर्वथा वर्जित है। इस व्रत की आराधना कम से कम एक अहोरात्र के लिये हुआ करती है। जब द्रव्य, क्षत्र, काल और भाव पूर्णतया अनुकूल नहीं होते तब आशिक रूप से भी पौषधव्रत की आराधना की जा सकती है।

पौषधशाला में जहां पौषधव्रत की आराधना प्रारम्भ की हो उस स्थान एवं विछोने को बिना देखे, बिना पडिलेहे उपयोग में नहीं लाना चाहिये। रात को बिना प्रमार्जन किए चलना नहीं चाहिये, दिन में बिना देखे मलमूत्र नहीं परठना, रात को बिना

प्रमार्जन-विण्ण मल-मूत्र आदि पशुना नहीं । गिना करने से ही जीव-हिंसा से होने वाले दोषो एव पापों से अपने को सुरक्षित रखा जा सकता है । पौषघ्नत मे विकथा, माया, निदान एव मिथ्या-दर्शन-शल्य आर्त्त एव रोद्रव्यान आदि पापजनक सभी प्रवृत्तिया निषिद्ध हैं । इसका मुखभाव सभी व्रतो पर पडता है, अतः इम व्रत की श्रावणा-प्रत्येक पर्व-मे श्रावक के लिये अनिवार्य है ।

४ अतिथि-संविभाग-व्रत—जिन के आने की न कोई तिथि निश्चित है और न समय ही उन्हें अतिथि कहते हैं । साधु-माध्वो एव श्रमण-कल्प श्रावक इन सब का अन्तर्भाव अतिथि शब्द मे हो जाता है । इस प्रसंग मे अतिथि शब्द श्रद्धाम्पद व्यक्ति का परिचायक है, क्योंकि विरक्तात्मा पुरुष गृहस्थ को अपने आने या न आने का सकेत नहीं करते है और न वायदा ही करते हैं । वे घरों मे जाने की वारी भी नहीं वाघते । उनके द्वारा धारण किया हुआ अभिग्रह फलित हो जाने पर ही वे आहार ग्रहण करते हैं ।

सविभाग का अर्थ है—अपने लिये वनी हुई वस्तु का वितरण अपने उपयोग के लिये लाये गये तथा बनाए गए पदार्थों का स्वय उपयोग या भक्षण न करके आये हुए अतिथि को दे देना अतिथि-सविभाग-व्रत है ।

जब धर्म-निष्ठ श्रावक भोजन करने बैठे तब उस का कर्त्तव्य बनता है कि कुछ क्षण गुरुजनो का ध्यान करे, उनकी प्रतीक्षा करे । यदि गुरु अपने क्षेत्र मे विराजमान हों तो रात्रि-भोजन न करे, सचित्त वस्तु का आहार भी न करे, स्वय भी सूझता रहे और देने वाली वस्तु को भी सूझती रखे । दिन में अपने घर का द्वार खुला रखे । जब घर में अतिथि पधारे तब तुरन्त अपने उत्तरीय वस्त्र से मुख को आच्छादित करले । विधिपूर्वक

वन्दना नमस्कार करके १४ प्रकार की वस्तुओं में से जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता हो या अपनी बुद्धि से स्वयं उनकी आवश्यकता को समझकर सहर्ष समर्पित करना उनके ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की जैसे भी पुष्टि हो, वृद्धि हो—वैसी वस्तु बहराना अतिथि-सविभाग-व्रत है ।

यह व्रत धर्म-दान के अतिरिक्त अन्य प्रकार के दानों की ओर सकेत नहीं करता । दान अनुकम्पा से भी दिया जाता है और श्रद्धा भक्ति से भी । अनुकम्पा-दान किसी भी व्रत का बाधक नहीं है, वह पुण्योपार्जन का हेतु है और प्रभावना का भी, किन्तु धर्म-दान निर्जरा एवं पुण्यानुवधी पुण्य का हेतु है, सम्यक्त्व का पोषक और मिथ्यात्व का शोषक है । अतः श्रमण महन के अतिरिक्त अन्य भिक्षाचरो के लिए अतिथि शब्द का प्रयोग नहीं होता ।

संग्रह-परायण मनोवृत्ति को निष्क्रिय बनाने और त्याग-भावना को जागृत करने के लिए इस व्रत का विधान है । यह अनुदारता एवं ममत्त्व भाव को हटाने के लिए तथा उदार एवं दाता बनने का मार्ग है । अन्याय-अनीति से द्रव्योपार्जन करने का त्याग और न्याय-नीति से उपार्जित किए हुए द्रव्य का उपयोग धर्मदान और अनुकम्पादान में करना अपरिग्रह है । अपनी सुख-सुविधाओं में सकोच करना और वस्तु एवं द्रव्य पर से ममत्त्व घटाते रहना, श्रावक का परम लक्ष्य है, क्योंकि ममत्त्व घटाने एवं हटाने पर ही उसका उपयोग दूसरे के लिए किया जा सकता है । समाज की भलाई के लिए दान करना निष्परिग्रहता है और धर्मदान उत्तर-गुण है । सुपात्र को दान देने से मन के भाव सर्वथा पवित्र हो जाते हैं । उत्तरगुण चाहे महाव्रत के हो या अणुव्रत के, वे सभी साधकों के जीवन का उत्थान-करनेवाले हैं ।

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

२५. व्युत्सर्ग

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

तप के वारह भेदों में से वारहवा भेद व्युत्सर्ग है, इसका अर्थ है परित्याग, विषेपत. ममत्व का परित्याग। ममत्व का त्याग करने पर ही इस तप की सार्थकता है।

इसके दो भेद हैं द्रव्य-व्युत्सर्ग और भाव-व्युत्सर्ग।

तप-परायण साधक शरीर आदि बाह्य पदार्थों का निश्चित काल के लिए या अनिश्चित काल के लिए या जीवन भर के लिए जो परित्याग करता है उसे द्रव्य-व्युत्सर्ग कहा जाता है। अपने शरीर पर भी ममत्व न रखना शरीर-व्युत्सर्ग है।

कल्पातीत या जिन-कल्प स्वीकार करने पर अपने गण या मच्छ का भी परित्याग कर देना गण-व्युत्सर्ग है।

जीवन-यात्रा के लिये अत्यावश्यक बाह्य उपकरणों को छोड़कर शेष सभी उपकरणों का त्याग करना अथवा सभी तरह की उपाधियों का पूर्णतया त्याग करना उपधि-व्युत्सर्ग है। भला जो अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता, वह बाह्य उपधि अर्थात् उपकरणों पर ममत्व का विस्तार क्यों करने लगा? ममत्व ही दुःख का मूल कारण है। ममत्व की निवृत्ति से दुःख की निवृत्ति स्वतः हो जाती है।

सदोष आहार-पानी का त्याग करना अथवा सथारे में जीवन भर के लिए निर्दोष आहार-पानी का त्याग करना, भक्त

पान-व्युत्सर्ग है । द्रव्य-व्युत्सर्ग का अस्तित्व अधिक से अधिक सातवे गुणस्थान तक पाया जाता है ।

क्षपक-श्रेणि आरोहण करनेवाला साधक आठवें गुणस्थान से भाव-व्युत्सर्ग का आरम्भ करता है और चौदहवे गुणस्थान में उसकी पूर्णता हो जाती है । यथाख्यात-चारित्र्य, वीतरागता और शुक्ल-ध्यान इनसे भाव-व्युत्सर्ग स्वतः ही हो जाता है । भाव-व्युत्सर्ग के अनेक भेद हैं—कषायो की-सत्ता को क्षीण करना कषाय-व्युत्सर्ग कहलाता है । इसके भी चार भेद हैं—क्रोध-व्युत्सर्ग, काम-व्युत्सर्ग, माया-व्युत्सर्ग और लोभ-व्युत्सर्ग । आगमों में जिस क्रम से चार कषायों का उल्लेख हुआ है उसी क्रम से उनका क्षय भी होता है ।-


तीसरे को छोड़कर छठे गुणस्थान तक आयु का वध होना है । कभी-कभी जीव छठे गुणस्थान में आयु का वध प्रारम्भ करके सातवे गुणस्थान में उस वध की पूर्णता कर लेता है । जिन कर्म-प्रकृतियों की विद्यमानता में आयु-कर्म का वध होता है, उन कर्म-प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर आयु-कर्म का भी वध नहीं होता । जब नरक आदि किसी भी भव की आयु का वध होता ही नहीं, तब ससार-व्युत्सर्ग स्वतः ही हो जाता है । ससार-व्युत्सर्ग चार प्रकार का होता है—नैरयिक ससार-व्युत्सर्ग, तिर्यच ससार-व्युत्सर्ग, मनुष्य-ससार-व्युत्सर्ग और देव-संसार-व्युत्सर्ग । कषाय-और नौ कषाय से जीव आयु का वध करता है, कषाय-व्युत्सर्ग के अनन्तर आयु का वध होता ही नहीं है । आयु-वध के बिना ससार-व्युत्सर्ग हो जाता है, अर्थात् ससार से जीव का सम्बन्ध नहीं रह जाता । यद्यपि दसवे गुणस्थान तक लोभ-कषाय की मात्रा पाई जाती है, तथापि अत्यन्त मद होने से उस के द्वारा

आयुर्कर्म का वध नहीं हो सकता ।

कर्म-वध के कारणों का क्षय होने पर कर्म-व्युत्सर्ग होता है, क्षपक श्रेणि में और यथाख्यात-चारित्र्य काल में घाति कर्मों का वध नहीं हो पाता, बल्कि समय-समय पर वे बलहीन होते-होते बाहरवे गुणस्थान में उन्हें सर्वथा क्षीण कर दिया जाता है । क्षीण होते ही जानावरणीय कर्म-व्युत्सर्ग, दर्शनावरणीय कर्म-व्युत्सर्ग और अतराय कर्म-व्युत्सर्ग स्वतः हो जाया करता है ।

तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश के पहले समय में ही केवलज्ञान, केवलदर्शन, सादि अनन्त वीतरागता और विघ्नो का ऐकान्तिक अभाव, अनन्त-शक्ति इत्यादि गुण घाति कर्मों के क्षय होने से उत्पन्न हो जाते हैं । चौदहवें गुणस्थान में अघाति कर्मों का क्षय हो जाता है । शुक्लध्यान के चौथे चरण में जब वेदनीय-कर्म-व्युत्सर्ग, आयु-कर्म-व्युत्सर्ग, नाम-कर्म-व्युत्सर्ग और गोत्रकर्म-व्युत्सर्ग हो जाता है, अर्थात् इन कर्मों का भवसान हो जाता है, तब जीव सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता है । कर्म-व्युत्सर्ग चौदहवें गुण स्थान में ही होता है ।

कहीं-कहीं भाव व्युत्सर्ग के चार भेद उपलब्ध होते हैं वही पर चौथा भेद योग-व्युत्सर्ग भी देखने को मिलता है । तीन योगों का त्याग करना योग-व्युत्सर्ग है । मन वचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं । योगों का निरोध ही योग-व्युत्सर्ग है । पूर्णतया योगनिरोध चौदहवें गुणस्थान में ही होता है । योग-निरोध होते ही जीव परमपद को प्राप्त कर लेता है । व्युत्सर्ग-तपे मोक्ष-प्राप्ति में अन्तरग कारण है, इसकी आराधना से सभी अन्तरग विकार नष्ट हो जाते हैं । यह परमशान्ति एव श्रखण्ड समाधि का मूल कारण है ।



२६. अप्रमाद



प्रमाद का विरोधी तत्व अप्रमाद है । असावधानी से सावधानी की ओर बढ़ना अप्रमाद है । जैसे कटकाकीर्ण मार्ग पर यदि कोई पथिक सभल-संभल कर बड़ी सावधानी से चलता है तो वह कांटों की चुभन से बहुत कुछ बच जाता है, जैसे किसी फिसलन वाले स्थल पर चलता हुआ मानव पद पद पर फिसलता ही जाता है, उसी स्थल पर यदि कोई विवेक पूर्वक सावधानी से चलता है तो वह सब तरह की क्षति से सुरक्षित रहता है, जैसे किसी भूमि-भाग में मनुष्यों का बहुत बड़ा मेला भरा हुआ होता है, उस मेले में जेब काटने वालों का गिरोह भी असावधान व्यक्तियों की खोज में घूमता रहता है, यदि किसी की गांठ में घन है तो उसे पूर्णतया सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता होती है, तभी उसका घन सुरक्षित रह सकता है, वैसे ही साधना-पथ के पथिक के लिये आध्यात्मिक क्षेत्र में निरन्तर अप्रमत्त रहने की आवश्यकता होती है ।

जिसके कारण जीव मोक्षमार्ग के प्रति प्रयत्नशील बन जाए वह अप्रमाद है । मन, वाणी और काय को सुमार्ग में लगाना, केवली-भाषित धर्म के पालन करने में उद्यम करना, देवगुरु और धर्म के प्रति मूढ़ न बनना, जिन वाणी पर, नव तत्त्वों पर और निर्ग्रन्थ प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा रखना, पांच महाव्रतों तीन गुणितियों और पांच समितियों आदि मोक्ष के उपायों पर दृढ़-निष्ठा रखना, पृथिवीकाय, अण्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय एवं त्रस

काय इन छ, कायिक जीवो के अस्तित्व पर आस्था रखते हुए उनकी हिंसा न करना, जीवत्व की धारणा स्वीकार करना, इनमे कभी सगय न करना, स्वाध्याय से सम्यग्ज्ञान मे प्रवेश करना, अपनी श्रद्धा को जिन-वाणी के अनुकूल रखना, मोहजनक जड चेतन आदि पदार्थो से राग न रखना, शत्रुता रखनेवाले पर अप्रीति एव द्वेष न रखना, स्व-कर्तव्यो के प्रति सदैव जागरूक रहना आदि अप्रमाद के अनेक रूप है। यह एक ऐसा साधन है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र मे साधक को पीछे हटने से बचाता है, पापकर्मो की ओर नही जाकने देता, परम एव चरम लक्ष्य से भटकने नही देता, साधना मे कभी अरुचि नही होने देता। इसी को दूसरे शब्दो मे अतर्जागरण भी कहते है। इसकी विद्यमानता मे आयु का बध नही होता, इसके प्राप्त होते ही अजर-अमर रूप अन्तरात्मा की अनुभूति होने लग जाती है।

सातवे गुणस्थान से लेकर चौदहवे गुणस्थान तक अप्रमाद की सत्ता रहती है। अप्रमाद के प्रभाव से कपाय आदि विकार निबल हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर उल्लू आदि निशाचारी जीव इधर-उधर छिप जाते है, वैसे ही अप्रमाद के अवतरण से जीवन मे रहे हुए अवगुण सभी लुप्त एव नष्ट हो जाते है।

किं हिय ? अप्रमादो—गौतम स्वामी ने भगवान महावीर के समक्ष प्रश्न रखा है—‘हित क्या है?’ भगवान उत्तर देते है “अप्रमादो—अप्रमाद।” विचारो को बाहर से लौटाकर आत्मा में लगाना, अपने स्वरूप मे रमण करना, विकथा—अनुपयोगी वार्तालाप में समय-यापन न करना इत्यादि अप्रमाद के ही अनेक

रूप हैं । मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा इनका अभाव ही अप्रमाद है ।

अप्यमाय तहावरं—जो प्रवृत्तिया प्रमाद से रहित है उनसे कर्म-ब्रध नहीं होता ।

अप्यमत्तो परिव्वए—अप्रमत्त होकर धर्म के आचरण में उद्यम करो ।

घोरा मृहुत्ता अवलं सरीर-भारड पक्खी व चरेऽप्यमत्तो ।

काल निर्दयी है और शरीर निर्बल है, यह जानकर साधक को भारण्ड पक्षी की तरह सदैव अप्रमत्त होकर विचरना चाहिए ।

सव्वओ अप्यमत्तस्स नत्थि भयं—अप्रमत्त साधक को कही से भी भय नहीं होता । वह न स्वय किसी से डरता है और न किसी को डराता ही है, अभय रहना ही उसका सहज जीवन है ।

जहां भय है वहां प्रमाद है । अभय और अप्रमाद इनका परस्पर कार्य-कारण-भाव है । जहां अभय है वहां अप्रमाद है और जहां अप्रमाद है वही अभय है ।

समयं गोयम ! मा पमाए—भगवान महावीर कहते हैं—हे गौतम ! समय भर का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि प्रमाद सबसे बड़ा अवगुण है । इसकी छाया में हजारों ही नहीं लाखों अवगुण—दोष निवास करते हैं । जिनका परिणाम दुर्गतियों में भोगना पडता है । दु खों की अविच्छिन्न परम्परा जिसमें हो वह दुगति है ।

गोयम शब्द मन का प्रतीक भी है, क्योंकि 'गो' शब्द का अर्थ है—“इन्द्रिया” और यम का अर्थ है नियन्त्रण । मन इन्द्रियों का नियन्ता है । साधक अपने मन को सबोधित करते हुए कहता

है— 'हे मन ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।'

अप्रमाद गुणनिधि है, गुणों का अक्षय भंडार है । इसके रहते हुए जीवन के क्षेत्र से दोष—प्रवर्ण सदा के लिए विदा हो जाते हैं । सुखों की परम्परा बीच में कहीं भी विच्छिन्न नहीं होने पाती । दुर्गंतियों से सदा के लिए सबंध टूट जाता है । अप्रमाद आनन्द का अजल स्रोत है और धर्म-ध्यान एवं शुक्ल-ध्यान का सहायक है । अप्रमाद की विद्यमानता में अशुभ ध्यान करने का कभी अवसर ही नहीं आ पाता । ●



आत्मा तो प्राणी मात्र मे विद्यमान है। अन्य आत्माओं के प्रति करुणा होनी चाहिये, किन्तु वही सब कुछ है, वही हमारा उद्धार करेगा, ऐसा भक्ति-मार्ग जैन धर्म को स्वीकार्य नहीं है। हमने जब भी भगवान की भक्ति की है उसी दूसरे मार्ग से की है, यही कारण है कि हमारा अभी तक उद्धार नहीं हो सका। जब तक हम स्वयं कुछ नहीं करते, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, मुक्त होने के लिये हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। भगवान के गीत गाने से या गुणगान करने से ही हमारा उद्धार नहीं होगा, भगवान के निर्मल गुणों को अपने जीवन में उतारने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। भक्ति के गान से गाने का आनन्द तो मिल सकता है, किन्तु हमारे हृदय में प्रभुके गुणों का अवतरण नहीं हो सकता, गुणों के लिए तो स्वतः ही गुणी बनना पड़ेगा, गायक बनने से काम नहीं चल सकता। वैसे ही सम्यक्-ज्ञान और सम्यक् साधनों द्वारा आत्मोद्धार ही जैन धर्म का मार्ग है।

विरक्तों के क्रोध में भी जो प्रेम देखता है और आसक्तों के प्रेम में भी जो क्रोध देखता है वही सच्चा द्रष्टा है। जब भौतिक सुखों में प्रेम की अनुभूति होने लगती है, तब साधक बाहरी दुनिया को भूल जाता है। जब अन्तरात्मा में एव धर्म-साधन में प्रेम हो जाता है, तब साधक अपने शरीर-तक को भूल जाता है। प्रेम परिश्रम को हल्का और दुख को मधुर बना देता है। भलो से प्रेम करना चाहिए और बुरों को क्षमा करना चाहिए। महानुभाव का निर्णय सदैव दृढ़ और अटल होता है, तभी वह ससार को अपने साधे में ढाल सकता है, किन्तु जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के बनाये नियमों पर चलना पड़ता है। जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, उन्हीं लोगों के लिए

आगम-वाणी विशेष रूप से सार्थक होती है ।

साधु को प्रतिक्षण शास्त्रोक्त समाचारी के अनुष्ठान में इस प्रकार सलग्न रहना चाहिए जिससे शक्ति मन, वाणी और काय की प्रवृत्ति सतत धर्म के प्रति अभिमुख बनी रहे । समाचारी का आशय है, वे धार्मिक क्रियाएँ जिनका आचरण सम्यक् रूप से किया जाए, अथवा जिसका आचरण समान रूप से किया जाए, जैसे सभी प्राणियों को खाद्य, पेय एवं वायु आदि जीवन-उपयोगी पदार्थों की समान रूप से आवश्यकता रहती है, वैसे ही साधु समुदाय के लिये समाचारी की आवश्यकता भी अनिवार्य है । समाचारी में सभी साधनों का समावेश हो जाता ।

समाचारी को सामाचारी भी कहा जाता है । सामाचारी तीन प्रकार की होती है—ओष-सामाचारी, दशविध सामाचारी और दश-विभाग सामाचारी । इनमें ओष-सामाचारी के सात भेद हैं, जैसे कि १ प्रतिलेखन २. पिण्ड ३ उपधिप्रमाण ४. अनायतवर्जन ५ प्रतिसेवना ६ आलोचना और ७, विशोधि ।^१

सामाचारी का यह विभाग व्यवहार सूत्र, वृहत्कल्प, दश-श्रुतस्कन्ध जोतकल्प कल्पसूत्र आदि छे सूत्रों में वर्णित है ।

दशविध सामाचारी की परिचयात्मक व्याख्या इस प्रकार है—

१ आवश्यकी सामाचारी—साधु जिस मकान या उपाश्रय में ठहरा हो, उससे बाहर न जाना यह उसके लिये दैनिक क्रिया-कलाप की सामान्य विधि है । विशेष विधि के अनुसार आवश्यक कार्य होने पर वह उपाश्रय से बाहर जा सकता है । उस समय उसका यह कर्त्तव्य बन जाता है कि यदि आवश्यक कार्य के लिये

१ ओष-नियुक्ति २

बाहर जा रहा हों तो अन्य आवश्यक कार्यों में प्रवृत्ति न करे। जब स्वाध्याय-भूमि में जाना हो, स्थूल भूमि में जाना हो, किसी रुग्ण के लिये औषध-अनुपान आदि लाने हो या विहार करना हो, इत्यादि विशेष कारणों से साधु बाहर जा भी सकता है, जैसे राष्ट्रपति का, प्रौद्योगिक कन्या या कुलाङ्गना का विना प्रयोजन के इधर-उधर घूमना-फिरना शोभाजनक नहीं होता, इससे लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता वंसी ही न्यति साधु की भी होती है। उपाश्रय में रहते हुए जेमे साधु सार्वभौम महावृत्ती की रक्षा पांच समितियों और तीन गुण्ठियों से करता है वंसे ही उपाश्रय में बाहर भी अपने वृत्ती और समितियों की रक्षा करने का स्वर उसका कर्तव्य बन जाता है। अतः बाहर जाते समय साधु ऊचे से आवश्यककी शब्द का उच्चारण करे। यह सांचे कि मैं गुरु की या भगवान की साक्षी से आवश्यक कार्य के लिये बाहर जा रहा हूं, विना सत् प्रयोजन के नहीं। यही इसका भाव है।

२ नैवेधिकी सामाचारी—आवश्यककी का प्रतिपक्ष नैवेधिकी है। जब साधु कार्य से निवृत्त होकर उपाश्रय में प्रवेश करे तब उमे नैवेधिकी शब्द का उच्चारण करना चाहिए अर्थात् मैं उस आवश्यक काय से निवृत्त हो चुका हू, जिस के लिय मैं बाहर गया था। यदि प्रवृत्ति करते समय मेरे से अकरणीय कार्य होगया हो तो मैं उसका निषेध करता हू, अर्थात् अपने आपको उससे दूर करता हू, अतः जाती वार आवस्सही आवस्सही कहना चाहिए और उपाश्रय में प्रवेश करते समय ऊचे स्वर से निस्सही-निस्सही कहना चाहिए। ऐसे न कहने पर साधु रत्नत्रय का विराधक माना जाता है। गमन-आगमन के समय उसका लक्ष्य-पवित्र एव सत्य होना चाहिए। इसी कारण से इन दो सामाचारियों का निर्देश किया गया है।

३. आपृच्छा सामाचारी—अपना कार्य हो या किसी दूसरे का कोई कार्य हो, साधु, धर्माचार्य, गुरुजनो या रात्रिको से बिना पूछे न करे। पूछने पर एव आज्ञा प्राप्त होने पर ही उसे किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। यह सामान्य विधान है कि उच्छ्वास एव निश्वास के अतिरिक्त गेष सब कार्यों के लिए साधु को गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। विनीत शिष्य गुरु की स्पष्ट आज्ञा का इच्छुक होता है, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि गुरु की आज्ञा कार्य-सिद्धि में सहायक होती है। गुरु की आज्ञा में चलने से ही मेरा हित है। इससे हानि और लाभ का उत्तरदायित्व मेरे पर नहीं गुरु पर हो जाता है और अहंभाव भी मन में नहीं रहता। अतः कोई भी काम जब शिष्य को करना हो, तब गुरुजनो को पूछ कर ही करना चाहिए। इस सामाचारी का सही अर्थों में यदि गुण में रहने वाले साधु पालन करते रहे तो शासन की सेवा और बडो की कृपा-दृष्टि अखण्ड बनी रहती है।

४. प्रतिपृच्छा सामाचारी—गुरु के द्वारा किसी कार्य में नियुक्त किए जाने पर उसे प्रारम्भ करते समय पुनः गुरु से पूछ कर-आज्ञा लेना, अथवा प्रयोजन-वश गुरु ने पहले जिस कार्य को करने के लिए निषेध किया है, आवश्यकता होने पर फिर उसकी आज्ञा गुरु से प्राप्त करने को प्रतिपृच्छा कहते हैं। यदि गुरु ने किसी कार्य को करने का निषेध कर दिया है, उसी कार्य में प्रवृत्त होना यदि आवश्यक हो तो गुरु से पूछना चाहिये कि "गुरुदेव ! भले ही इस कार्य के लिए आपने पहले मना किया था, किन्तु समयानुसार यह काम करना जरूरी भी बन गया है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं करूँ ?" यही इस सामाचारी का भाव है।

अथवा अपने काम को करने के लिए गुरु से आज्ञा प्राप्त

करना प्रतिपृच्छना है। शिष्य को गुरु से पूछे बिना कोई काम करना ही नहीं चाहिए, चाहे वह कार्य अपना हो या दूसरे का। पूछने पर भी यदि आज्ञा दे तो करे, नहीं तो न करे। जो काम पूछ कर किया जाता है उसमें अशान्ति नहीं होती, वैमनस्य पैदा नहीं होता और गण एवं संघ में अखण्ड शान्ति बनी रहती है।

५ छन्दना सामाचारी—लाए हुए आहार का यथाविधि सविभाग करने पर अपने हिंस्र में से भी अन्य मुनिवरो को निमन्त्रण करना अथवा मुनिवर को भिक्षा में जो प्राप्त हुआ है उसके लिए भी अन्य साधुओं को निमन्त्रित करना छन्दना-सामाचारी है। इसमें अन्यान्य साथी मुनिवरो से सहानुभूति, अपनत्व, प्रीति आदि की वृद्धि होती है और साथ ही उदारता भी प्रकट होती है, रसनेन्द्रिय-विजय और सतोष, ये उदारता के सहयोगी गुण हैं।

६. अभ्युत्थान सामाचारी—अभ्युत्थान शब्द गुरुजनो के पधारने, खड़े होने और उद्यम करने के अर्थ में रूढ है, अर्थात् गुरुजनो के आगमन पर, उनके खड़े होने पर एव उनके द्वारा किसी कार्य में प्रवृत्ति करने पर शिष्य को उनसे पहले ही खड़े हो जाना चाहिये, इसे ही अभ्युत्थान सामाचारी कहा जाता है।

यदि किसी साधु को भिक्षा के लिये जाने पर आहार नहीं मिला, यदि वह दूसरी वार आहार लेने के लिए जाने लगे तो उसे दूसरे साधुओं से पूछना चाहिए कि "क्या मैं आपके लिए भी आहार लाऊँ?" इस प्रकार पदार्थ-प्राप्ति से पहले ही साधुओं को आमन्त्रण करना चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में निमन्त्रण भी कहते हैं। छन्दना और अभ्युत्थान ये दोनों समा-

चारिया अभिव्यक्त करती हैं कि साधक के प्रति वत्सलता का होना अत्यावश्यक है। जब साधक में परमार्थ दृष्टि जाग उठती है तभी वत्सलता, विनीतता एवं प्रीति आदि का उद्भव हो जाता है। अतः इन दोनों सामाचारियों का पालन होने पर ही गण-व्यवस्था ठीक चल सकती है।

७ इच्छाकार सामाचारी—बड़ा साधु छोटे साधु से और छोटा साधु बड़े साधु से यदि कोई काम कराना चाहे तो उसे इच्छाकार का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात् यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा यह काम आप कर दे। इस तरह परस्पर एक दूसरे से सहयोग लिया और दिया जाता है, किन्तु सहयोग भी बल प्रेरित न होकर इच्छा-प्रेरित होना चाहिए। सामान्य विधि के अनुसार बल-प्रयोग सर्वथा वर्जित है; किन्तु विशेष विधि में आज्ञा एवं बल का प्रयोग भी व्यवहार में किया जा सकता है। जो काम या सहयोग प्रसन्नता एवं इच्छा से किया जाता है वह पुण्यानुबन्धी पुण्य का और निर्जरा दोनों का कारण होता है। अनिच्छा से किया हुआ कार्य कर्म-बन्ध का ही कारण होता है, अतः दूसरे की इच्छा होने पर ही उसको काम लेना चाहिए। हुक्म और बल-प्रयोग तो राजनीति में ही सफल हो सकता है धर्म-नीति में नहीं।

८ मिथ्याकार सामाचारी—साधक के द्वारा कही न कही भूल का हो जाना भी स्वाभाविक है। जब कभी साधु को अपनी भूल का ज्ञान हो जाए तभी "मिच्छा मि दुक्कड" का उच्चारण करना चाहिए। जो अपने द्वारा हुई भूल को मिथ्या मान कर उससे निवृत्त होता है, उसी का दुष्कृत मिथ्या होता है। जब साधक अपने साधुत्व की मर्यादा से स्वलित हो जाए या उसमें

कोई विपरीत आचरण हो जाय, तब वह अपनी दूषित आत्मा की निन्दना करे, पश्चात्ताप करे। यही डम सामाचारी का भावार्थ है। साधु को अपनी भूलें बड़े चातुर्य से देखते रहना चाहिए तभी दोषों से निवृत्ति हो सकती है।

६ तथाकार सामाचारी—प्रायश्चित्त देते समय, आगम-वाचना देते समय, शंकाओं का समाधान करते समय जो कुछ भी गुरुजन कहें उस समय "तहत्ति"—जैसे आप कहते हैं वह सत्य है, ऐसा कहना तथाकार है। इसमें गुरु-वचन विनयपूर्वक स्वीकृत किए जाते हैं। इससे शिष्य के मन में गुरुभक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है। अनाशातना और विनय ये दोनों ज्ञान-प्राप्ति में मूलकारण हैं।

१०. उपसम्पदा सामाचारी—किसी भी गण में जाकर साधक जो गुण-समृद्धि प्राप्त करता है उसे उपसम्पदा कहते हैं। सामान्यतः गण-व्यवस्था की दृष्टि से एक गण का साधु दूसरे गण में नहीं जा सकता। इसके कुछ विशेष कारण भी हैं, परन्तु तीन कारणों से दूसरे गण में जाना विहित है, आध्यात्मिक लाभ के लिए, अनिश्चित काल तक स्वाध्याय आदि के लिए अपने गण को छोड़कर अन्य गण में जाना उपसंपदा है। उपसंपदा के तीन भेद हैं ज्ञान-उप-संपदा, दर्शन-उपसंपदा और चारित्र-उपसंपदा।

आगम-शास्त्रों के अध्ययन के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए, ज्ञान की विशिष्टता के लिए नई धारणा एवं नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे गण में रहनेवाले किसी विशिष्ट ज्ञानी के पास गणनायक आचार्य की आज्ञा लेकर जान पाने के लिए जाना ज्ञानार्थ-उपसंपदा है।

दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसे वैसा ही मानना—विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। सच्चा परीक्षक वही होता है जो सत् और असत् में, असली और नकली में, खोटे और खरे में भेद को समझ सके। सम्यग्दृष्टि भी आध्यात्मिकता के सदर्भ में सच्चा पारखी होता है। अपनी श्रद्धा को विशुद्ध से विशुद्धतर बनाने के लिये तथा दर्शन-शास्त्रों के रहस्य को समझने के लिए आचार्य के माध्यम से अनिश्चित या निश्चित काल के लिये दूसरे गण में जाना दर्शनार्थ-उपसपदा है।

किसी विशिष्ट समयों के निर्देशन में रहकर तपस्या, वैया-वृत्य, ध्यान-समाधि, कपाय-उपशमन, इन्द्रिय-निग्रह इत्यादि चारित्र-धर्म की विशिष्ट आराधना के लिए आचार्य के माध्यम से दूसरे गण में जाना चारित्रार्थ-उपसम्पदा है।

आचार्य के द्वारा की हुई व्यवस्था से एक गण को छोड़कर दूसरे गण में आना-जाना आगम-विहित है। अपनी इच्छा से दूसरे गण में जाना स्वच्छन्दता है। अनुशासन से ही शासन चलता है। स्वच्छन्दता से अराजकता बढ़ती है, जन-शान्ति डावाडोल हो जाती है, धर्म के प्रति जन-आस्था उठ जाती है। समाज में विषमता पैदा हो जाती है। अतः सब कार्य सघनायक की आज्ञा से करने चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं, यही उपसपदा सामाचारी से स्पष्ट सकेत मिलता है।

सामाचारी का सम्यक् पालन ही चारित्र है। चारित्र का और विनय का सम्बन्ध सामाचारी के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे बीज और छिलके का सम्बन्ध होता है। छिलके के बिना बीज अकिञ्चित्कर है और बीज के बिना छिलका अकिञ्चित्कर

है । सामाचारी के बिना चारित्र नही और चारित्र के बिना सामाचारी नही । साधुत्व के सभी साधनो का समावेश समाचारी मे हो जाता है । अनुशासन, विनय, तप, वैयावृत्य अनाशातना संयम इत्यादि सभी साधन सामाचारी के भीतरी अंग है । जबकि संघ एवं गण सामाचारी के बाह्य अंग है । ●



नियन्त्रित करके, उसकी भाग-दौड समाप्त करके उसे एक ध्येय पर स्थिर कर देना ध्यान है।

ध्यान तीन तरह का होता है—मानसिक ध्यान, वाचिक ध्यान और कायिक ध्यान। इन्हे ही दूसरे शब्दों में मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और काय-गुप्ति भी कहते हैं।

ध्यान के भेद

एकाग्र चिन्तन को ध्यान कहते हैं, इस अपेक्षा से ध्यान के दो भेद होते हैं—अप्रशस्त ध्यान और प्रशस्त ध्यान। अप्रशस्त ध्यान के दो भेद हैं—आर्तध्यान और रौद्रध्यान। आर्त का अर्थ है दुःख, उससे उत्पन्न होनेवाली एकाग्रता को आर्त-ध्यान कहा जाता है। दुःख उत्पन्न होने के मुख्य चार कारण हैं—अनिष्ट वस्तु का सयोग, इष्ट वस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना और भोगों की लालसा। इन चार कारणों से ही आर्त ध्यान हुआ करता है।

आर्तध्यान का स्वरूप और उसके भेद

अनिष्ट वस्तु के सयोग से जब दुःखित आत्मा उसे दूर करने के लिए सतत चिन्ता किया करता है, तब वह अनिष्ट-सयोग आर्त-ध्यान कहलाता है। किसी इष्ट वस्तु के चले जाने पर उसकी प्राप्ति के निमित्त निरंतर चिन्ता करना इष्ट-वियोग आर्तध्यान है। शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उत्पन्न होने से जो चिन्ता उत्पन्न होती है वह चिन्ता ही आर्तध्यान है। भोगों की तीव्र लालसा से अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का उत्कट सकल्प या निदान करना आर्तध्यान है। रोना-घोना, शोक करना, आसू बहाना और विलाप करना ये आर्तध्यान के चार लक्षण हैं। आदि के छ गुण-

स्थानों में आर्त्तध्यान का अस्तित्व रहता है। आर्त्तध्यान का चौथा भेद प्रमत्त गुण स्थान में नहीं होता। अपने और अपने साथियों के प्रेम एवं राग से यह ध्यान होता है।

रौद्र ध्यान का स्वरूप और उसके भेद

अप्रशस्त भावलेख्या एव द्वेष से क्रूरता-पूर्ण भावों की सतत अवस्थिति ही रौद्र ध्यान है। इसके मुख्य चार भेद हैं जैसे हिंसानुवधी, मृपानुवधी, स्तेनानुवधी और सरक्षणानुवधी।

शिकार खेलने के समय मन की एकाग्रता, दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी देव-देवी या पितरों के नाम पर बलि देते समय मन को एकाग्र करना, जनसंहार के लिए वम वर्षा करना, किसी को मारने के लिए मन में योजना बनाना, पनडुब्बी के द्वारा किसी समुद्री वेड़े को डुबोना, विनाशक वम बनाने के तत्त्वों की खोज करना इत्यादि अनेक रूप हिंसानुवधी रौद्रध्यान के हैं। दूसरों की हानि सोचना, दूसरों के विनाश के लिए हूना-टामन करना आदि भी इसी ध्यान में निहित हैं।

दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, मायाजाल की रचना, "मैं उसके सामने किस प्रकार का झूठ बोलू, किस प्रकार का झूठ बोल कर शत्रु को निर्धन बना दूँ, राजा से रंक बना दूँ, दूसरों को अपने जाल में फसा दूँ, उसे वेडज्जत कर दूँ, उसके ऊपर कैसा आरोप लगाऊँ कि उसकी संपत्ति हड़प कर जाऊँ", इस प्रकार के असत्य बोलने की एव दूसरों को पीड़ित करने की योजनाएँ बनाना मृपानुवधी रौद्रध्यान है।

डाका मारना, चोरी करना, किसी की गाठ काटना, किसी को मार्ग में लूटना, जूआ खेलना, किसी से धोखेवाजी करना,

विषैले रुमाल को सु घा कर दूसरो के द्रव्य का हरण करना, चोरी के नये-नये तरीके सोचना, स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान है। जब मन मे लोभ होता है और जब उस लोभ को कपट सहयोग देता है तब चोरी की जाती है। चोरी के विषय मे गहराई से सोचना, चोरी करना इन सब दुष्कर्मों का अन्तर्भाव इसी ध्यान मे हो जाता है।

इस ससार मे जितने भी पदार्थ है वे सब के सब पाच इन्द्रियो के विषय है - रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सगीत के साज-वाज ये श्रोत्रेन्द्रिय विषय के साधन है। वस्त्र, आभूषण, बनाव के सभी साधन, प्रकाश, खेल-तमाजे, नाटक, सिनेमा, दूर-दर्शन, प्रदर्शनी इत्यादि साधन चक्षुरिन्द्रिय के विषय है। सुगन्धि के सभी पदार्थ घ्राणेन्द्रिय के विषय है। खाने-पीने का कच्चा-पक्का माल, लौंग, इलायची, पान-बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तम्बाकू-सुलफा, भाग आदि सभी पदार्थ रसनेन्द्रिय के विषय है। रेफ्री-जरेटर आदि यत्र रसनेन्द्रिय विषय के पोषक है। पुष्प-शय्या, गलीचे, पलंग, पखा, आरामकुर्सी इत्यादि सब पदार्थ स्पर्शनेन्द्रिय के विषयो के साधन हैं। इन सबकी प्राप्ति धन से होती है, धन, विषय और विषय-साधन ये सब ममत्व एवं मूर्च्छा के सबर्धक हैं, इनमे शकाशील बन कर रहना कि कोई इन्हे उठा न ले जाए, कोई खराब या तोड-फोड़ न करदे, कोई बलात् इन पर अधिकार न जमा ले, कोई छीना-झपटी न करले, कोई आगजनी न करदे, पहरे का प्रबन्ध होते हुए भी भयभीत रहना, उन की रक्षा-के लिए युद्ध करना, हजारो-लाखो प्राणियो को मौत के घाट उतार देना, इस प्रकार की वाते सोचना या करना सरक्षणानुबन्धी रौद्र ध्यान है। राग-द्वेष से व्याकुल जीव में चारो प्रकार का रौद्र-ध्यान होता है। यह ध्यान आवागमन को बढ़ाने वाला है और

दुर्गतियों में धकेलने वाला है ।

रौद्रध्यान के लक्षण

जिस से वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान हो, वह लक्षण कहा जाता है । लक्षणों से जहाँ बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है वहाँ उनके आंतरिक भावों की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है । रौद्र-ध्यान के स्वरूप को जानने के लिये आगमकारों ने उसके चार लक्षण बतलाए हैं, जैसे कि—

श्रोतन्नदोष

जिस की विचारधारा एवं चेतना हिंसादि पाप-कर्मों से निवृत्त नहीं हुई, चित्त-वृत्तियाँ कर्मों की ओर उन्मुख हैं, जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार करनेवाला है, जो अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे के धन और प्राणों को भी खतरे में डाल सकता है, जिसका जीवन लोगों के लिए भयावह है, वह रौद्रध्यान के किसी भी एक रूप में प्रवृत्ति करता है ।

बहुलदोष

जिस का रौद्र-ध्यान अतिमात्रा में बढ़ा हुआ है, वह हिंसादि सभी दोषों एवं अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति करता है ।

अज्ञानदोष—कुशास्त्रों के संस्कारों से, निकृष्ट लेश्या से और अज्ञानता से हिंसा आदि पाप-कार्यों में भी धर्म-बुद्धि से प्रवृत्ति करना अज्ञान-दोष है ।

आमरणान्तदोष—आयु-पर्यन्त किसी भी पाप-कर्म का पश्चात्ताप न करना या किसी के प्रति जो एक बार क्रोध या द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उसे जीवन भर कभी भी न छोड़ना आमर-योग एक चिन्तन]

णान्त दोष है। इस प्रकार का व्यक्ति रौद्रध्यानी माना जाता है। कठोर एव खराब विचारों वाला रौद्रध्यानी दूसरे के दुःख में प्रसन्न होता है और दूसरे को सुख में देखकर खिन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अकार्य करके भी पश्चात्ताप नहीं होता। जिसे पाप कार्यों में प्रवृत्ति सुखद प्रतीत होती है वह रौद्रध्यानी है। इन लक्षणों से रौद्रध्यान की पहचान होती है।

आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान ये दोनों निम्न कोटि के ध्यान हैं। इनसे और इनके कारणों से दूर रहना साधक के लिए अनिवार्य है। इनकी साधना योग-साधना नहीं है। यह तो जान-बूझ कर दुर्गति में जाना है। निकृष्ट-ध्यान से ही पाप प्रवृत्ति होती है। निकृष्ट-ध्यान पापवृत्ति को जगाता है और पापवृत्ति निकृष्ट-ध्यान को जागृत करती है, दोनों एक दूसरे के पूरक एव पोषक हैं। इन दोनों से सावधान एव सतर्क रहने के लिए सर्व प्रथम इनका विवेचन करना आवश्यक होगा। हानि एव विघ्न समूहों से अपने को सुरक्षित रखना ही धर्म-ध्यान एव शुक्लध्यान की प्रवृत्ति में सहायक है, अतः लाभ की अपेक्षा सब से पहले साधकों को हानि के सभी उन्मार्गों से परिचय कराना हितैषी का कर्त्तव्य है।

यह ध्यान तीसरे गुणस्थान तक तो होता ही है, चौथे एव पाचवें गुण-स्थान में तो आशिक रूप में ही पाया जाता है।

धर्म-ध्यान.—

धर्म और ध्यान इन दो पदों से यह शब्द बना हुआ है। धर्म का अर्थ है—किसी तत्त्व या व्यक्ति की वह प्रवृत्ति जो उसमें सदा रहे, उससे कभी भी अलग न हो, अर्थात् वस्तु का स्व-भाव ही धर्म है। अथवा जिन-प्रणीत आगमों द्वारा आचार्यों एव

मुनीश्वरों द्वारा निर्दिष्ट वे साधन, जिनका आचरण कर्मक्षय के लिए किया जाए या पारलौकिक सुख-प्राप्ति के लिए किया जाए, अथवा जो साधन अभ्युदय और निश्चयस की सिद्धि के मूलकारण हैं। अथवा जो गुण-विशेष के विचार से उचित और आवश्यक हो, अथवा जिन से आत्मा अष्टविध कर्मवध से एव सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला हो, वही तत्त्व-धर्म है। इसके अनेक अवान्तर भेद हैं जैसे कि—

धर्म का एक भेद—वस्तु का स्वभाव ही धर्म है—“वत्थुसहावो धम्मो” अथवा आज्ञा मे धर्म है, अथवा आत्मा की अन्तर्मुखीवृत्ति ही धर्म है।

धर्म के दो भेद—सयम और तप, अशुभ से निवृत्ति और शुभ मे प्रवृत्ति, श्रुतधर्म और चारित्र धर्म, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् क्रिया, विद्या और चारित्र, राग और द्वेष से निवृत्ति, व्यक्तिगन धर्म और सामाजिक धर्म, सवर-धर्म और निर्जरा-धर्म, सूत्र-धर्म और अर्थ-धर्म, अगार-धर्म और अनगार-धर्म।

धर्म के तीन भेद—अहिंसा, सयम और तप। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञान-योग।

धर्म के चार भेद—दान, शील, तप और भाव। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। विनय, श्रुत, तप और आचार। आज्ञा-विचय, अपायविचय, विपाक-

योग एक चिन्तन]

विचय और संस्थानविचय, मंत्री, प्रमोद कृष्णा
और मध्यस्थ भाव ।

धर्म के पांच भेद—पांच समितियों का पालन, पांच इन्द्रियों का
निग्रह । पांच महाव्रतो या पांच अणुव्रतो तथा
पांच चारित्रों का पालन, चार कपाय और मन,
इन पांचो पर विजय ।

धर्म के छ भेद—छ काय की हिंसा से निवृत्ति, छ कायों की
यथावत् रक्षा, छ प्रकार का बाह्यतप, छ-
प्रकार का आभ्यन्तर तप, छ प्रकार का कल्प ।
पङ् आवश्यक ।

धर्म के सात भेद—सात शिक्षाव्रत । सप्त कुव्यसनो का त्याग—
(शिकार खेलना, सुरापान करना, जुआ खेलना,
परस्त्री-गमन, वेद्या-गमन, चोरी करना, मांस
और अंडा आदि का सेवन करना, ये सात
कुव्यसन हैं) ।

धर्म के आठ भेद—सिद्धो के आठ गुणो का चिन्तन करना । यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
व्यान और समाधि इन सबको आराधना
करना धर्म हैं ।

धर्म के नौ भेद—नौ बाडो सहित ब्रह्मचर्य-धर्म की आराधना
करना । ब्रह्मचर्य संयम भी है और सारे तपो में
उत्तम तप भी है—“तवेमु व उत्तमं बभचेरं ।”
आगमकारो ने ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना

है। शेष तप के भेद इसी की सिद्धि के लिए किए जाते हैं।

धर्म के दस-भेद—उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम मुक्ति, उत्तम तप, उत्तम सयम, उत्तम सत्य, उत्तम शौच—अन्त करण शुद्धि, उत्तम अपरिग्रह और उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार धर्म के अनेक-अनेक भेद हो सकते हैं।

ध्यान का अर्थ है—ध्येय में नन्मय हो जाना। ध्यान-योग में तीन बातें मुख्य हैं—चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त जीवन की परिमितता और साम्यदशा, अभ्यास और वैराग्य। इन से ध्यान की सिद्धि होती है। इन में से वैराग्य विध्वंसक क्रिया है और अभ्यास विधायक क्रिया है। खेत से घास उखाड़कर फेंकना विध्वंसक क्रिया है, उसमें बीज बोना विधायक कार्य है। वैराग्य अन्त करण में रहे हुए मोहतत्त्व को उखाड़ कर बाहर फेंक देता है, जबकि अभ्यास ध्येय को पाने के लिए ध्याता को सहयोग देता है। अर्त्तिध्यान और रौद्रध्यान की निवृत्ति एवं व्यावृत्ति के लिए ध्यान के साथ धर्म गन्ध जोड़ा गया है। इसका अर्थ होता है—धर्म का ध्यान, धर्म में ध्यान अथवा जो ध्यान धर्म से ओत-प्रोत हो उसे धर्म-ध्यान कहा जाता है। धर्म-ध्यान के मुख्य चार भेद हैं, जिन में धर्म के सभी भेदों का समावेश हो जाता है। उनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है —

१ **आज्ञा-विचय**—तीर्थङ्कर भगवान की आज्ञा क्या है? उन्हींने ऐसी आज्ञा क्यों दी है? इस विषय पर विचार, गवेषणा

एव अनुसंधान करना उनकी आज्ञा का रहस्य जानने के लिए मन को एकाग्र करना आज्ञाविचय धर्म-ध्यान है ।

भगवान की आज्ञा को सत्य समझना, उम पर पूर्णश्रद्धा रखना, नव-तत्त्वो मे किसी एक तत्त्व का चिंतन-मनन करना यदि कोई तत्त्व समझ मे न आए तो उममे थका न करना, वीतराग भगवान की वाणी मे मन को एकाग्र करना और विश्वास रखना कि प्रभुवाणी ही अर्थरूप है—परमार्थ रूप है तथा शेष सब कुछ अनर्थ रूप है ।

वाणी तीन तरह की होती है—रोचक, भयानक और यथार्थ । वीतराग प्रभु की वाणी केवल यथार्थ हो जाती है जबकि अल्पज की वाणी यथार्थ कम होती है, रोचक और भयानक अधिक होती है । जिसका चित्त कपायो से अनुरजित है, उसमे सत्यता की मात्रा अत्यल्प ही होती है । अतः वीतराग प्रभु की वाणी मे असत्याश लेश मात्र भी नहीं होता । आगम-समुद्र मे आत्म-कल्याण के अनमोल-रत्न भरे पडे है, जिनसे क्षणमात्र मे ही आध्यात्मिक दरिद्रता नष्ट होकर सदा-सदा के लिए आत्मा आध्यात्मिक विभूतियो मे समृद्ध बन जाता है । इस प्रकार अपनी सूझ-बूझ से जिन-वाणी मे मनोयोग देना धर्म-ध्यान है ।

२ अपाय-विचय—अठारह तरह के पापो एवं दोषो के स्वरूप को जानकर उनसे छुटकारा पाने के लिए मनोयोग देना अपाय-विचय धर्म-ध्यान है । अपाय का अर्थ है हानि एव दुःख ।

अपाय चार प्रकार का होता है—द्रव्य-अपाय, क्षेत्रापाय, कालापाय और भावापाय । जो भौतिकद्रव्य सुख एव आनन्द के शोषक एव मारक हैं वे द्रव्यापाय हैं ।

जो स्थान दुःख और प्राणो का नाशक है वह क्षेत्रापाय कहलाता है ।

जो काल उन्नति एवं सुख समृद्धि में बाधक है, जो वातावरण मन के सर्वथा विपरीत है, ऐसे दुःपमकाल को कालापाय कहा जाता है ।

काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, राग, और द्वेष आदि प्रकृतियों के उदय से जीव को ऐहिक एव पारलौकिक सकटों का सामना करना पड़ता है, दुर्गतियों में जाकर अपने अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है और उसकी जन्म-मरण की परम्परा अटूट बन जाती है ।

भावापाय क्या क्या है ? और उनसे अलगाव कैसे हो सकता है ? उनसे बचने के लिए मनोयोग देना अपाय विचय है । साधक को अपाय-विचय धर्मध्यान से कर्मवच के सभी हेतुओं को जानकर उनमें निवृत्त होने का अभ्यास करना चाहिये ।

३. विपाक-विचय—अनुभव में आनेवाले कर्म विपाको में से कौन-कौन सा विपाक किस-किस कर्म का फल है ? कर्मों के वशी-भूत हुआ जीव चार गति, चौरासी लाख योनियों में भटक रहा है, सपत्ति-विपत्ति, सयोग-वियोग, दुःख-सुख अपने किए हुए यथा-सभव आठ कर्मों की एक ही अढतालीस प्रकृतियों का अनुभव करते हुए ससार में परिभ्रमण कर रहा है । इस प्रकार कर्म-विषयक चिन्तन में मनोयोग देना विपाक-विचय धर्मध्यान है । इससे आत्मा में यह धारणा जागृत हो जाती है कि अपने द्वारा उर्पाजित कर्मों के सिवाय अन्य कोई भी मुझ को सुख-दुःख देने वाला नहीं है—“सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति विमुंच शेषुषीम्”—जबसाधक यह समझ लेता है कि मुख

का या दुःख का देनेवाला अन्य कोई नहीं है तब वह मोक्षता है ।
 "हे आत्मन् ! दूसरा कोई दुःख या सुख देता है इस बुद्धि या
 मिथ्या धारणा को विल्कुल छोड़ दे ।" ऐसा चिन्तन करने वाले
 साधक को सुख-प्राप्ति में कभी अहंकार नहीं होता और दुःखों के
 आक्रमण से कभी घबराहट नहीं होती, वह समता से दोनों का
 स्वागत करना अपना धर्म समझता है ।

४. संस्थान-विचय - लोक के स्वरूप एवं स्वभाव में मनो-
 योग देना संस्थान-विचय धर्म-ध्यान है । आगमों के स्वाध्याय
 से लोक स्वरूप और लोकस्वभाव का ज्ञान होता है । यद्यपि लोक-
 स्वरूप और लोक-स्वभाव ये दोनों अलग-अलग हैं, तथापि इन दोनों
 का परस्पर आधार-आश्रय सबध है, क्योंकि लोक-स्वरूप का ज्ञान
 होने पर ही लोक-स्वभाव का ज्ञान हो सकता है । लोक स्वरूप का
 अर्थ है—लोक का आकार, आयाम-विष्कम्भ, समभाग, मध्यभाग,
 विशालता, लोक-स्थिति आदि विषयो पर चिन्तन करना । जब
 ध्याता प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, जन्म-मरण सुख-दुःख, पुण्य-
 पाप, राग-द्वेष आदि विषयो की और मनोयोग देता है तब वह
 लोक-स्वभाव कहलाता है । अतः लोक-स्वरूप में लोक स्वभाव
 का होना निश्चित है ।

इस ध्यान से तत्त्वज्ञान की किञ्चिद्भि होती है, मन अन्य बाह्य
 विषयो से हट कर स्थिर हो जाता है, मानसिक स्थिरता द्वारा
 आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति अनायास हो जाती है । धर्म-ध्यान
 का पहला चरण ध्याता को ध्येय के गुणों की ओर आकृष्ट करता
 है । धर्म-ध्यान का दूसरा चरण ध्याता को पापवृत्तियों से निवृत्त
 होने की प्रेरणा देता है । धर्मध्यान का तीसरा चरण ध्याता को
 कर्म-सिद्धान्त की-ज्ञानकारी के साथ-साथ उदीयमान कर्म-प्रकृतियों

का अलग-अलग फल जानकर समना मे उनका भुगतान करने की ओर प्रवृत्त करता है । धर्मध्यान का चौथा चरण ध्याता को ज्ञेय विषयो की ओर आकृष्ट करता है । जब ज्ञान ज्ञेय रूप मे परिणत हो जाता है तब उसको क्षायोपगमिक ज्ञान कहा जाता है, किन्तु जब ज्ञेय ज्ञानरूप मे परिणत हो जाता है तब वह आधिकज्ञान कहलाता है । पहला विकल्प साधक की दृष्टि से और दूसरा विकल्प-सिद्ध की दृष्टि से है ।

धर्म ध्यान के लक्षण

जिन लक्षणो मे हम धर्म-ध्यान की पहचान कर सकते हैं वे लक्षण सख्या मे चार है, उन का विवरण इस प्रकार है—

१ आज्ञा-रुचि—तीर्थकरो की, जिनवाणी की या आचार्यों की आज्ञा मे रुचि का होना धर्मध्यान का पहला लक्षण है । जो साधक आज्ञा-पालन मे रुचि रखता है वह निश्चित ही धर्म में ध्यान रखता है ।

२. नि सर्ग रुचि—पूय जन्माजित सस्कारो की प्रबलता से स्वभावत ही केवला-भाषित तत्त्वो पर श्रद्धा का होना धर्म-ध्यान का दूसरा लक्षण है ।

३ सूत्र-रुचि—सूत्रागम, अर्थागम और उभयागम-द्वारा केवली-भाषित तत्त्वो पर आस्था रखना, उनके अनुसार आचरण करना या आगम शास्त्रो के प्रति विशेष रुचि का होना सूत्र-रुचि है ।

४ अवगाढ-रुचि—विस्तार के साथ द्वाक्षगाङ्ग वाणी का ज्ञान प्राप्त करके जिन प्रणीत भावो पर होने वाली श्रद्धा, अथवा आगमानुसार धर्मोपदेश सुनकर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे अवगाढरुचि या उपदेशरुचि कहा जाता है ।

पंच परमेष्ठी के गुणों का कथन करना, भक्ति-पूर्वक उनकी प्रशंसा एवं स्तुति करना, गुरु आदि की विनय करना, भूल कर भी कभी उनकी आशातना न करना, उन्हें १४ प्रकार का दान देना, उनके श्रुत, शील एवं समय में अनुराग रखना तत्त्वों के अर्थों पर श्रद्धा रखना, साधक के ये सभी गुण धर्म-ध्यान के चिन्ह हैं ।

धर्मध्यान के अवलम्बन

गगन-चुम्बी महलो के शिखर पर पहुँचने के लिए जैसे लिफ्ट, सीढ़ी आदि का उपयोग करना जरूरी होता है वैसे ही धर्म-ध्यान के शिखर पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित प्रमुखतम चार अवलम्बन हैं, केवली-प्ररूपित शास्त्रों का मनन करने-करते जब स्व-अर्थात् अपना ही अध्ययन प्रारम्भ हो जाता है वह स्वाध्याय कहलाता है । स्वाध्याय द्वारा श्रुत-ज्ञान प्राप्त होता है, श्रुत ज्ञान से धर्म-ध्यान के शिखरों पर पहुँचना सुगम हो जाता है ।

१ वाचना—संवर और निर्जरा के लिये शिष्य को सूत्र और अर्थ का स्वाध्याय कराना, वाचना है । गुरु की यह मनोभावना होती है कि शिष्य आगमों का ज्ञान प्राप्त करके बहुश्रुत बने । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे शिष्य को वाचना देते हैं । कुछ गुरुजन इस उद्देश्य से भी वाचना देते हैं कि उनके शिष्य उनकी साधना में सहायक बने, क्योंकि सुशिक्षित शिष्य ही आहार-पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, आदि की शुद्ध गवेषणा करने योग्य बन सकता है और दूसरों के समय में सहायक बन सकता है । कुछ गुरुजन अपने कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से शिष्यों को वाचना देते हैं । कुछ गुरुजन इस उद्देश्य से भी वाचना देते हैं कि पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाने

से ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, अतः मेरा सीखा हुआ ज्ञान भी वाचना देने से स्पष्ट हो जाएगा। कुछ गुरुजन इस लक्ष्य से वाचना देते हैं कि शास्त्र पढ़ाने की परम्परा चलती रहे नहीं तो शास्त्र का ही व्यवच्छेद हो जाएगा। अध्ययन और अध्यापन की परम्परा अपने गण में विच्छिन्न न होने देना यह बहुश्रुत का परम कर्तव्य है।

शिष्यों का भी यह कर्तव्य होता है कि तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिये, तत्त्वों पर श्रद्धा करने के लिये, चारित्र्य एवं समय की विशुद्धि के लिये, हठवाद या एकान्तवाद को छोड़ने और छुड़ाने के लिये, अनेकान्तवाद का आश्रयण लेने के लिये, आगमों का अध्ययन करने पर द्रव्य एवं पर्यायों का यथातथ्य ज्ञान हो जाएगा इस विचार से श्रुतज्ञान का अभ्यास निरन्तर करते रहना चाहिए।

२. पृच्छना—वाचना ग्रहण करते समय या पहले सीखे हुए श्रुतज्ञान में शब्दगत या अर्थगत सन्देह होने पर शका-समाधान के लिये ज्ञानी गुरुजनों से श्रद्धापूर्वक प्रश्न पूछना ही पृच्छना है। प्रश्नोत्तर विधि से ज्ञान बढ़ता है, शकाओं का समाधान करने से एवं पाने से मन समाधिस्थ हो जाता है।

३. परिवर्तना—सूत्र रूप में और अर्थ रूप में सीखे हुए ज्ञान की आवृत्ति करते रहना, उसे चितारते रहना परिवर्तना है। परिवर्तना से श्रुतज्ञान इतना सुदृढ़ हो जाता है कि वह भावी जन्मों में भी उद्बुद्ध हुए विना नहीं रहता। स्वाध्यायशील साधक का भावी जन्मों में भी मस्तिष्क स्वच्छ निर्मल एवं व्युत्पन्न रहता है।

४. धर्म-कथा—धर्मकथा के अतिरिक्त शेष सब विकथाएँ हैं। धर्मकथा सुनाने वाला यदि शरीर-सम्पदा से युक्त हो, उसकी धारणा-शक्ति और स्मरण-शक्ति प्रबल हो, वाणी और स्वभाव में योग, एक चिन्तन]

माधुर्य हो स्वमत और परमत का ज्ञान हो, मानवता की पहचान हो, मन में विरक्ति हो, जिनवाणी पर अटल थढ़ा हो और विनीत एवं निलोभी हो वही वक्ता धर्मकथा से जनता को प्रभावित कर सकता है, धर्म-प्रभावना से जीव अपना भविष्य उज्ज्वल करता है। धर्मकथा करना भी स्वाध्याय है। निरन्तर किये जाने वाले स्वाध्याय से धर्म-ध्यान की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यह स्मरणीय है कि धर्मोपदेश देने से वक्ता का भी कल्याण होता है और वह जनता का भी कल्याण करता है।

धर्म-ध्यान की अनुप्रेक्षाएं अनुप्रेक्षा का अर्थ है परिचित-और स्थिर विषय का निरन्तर चिन्तन करना अथवा कुछ विस्मृत हुए सूत्र और अर्थ को स्मरण में लाने के लिये बार-बार मनोयोग देना, अथवा एकत्व, अनित्यत्व, अकरणत्व और ससारत्व की भावना जगाने के लिये मनोयोग देना अनुप्रेक्षा है इसके भी चार रूप हैं, जैसे कि—

१ एकत्वानुप्रेक्षा—“इस ससार में न कोई मेरा है—न मैं किसी का हूँ, मैं तो अकेला हूँ” इस तरह आत्मा के एकत्व एवं असहाय-पन की भावना करना एकत्व-अनुप्रेक्षा है। इस से आत्मा को यह अनुभूति हो जाती है कि जब मेरा कोई है ही नहीं और न मैं किसी का हूँ, शरीर भी मेरा नहीं है तब ममत्व किस पर कहे ? ममत्व ही मोह और दुःख का मूल कारण है। मोह, आसक्ति और इच्छा इन सब से मुक्त होने में ही सुख है। इस तरह की विचार-धारा ही आत्मा को मोह-सागर से पार उतारती है।

२. अनित्यानुप्रेक्षा—संसार में सभी दृश्यमान पदार्थ परिवर्तनशील हैं, यह शरीर भी अनेक विघ्न-बाधाओं का, रोगों एवं

आतंक का स्थान है। सम्पत्ति विपत्ति से घिरी हुई है, सयोग वियोग से परिव्याप्त है, जन्म मृत्यु से घिरा हुआ है—ससार के सभी पदार्थ-अनित्यता से घिरे हुए हैं। इस तरह की भावना आत्मा में विरक्ति पैदा करती है। जहाँ विरक्ति है वहाँ आसक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। जब मोह-वर्धक पदार्थों को नित्य समझा जाता है, तभी उन में आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति की गहरी जड़ों को विरक्ति ही उखाड़ सकती है। विरक्ति साधक को धर्मध्यान के शिखर पर पहुँचा देती है।

३ अशरणानुप्रेक्षा जब सकलकाल में या मृत्यु के समय मनुष्य जड़-चेतन पदार्थों या देवी-देवताओं की शरण ढूँढता है, तब वह अनुभव करता है कि यहाँ माता, पिता, पुत्र, मित्र, कनक, कामिनी-आदि में से मुझे सहायता या शरण देने वाला कोई नहीं है। तब वह उद्वुद्ध होकर कहता है — 'हे जीव! केवल-भाषित धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई तेरा रक्षक नहीं है।'

इस अनुप्रेक्षा से आत्मा को इस बात का लाभ होता है कि अज्ञान एव मोह के वशीभूत अपरिपक्व साधक जिन पदार्थों को शरणरूप मानता है, मोह-तिमिर के हट जाने पर वे सभी पदार्थ स्वयं उसे अशरणरूप देखने लगते हैं।

४ संसारानुप्रेक्षा—मोह का नाम ही ससार है जीव मोह के उदय से ही चौदह राजुलोक के भीतर विविध गतियों और योनियों में जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है। फिर भी इस को सुख नहीं सुखाभास ही मिल पाता है। ससार में जितने भी अनन्त-अनन्त जीव हैं उन सब के साथ प्रत्येक जीव का सम्बन्ध मित्रता और शत्रुता के रूप में स्थापित हो चुका है। इस प्रकार ससार-परिभ्रमण

का चिन्तन करना ही मसारानुप्रेक्षा है ।

इन अनुप्रेक्षाओं से मसार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है । जिस को खरे और खोटे रत्न का ज्ञान होता है वह खरे रत्न का कभी दुरुपयोग नहीं कर सकता और खोटे रत्न की चमक दमक को देखकर उस पर मुग्ध नहीं हो सकता । वह मसार को कदलीस्तम्भ के समान निस्सार समझता है । मसार को साररूप समझना ही भूल और अज्ञानता है । मसार में यदि कुछ साररूप है तो केवली-भाषित धर्म ही है । मसार के सयोग-वियोग-जन्य दुःखों और सुखाभासों पर विचार करना ही धर्म-ध्यान की प्रवृत्ति को जगाना है । धर्म-ध्यान से मसार की निवृत्ति स्वयं हो जाती है ।

धर्म-ध्यान का चौथा चरण है संस्थान-विचय । किसी आकार विशेष का ध्यान करना ही संस्थान-विचय है । आत्मा का आकार या उस के स्वरूप का विचार करना ही धर्मध्यान है । इस के मुख्य-तया चार भेद हैं जैसे कि पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपा-तीत । इन धारणाओं के बल से ध्यान की सिद्धि की जाती है ।

१. पिण्डस्थ-धर्म-ध्यान —

ध्यान करने वाले के लिये ध्येय की सिद्धि के निमित्त सबसे पहले एकान्त एवं शान्त वातावरण वाले स्थान में पहुँच कर पद्मासन या सुखासन से बैठकर, अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो कर मन, वाणी और काय को एवं इन्द्रियो को अशुभ प्रवृत्तियों से हटाकर अपने में सलीन करना अनिवार्य है । पिण्डस्थ का अर्थ है अपने पिण्ड में अर्थात् शरीर में अवस्थित आत्मा का ध्यान करना । इसकी सिद्धि के लिये क्रमशः पाँच धारणाएँ उपयोग में लाई जाती हैं जैसे कि —


१ पार्थिवी-धारणा —सबसे पहले एकाग्रमन से इस मध्य-लोक में अवस्थित अत्यन्त, निर्मल, श्वेत रंग वाले क्षीर-समुद्र को ध्यान में देखे, फिर उसके ठीक मध्य में जम्बूद्वीप प्रमाण लम्बे चौड़े, हजार पखुड़ियों से युक्त तपे हुए स्वर्ण वर्ण वाले एक कमल के आकार की कल्पना करे । उसके मध्य में पीले रंग वाली सुमेरु के समान ऊँची कर्णिकाओं के दृश्य की कल्पना करे । उसके शिखर पर मणिरत्नो से जडा हुआ एक सिंहासन ध्यान में देखे । फिर उस सिंहासन पर अपने को अष्टविध कर्मों का क्षय करने के लिये उद्यत होकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए की धारणा करे । इस धारणा का बार-बार हृदय में नित्यप्रति अभ्यास करना चाहिये । जब इस ध्येय की सिद्धि करने में सफलता प्राप्त हो जाय, तब दूसरी धारणा का मनन करना चाहिए ।

२ आग्नेयी धारणा —ध्यान करने वाला उसी सिंहासन पर बैठा हुआ चिन्तन करे कि मेरी नाभि के भीतरी भाग से एक श्वेत रंग वाला कमल विकसित हुआ है, जिसकी सोलह पखुड़ियाँ हैं, उसकी प्रत्येक पखुड़ी या पत्ते पर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लू ए ऐ, ओ औ अ अ ये सोलह अक्षर क्रमशः स्वर्णम वर्ण में लिखे हुए हैं । उनके मध्य में एक पीले रंग वाला अक्षर 'हं' लिखा हुआ भासित हो रहा है । इसी कमल से कुछ ऊपर हृदय कमल अर्धे मुख खिला हुआ है । उस कमल के आठ ही पत्ते हैं जिनका रंग विलकुल काला है । वे काले पत्ते हैं—ज्ञाना-वरणीय, दर्शनावणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय रूप आठ कर्म हैं ऐसा चिन्तन करे ।

नाभि-कमल के ठीक मध्य में जो पीले रंग वाला 'हं' है । उसमें से धुआँ निकल कर अग्नि-शिखा मानी भडक उठी है, वह


श्रीधे मुख वाले कमल को जलाने लगी है, जलाने हुए वह अग्नि गिखा मेरे मस्तक तक आ गई है, फिर वह अग्निगिखा शरीर के दोनो ओर रेखा रूप आकर ऊपर की ओर दोनो कोनों के रूप में आपस में मिल गई हैं। शरीर के चारो ओर वह गिखा त्रिकोण रूप हो गई है। अब इस त्रिकोण की तीनों रेखाओ पर र र र र र र रूप अग्नि-तत्त्व वेष्टित है।

इसके तीनों कोनों में बाहर की ओर अग्निमय स्वस्तिक है। भीतर तीनों कोनों में अग्निमय 'ॐ रं' लिखे हैं। ऐसा भी चिन्तन करे कि यह मण्डल भीतर तो आठ कर्मों को और बाहर शरीर को दग्ध करके भस्म बना रहा है। शनैः शनैः वह शान्त हो रहा है, परिणाम स्वरूप वह अग्नि-गिखा जहाँ से उठी थी वही समा गई है। इस प्रकार का चिन्तन करना आग्नेयी धारणा है।



३. वायवी-धारणा—जब ध्याता दूसरे व्येय की धारणा में पूर्णतया सफल होजाए तो वह यह चिन्तन करे कि मेरे चारों ओर वायु मडल घूम-घूम कर कर्मों की राख को उड़ा रहा है। ध्यानावस्था में उस मडल के चारों ओर स्वाय-स्वाय अक्षर अंकित हुए देखे।

स्वाय




स्वाय

स्वाय

स्वाय

४. वाहणी-धारणा—ध्याता जब तीसरी धारणा के अभ्यास में सफल हो जाए, तब वह चौथी धारणा में प्रवेश करके चिन्तन करे कि मेरे ऊपर काले-काले मेघ छा गए हैं खूब पानी बरसने लग गया है। जल-धाराएं आत्मा के साथ लगी हुईं कर्म-रज को या आत्मा की मलिनता को दूर करके स्वच्छ एवं निर्मल कर रही हैं। ऐसा भी चिन्तन करे कि उस मेघ मण्डल में चारों ओर प प प लिखे हुए हैं।



५ तत्त्वरूपवती धारणा—जब मेमा चित्तन करते-करने अभ्यास दृढ हो जाता है तब पाचवी धारणा की भावना जगानी चाहिए। इस धारणा में अपने को सब कर्मों में एव शरीर से रहित शुद्ध-शुद्ध परमात्मा के रूप में चित्तन करना चाहिये।

२ पदस्थ-धर्मध्यान

आगमशास्त्र के किसी एक पाठ का एकाग्रता से चित्तन करना, जैसे 'लोगस्सुज्जोयगरे, पाठ का ध्यान करना। इस पाठ में सात गाथाये हैं, और अट्ठाईस चरण हैं। उनमें से अंतिम तीन चरणों को छोड़ कर पच्चीस चरणों का पच्चीस श्वासी में चित्तन करना। पदों में ध्यान को अवस्थित करना ही तो पदस्थ-ध्यान कहलाता है। अथवा एक-एक पद पर रक्ते हुए प्रत्येक पद के अर्थ का चिन्तन करना पदस्थ धर्म-ध्यान है। अथवा अपने हृदय में, मस्तक में या दोनों भीहों के मध्य में या नाभि में ॐ को चमकते सूर्य के समान देखे, इसी में अरिहन्त को या सिद्ध पद को देखे। अथवा-हृदय में आठ पाखुडियों वाले एक पुण्डरीक कमल का निर्माण करके उसकी आठों पाखुडियों पर क्रमशः पीले रंग वाले आठ पद अंकित करे। "नमो अरिहताण, नमो सिद्धाण, नमो आय-रियाणं, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सव्वसाहूण, सम्यग्दर्शनाय-नमः, सम्यग्ज्ञानाय नम, सम्यक्चरित्राय नम"। फिर प्रत्येक पद पर ध्यान देकर उसे बार-बार पढ़ना पदस्थ धर्मध्यान है।

३ रूपस्थ-धर्म ध्यान—

ध्याता अपने चित्त में यह चित्तन करे कि मैं समवसरण में साक्षात् तीर्थंकर भगवान को देख रहा हूँ। अशोक वृक्ष के नीचे

१ इसकी विशेष व्याख्या के लिये पाठक-गण योग-शास्त्र तथा जानार्णव नामक ग्रन्थ देख सकते हैं।

सिंहासनस्थ भगवान को छत्र चामरादि आठ प्रतिहार्यों के सहित देख रहा हूं। बारह प्रकार की परिपद भगवान के धर्मोपदेश सुन रही है। चौतीस अतिशय और पैंतीस वाणो के अतिशयो से युक्त भगवान के दर्शन करने के लिए चिन्तन करना, अरिहत भगवान का साकार ध्यान करना रूपस्थ धर्म-ध्यान है।

४ रूपातीत धर्मध्यान—

जब ध्याता अपने को सिद्ध भगवान की तरह निर्विकल्प समझकर ध्यान करता है, तब ध्येय में परिणत ध्याता भी अपने में रूपातीत सिद्ध भगवान की अनुभूति करने लग जाता है।

सस्थान-विचय धर्मध्यान के पिण्डस्थ आदि चार भेदों में से कोई सा भी भेद मन की एकाग्रता, कषायों के शमन, सवर एव निर्जरा में समर्थ है। कोई सा भी ध्यान अपने आप में न न्यून है और न अधिक। इनका उत्तरोत्तर विकास चौथे गुण-स्थान से प्रारम्भ होता है और सातवें गुण-स्थान में धर्म-ध्यान की पूर्णता हो जाती है। धर्म-ध्यान में पूर्णतया अप्रमत्त सयत ही लीन हो सकता है।

धर्मध्यान के सदर्थ में दो परम्पराएँ विद्यमान हैं। एक मान्यता श्वेताम्बरी की है, वह सातवें गुणस्थान से लेकर बाहरवें गुणस्थान तक धर्मध्यान का अस्तित्व मानती है। दूसरी दिगम्बरी की है वह धर्मध्यान का अस्तित्व सातवें गुणस्थान तक ही स्वीकार करती है, आगे के गुणस्थानों में शुक्लध्यान ही पाया जाता है। वह भी केवल पूर्वघर श्रुतज्ञानी में ही, अन्य में नहीं।

शुक्लध्यान और उसके भेद—

जो ध्यान अत्युज्ज्वल हो, जिसमें प्रविष्ट होकर साधक को

परमानन्द एवं परमशान्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ की अनुभूति न होती हो जो यथाख्यात चारित्र के बल से वीतरागता की ओर बढ़ता ही जाए, वह शुक्लध्यान है। शरीर का छेदन-भेदन होने पर भी इस ध्यान में लीन साधक का मन लक्ष्य में तिल भर भी विचलित नहीं होता। शुक्लध्यान के चार प्रकार हैं—

- १ पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी।
- २ एकत्व-वितर्क-अविचारी।
- ३ सूक्ष्म क्रिया-अनिवर्त्ती।
- ४ समुच्छिन्न-क्रिया-अप्रतिपाती।

१ पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी —

जब एक द्रव्य के पृथक्-पृथक् अनेक पर्यायों का मनो की दृष्टि से चिन्तन किया जाता है तब पृथक्त्व पद-सार्थक होता है उसमें पूर्वगत श्रुतज्ञान का आलंबन लिया जाता है, अतः पृथक्त्व-पद के साथ ही वितर्क पद का उपयोग किया गया है। वितर्क शब्द का विशेष अर्थ है श्रुतज्ञान। सविचारी का अर्थ है शब्द का चिन्तन करते करते अर्थ का चिन्तन करना, अतः शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में चिन्तन की धारा बदलते रहना, मन, वचन और काय में से एक योग से दूसरे में विचारों का सक्रमण करना ही सविचारी कहलाता है। इसमें ध्यान का विषय द्रव्य और उसके पर्याय ही रहते हैं।

ध्यान दो प्रकार का होता है—सालंबन और निरालंबन। इन्हीं को दूसरे शब्दों में सविकल्प-ध्यान और निविकल्प-ध्यान भी कह सकते हैं। ध्यान में ध्येय का परिवर्तन होता भी है और नहीं भी। जब कोई ध्याता-पूर्वघर हो तब पूर्वगत श्रुतज्ञान के

आधार पर और यदि पूर्वघर न होता प्राप्त श्रुतज्ञान के आधार पर एक पर्याय से दूसरी पर्याय में तथा दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय में विचारों का सक्रमण करता रहे, यही इस ध्यान की उपयोगिता है। इस ध्यान का पूर्ण विकास ग्यारहवें गुणस्थान में होता है।

एकत्व-चिन्तक-अविचारी—इस ध्यान में श्रुतज्ञान का अवलंबन होने पर भी मुख्य रूप से अभेद चिन्तन की प्रधानता रहती है अर्थ, शब्द और योगों का पारस्परिक परिवर्तन एव सक्रमण नहीं होता। जिस प्रकार निर्वात स्थान में दीपक की लौ अडोल एव स्थिर रहती है उसी प्रकार इस ध्यान में चित्त स्थिर रहता है। एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य पर नहीं जाता, चित्त एकाग्र हो जाता है। यह ध्यान क्षपक श्रेणी में होता है और बारहवें गुणस्थान में इसकी पूर्णता हो जाती है। उपर्युक्त दोनों में से पहले भेद-प्रधान ध्यान का अभ्यास दृढ हो जाने के अनन्तर ही इस दूसरे अभेद-प्रधान ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है।

सूक्ष्म - क्रिया - अनिर्वर्त्ती—शुक्लध्यान का तीसरा चरण तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम छोर पर और चौदहवें गुणस्थान में प्रवेश करने से पहले उपयुक्त होता है। मुक्त होने से पहले केवली भगवान मन और वचन इन दो योगों का निरोध पूर्णतया कर देते हैं, अर्ध काय-योग का निरोध भी कर लेते हैं। सिर्फ काय में उच्छ्वास और निश्वास आदि मूक्ष्य क्रियाएँ ही रह जाती हैं। केवली वहा से पीछे नहीं हटते। योगनिरोध के क्रम में काय-योग के सूक्ष्म रूप का आश्रय लेकर शेष सभी योगों को रोक लेते हैं।

समुच्छिन्न-क्रिया-अप्रतिपाती—शैलेशी अवस्था को प्राप्त

केवली भगवान सभी योगो का निरोध कर लेते हैं। योगो के निरोध से सभी क्रियाए रुक जाती हैं। तत्र उनका यह ध्यान सदैव ही बना ही रहता है। इस ध्यान के प्रभाव से वे आत्मवो का पूर्ण निरोध करके पूर्णसवर और अधाती कर्मो का सर्वथा क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

शुक्ल-ध्यान के पहले दो भेद छद्मस्थ मे पाए जाते है और अतिम दो भेद केवल ज्ञानी मे ही पाए जाते है। इन मे किमी भी प्रकार के श्रुतज्ञान का आलम्बन नही होता, अत ये दोनो ध्यान निरालम्बन भी कहलाते है।

शुक्लध्यान के चार लक्षण —

१. अव्यग - शुक्लध्यानी के मन मे या शरीर मे क्षोभ एव व्यथा का सदा अभाव होता है।

२ असम्मोह—शुक्लध्यान मे विषयो का सम्बन्ध होने पर भी वैराग्य बल से चित्त बाहरी विषयो की ओर नहीं जाता तथा उसमे सूक्ष्म पदार्थ विषयक मूढता का अभाव होता है।

३ विवेक—शुक्लध्यान मे शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान होता है।

४. व्युत्सर्ग—शुक्लध्यान की अवस्था मे देह और उपधि पर स्वभावतः अनासक्ति हो जाती है।

शुक्लध्यान के चार आलम्बन—

१ क्षमा—सहन-शीलता रखना, किसी के द्वारा परीषह उपसर्ग दिए जाने पर भी क्रोध को पैदा ही न होने देना, उत्पन्न हुए क्रोध को नम्रता से, विवेक से निष्फल बना डालना।

२. मार्दव—चित्त मे सुकोमलता और वाह्य व्यवहार मे नम्रवृत्ति का होना मार्दव है। अभिमान की सभी वृत्तियों का विनाश कर देना ही मार्दव है।

३. आर्जव—विचार, भाषण और व्यवहार की एकता ही आर्जव अर्थात् निष्कपटता है।

४. निर्लोभता—धर्म के साधन एव देह आदि पर भी असक्ति न रखना निर्लोभता है।

शुक्लध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ—

१. अनन्तवृत्तिता—भव-परम्परा की अनन्तता का चिन्तन करना कि यह जीव अनादि काल से ससार मे चक्कर लगा रहा है, चार गतियों मे निरन्तर विना विश्राम के परिभ्रमण करते-करते धर्म के अभिमुख नहीं हो पाता है। इस प्रकार का विचार करना।

२. विपरिणामानुप्रेक्षा—वस्तुओं के विविध परिणामों पर विचार करना कि सभी भौतिक-सामग्री अशाश्वत है, क्या यहाँ के और क्या देवलोक के कोई भी स्थान शाश्वत नहीं है।

३. अशुभानुप्रेक्षा—ससार की अशुभ पर्यायों का चिन्तन करना, जैसे कि एक अत्यन्त सुन्दर व्यक्ति मर कर अपने ही कलेवर मे कृमि के रूप से उत्पन्न हो जाता है, यह है ससार की अशुभता।

४. अपायानुप्रेक्षा—विषय-कषायों से या राग-द्वेष से होने वाले दुष्परिणामों से जीवों को जो कुछ फल भोगना पड़ता है, वह अपायानुप्रेक्षा है।

ध्यान का स्वरूप, लक्षण, आलवन और अनुप्रेक्षा ये सब कर्मों के स्थिति-घात, रस-घात, कर्मों के प्रक्षय, सवर और निर्जरा, ये सब आत्मा के उत्थान, विकास एव कल्याण के सफल साधन हैं। जो कार्य-सिद्धि स्थिर प्रकाश में हो सकती है, वह वादल की चचल दामिनी के प्रकाश में नहीं हो सकती। कोई काम यदि ध्यान से किया जाए वह अवश्य सफल होता है फिर-दुःख-निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति क्यों न होगी? योगो का संवरण ही ध्यान है और ध्यान है अन्तर्मुखी-वृत्तियों की एकतानता। ●



२६. उदय मारणान्तिक

साधक को मारणान्तिक कष्ट आने पर भी समभाव रखना चाहिए। समभाव तभी मन में रह सकता है जब कि हम सुखों की तरह दुःखों का भी स्वागत करते रहे। दुःख और सुख दोनों हमारे अतिथि हैं। जो जिसका अतिथि है, वह उसी के घर में ही तो जाएगा, वह अन्य किसी के घर में नहीं जा सकता। एक का स्वागत तो हम सहर्ष करते हैं और दूसरे का स्वागत विल्कुल ही नहीं करते। भला इस तरह करने से वह क्या हमारा पीछा छोड़ देगा? ज्ञानी लोग सुख का स्वागत चाहे करे या न करे, किन्तु दुःख का सम्मान अवश्य करते हैं। दुःख से परिचय अवश्य ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही सावधान व्यक्ति को अकस्मात् आने वाले दुःख भयभीत नहीं कर सकते। दुःखों का स्वागत सहनशीलता से होता है।

सहिष्णुता अर्थात् सहनशीलता दो प्रकार की होती है, एक तो कष्ट और विपत्ति में स्थिर रहना सिखाती है, दूसरी निषिद्ध वस्तुओं से दूर रहकर ज्ञान कराती है। सहिष्णुता भी धर्म का एक अंग है, जिसको सहिष्णुता से प्रेम है वह उसे कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जीवन में माधुर्य घोलता है और दुःखों को हल्का भी करता है और साथ ही दुःखों को सुख के रूप में बदल देता है। तप करना, किसी को वैयावृत्य में सलीन रहना, पैदल विहार

करना, सिर पर छाता न रखना, पैरो में जूते न पहनना, निर्दोष भिक्षा लाना, मर्यादित वस्त्र रखना, अपना काम गृहस्थो से या दूसरो से न कराना, स्वावलम्बी बनना, केशलुंचन करना, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास को सहन करना। कायक्लेशतप करना, भीषण गर्मी में भी पखा न करना, धूप की आतापना लेना, सर्दियों में अधिक वस्त्रों का उपयोग न करना, ठंडी शिला पर लेटना, शरीर और उपकरणों की विभूषा न करना, मूढा, पलंग चारपाई आदि का प्रयोग न करना, विशेष कारण के बिना उपाश्रय से बाहर न जाना, रोग एवं आतंक उत्पन्न होने पर सहनशक्ति से काम लेना, स्वाध्याय आदि के द्वारा शरीर को अपने वश में रखना. अज्ञानियों के द्वारा दिए गए परीपह-उपमर्गों को सहन करना इत्यादि कारणों से दुख सहते-सहते इतना प्रबल अभ्यास हो जाता है कि साधक मारणान्तिक कष्ट आने पर भी अपने परम लक्ष्य से विचलित नहीं होता। जो साधक सुखशील हैं, भौतिक सुखों के इच्छुक हैं, वे साधुता को भार ही समझते हैं।

सच्चा साधक प्रिय-धर्म और दृढ धर्म होता है। सुख के दिनों में भी उन्हें धर्म प्रिय होता है और दुख के दिनों में भी वे अपनी वृत्ति में दृढ रहते हैं। चय सौगमल—सुकुमारता का परित्याग करने पर ही वास्तविक अर्थों में साधुता का पालन होता है, अतः मारणान्तिक वेदना भी यदि शरीर में पैदा हो जाए तो भी समय-मर्यादा का उल्लंघन न करे, सहन-शक्ति से उस वेदना को सहन करे, यही मुमुक्षु जन्त का परम कर्तव्य है।



३० संग-परित्याग

संग शब्द के यद्यपि अनेक अर्थ हैं, तथापि उनमें एक अर्थ मिलना और साथ रहना भी है।

सग दो प्रकार का होता है—सुसग और कुसग। साधक को सबसे पहले कुसग से बचना चाहिए। जिन की सगति से जीवन पतन की ओर जाए, ऐसे लोगों का सग वर्जनीय है। जैसे सभ्य मानव कीचड़ से अपने अंगों को और वस्त्रों को सब तरह से बचाने का प्रयत्न करता है, कहीं भी किसी तरह वस्त्रों पर धक्का नहीं लगने देता और न ही रहने देता है, इसी प्रकार साधक भी जीवन की चादर पर कुसग का धक्का नहीं लगने देता। जीवन में बुराइयों का प्रवेश कुसग से होता है, अतः उससे बचने के लिए साधक निरन्तर यत्नशील रहता है। यदि गुलाब के पीपे को तेजाब से सींचेंगे तो वह सूख ही जाएगा और यदि उसे अच्छे पानी से सींचा जायगा तो वह फूलेगा, फलेगा, अतः कुसंग तेजाब है और सुसंग पानी, जिनकी श्रद्धा-प्ररूपणा ठीक है, उन की सगति में रहना और मिथ्या-दृष्टि एवं असत्यता से बचना, इन दोनों का एक साथ आश्रय ग्रहण करना ही कल्याण-प्रद है।

सग का एक अर्थ और भी है, वह है सासारिक विषयो में अनुराग या आसक्ति रखना। पाच इन्द्रियों के पाच विषय हैं—शब्द,

रूप, रस, गंध और स्पर्श । इन्द्रियों के विषय अपने आप में न शुभ है न अशुभ । उन्हें शुभ और अशुभ के रूप में देखना और प्रयोग में लाना जीवों की अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर है । उदाहरण के रूप में आंखों का विषय रूप है अतः आंखों का रूप की ओर जाना स्वाभाविक है । विषयी जीव जब किसी सुन्दर रूप को देखता है तो वह पागल होकर उसके चारों ओर भटकने लगता है, उसी रूप को जब एक दृढ़ निश्चयी साधक देखता है तो वह उस रूप के पीछे छिपे मल, मूत्र रक्त-मांस, मेदा, अस्थि आदि अशुचि पदार्थों को देखता हुआ 'भीतसी भगार भरी ऊपर ते कली है ।' की भावना भाता हुआ उसी रूप को अशुभ समझ कर उससे विरक्त होकर आंखें बन्द करके आत्म-अवस्थित हो जाता है । जो इन्द्रियों के विषय मिथ्यात्व, अज्ञान एवं असंयम के पोषक हैं, या राग-द्वेष के सर्वर्षक हैं, संयम-मर्यादा के गोपक हैं, वे सब सांसारिक विषय कहलाते हैं, उनका संग वर्जनीय है । विषय और विषयों के सभी साधन मोह-वर्षक होने से परिवर्जनीय है, अतः पहले उन के स्वरूप और दुष्परिणामों को सम्यग्ज्ञान से जाने, फिर उनके संग का परित्याग करे । विषयों से परिचय न बढ़ाए, उनको पाने के लिए कभी इच्छा न करे । यही संग-परित्याग है ।

जो तीर्थङ्करो की दिव्य ध्वनि है, श्रमण-निर्ग्रन्थों के अन्त-करण से निकले शब्द हैं, गुरु के मुखारविन्द से निकली आज्ञावाणी है, अथवा जिस शब्द को सुनकर मानसिक विकार शान्त हो जाए, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि हो, वह शब्द सांसारिक विषय नहीं है । आगम-शास्त्रों का अवलोकन, श्रमण-निर्ग्रन्थों के दर्शन, निविकारता पूर्ण देखना, देव-दर्शन, उपकरणों की विधि-पूर्वक प्रति-लेखन करना, अहिंसा भाव से और शुभ ध्यान से

देखना सांसारिक विषय नहीं है। स्वाभाविक रूप से सुगन्ध का अनुभव हो जाना तथा समवसरण का सुगंधमय वातावरण भी सांसारिक विषय नहीं है। जीने के लिए खाना उचित है, खाने के लिए जीना उचित नहीं, अनासक्त भाव से खान पान करना, प्रासुक निर्दोष आहार-पानी ग्रहण करना सांसारिक विषय नहीं है। विषयानन्द के लिए नहीं, जीवन-निर्वाह के लिए चौकी-पट्टा, भूमि, आसन, अकृत्रिम वायु आदि का उपयोग करना सांसारिक सग नहीं कहा जा सकता।



प्रेरणा से किया जाता है वह पश्चात्ताप है और जो गुरु की साक्षी एव आज्ञा से किया जाए वह प्रायश्चित्त है । यद्यपि गुब्दीकरण की दृष्टि से आप अपने मकान, दुकान, उद्यान, श्मशान आदि में भी पश्चात्ताप एव प्रायश्चित्त कर सकते हैं, तथापि किसी जानी गभीर आचार्य के सामने प्रायश्चित्त करने की अधिक महत्ता है । ऐसा करने से वह दोष शीघ्र ही दूर हो जाता है । कारण कि किसी के सामने आलोचना करने से दोष की निवृत्ति बलपूर्वक होती है, जैसे किसी ने किसी की निन्दा की और उसी से जाकर कहना "मैंने आज आपकी निन्दा की थी, मैंने यह अपराध किया था यह कहना कठिन है । अपेक्षा इसके कि घर में बैठकर विचार किया जाए, "आज मैंने अमुक की निन्दा करके बहुत बुरा किया है ।"

एकान्त में बैठे-बैठे पश्चात्ताप करना निन्दना है । जिसका अपराध किया है, उसके सामने अपनी भूल मानना और क्षमा याचना करना गर्हणा है । जिस दोष या पाप का संबन्ध केवल अपने से है, दूसरे से नहीं, उसको किसी अनुभवशील जानी के सामने प्रकट करना आलोचना है । वैसा फिर न करना सच्चा प्रायश्चित्त है । जिस अपराधी के मन में दोष या पाप के प्रति पश्चात्ताप नहीं होता, वह कभी प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार नहीं होता ।

प्रायश्चित्त की तीन सीढियाँ हैं—आत्मग्लानि, दूसरी बार पाप न करने का निश्चय और आत्म-शुद्धि । ससार में सभी को वह व्यक्ति अधिक प्रिय लगता है जो करता है, कहता नहीं । जो कहता तो है, किन्तु करता नहीं, वह सबको अप्रिय लगता है । अतः कहना और न करना इस रीति को छोड़कर करना और न कहना, इसी मार्ग को अपनाना चाहिए ।

पाप की पहचान ही मुक्ति-मार्ग का पहला पड़ाव है । जब
योग एक चिन्तन]

तक पाप या दोष की पहचान नहीं होती तब तक उसकी निवृत्ति के लिए कभी सोचा नहीं जा सकता । अतः अपनी आलोचना और अपनी निन्दा में रुचि का होना इस बात का प्रमाण है कि मैंने अपने घर की देखभाल करनी शुरू कर दी है । निन्दा दूसरे की नहीं, अपनी करनी चाहिए, अपनी भी नहीं द्वेषित आत्मा की करनी चाहिए । जो दूसरे के अवगुण बखानता है, वह वस्तुतः अपना अवगुण प्रकट करता है । वही यह सिद्ध करता है कि "मैं दोष-दर्शी निन्दक हूँ ।" सर्वोत्तम व्यक्ति वही है जो आत्मभाव में रहता है । जो सबके गुण लेता है वह उत्तम है । जो गुणी के ही गुण लेता है वह मध्यम है । अधम वह है जो दोषों का दोष देखता है । जो निर्दोषों का भी दोष ही देखता है, वह अधमाधम है । अतः मानव के लिए भगवान् ने यही कहा है कि दोष देखना ही तो अपना देखो, जिस से दोष दूर करने की वृत्ति पैदा हो और अहंकार मिट कर नम्रता आये । अहंभाव में कोई भी साधक प्रायश्चित्त करने के लिए अपने आप को उद्यत नहीं करता, क्योंकि विनीत व्यक्ति ही व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन का पालन कर सकता है । अविनीत साधक साधना के क्षेत्र में कहीं भी सफल नहीं हो सकता । विनीत साधक की दृष्टि अपने दोषों पर और दूसरों के गुणों पर रहती है ।

प्रायश्चित्त—वह शास्त्रीय कृत्य प्रायश्चित्त कहलाता है जिस के करने से पाप या अपराध करनेवाले की पाप वृत्ति भविष्य के लिये छूट जाती है । प्रायश्चित्त दोष या अपराध से न न्यून होना चाहिए और न अधिक । प्रायश्चित्त देनेवाले को मध्यस्थ एवं पक्षपात-रहित होना जरूरी है और द्वेषभाव से दिया हुआ अधिक प्रायश्चित्त भी अन्याय है । अनिच्छा से स्वीकार करना दंड है और इच्छा

पूर्वक स्वीकार करना प्रायश्चित्त है । कारावास, जुर्माना और काय परिक्लेश अर्थात् सजा सरकार देती है और प्रायश्चित्त गुरु देते हैं । दण्ड से दण्डनीय का सुधार हो या न भी हो, किन्तु प्रायश्चित्त से अन्त करण की शुद्धि अवश्य होती है । प्रायश्चित्त के नौ भेद हैं, जैसे कि—आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय प्रायश्चित्त, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल और अनवस्थाप्य इनका विवरण इस प्रकार है ।

१ आलोचना—मूलगुण मे या उत्तरगुण मे लगे हुए दोष की निवृत्ति के लिये गुरु के समक्ष निष्कपट हृदय से आलोचना करना प्रायश्चित्त है । जिम दोष की निवृत्ति आलोचना करने मात्र से हो जाए उसे आलोचना कहते हैं । अपनी भूल या गलती को पश्चात्ताप पूर्वक कहना ही इसका प्रयोजन है । इससे आत्मशुद्धि होती है और पुनः दोष न करने की वृत्ति जागृत होती है ।

२ प्रतिक्रमण—जिस दोष की निवृत्ति प्रतिक्रमण करने से हो जाए उसके अनन्तर आलोचना करने की आवश्यकता न पड़े, उस प्रायश्चित्त को प्रतिक्रमण कहते हैं । 'तस्स मिच्छा मि दुक्कडं' कहते हुए दोषी जीवन से लौट कर अपने साधक जीवन मे आना प्रतिक्रमण है ।

३ उभयप्रायश्चित्त—जिस दोष की निवृत्ति आलोचना और प्रतिक्रमण दोनो से हो वह उभय प्रायश्चित्त कहलाता है ।

४. विवेक—शय्यातरपिण्ड, अप्रासुक, अनेषणीय, अकल्पनीय आहर-पानी सेवन करने का त्याग करना, अथवा 'भविष्य मे मुझ से ऐसी भूल नही होगी, या अब मैं भूलकर भी ऐसी भूल नही करु गा' इस प्रकार की प्रतिज्ञा का मूल विवेक है, अतः इसे विवेक-प्रायश्चित्त कहा जाता है ।

५. व्युत्सर्ग—कायोत्सर्ग करना, इन्द्रिय-चेष्टाओ को रोक

कर मन को किसी व्येय विधेय पर केन्द्रित करना, जप में या पाठ में उपयोग लगाना, जैसे 'इर्यावही' का या 'लोगन्मुज्जोयगरे' पाठ का यथासंभव अधिकाधिक ध्यान करना व्युत्सर्ग-प्रायश्चित्त है ।

६. तप—तप दो उद्देश्यों से किया जाता है—एक आत्म-शुद्धि के लिए और दूसरा दोष-निवृत्ति के लिए । जिस दोष की निवृत्ति तप करने से ही हो, अन्य किसी साधारण प्रायश्चित्त से न हो सके, वह तप प्रायश्चित्त है । नवकारसी, पौरुषी, दोषीरुषी, एकाशना, एकल्लट्टाण, रस परित्याग, आयविल, उपवास, वेला, तेला आदि तपो के द्वारा दोषों की निवृत्ति करना ही तप-प्रायश्चित्त है ।

७. छेद—साधक के जिस दोष की निवृत्ति साधारण तप से न हो सकती हो और प्रबल तप करने की शक्ति भी उसमें न हो, तब उसे छेद प्रायश्चित्त दिया जाता है, अर्थात् उसकी दीक्षापर्याय का छेद कर दिया जाता है । इससे जो ज्येष्ठ है वह कनिष्ठ बन जाता है और कनिष्ठ ज्येष्ठ बन जाता है । अथवा छेद प्रायश्चित्त लेने वाले के साथ जीवनभर के लिए कनिष्ठ-सन्तों द्वारा ज्येष्ठ होते हुए भी कनिष्ठ जैसा व्यवहार किया जाता है, इसे ही छेद प्रायश्चित्त कहा जाता है ।

८. मूल—यह वह प्रायश्चित्त है जिसके करने पर साधु को एक बार लिया हुआ समय छोड़ कर पुनः दीक्षा लेनी पड़ती है, किसी महाव्रत के सर्वथा भंग होने पर इस प्रायश्चित्त का विधान है ।

९. अनवस्थाप्य—दोष-निवृत्ति के लिये विशिष्ट-तप करने के बाद ही दुबारा दीक्षा ग्रहण करने को अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त कहा जाता है ।

यद्यपि दोषों की कोई गणना नहीं की जा सकती, वे अनगिनत हैं, तथापि उन सबको चार भागों में विभक्त किया जा

सकता है जैसे कि—अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार । वस्तुतः ये चार दोषों को परखने के मापदण्ड हैं । अबोध अवस्था में साधक के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप में जो विषय-कषाय तथा राग-द्वेष के वशीभूत होकर प्रमाद आदि के कारण दोष लगा है वह अनुभव के आधार से परखा जाता है । प्रत्येक दोष के चार-चार स्तर होते हैं, यह किस स्तर का दोष है ? उसे परख कर जिस स्तर का दोष हो उसकी निवृत्ति उसी स्तर के प्रायश्चित्त से की जाती है । प्रायश्चित्त-विधान का विज्ञ मुनीश्वर ही जान सकता है कि यह दोष किस प्रायश्चित्त से निवृत्त हो सकता है ? जिस से साधक के मन में सयम-विषयक उत्साह भी बना रहे और दोष भी निवृत्त हो जाए । वह दोष-स्तर या मापदण्ड चार प्रकार का होता है जैसे—राजनीति के दण्डविधान में न्यायाधीश भी अपराध के स्तर को देखकर उसी के आधार पर अपराधी को दण्ड देता है, सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में मारने के सकल्प पैदा होते हैं, उसके बाद उसे मारने के लिए जिन उपायों से मारा जा सकता है उन उपायों या साधनों को जुटाने का प्रयास करना, तत्पश्चात् मारने के सकल्प से लेकर प्रहार करने तक सभी चेष्टाओं को तीसरे स्तर में मानते हैं, प्राण-हत्या हो जाने के अनन्तर प्राणदण्ड, आजीवन कारावास, स्वदेशनिष्कासन इत्यादि कठोर दण्ड दिये जाते हैं । प्राणदण्ड, आजीवन कारावास और देश-निकाला ये तीनों दण्ड दोष के स्तर पर ही आधारित होते हैं । आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधक के दोष स्तर को देखकर उसे प्रायश्चित्त दिया जाता है । दोष-स्तर को परख निम्नलिखित चार रूपों में की जाती है—

१. अतिक्रम—जब किसी साधक के मन में गुरुजनों की आज्ञा एवं सघ-मर्यादा के विरुद्ध सकल्प पैदा होते हैं, वही से दोषों

का अवतरण प्रारम्भ हो जाता है, यही दोष-प्रवृत्ति का प्रथम स्तर है जिसे अतिक्रम कहा जाता है।

२ व्यतिक्रम—किसी मूलगुण या उत्तर गुणों को दूषित करने के लिए कोई विधि या युक्ति सोचना और उन्हें दूषित करने के लिए सामग्री जुटाने की योजना बनाना व्यतिक्रम है। यही दोषों के दोषों का द्वितीय स्तर है।

३ अतिचार—सोची हुई योजना के अनुसार अपराध करने के लिए कार्यक्रम में जुट जाना अतिचार है। इसके मुख्यतया चार भेद हैं। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर। एक वह है जो व्यतिक्रम के निकट है और चौथा अनाचार के निकट है। इन भागों में से किसी भी भाग में पहुंचा हुआ दोष उत्तर-उत्तर व्रतों को क्षति ग्रस्त कर देता है, किन्तु बिल्कुल नष्ट नहीं करता। यही तीसरा स्तर है जिसके आधार पर प्रायश्चित्त का निर्धारण किया जाता है।

४ अनाचार—जब प्रबल दोष से व्रत या मर्यादा पूर्णतया ही भंग हो जाए, बिल्कुल ही मुर्दा हो जाए, तब उस दोष को अनाचार कहते हैं। अनाचार में व्रत का कुछ भी अंश शेष नहीं रह जाता, यह चौथा स्तर है दोष प्रवृत्ति का, जिसके लिये अधिकाधिक दण्ड अपेक्षित है।

न्याय स्वपक्ष-विपक्ष से दूर रहकर ही किया जाता है। दूषितात्मा की शुद्धि हो जाए और सामाजिक वातावरण भी शान्त बना रहे वैसा न्याय करना चाहिए। निरपराधी को दंडित न किया जाए और अपराधी को सुधार की दृष्टि से यथासम्भव दण्डित किया जाना ही चाहिये, श्रेष्ठजनों की रक्षा करना न्याय है। न्याय भी अहिंसा का ही दूसरा रूप है। न्याय से ही मानवता की रक्षा

होती है। मानवता का स्तर नीचे न गिरने देना ही न्याय का मुख्य उद्देश्य है।

अहिंसा को लक्ष्य में रखकर प्रायश्चित्त दिया जाता है और आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त लिया जाता है। यद्यपि प्रायश्चित्त के भी अनेक रूप हैं, तथापि जीवन-शुद्धि की दृष्टि से वे सब एक हैं। हितशुद्धि द्वारा की हुई दण्डव्यवस्था से यदि किसी को दुःखानुभूति भी हो वह अनुभक्तियों का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि दण्डित करते समय गुरुजनों के भाव, दुःख देने के नहीं होते।-साधु या साध्वी दूसरे साधक का केशलुचन भी करते हैं, पैर से काटा भी निकालते हैं, स्वस्थ करने की इच्छा से फोड़े आदि को दवा कर पीप भी निकाल देते हैं, जिससे रोगी को पीडा भी होती है, किन्तु उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता। विधि-मार्ग में या निषेधमार्ग में प्रवृत्त कराते हुए शिष्य का मन दुःखित भी हो जाए तो भी गुरु का अहिंसा व्रत दूषित नहीं होता। वैसे ही प्रायश्चित्त देते हुए भी आचार्य पाप-कर्म का वध नहीं करता, क्योंकि अपने कर्त्तव्य का पालन करना भी न्यायोचित है।

प्रायश्चित्त देते समय गुरु जनो को भी यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस स्तर का दोष हो उसकी निवृत्ति उसी स्तर के प्रायश्चित्त से की जाए, अतः दोषावस्था में साधक के लिए प्रायश्चित्त अत्यावश्यक है। प्रसन्न अवस्था में दोष यदा-कदा लग ही जाता है। प्रायश्चित्त के बिना दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती। प्रायश्चित्ती-करण भी साधना का एक प्रमुखतम अङ्ग है।



३२. मारणांतिक आराधना

अभी तक जिन इकत्तीस योगों का विवेचन किया गया है वे सब साधना-मय जीवन के लिये उपयोगी हैं, परन्तु जीवन के साथ मरण का भी तो अटूट सम्बन्ध है, उसे किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता। प्रत्येक साधक को एक न एक दिन मृत्यु में अवश्य जूझना पड़ता है। अतः अब मारणांतिक आराधना के रूप में अहिंसा-व्रती साधक मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करे ? इस विषय का विवेचन किया जाता है।

सयम एवं तप की उत्कर्षता से कषायो एवं शरीर को कृश करना सलेखना है। यदि जीवन एक कला है तो मरण भी एक कला ही है। जिसको जीने की कला नहीं आती, उसे मरने की कला भी नहीं आ सकती।

पहले के इकत्तीस साधन चारित्र्य का निर्माण करके जीने की कला सिखाते हैं, किन्तु जीवन की जितनी भी कलाएँ हैं, उन सब में मरण-कला चूलिका के समान है या माला में सुमेरु के समान है। इसी कला के सौन्दर्य का निर्माण करने के लिये उसमें आनन्द भरने के लिये उपर्युक्त इकत्तीस जीवनकला के साधन बताया गए हैं। यह कला कषायो को मदता एवं क्षीणता से आती है, सिद्धि या प्रसिद्धि से नहीं।

मारणान्तिक आराधना की भूमिका ही सलेखना है। काल की अपेक्षा से सलेखना तीन प्रकार की होती है—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य छह मास का काल, मध्यम एक वर्ष का काल और उत्कृष्ट बारह वर्ष का काल सलेखना-काल है।

बारह वर्ष के सलेखना-काल का क्रम इस प्रकार है—सलेखना करनेवाला साधक सर्व प्रथम चार वर्षों में रस-परि-त्याग तप अर्थात् आयविल करे। मध्य के चार वर्षों में उपवास वेला, तेला आदि विविध विध तप करता रहे, फिर दो साल तक एकान्तर तप करे। पारण के दिन आयविल करे। उसके बाद ग्यारहवें वर्ष के पूर्वार्द्ध में छह महीने तक वेला, तेला, चौला आदि तप न करे, किन्तु उत्तरार्द्ध के छह महीनों में तेला, चौला आदि उत्कृष्ट विविध तपो की आराधना करे। इस पूरे वर्ष में पारण के दिन आयविल करे, बारहवें वर्ष में निरन्तर आयविल करे। जब आयु एक महीने की या एक पक्ष की रह जाए तब पूर्णतया अनशन करे। (उत्तर० अ० ३६। गा० २५१ से लेकर २५५ तक)।

आमरण अनशन का प्रागभ्यास या पूर्वाभ्यास ही सलेखना है। प्रागभ्यास की सफलता ही सथारे की सफलता है। इस प्रक्रिया को ही मारणातिक आराधना कहते हैं। कषाय भाव का अत करने के लिए, मोह-ममत्व के इधर-उधर फँलते हुए ज्ञान का छेदन करने के लिए या उन्मूलन करने के लिए सथारा किया जाता है। इतना ही नहीं, जीवन के निर्वाहक और पोषक तत्वों को घटाते हुए सभी विकारों को मद या क्षोण करना ही सलेखना है। यह सलेखना-व्रत वर्तमान शरीर का अत होने तक लिया जाता है। इस व्रत की आराधना गृहस्थ और साधु दोनों कर सकते हैं।

शका हो सकती है कि अनशन के द्वारा शरीर का अन्त करना

तो स्पष्ट रूप से आत्महत्या है ? फिर इसको ब्रत मानकर त्याग-धर्म में स्थान देना कहा तक उचित है ?

इस गका के समाधान में यह दृढ़ता से कहा जा सकता है कि अनशन देखने में भले ही दुःखकारी या प्राणनाशक प्रतीत होता हो, किन्तु सलेखना ब्रत में प्राणनाश तो होता ही है, किन्तु वह हिंसा की कोटि में नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनशन में राग-द्वेष, मोह आदि विकार नहीं होते, जबकि आत्महत्या या परहत्या राग-द्वेष, क्रोध, मान आदि विकारों के बिना नहीं हो सकती। इस ब्रत से तो साधक शुद्ध ध्यान की उपलब्धि करता है क्योंकि सलेखना तो त्याग-प्रयान धर्म है। धर्म के साथ जोना और धर्म के साथ मरना यही जैन सस्कृति का मुख्य ध्येय है। जब देह का अत निश्चित रूप से जान पड़े, तब मरणभय में सर्वथा मुक्त होकर दुर्ध्यान में निवृत्त होकर, समय और तप की विगिष्ट आराधना के लिए इस ब्रत को विधेय माना गया है।

आचाराङ्ग-सूत्र में बताया गया है कि जब मुनि को यह अनुभव हो कि मैं इस शरीर को धारण करने में विल्कुल असमर्थ हो रहा हूँ, उसे देहपात का ज्ञान हो जाए, तब वह क्रम से आहार का सकोच करे, शरीर को एव कपायो को तपस्या से कृश करे। जिस मुनि का चारित्र्य निरतिचार रूप में चल रहा हो, सलेखना करने वाले आचार्य भी मूलम हो, दुर्भिक्ष आदि का भय भी न हो, किन्तु उसे देहपात का ज्ञान नहीं, तब वह स्यारे का अधिकारी नहीं माना जा सकता। यदि किसी विगिष्ट कारण में वह स्यारा करना चाहता है तो मानना पड़ेगा कि चारित्र्य की कठिनता में या किसी अन्य कारण से उसका चित्त खिन्न है और वह खिन्नता के आवेग में प्राणों को त्याग करना चाहता है। ऐसा प्राण-त्याग जैन सस्कृति को इष्ट नहीं है।

जैन मस्कृति का यह उद्घोष है कि सिंह वृत्ति वाले निर्भीक मुनि मृत्यु-काल का जान प्राप्न करते ही अपने विशुद्धतर चारित्र, अपने सम्यग्-ज्ञान एवं अपनी उग्रतर तपस्या के द्वारा निर्भीक होकर अपनी आखो से पौडूलिक शरीर और मृत्यु के खेल को मुस्कराते हुए देखता है, वह मरने के लिये नहीं मरता, अपितु मृत्यु का खेल देखने के लिये अपने शरीर को मृत्यु के अर्पित करता है। उसे उस समय वही आनन्द आता है, जो किसी वस्त्र-प्रिय व्यक्ति को पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते समय आता है। अतः सलेखना पूर्वक सथारा आत्महत्या नहीं किन्तु मुनि-जीवन को साधना का एक विगिष्टतम अंग है।

मरने के तीन रूप—

किसी विगिष्ट सासारिक कारण से विवश होकर स्वयं अपने प्राणी का नाश करना आत्महत्या है। आत्महत्या के अनेको ही भेद हैं जैसे कि जलकर मरना, डूबकर मरना, फासी लेकर मरना, विष खाकर मरना, विजली के करण्ट से मरना, ट्रेन आदि से कटकर मरना, गोली खाकर मरना इत्यादि सब आत्महत्या के भेद हैं। इस विधि से मरने वाले को जैन मस्कृति प्रवर्णनीय नहीं समझती। उसका कहना है कि दूसरे को हिंसा जैसे पाप की जननी है, वैसे ही आत्महत्या भा पाप है, क्योंकि प्रमत्त योग से प्राणी का अतिपात करना ही पाप है।

दूसरे के द्वारा मारे जाने की सभावना होने पर उनकी निवृत्ति के लिये सागारी सथारा भी किया जा सकता है।

यदि किसी को यह जात हो जाए कि मेरा मरण-काल निकटतम है तो मुझे अब मोह ममत्व से निवृत्त होकर सलेखना एवं सथारे द्वारा मृत्यु का स्वागत करना चाहिए ताकि मारणा-योग । एक चिन्तन]

नितक आराधना हो पाए, तभी में आराधक वन सकूगा इस उद्देश्य को लेकर शुद्ध भाव से सथारा किया जाता है ।

मरण-काल को जानने के अनेक उपाय हैं । पाठकों की जानकारी के लिए कुछ एक उपाय प्रदर्शित किए जाते हैं—

१. किसी विशिष्ट ज्ञानी के कहने से मरण-काल का ज्ञान होता है ।

२. किसी सुअवसर पर देव दर्शन करने के अनन्तर देव-वाणी से भी मृत्यु काल का ज्ञान हो जाता है ।

३ मृत्यु-सूचक किसी स्वप्न द्वारा भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है ।

४ जन्म कुण्डली में किसी विशिष्ट योग से भी आयु की पूर्णता का ज्ञान हो सकता है ।

५ किसी शकुन या अपशकुन से भी मरण-काल का ज्ञान हो सकता है ।

६ अपने ही परिपक्व अनुभव ज्ञान से भी अपनी मृत्यु का ज्ञान हो सकता है ।

७ अपने दाहिने हाथ को नाक की सीध में सिर पर रखकर कलाई को देखना चाहिये, यदि कलाई पतली दोखे तो उत्तम है, यदि बीच से छिन्न होकर दीखे तो मरण-काल निकट समझना चाहिये ।

८ आखे बन्द करने पर जो प्रकाश दिखाई देता है, यदि वह न दिखाई दे, तो मरणकाल निकट समझना चाहिये ।

९ नाक के अग्र भाग को प्रतिदिन देखना चाहिये । जब

वह दिखाई देना बंद हो जाय तो भी मृत्यु-समय निकट जानना चाहिये ।

मृत्यु दो तरह की होती है, ज्ञान-पूर्वक मृत्यु और अज्ञान-पूर्वक मृत्यु । सलेखना एव सथारे के साथ मृत्यु का होना ज्ञान-पूर्वक है । राग-द्वेष के साथ पाप-कर्मों का आचरण करते हुए काल-धर्म को प्राप्त होना अज्ञान-मरण है । अज्ञान-मरण से दुखों की परम्परा लम्बी हो जाती है और ज्ञानपूर्वक मरण से ससार-यात्रा बहुत ही कम रह जाती है । जब तक किसी साधक को अपने मरणकाल का कोई ज्ञान नहीं है तब तक उसे सथारा करने की आज्ञा नहीं है, मृत्यु-समय का ज्ञान होने पर अन्त समय में मानव-जन्म प्राप्त होने का पूर्णतया लाभ उठाने की भावना को साकार बनाने के लिए सथारा करना आवश्यक है ।

सथारे में करणीय नियम—

सथारे में चार बातों का त्याग होता है— आहार, शरीर, उपधि और पाप । इन चारों का त्याग तीन करण और तीन योग से किया जाता है ।

सथारा करने के दो मार्ग हैं श्रावक-मार्ग और साधु-मार्ग । सथारा आगार सहित भी किया जाता है और आगार के बिना भी । जो आगार-सहित किया जाता है, वह देव-सबन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी और तिर्यञ्च सबन्धी किसी उपसर्ग के उपस्थित होने पर किया जाता है । सागारी सथारा करने में विकल्प होते हैं । यदि इस उपसर्ग से मेरा मरण हो जाए तो जीवन भर के लिए, यदि बचाव ही जाए, उपसर्ग टल जाए तो मैं पारणा कर लूंगा । यदि आगार-रहित सथारा किया गया है तो जीवन भर के लिए ही

किया जाता है, उसकी पूर्णता मृत्यु होने पर ही होती है ।

आहार त्याग—आहार चार प्रकार का होता है—असण, पाण खाडम, साडम । आर्य मनुष्य जब भी आहार करते हैं, वे उपर्युक्त चार प्रकार का ही आहार करते हैं । सद्यारे मे इन सब का परित्याग जीवन भर के लिए किया जाता है ।

शरीर-त्याग—शरीर हर प्राणी को प्रिय है । सभी घातक पदार्थों एव हिंसक जन्तुओं मे मानव अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है । इसकी रक्षा के लिए सब तरह के उपचार किए जाते हैं और घन को पानी की तरह बहा दिया जाता है । किन्तु सद्यारे मे उस शरीर को मुस्कराते हुए मृत्यु को अर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि साधक अपने शरीर से मोह-ममत्व को हटा लेता है ।

उपधि-त्याग—जीवन-निर्वाह के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता मानव को रहती है उन सबको उपधि या उपकरण कहते हैं । जब साधक अपने शरीर पर भी मोह-ममत्व नहीं रहने देता, उसका परित्याग करने को प्रसन्न हो जाता है, तब उपधि का परित्याग तो स्वत ही हो जाता है । जो अपने शरीर पर भी ममत्व बुद्धि नहीं रखता, वह बाहर की वस्तुओं पर ममत्व क्यों रखने लगा ? अतः सद्यारे मे उपधि का भी त्याग स्वत हो जाता है ।

पाप-त्याग—जो कर्म या क्रिया मन को या आत्मा को मलिन करे, अथवा जो जीव को दुर्गति का अतिथि बनाए, वह पाप है । पाप अठारह प्रकार का होता है । उन सबसे निवृत्त होना सद्यारे मे परमावश्यक है । जैसे कि—

१ प्राणातिपात-विरमण—मैं जीवन भर के लिए किसी के प्राणों का अपहरण नहीं करूंगा, भले ही वह जन्तु छोटा हो या बड़ा, त्रस हो या स्थावर, अपराधी हो या निरपराधी, शत्रु हो या मित्र, मानव हो या मानवेतर, आर्य हो या अनार्य, सब को अपनत्व दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से या समान दृष्टि से देखूंगा। उपसर्ग देने वाले को भी दिव्य दृष्टि एवं शान्त दृष्टि से देखना किसी का भी मन में बुरा चिन्तन न करना, प्राणातिपात-विरमण व्रत है।

२ मृषावाद-विरमण—सभी प्रकार के छोटे-बड़े झूठ से विरक्त होना, न अपने लिए झूठ बोलना, न दूसरे के लिए झूठ बोलना और न उभय पक्ष में झूठ बोलना, असत्य से अपने आप को हटाकर सत्य के अखण्ड प्रकाश में लाना मृषावाद विरमण है।

३ अदत्ता-दान-विरमण—चोरी के छोटे-बड़े सभी भेदों से अपने को पूर्णतया मुक्त करना। भला जो अपने पास रही हुई उपधि का भी त्याग करता है, वह दूसरे की उपधि पर ललचायमान होकर उसे ग्रहण करने का प्रयास क्यों करेगा ?

४ मैथुन-विरमण—सब प्रकार के छोटे-बड़े मैथुन के भेदों से विरक्त होना। जब आहार और शरीर का सर्वथा त्याग कर दिया जाय तब मैथुन में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती ?

५ परिग्रह-विरमण—सब प्रकार के जड-चेतन पदार्थों, स्व-जनो एवं परिजनो के ऊपर मोह का त्याग करना। परिमाण में और मूल्य में छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का परिग्रह न रखना या किसी पर मोह-समत्व न रखना परिग्रह-विरमण कहलाता है।

भला जिसने उपधि रखने का ही त्याग कर दिया, वह परिग्रह के पचडे मे क्यो पडने लगा ?

६ क्रोध-विवेक—हिंसा झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पाच कारणो से क्रोध उत्पन्न होता है। जिसके जीवन से ये पाचो पाप निकल गए है, उसे क्रोध उत्पन्न होने का कभी अवसर ही प्राप्त नही होता। जब आहार, शरीर और उपधि का ही त्याग कर दिया, तब क्रोध की उत्पत्ति का तो अवसर ही समाप्त हो जाता है।

७. अभिमान-विवेक—जिन - जिन कारणो के होते हुए अभिमान की सत्ता बनी रहती है, उन-उन कारणो के हट जाने से अभिमान भी सदा के लिए लुप्त हो जाता है।

८. माया-विवेक—हिंसा करते हुए कपट किया जाता है, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, दुराचार की ओर बढ़ते हुए तथा परिग्रह के निमित्त से प्राणी कपट करता है। कारण का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव हो जाता है। माया चाहे सासारिक हो या धार्मिक, माया के दोनो रूप वर्जित है।

९. लोभ-विवेक—जिसने आहार, शरीर और उपधि का त्याग कर दिया है। उसके हृदय मे लोभ पैदा ही नही हो सकता, वयोकि भौतिक पदार्थो के लाभ से लोभ बढ़ता है। ममत्व के त्याग और समत्व की प्राप्ति से लोभ समाप्त हो जाता है।

१० राग-विवेक—काम-राग, स्नेह-राग और दृष्टि-राग, ये तीन राग अप्रगस्त है। केवल धर्मराग ही प्रगस्त है। धर्मराग को दूसरे शब्दो मे धर्म-श्रद्धा भी कह सकते है। सथारे मे एक धर्म-राग ही रह जाता है, गेष सब राग लुप्त हो जाते हैं।

११. द्वेष-विवेक—राग प्रकृति के निवृत्त होने से जीव पर से द्वेष की छाया स्वतः ही हट जाती है। जब किसी पर राग होता है, तभी दूसरे पर द्वेष होता है। जब राग ही नहीं रहा तो द्वेष का उद्भव कहा हो पाएगा ?

१२ कलह-विवेक—जब क्रोध और द्वेष पर नियन्त्रण हो गया तो कलह-क्लेश तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार लडाई-झगड़े का त्याग भी सथारे में स्वतः ही हो जाता है।

१३ अभ्याख्यान-विवेक—जिम्ने झूठ का त्याग कर दिया, वह किसी पर झूठा आरोप क्यों लगाने लगा ? सथारे में सब प्राणियों के प्रति समता होती है। असत्यारोप लगाया जाता है विषमता में, जब हृदय से वैषम्य ही चला गया तो फिर आरोप-प्रत्यारोप कैसे ?

१४. पैशुन्य-विवेक—पीठ पीछे निन्दा करना, चुगल खोरी, मुखवरी करना पैशुन्य है।

१५ परपरिवाद—सथारे के लिये प्रस्तुत शुद्ध हृदय में किसी की चुगली या निन्दा का भाव उदित ही नहीं होता। सथारे में साधक परम ज्ञान्ति का अनुभव करता है। जहाँ सब जीवों पर मैत्रीभाव हो जाए, वहाँ इन पापों का प्रवेग होता ही नहीं है।

रति-अरति-विवेक—असयम में प्रवृत्ति, प्रीति तथा मन की दौड़ को रति कहते हैं और सयम में प्रीति का न होना, उपेक्षा भाव का होना अरति है। रति और अरति का उदय कपाय भाव से होता है, जब कपाय ही नहीं, तब साधक हृदय से इस पाप का भी निराकरण स्वतः हो जाता है।

१७. माया-मृषा-विवेक—दूसरे और आठवें पाप का मिश्रण योग एक चिन्तन]

ही माया-मृपा है। इसका अर्थ है कपट पूवक झूठ बोलना। जब भी कपट और झूठ दोनों का त्याग हो गया, तब इस पाप की निवृत्ति स्वयं ही जाती है। सथारा करने वाले के हृदय में कपट के भाव आते ही नहीं हैं।

१८ मिथ्या-दर्शन-शल्य-विवेक—जिसकी श्रद्धा या विचार मिथ्या एव गलत हो वह सथारा करता ही नहीं, उसमें सथारे के प्रति प्रीति, रुचि होती ही नहीं, अतः वह मिथ्यात्व-अनुरजित विचारों को मन में नहीं आने देता। सम्यग्दृष्टि में तत्त्व से विपरीत श्रद्धा होती ही नहीं। सथारे में धर्म की साधना विशेष रूप से की जाती है। अतः इस पाप की निवृत्ति भी स्वयं ही जाती है।

आहार, शरीर, उपधि और अठाग्रह तरह के पापों की निवृत्ति, ससार से विरक्ति और हृदय में विवेक का होना ही सथारा कहलाता है। सथारा जीवन का परमोत्कर्ष है, सथारा विचार और आचार का परिपक्व फल है। सथारा आराधक बनाने का अमोघ साधन है। सथारा परमपद को पाने का सीधा मार्ग है, सथारा त्याग की चरम सीमा है। सथारा कर्मजाल से मुक्त होने का सफल उपाय है। सथारा सब तरह की इच्छाओं से निवृत्ति होने का राजमार्ग है। सथारा सब तरह के दुःखों से छूटने का श्रेष्ठ साधन है। सथारा अपूर्ण से पूर्ण बनने का, आत्मा से परमात्मा बनने का उत्तम साधन है।

साधु के तीन मनोरथ—

साधु सर्वदा यही सोचता है कि कब वह सुअवसर प्राप्त हो, जब मैं जिन-वाणी का थोड़ा या बहुत अध्ययन करूँ। इससे

श्रुतज्ञान की विशिष्टता और उपयोगिता सिद्ध होती है। साधु के मन में श्रुत-अध्ययन की अभिरुचि सदैव बनी रहनी चाहिए, तभी वह साधना के क्षेत्र में विजयी एवं सफल हो सकता है। ऐसी भावना रखता हुआ यदि साधु मन में, वाणी से और काय से करता है, तो वह महानिर्जरा एवं कर्मों का महापर्यवसान करता है।

दूसरा मनोरथ है धन्य होगा वह दिन, जब मैं राग-द्वेष से अलग होकर और आठ गुणों से युक्त होकर स्थविर-कल्पी से जिन कल्पी और जिन-कल्पी से कल्पातीत बनकर एकल्ल विहार प्रतिमा को अगीकार कर विचरण करूंगा ? ऐसी भावना रखता हुआ साधु कर्मों की महानिर्जरा एवं महापर्यवसान करके अपने मनोरथ को सिद्ध करता है। स्थविर-कल्पी साधु को इस स्वर्णिम अवसर की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। इस भावना को पूर्ण करने के लिए उसे सतत अभ्यास करते रहना चाहिये।

साधु का तीसरा मनोरथ है—वह दिन मेरे लिये धन्य एवं कल्याणकारी होगा, जब मैं जीवन की अन्तिम घड़ी को विधिपूर्वक सब प्रकार से आहार का, शरीर का, उपधि का तथा पापों का परित्याग कर समाधिपूर्वक पादोपगमन सथारा करके आयु के अन्तिम क्षणों में शरीर-त्याग का दृश्य देखूंगा। इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिये मन, वाणी और काय से नित्यप्रति सथारा करने का अभ्यास करते हुए, मन से भावना भाए, वाणी से सथारे की प्रक्रिया का समर्थन करे और काय से कुछ क्षणों तक सथारे का अभ्यास करता रहे। इस से भी साधु कर्मों की महानिर्जरा और महापर्यवसान करता है।

धमणोपासक के तीन मनोरथ^१—

१. स्थानाङ्ग सूत्र का स्थान ३, उद्देशक ४।

श्रावक सर्वदा यह चिन्तन करे कि कब वह स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा जब कि मैं न्यायोपाजित परिग्रह को थोडा बहुत श्रुत-सेवा मे, प्रवचन-प्रभावना मे, सहधर्मी-वत्सलता मे, निर्वनो की सहायता मे खर्च करूँ, दान मे लगाता रहूँ। जिस द्रव्य पर से ममत्व-बुद्धि उठ जाती है, वही द्रव्य दान मे दिया जा सकता है। इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिये मैं यथाशक्य नित्यप्रति सचित धन का अधिकाधिक शुभ कार्य मे दान करता रहूँगा। मन मे उदारता होगी, वाणी मे प्रीति, सम्मान होगा, काय मे दान देने की शक्ति एव व्यवहार होगा। ऐसी भावना भाने वाला श्रावक भी कर्मों की महानिर्जरा एवं महापर्यवसान करता है।

उसका दूसरा मनोरथ है—कब मैं गृहवास का परित्याग करके सत्ताईस गुणो से सम्पन्न होकर साधुवृत्ति को ग्रहण करूँगा। साधक को साधना मे आगे बढ़ने की भावना कभी भी नहीं छोडनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आगे न बढ़ सके तो भावना में दीनवृत्ति भी नहीं आने देनी चाहिए। इस मनोरथ से भी श्रावक महानिर्जरा एवं कर्मों का महापर्यवसान करता है।

उसका तीसरा मनोरथ है—कब मैं पादपोषगमन सथारा करके समाधिपूर्वक अपनी आयु के अन्तिम क्षणो को सफल बनाता हुआ तथा काल की आकाक्षा न करता हुआ, धर्मसाधना मे विचरण करूँगा। सथारा किए जाने पर भी मृत्यु की इच्छा न रखना यह जैन सस्कृति की महती विशेषता है। इस मनोरथ की सिद्धि के लिये श्रावक मन से, वचन से और काय से नित्यप्रति अभ्यास करे इस से वह कर्मों की महानिर्जरा एव महापर्यवसान करता है।

महापर्यवसान का अर्थ है भवपरम्परा की या अगुभ कर्मों

की महाराशि का अन्त करना । जब तक कर्मों की निर्जरा अनन्त गुणा नहीं होती, तब तक उनका अन्त या महापर्यवसान भी नहीं होता ।

मरण-भेद

स्थानाङ्ग सूत्र के दूसरे स्थान के चतुर्थ उद्देशक में बारह प्रकार के बालमरण का उल्लेख किया गया है जैसे कि १ बलय-मरण २. वशार्त्त-मरण ३. निदान-मरण ४ तद्भव-मरण ५. गिरि-पतन ६ तह-पतन ७ जल-प्रवेश-मरण ८ अग्नि-प्रवेश-मरण ९ विष-भक्षण, १०. शस्त्राघपाटन ११ वेहायस-मरण १२ गृद्ध-स्पृष्टमरण ।

भगवती सूत्र में दूसरे शतक के प्रथम उद्देशक में निदान-मरण के स्थान में अन्तःशल्य मरण का उल्लेख है, जेप ग्यारह भेद स्थानाग की तरह ही हैं ।

समवायाङ्ग सूत्र के सत्रहवें समवाय में सत्रह प्रकार के मरणों का उल्लेख किया गया है जैसे कि १ आवीचि-मरण, २ अवधि-मरण, ३ आत्यन्तिक-मरण ४ बलय-मरण ५ वशार्त्त-मरण, ६. अन्त शल्य-मरण, ७ तद्भव-मरण, ८ बाल-मरण, ९. पण्डित-मरण, १० बाल-पण्डित-मरण, ११ छद्मस्थ-मरण १२ केवली-मरण, १३ वेहायस-मरण, १४. गृद्धस्पृष्ट-मरण, १५ भक्त-प्रत्याख्यान-मरण, १६ इगिनी-मरण, १७ पादपोषगमन-मरण ।

इन पदों का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है—

१ प्रत्येक क्षण में आयुष्कर्म के दलिको का क्षय होना आवीचि-मरण है । यह भेद सभी देहधारी जीवों में पाया जाता है ।

योग एक चिन्तन]

- २ आयु की मर्यादा पूर्ण होने पर एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिये परलोक जाता, किमो के मारने पर नहीं, अपनी मीत से मरना अवधि-मरण है ।
३. जिस भव मे तरकभव या देवभव को प्राप्न किया है, वहा की आयु पूर्ण कर, पुन उसी भव को पाना, जहाँ मे मर कर वहा गया है । इसको आत्यन्तिक-मरण कहते है ।
४. महाभ्रत या अणुभ्रत को भग कर या छोड़ कर मरना वलय-मरण है ।
५. इन्द्रियो के विषयो में आमक्त होकर मरना वशार्त्त-मरण है, जैसे दीपक की लौ पर पतगा जल कर मर जाता है । वीणा के मधुर स्वर को सुनकर सर्प, जिह्वा के वश होकर मच्छली मरती है । ऐसी मृत्यु को वशार्त्त मरण कहते हैं ।
६. व्रतो मे लगे हुए दोषो की आलोचना निन्दना किए विना मरना अन्त गल्य-मरण है ।
७. जिस भव की आयु पूर्ण की, उसी भव मे पुन उत्पन्न होना, जैसे मनुष्य का मर कर मनुष्य-भव मे उत्पन्न होना, तिर्यच का मर कर तिर्यच योनि मे जन्म लेना तद्भवमरण है । ऐसा मरण मनुष्य या तिर्यच का ही होता है, देव या नारकियो का नहीं ।
८. अविरत, अपच्चकखाणी एव असयत जीवो का मरण वाल-मरण कहलाता है ।
९. सवेविरत संयमी एव सयत जीवो का मरण पण्डित-मरण माना जाता है ।

१०. आदर्श गृहस्थ एव श्रमणोपासक का जो मरण होता है वह बाल-पण्डित-मरण कहलाता है ।
११. छद्मस्थ की मृत्यु को छद्मस्थ-मरण कहते हैं । छद्मस्थ का अर्थ है अल्पज्ञ ।
१२. केवली की मृत्यु को केवली-मरण कहा जाता है । जीव की सर्वज्ञ अवस्था को केवली कहते हैं ।
१३. वृक्ष, पर्वत आदि से गिरकर या गले में फासी लेकर मरना वेहायस-मरण है ।
१४. गृद्ध पक्षी आदि हिंस्र-जन्तुओं द्वारा अपने शरीर का भक्षण करवा कर मरना गृद्ध-स्पृष्ट-मरण कहलाता है ।

आमरण अनगन को जैन-भाषा में सथारा कहते हैं । सथारे के तीन भेद हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना ही आराधकता है । ऐसी मृत्यु कर्मों की अनन्त वर्गणाश्री को क्षय कर देती है । भव्य जीवों को इसकी प्राप्ति के लिए प्रातः, सायं यह भावना अवश्य करनी चाहिए । जैसे विरक्त आत्मा में दीक्षा-ग्रहण करते समय हर्ष और उत्साह बढ़ा करता है, वैसे ही मृत्यु का समय निकट-जानकर सफल साधक के मन में हर्ष एवं उत्साह सीमा से निःसीम हो जाते हैं । जो जीव मृत्यु से डरता रहता है उसको मृत्यु नहीं छोड़ती, चाहे वह किसी भी देवलोक में जन्म क्यों न ले । जब साधक आगे बढ़कर मृत्यु का स्वागत करने के लिए निर्भीकता से उद्यत होता है, तब मृत्यु सदा-सदा के लिए उसका पीछा छोड़ देती है । अतः साधक मृत्युभय को अपने हृदय में अणुमात्र भी स्थान न दे । उसे सर्वदा यह भावना भानी चाहिए कि यदि सलेखना पूर्वक अनशनन्न के द्वारा इस क्षण-भगुर योग [एक चिन्तन]

शरीर का नाश होता है तो यह मेरे लिए बड़े सीभाग्य की बात है ।

सयम और तप की विशुद्ध आराधना करके जो मृत्यु होती है वही सकाममरण है । इससे विपरीत पापवृत्तियों के चक्र में फस कर मरना अकाममृत्यु है । वह जन्म-मरण की परंपरा को बढ़ाने वाली मृत्यु मानी गई है । यह मृत्यु जीवों को ससार-सागर में डुबोती है सकाम मृत्यु जीव को उभारती है और साथ ही अभय बनाती है ।

सयम और तप का नवीनीकरण ही सथारा है । यद्यपि सन्नेखना के द्वारा सथारे का पहले से ही अभ्यास प्रारम्भ किया जाता है, तथापि पूर्णतया सथारा तो अतिम मास, पक्ष या सप्ताह के भीतर ही किया जाता है । उसमें आचार-विचार आदि में नवीनीकरण किए बिना आराधक बनना दुःशक्य है । नवीनीकरण में श्रद्धा, सवेग, निर्वेद, धृति आदि की साधना पहले की अपेक्षा अधिक होती है । इन गुणों की देखरेख में ही जीवन समुन्नत होता है ।

सथारे के तीन भेद हैं उनका विश्लेषण निम्नलिखित है —

१५ भक्त-प्रत्याख्यान—यह सथारे का पहला भेद है, इसमें सथारा करने वाला स्वयं भी अपनी गुरुपूजा कर सकता है और दूसरे से भी करवा सकता है । वह सथारा करने पर भी गमनागमन कर सकता है । उपाश्रय के भीतर कमरे से बाहर या अन्दर ऊपर-नीचे जा-आ सकता है । यह सथारा कारण से भी किया जाता है और बिना कारण से भी । उपाश्रय के एक भाग में जहाँ से मृत्यु के पश्चात् मृत शरीर का निर्हरण किया जाए, वसति से बाहर ले जाया जाए, वही

पर सथारा करना चाहिये । इस मे सथारे के सभी नियमो का पालन सामान्यतया करना ही होता है ।

१६ इगिनीमरण—इस सथारे मे सामान्य नियम वे ही है जो भक्त-प्रत्याख्यान के है, किन्तु कुछ विशेष नियम भी है जो कि पहले मे नही है । इसमे मर्यादित या निश्चित की हुई भूमि से बाहर न जाने का प्रण करना होता है । इसमे सथारेवाला अपनी शुश्रूषा स्वय कर सकता है, किन्तु दूसरे से अपनी सेवा नही करवा सकता । इसकी आराधना वसति मे भी की जा सकती है और वसति से बाहर भी । इसमे मर्यादा-क्षेत्र के अदर हलन-चलन किया जा सकता है । यह पहले की अपेक्षा अधिक कठिन है ।

१७ पादपोषगमन—कटी हुई वृक्ष की शाखा की तरह किसी एक ही स्थान मे पडे रहना । यह सथारा प्राय उपाश्रय से बाहर गिरि-कदरा आदि एकान्त स्थान मे किया जाता है । इस संथारे वाला अपने शरीर की शुश्रूषा, सेवा, देखभाल न स्वय करता है और न दूसरो से करवाता है ।

सलेखना पूर्वक आमरण अनशन का हेतु शरीर के प्रति निर्मोह एव निर्ममत्व होना है । जब तक देह का ममत्व रहता है तब तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है । जब देह के ममत्व से मुक्त हो जाता है तब मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है । इसका मुख्य लक्ष्य आत्म-लीनता है ।

अनाचरणोय-भाव

उपर्युक्त सथारे के किसी भी भेद मे दोषो से सर्वथा अद्वृता रहना ही व्रत का महत्त्व है । किसी तरह का भी प्रमाद व्रत के

महत्त्व को गिरा देता है। सथारे में भी कुछ ऐसे दोष हैं जो मानसिक दुर्बलता से लग जाते हैं। प्रमाद दोषों के लिए मार्ग खोल देता है। सथारे में लगने वाले दोष निम्नलिखित हैं—

१. इहलोकाशंसा-प्रयोग—मनुष्य-लोक विषयक इच्छाएँ करना, जैसे कि “मैं अगले भव में राजा, मंत्री, सेठ या आचार्य बनूँ” अथवा मित्रों पर या पुत्रादि पर स्नेह बधन रखना दोष है।

२. परलोकाशंसा-प्रयोग—परलोक-विषयक इच्छा रखना—जैसे कि “मैं परलोक में इन्द्र बनूँ, या ‘उच्च देव बनूँ’ ऐसी चाहना रखना दोष है।

३. जीविताशंसा-प्रयोग—पूजा-सत्कार आदि विभूतियाँ देख कर उनके लालच में आकर अधिक जीने की इच्छा करना।

४. मरणाशंसा-प्रयोग—सेवा-सत्कार न देखकर, प्रशंसा आदि न देखकर, भूख-प्यास, वेदना आदि से पीड़ित होकर, किसी को पास आते न देखकर, उद्वेग के कारण शीघ्र मरने की चाह करना दोष है।

५. काम-भोगाशंसा-प्रयोग—दृष्ट या अदृष्ट काम-भोगों की कामना करना, अथवा समय और तप-त्याग के बदले किसी भी तरह की भोग-सामग्री की चाह करना दोष है। यद्यपि सथारे के समय वचन और काय से ऐसी कोई क्रिया नहीं की जाती, तथापि केवल मानसिक भावों को लक्ष्यों में रखकर सथारे में दोष लग जाने की सभावना रहती है, अतः सब प्रकार के दोषों से सावधान रहना ही साधक का कर्तव्य है।

संखेलना-विधि

विधि से किया हुआ कोई भी कार्य अवश्य सफल हो जाता

है ? सलेखना-व्रती साधक को सलेखना की विधि का ज्ञान होना ही चाहिए । विधि का ज्ञान श्रुतज्ञान से होता है । श्रुतज्ञान देहली-दीपक-न्याय को चरितार्थ करता है । श्रुतज्ञान स्व-प्रकाशक भी होता है और पर-प्रकाशक भी । वह अन्दर भी प्रकाश करता है और बाहर भी । प्रत्येक कार्य के निष्पादन करने की विधि अलग-अलग है । घट बनाने की विधि अलग है और पट बनाने की विधि भिन्न है ।

आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधना के अनेक भेद हैं । जिस साधना में सलग्न रहना हो, उस की आराधना भी विधि से ही की जानी चाहिये । इन्द्रियो और मन को नियन्त्रित करने की और कपायो के निग्रह करने की अनेक विधियाँ हैं । जैसे दीक्षा-विधि से दी जाती है और विधि से ही ली जाती है, उसी प्रकार विधि-पूर्वक ग्रहण किया हुआ सथारा ही जीवन को समुन्नत करने का एक मात्र अमोघ उपाय है । सथारा प्रौषधशाला में, उपाश्रय में या किसी एकान्त स्थान में करना चाहिए ।

जब पूर्णतया सथारा करना हो तब सब से पहले आमरण अनशन करने के लिए उचित स्थान जो कि सब तरह से निर्दोष हो उसका निरीक्षण करना जरूरी है । मलमूत्र परठने के लिए भी उचित एवं निर्दोष स्थान होना जरूरी है । भूमि पर आसन बिछा कर पूर्वाभिमुख या उत्तर दिशाभिमुख चौकड़ी लगाकर बैठे—“इच्छा करेण सदिसह भगव, इरियावहिय०” का पाठ पढ़े, तस्सुत्तरीकरण का पाठ पढ़े, फिर लोगस्सुज्जोयगरे पाठ का ध्यान करे, फिर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका चारो तीर्थ से खिमेत-खिमावना करे, जैसे कि—

योग एक चिन्तन]

आयरिय-उवज्भाए, सीसे साहम्मिए कुल गणे य ।
 जे मे केइ कसाया सव्वे तिविहेण खामेमि ॥
 सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अजलि करिय सीसे ।
 सव्वं खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयपि ॥

उस के बाद सब जीवों से खिमत-खिमावना करते हुए कहे—
 मैं सब जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ और वे सब जीव मुझे
 क्षमा करे, मैं सब जीवों के साथ पूर्ण मैत्री स्थापित करता हूँ,
 क्योंकि मेरे मन में अब किसी के प्रति वैर-विरोध नहीं रहा ।

उसके बाद जो पहले साधु के महाव्रतों में या श्रावक के व्रतों
 में किसी तरह का कोई दोष लगा हो तो उसकी आलोचना,
 निन्दना, गर्हणा करके सब तरह से मन के माया-शल्य, निदान-
 शल्य और मिथ्या-दर्शन-शल्य रूप तीनों शलयों का उद्धरण करके
 सभी अकरणीय एवं अनाचरणीय दुष्कृत्यों को जीवन भर के लिए
 न मन से करना, न मन से कराना और न मन से समर्थन करना,
 न वाणी से दुष्कृत्य करना, न वाणी से पाप कराना और न वाणी
 से पाप कर्म का समर्थन करना, न स्वयं काय से पाप-कर्म करना,
 न काय द्वारा पाप कर्म कराना और न पाप-कर्म का काय द्वारा
 समर्थन करना, इस प्रकार सधारे में नौ कोटि से प्रत्याख्यान किया
 जाता है ।

यह शरीर मेरे लिए निधान की तरह एवं बहुमूल्य रत्नों से
 भरे हुए डिब्बे की तरह इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, इन्द्रिय और
 मन के अनुकूल रहा है, यह मेरे लिये सम्मत, अनुमत एवं विश्वस्त
 रहा है । मैं इस शरीर को सर्दी-गर्मी से बचाता रहा, भूख-प्यास
 से इसकी रक्षा करता रहा, इसे चोर-डाकुओं के प्रहार से

सुरक्षित रखता रहा, हिंस्र जन्तुओं से, डास-मच्छर, कीड़ी-खट-मल आदि क्षुद्र प्राणियों से इसे हानि नहीं पहुंचने दी, उत्पन्न होने वाली विविध व्याधियों, आतकों, परीपह उपसर्गों से बचाने का उपाय करता ही रहा, किन्तु अब मैं अन्तिम श्वास तक इस शरीर के मोह-ममत्व से अलग होता हूं, शारीरिक मोह का पूर्णतया त्याग करता हूं। अब यह पुराना जोपडा धराशायी होनेवाला है। 'मेरा मरण शीघ्र हो।' इस तरह काल होने की आकांक्षा न करता हुआ, अन्तित्य आदि बारह प्रकार की भावनाओं में विचरण करते हुए सथारे को सफल करूं।

सलेखना-पूर्वक आमरण अन्तशन पर मुझे दृढ श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुरूप प्ररूपणा है, दोनों के अनुरूप सयम की आराधना तथा सथारे की आराधना करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। जब मेरा सथारा निरतिचार सीभेगा, तभी मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा। अब जड-चेतन आदि पदार्थों से मेरा कोई सवध नहीं, हसी-मजाक, विकथा-प्रमाद आदि विकारी वातावरण से दूर रहकर जिनवाणी, तत्त्वज्ञान एव बोध-कथाओं से अपने को भावित करूं, गुरुदेव मुझे धर्म-शिक्षा, उपदेश देते हुए मेरे भावों को मंगलमय एव कल्याणमय बनाकर आराधकता के स्तर पर पहुंचाकर नमस्कार-मंत्र का स्मरण कराते हुए मेरा सथारा सीझने का आशीर्वाद प्रदान करे।

मारणान्तक सलेखना करने का पाठ .—

अपच्छिम-मारणतिय-सलेखना-ञ्जसणा-आराहणा । पोपधशाला पु जी-पु जी ने उच्चार-पासवण भूमिका पडिलेही पडिलेहीने, गमणागमणे पडिक्कमी-पडिक्कमीने, दर्भादिक सथारो सथरी-सथरीने, दर्भादिक सथारो दुरुही-दुरुहीने, पूर्व तथा उत्तर दिशि

योगे एक चिन्तन]

[२२९]

पल्यक आदि आमने वेसी वेसी ने, करयल सुपरिगहिअं मिरसावत
मत्यए अजलि त्ति कट्टु एवं वयामी—

नमोत्थु णं अरिहंताण भगवताण,

आइगराण तित्थगराणं सयसबुद्धाण ।

पुरिमुत्तमाण पुरिसमीहाण पुरिमवरपुंडरीयाणं पुरिमवर-
गध-हत्थीण ।

लोगुत्तमाण लोगनाहाण लोगहियाणं लोगप्पईवाणं लोग
पज्जोयगराण ।

अभयदयाण चक्खुदयाण मग्गदयाणं सरणदयाण जीवदयाण
वोहिदयाण ।

धम्मदयाणं धम्मदेसयाण धम्मनायगाण धम्मसारहीण
धम्मवरचाउरत चक्कवट्ठीण ।

दीव-ताण-सरण-गइ-पड्डाण, अपडिहय वरणाणदंसणघराणं
वियट्टेच्छउम्माणं ।

जिणाणं जावयाण, तिण्णाण तारयाण, बुद्धाण वोहयाण
मुत्ताण मोयगाणं ।

सव्वण्णूण सव्वदरिसीण सिव-मयल-मुख्य-मणत्त-मक्खय
मव्वावाहमपुणरावित्ति सिद्धिगड नामवेय ठाण सपत्ताण नमो
जिणाण जियभयाण ।

एम अनन्ता सिद्ध जी ने नमस्कार करीने, जयवंता वर्तमान
तीर्थकरो ने नमस्कार करीने ।

निम्नलिखित पाठ दो-वार पढकर धर्माचार्य को नमस्कार
करे ।

इच्छामि खमासमणो वदिउ जावणिज्जाए निसीहियाए
 अणुजाणह मे मि उग्गह निसीही "अहो काय काय" सफास खम-
 णिज्जो भे किलामो अप्पाकिलताण बहुमुभेण मे दिवसो वड्कतो ?
 जत्ता भे ? जवणिज्जं च भे ? खाममि खमासमणो ! देवसिय
 वड्कम । आवस्सियाए पडिक्कमामि खमासमणाण देवसियाए
 आसायणाए तित्तीसन्नयराए जकिकिचि मिच्छाए मणदुक्कडाए, वय-
 दुक्कडाए कायदुक्कडाए ।

कोहाए माणाए मायाए लोहाए । सव्वकालियाए सव्वमिच्छो-
 चयाराए सव्वघम्माइक्कमणाए आसायणाए जो मे अइयारो कम्मो
 तस्स खमासमणो । पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं
 वोंसिरामि । इस प्रकार अपने धर्माचार्य को नमस्कार करके—

साधु प्रमुख चारे तीर्थ खमाविने, सव्वजीवराशि खमाविने,
 पूर्वे जे व्रत आदरया छे तेना जे अतिचार दोष लागया होय ते सव्वे
 ने आलोई पडिक्कमी निदी निशलय थई ने सव्वे पाणाइवाय
 पच्चक्खामि, सव्वे मुसावाय पच्चक्खामि, सव्वे अदिन्नादाण पच्च-
 क्खामि, सव्वे मेहुण पच्चक्खामि, सव्वे परिग्गह पच्चक्खामि ।
 सव्वे कोह माण जाव मिच्छादमणसल्ल अकरणिज्जं जोग पच्च-
 क्खामि, जावज्जीवाए तिविह तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि
 करतपि नाणुजाणामि, मणसा वयसा कायसा एम अठारे पाप
 स्थानक पच्चक्खीने, सव्वे असण पाणं खाइम साइम चउव्विहपि
 आहार पच्चक्खामि जावज्जीवाए । इस प्रकार चारो आहारो का
 प्रत्याख्यान करके ।

ज पिय डम सरीर इट्टं कत पिय मणुण्णं मणाम धिज्जं
 वेसासियं समय अणुमय, भडकरडसमाणां, रमण करडगभूय मा ण-
 सिय, मा ण उपह मा ण खुहा, मा ण पिवासा, मा ण वाला, मा ण

चोरा, मा ण दमगा, मा ण मसगा, मा ण वाहिय, पित्तिय, कप्फिय सन्निवाइय विविहा रोगायका परीसहा उवसग्गा फासा फुसति, एवपिय ण चरमेहि ऊसास-नोसासेहि वोसिरामि त्ति कट्टु इस प्रकार शरीर का व्युत्सर्ग करके काल अनवकखमाणे विहरामि । इस प्रकार की सदृहणा पखुवणा, करिए तिवारे फर्सनाए करी शुद्ध, एहवा अपच्छिम-मारणतिय-संलेहणा-अूसणा-आराहणा ना पच अइयारा जाणियच्चा न समायरियच्चा, त जहा ते आलोक—


इह लोगामसप्पओगे, पर-लोगाससघओगे, जीवियाससप्पओगे मरणाससप्पओगे कामभोगाससप्पओगे ।


समाधि मरण ही सथारा है, अत मरण को कला बनाने के लिये श्रमण-संस्कृति में जीवन के प्रारम्भ से ही अभ्यास करने का सकेत किया गया है क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है । मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु से भयभीत होना अज्ञान का फल है । अज्ञानियों का जन्म-मरण दोनों ही नगण्य हैं । ज्ञानियों का जीवन कलापूर्ण होता है । जीवन का कालमान बढ़ा होता है जब कि मरण का समय स्वल्प ही होता है । जीवन भर में धर्म-कला का विकास जितना करने पाता है उसके अनुसार ही मरण-कला का विकास होने पाता है । मरण-कला ही प्रमाणित करती है कि इस साधक ने जीवन भर में धर्म-कला सीखने में कितना परिश्रम किया है ? इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि भगवान महावीर ने जो सन्धारे के विधि-विधान का निर्देश किया है, वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता ।

रत्तत्रय के आराधक तीन प्रकार के होते हैं—उत्कृष्ट आराधक, मध्यम आराधक और जघन्य आराधक । इनमें पहली कोटि का आराधक उसी भव में परमपद को प्राप्त कर लेता है । दूसरी कोटि

का तीसरे भव को अतिक्रम नहीं करता और तीसरे स्तर का आराधक सात या आठ भव को अतिक्रम नहीं करता ।

रत्नत्रय का आराधक सदा के लिए नरक गति से, निर्यंचगति से, दुर्गतिरूप मनुष्यगति से, भवनपति-वानव्यतर-ज्योतिष्क, आभियोगिक, किल्बिषी, परमाधामी, तिर्यग्जृ भक, स्त्री, नपुंसक और दैवी, इन सब से सबव विच्छेद कर देता है । वह तो केवल उच्च-वैमानिक देव बनता है या मुकुल, सुजाति में सब तरह के वैभव से सपन्न महामानव बनता है । जब तक वह सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इन दो सुगतिशो में ही जन्म-मरण करता रहता है । वह सात भव देव के और आठ भव मनुष्य के, इस प्रकार पन्द्रहवें भव में निश्चय ही सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है । बुद्ध संधारा करने से कर्मों की महानिर्जरा और महापर्यवसान होता है, दुःखों की परम्परा समाप्त हो जाती है । यही है आराधक बनने की कल्याण परंपरा ।





◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
मानव-धर्म
 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

सत्यं दया तप. शौच, तितिक्षेच्छा शमो दम. ।
 अहिंसा ब्रह्मचर्यञ्च, त्याग स्वाध्याय एव च ॥१॥
 सतोप समदृक् सेवा, ग्राम्येहोपरम. शनै ।
 नृणा विपर्ययेहेक्षा, मौनमात्म - विमर्शनम् ॥१॥
 अन्नाद्यादे सविभागो, भूतेभ्यश्च यथार्हत ।
 तेष्वात्म - देवता - बुद्धि , सुतरां नृषु पाण्डव । ॥१०॥
 श्रवण कीर्तनञ्चास्य, स्मरण महता गते ।
 सेवेज्या - वनतिर्दास्यं, सख्यमात्म - समर्पणम् ॥११॥
 नृणामयं परो धर्मो, जनाना समुदाहृत ।
 त्रिशल्लक्षणवान् राजन् । सर्वात्मा येन तुष्यति ॥१२॥

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ मानव-धर्म ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

यद्यपि जैनागमो मे मानवता के लक्षणो की विस्तृत व्याख्या की गई है, फिर भी हम यहा श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध में दिए गए मानवता के लक्षणो का परिचय दे रहे हैं, केवल इस उद्देश्य से कि हम यह जान सके कि अन्य सम्प्रदायो ने भी मानवता के उन्ही लक्षणो का निर्देश किया है जो जैन शास्त्रो मे वर्णित है।

यह निश्चित है कि मानव सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि जो विशेषताएँ मानव मे पाई जाती है उनकी प्राप्ति अन्य प्राणियो मे सर्वथा असम्भव है। जीव परमपद की प्राप्ति जब भी करेगा, तब मानवता को ग्रहण करके ही कर सकता है। यही कारण है कि मानवता को दुर्लभ कहा गया है।

मानवता का अर्थ है मानव-धर्म। जो व्यवहार सब के लिये हितकर एव परम प्रिय हो वह धर्म है। उचित-अनुचित का विचार करके प्राणि-मात्र का हित सम्पादन करनेवाली चित्तवृत्ति ही धर्म है, अथवा वस्तु का जो भी गुण या स्वभाव है, वह धर्म कहलाता है। स्वकर्त्तव्य भी धर्म की परिधि मे आ जाता है। धर्म-विशिष्ट मानव ही मानव है, अतः मानव बडा नहीं है, अपितु मानव मे रही हुई धर्म-भावना अर्थात् मानवता ही बड़ी है।

यद्यपि मानवता की सीमा नहीं बांधी जा सकती, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देखने में दो हाथों वाले सभी प्राणी मानव ही हैं, किन्तु केवल मानव-योनि में जन्म लेने मात्र से मानव मानव नहीं बन जाता, मानव वह है जो उत्तरोत्तर अपनी मानवता का विकास करता है। मानव-धर्म क्या है? इस सन्दर्भ में विचारक ऋषियों ने मानव-धर्म के ऐसे तीस लक्षण बताए हैं, जो मानवता के विकास की परख हैं; जिनसे वास्तविक मानवता का परिचय प्राप्त होता है, जो मानवता के विकास की कसौटी हैं, जैसे कि—

१. सत्य

जिसका अस्तित्व पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा वही सर्वदा एक रूप रहने वाला तत्त्व सत्य है। सत्य भी आत्मा की तरह अमर तत्त्व है। वह आत्मा के भीतर भी है और बाहर भी। प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं—बहिरग और अतरग। इन्हीं को दूसरे शब्दों में द्रव्य-सत्य और भाव-सत्य भी कह सकते हैं। द्रव्य सत्य का प्रकाश घुन्धला होता है और भाव सत्य का प्रकाश अत्युज्ज्वल होकर सबत्र फैलता है। सम्यग्दृष्टि जीव सत्य की आराधना दोनों तरह से करता है। उसके मन में भी सत्य का वास होता है, मस्तिष्क में, वाणी में तथा काय में भी सत्य निवास करता है। जब आत्मा सत्यमय हो जाता है तब वह परमात्मा बन जाता है। जीवन के भीतर सत्य का जितना प्रकाश होगा, जीवन उतना ही मान्य एवं प्रामाणिक होगा, अतः सत्य मानवता का प्रथम लक्षण है।

२. दया

दया का अर्थ है निष्काम भाव से प्राणियों की रक्षा करना । रक्षा दूसरे की भी की जाती है और अपनी भी । दया के भी दो रूप होते हैं, द्रव्य-दया और भाव-दया । अपने और दूसरे के प्राणों की रक्षा करना द्रव्य-दया है और अपने आपको और अन्य व्यक्त को पाप-कर्मों से, राग-द्वेष से बचाना भाव-दया है । द्रव्य-दया पुण्यवध का तथा भाव-दया सबर और निर्जरा का कारण है । मानवता में दोनों तरह की दया समाविष्ट है ।

३. तप

तप का अर्थ है अपने आपको साधना की आग में तपाना । खाने में, पीने में, पहनने में, बोलने में, भोगादि में संतोष रखना-कपायो का शमन और इन्द्रियों का दमन सतोप-वृत्ति से ही होता है । शमन और दमन से मन का निग्रह स्वतः ही हो जाता है । तप भी दो तरह का होता है—बहिरंग और अतरंग । जिसका प्रभाव शरीर पर या लोगों पर पड़े, वह बहिरंग तप है और जिस का प्रभाव आत्मा या मन पर पड़े, वह अतरंग तप कहलाता है । सम्यग्दृष्टि-सच्चे मानव के लिए दोनों प्रकार का तप उपयोगी होता है ।

४. शौच

शुचि और शौच ये दोनो शब्द पवित्र एवं स्वच्छ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । शौच भी दो प्रकार का होता है द्रव्य-शौच और

भाव-शौच । अपवित्र को पवित्र करना ही शौच की उपयोगिता है । जब अपवित्र द्रव्य को पवित्र करने के लिए अनेक शोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसे द्रव्य-शौच कहा जाता है मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, धूप, साबुन, तेजाब आदि से जो सफाई की जाती है वह द्रव्य-शौच है इनसे भावों की शुद्धि नहीं हो सकती । जो भावों को पवित्र करनेवाले तत्त्व हैं, उनसे ही आन्तरिक शुद्धि होती है । मंत्र, ब्रह्मचर्य तप, पश्चात्ताप, प्रायश्चित्त, क्षमा आदि तत्त्वों से अन्तःकरण की शुद्धि होती है । बहिरंग शुद्धि सभ्यता है और अन्तरंग शुद्धि संस्कृति । व्यवहार नय की दृष्टि से दोनों प्रकार के शौच उपयोगी हैं, किन्तु निश्चयनय संस्कृति को ही मुख्यता देता है । भावों की पवित्रता ही संस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्द मानवता की बाहरी और भीतरी पवित्रता के ही द्योतक हैं ।

५. तितिक्षेच्छा

इस शब्द का अर्थ है सहन-शक्ति का उपयोग । जब कभी कोई अनाड़ी व्यक्ति गाली दे, या लोगों के सामने निन्दा करे, या तिरस्कार करे, उस समय साधक को सहनशक्ति से काम लेना चाहिए । अथवा यदि कोई मार-पीट करके कण्ठ देता है, उसे शान्तिपूर्वक सहना चाहिये । कर्म-भोग के रूप में स्वतः उत्पन्न हुए कण्ठों को सहन करना भी मानवता का लक्षण है ।

राग-द्वेष से तटस्थ रहना समता है और समता ही सहन-शक्ति है । अत्याचारी के अत्याचारों को सहना लोक-व्यवहार में अपराध माना जाता है, उस अपराध से बचने के तीन उपाय हैं—

अत्याचारी को उपदेगो एव शिक्षाओ द्वारा समझाना, इतने प्रेम भरे शब्दों से उसे समझाना जिससे अपराधी को ऐसा जान पड़े कि यह मेरा हितैषी है, सच्चा मित्र है। यदि समझाने पर भी नहीं मानता तो मौन धारण करले। यदि मौन धारण करने से भी मन में खलबली मच रही हो तो टल जाने में ही हित है। इनमें से जिस उपाय में भी मन को शान्ति मिल सके और दूसरे का सुधार भी हो सके वैसा आवरण करना चाहिये, किन्तु स्वयं अपराध से अछूना रहे। दूसरे से अपराध छुड़ाता हुआ व्यक्ति यदि स्वयं अपराधी बन जाए तो यह बुद्धिमत्ता नहीं है, इसे मानवता का विकास नहीं कहा जा सकता है।

६. शम

उभरने वाले मानसिक विकारों को उभरने न देना शम कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार मानव को वैचैन बनाए रखते हैं। जिस वार्तालाप से, जिस साहित्य से, जिस वातावरण से किसी भी विकार के भडकने की संभावना हो, उसे अपने को दूर रखना तथा शान्त-उपशान्त एवं प्रशान्त रहना शम है। शम ही मानवता है, विकारों से दब जाना मानवता नहीं।

७. दम

जब इन्द्रिया अपने-अपने विषय को ग्रहण करने के लिए दौड़ लगाना चाहती हो, धर्म-मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो, पथ-भ्रष्ट करने के लिए उतारू हो रही हो, तब उन्हें सयम से

नियंत्रित करना, वहिर्मुखी से अन्तर्मुखी बनाना दम कहलाता है। जैसे धोड़े को लगाम से वश में किया जाता है वैसे ही इन्द्रियों को दम-नीति से नियंत्रित किया जाता है। उन्हें उदण्ड एवं उच्छृंखल न होने देना मानवता है।

८. अहिंसा

हिंसा न करना ही अहिंसा है। सकल्प-पूर्वक या जान-बूझ कर किसी भी निरपराधी छोटे-बड़े प्राणी को मारना हिंसा है। मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा से निवृत्त होना अहिंसा है। अहिंसा भी दो प्रकार की होती है एक द्रव्यत अहिंसा और दूसरी भावत अहिंसा। किसी के प्राणों को न लूटना, उसे व्यथा न पहुंचाना, द्रव्यत अहिंसा है। राग-द्वेष से अलग रहना भावत अहिंसा है।

दूसरों के प्राणों की रक्षा करना भी मानवता है और राग-द्वेष से अपने को अलग रखना भी मानवता है। अहिंसा के बिना मानवता पनप नहीं सकती। इसका पालन मानव ही कर सकता है; अतः इसे भी मानव-धर्म कहा गया है।

९. ब्रह्मचर्य

सदाचार का पालन मानव ही कर सकता है, ब्रह्मचर्य मानवता के साथ ही पनपता है। एक पत्नीव्रत का पालन करना भी कथंचित् ब्रह्मचर्य है, क्योंकि उसमें सतोष की प्रधानता होती है और दुराचारी वृत्तियों के दमन का भाव होता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म में लीन होने के जितने भी उपाय हैं उन सब का

आचरण करना वस्तुतः ब्रह्मचर्य है। तवेसु वा उत्तमं वभचेरं। सब तपो मे ब्रह्मचर्य को उत्तम कहा गया है, क्योंकि तपश्चर्या ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए की जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन मानव ही कर पाता है, अतः ब्रह्मचर्य भी मानव-धर्म है।

१०. त्याग

किसी पाप या वस्तु-विशेष को छोड़ने के अर्थ में त्याग शब्द का प्रयोग होता है। वह दो प्रकार का होता है, आशिक त्याग और पूर्ण त्याग। इनमें पहला भेद गृहस्थाश्रम में पाया जाता है और दूसरा सन्यासाश्रम में। इन को क्रमशः श्रमणोपासक-वृत्ति और साधु-वृत्ति भी कहते हैं। जब साधक लक्ष्य की ओर बढ़ता है तब मार्ग में आने वाले प्रगति के बाधक तत्त्वों को छोड़ता हुआ साधना-पथ पर अग्रसर होता है। त्याग पापवृत्तियों का किया जाता है और पर-पदार्थ का भी। जब एक आर साधक बढ़ता है तो दूसरी ओर बहुत कुछ छोड़ता भी है। आत्मा ने जो अपना सत्त्व पर-पदार्थों से जोड़ा हुआ है उसको अपने से अलग करना त्याग है। त्याग भी मानव ही कर सकता है।

११. स्वाध्याय

जिनःशास्त्रो-का अध्ययन करने से समय-एव-तप-मे प्रवृत्ति हो, अथवा जिन के अध्ययन करने से-सुवृत्ति एव-सुनिवृत्ति विषयक ज्ञान हो, अथवा उपादेय-रूप धर्म के सभी भेदों का तथा हेयरूप पाप-के सभी भेदों का ज्ञान हो, अथवा आत्म-तत्त्व का सुज्ञान, जानना, समझना, चिन्तन, मनन करना अथवा ध्यान और समाधि

के विधि-विधानों को पढ़ कर ज्ञान प्राप्त करना ही स्वाध्याय है। ध्यान के शिखरों पर चढ़ने के उपाय स्वाध्याय से ही जाने जाते हैं। स्वाध्याय अतरंग तप है, स्वाध्याय से मन एकाग्र होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, चारित्र्य निर्दोष बनता है। स्वाध्याय भी मानव-धर्म है, क्योंकि मानवैतर प्राणी स्वाध्याय नहीं कर सकता।

१२. सन्तोष

जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वे सब इन्द्रिय-ग्राह्य हैं। जो इन्द्रिय-ग्राह्य पदार्थ हैं, वे सब आसक्ति उत्पन्न करनेवाले हैं। जीवन में आसक्ति का कम होना, अर्थात् अनासक्ति ही संतोष है। ममत्व की निवृत्ति ही समता है और इच्छाओं का निरोध ही सन्तोष है, सन्तोष को ही अपरिग्रह कहा जाता है। सन्तोष से तृष्णा और लोभ ये दोनों स्वत ही नष्ट हो जाते हैं, इससे सभी इच्छाएँ अनायास ही शान्त हो जाती हैं। फिर साधक न अपने को वरिष्ठ समझता है और न दूसरे को कनिष्ठ। सन्तोषवृत्ति भी मानव के अन्तःकरण में ही उत्पन्न हो सकती है, अतः सन्तोष भी मानवता का एक अंग है। इससे पाप-प्रवाह स्वत ही अवरुद्ध होने लगता है।

१३. समदर्श

समदर्शी होना। सब को समान दृष्टि से देखना ही समदर्शिता है। कचन और काच में, नगर और वन में, सुख और दुःख में, जन्म और मरण में, ऊँच और नीच में, नरक और स्वर्ग में, हानि और लाभ में, उदय और अस्त में, समदर्शी बनकर रहना, शत्रु और मित्र को समान भाव से देखना, त्रस और स्थावर जीवों

मे समान-भाव से दया का व्यवहार करना, समदर्शिता रूप मानव-धर्म है। मानवता का पालन मानव ही कर सकता है, मानवेतर प्राणी नहीं। समद्रष्टा बनना भी मानवता ही है।

१४. सेवा

दूसरो को सुख और शान्ति पहुचाना, सबके काम मे सहायता करना सेवा है। अपना सुख छोडकर ही दूसरो की सेवा की जा सकती है। जिसके मन मे सहानुभूति, दया अनुकंपा होगी, वही सेवा कर सकता है। क्रोध और अभिमान छोडकर ही सेवा की जा सकती है। शान्त, सहिष्णु एव अक्षुब्ध व्यक्ति ही सेवा करके पुण्यानुवधीपुण्य और निर्जरा का पात्र बन सकता है। सेवा भी मानव ही कर सकता है मानवेतर नहीं। अतः सेवा भी मानवता का अभिन्न अंग है।

१५. ग्राम्येहोपरम

यह शब्द ग्राम्य + ईहा + उपरम इन तीन शब्दो से बना हुआ है। ग्राम्य का अर्थ है—इन्द्रिय-समूह, भौतिक सुख या पशुवृत्ति। इन की कामनाओ से निवृत्त होना ही ग्राम्येहोपरम है। इन्द्रियो की दासता भौतिक सुखो मे तल्लीनता मूढता, अनभिज्ञता, परस्पर लडना-झगडना, स्वार्थ-परायणता, परमार्थहीनता ये सब पशुवृत्ति के अवगुण है। इन सबसे बचे रहना मानवता है। पशुवृत्ति आत्मा को पतन की ओर उन्मुख करती है, जबकि मानवता उच्चस्तर की प्रकृति एव सस्कृति है। इसका पालन भी मानव ही कर सकता है, अतः ग्राम्येहोपरमता भी मानवता का सहचारी गुण है, मानवता का चिन्ह है।

१६. विपर्ययेहेत्ता

यह शब्द भी तीन शब्दों से बना हुआ है विपर्यय + ईहा + ईक्षा। अपने मन की धारणा के विपरीत दूसरे उसके सबब में क्या चाहते हैं, इस विषय का विचार करना। यह भी मानव की ही विशेषता है कि वह जो कुछ भी करता है उसमें हानि और लाभ सोच कर करता है और साथ ही कार्य करने से पहले या करते समय यह अवश्य सोचता है कि इस कार्य से मेरा यश होगा या अपयश ? दूसरे मेरे समर्थक बनेंगे या विरोधी ? मेरा सम्मान बढ़ेगा या अपमान होगा ? मैं जिस सध में रहता हूँ-उसकी प्रतिष्ठा होगी या-अवनति ? संघ मेरा अनुगमन करेगा या विरोध। इन बातों का सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन करना मानव-धर्म है। मानवैतर-प्राणी में यह विशेषता मिलनी असम्भव है।

१७. मौन

न-बोलना ही मौन है। झूठ न बोलना, निन्दों न करना, विना विचारों न बोलना, व्यर्थ न बोलना, अहंकारों की भाषों में न बोलना, गुस्से में आकर न बोलना, कपट भाषों में न बोलना, विकथा न-करना, पीडाकारी, हिंसाकारी भाषों न बोलना, भय से न बोलना, हसी-भजाक से न बोलना, व्यग्यात्मक भाषा न बोलना, कलहकारी बोली न बोलना भी मौन के ही अंग है। मौन करने से वाणी की शक्ति बढ़ती है। मन श्रद्धा के केन्द्र में स्थिर हो जाता है। शका और भय से मुक्त होकर समाधिस्थ भी हो जाता है। बोलने की शक्ति होते हुए भी न बोलना अर्थात् रसनेन्द्रिय को नियंत्रित करना भी मानवधर्म है।

१८. आत्म-विमर्शन

प्रत्येक वात के मवध में सब से पहले अपने मन में उचित चिन्तन करना। आत्म-निर्णय और आत्म-विश्वास शुभ सकल्यों से ही हो सकते हैं। मानव जिस कार्य को करना चाहता है उस के आस-पास भीतर और बाहर होने वाले लाभ और हानि, स्वल्प लाभ और अधिक लाभ, स्वल्प हानि और अधिक हानि, इन सब बातों के प्रत्येक पहलू पर विचार करना मानवता है। आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से हानि और लाभ का विचार करके अंत में आत्म-निर्णय करना मानव-धर्म है।

१९. सविभाग

सविभाग का मुख्य अर्थ है, जीवन उपयोगी वस्तुओं का उचित विभाग एवं उचित वितरण करना। प्रायः ससार में यह देखने में आता है कि मनुष्य राग और पक्षपात के अनुसार ही अन्न-धन आदि का वितरण करता है। किसी को कम, दिया जाता है और किसी को अधिक। यही विषम व्यवहार कलह का कारण होता है।

न्याय नीति के अनुसार वस्तुओं का बटवारा करना मानवीय धर्म है। जो उचित सविभाग नहीं करता वह वस्तुतः चोर है। चोर तो वधन का अधिकारी होता है, मोक्ष का नहीं। "असविभागी नहु तस्स मोक्खी"—यदि कोई साधक होकर भी भोजन-पानी, वस्त्र, स्थान आदि का बटवारा उचित नहीं करता, स्व-पर का भेद भाव रखकर वितरण करता है वह असविभागी माना जाता है। भले ही वह लोगों के आगे कितना ही उच्च सयमी

हो, किन्तु भगवान महावीर के शब्दों में वह मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। वस्तु का न्यायोचित वटवारा होने पर न किसी की शिकायत होती है और न किसी को दुःख होता है। अतः न्याय-संगत वितरण करना मानवता है। मानवेतर प्राणियों में यह विशेषता नहीं पाई जाती।

२०. आत्म-बुद्धि

सभी मानवों में आत्मीयता का अनुभव करना, “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना रखना। ऐसे शुभ सकल्प मानव में ही उत्पन्न हो सकते हैं। सब प्राणियों को आत्मतुल्य समझना, या सब मनुष्यों को अपने सम्बन्धी के समान समझना, अपनत्व भाव रखना, किसी में भी परत्व की भावना न रखना, भले ही वह छोटा है या बड़ा, धर्म-आत्मा है या पापात्मा, आस्तिक है या नास्तिक, किसी के प्रति भी द्वेषभाव न रखना, घृणा, अर्थात् नफरत न रखना मानवता है। मानव का मानव के प्रति सद्ब्यवहार करना ही मानवधर्म है।

२१. देवता-बुद्धि

मानव-मात्र में देवतुल्य पूज्य-भावना रखना। किसी के साथ राक्षसी या दानवी भावना से बर्ताव न करना, दिव्यदृष्टि से देखना, समझना, मानना प्रत्येक मानव का हितचिन्तन करना मानवता है। आदर की दृष्टि से सब का सम्मान करना ही देवता-बुद्धि है।

२२. श्रवण

जीवन-उत्थान के शिक्षा-सूत्र सुनना, प्रभु-वाणी एव सन्त-वाणी सुनना, गुरुजनो के उपदेश सुनना जिनके श्रवण से सम्यक्-ज्ञान के आलोक से आत्मा आलोकित हो मके वैसे शिक्षा-सूत्र एव सूक्तिया सुनना मानवीय कर्त्तव्य है। सुशिक्षाओं के सुनने से मानवता पनपती है—पल्लवित, पुष्पित एव फलित होती है, विकसित होते-होते वह मानवता समीम से असीम हो जाती है। मानवेतरों में ऐसी श्रवण-शक्ति नहीं पाई जाती है।

२३. कीर्तन

परम श्रद्धेय रूप परमेष्ठी, धर्माचार्य आदि के गुणों की प्रशंसा करना, उनका पुनीत नाम लेकर दूसरों के सामने स्तुति करना, उनका यशोगान करना, जिस से सब लोग धर्मलाभ और पुण्यानु-बन्धी पुण्यसे लाभान्वित हो जाएं, इस प्रकार की ध्वनि-प्रक्रिया को कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन करना भी मानवीय भावना है मानवेतर प्राणी कीर्तन करना नहीं जानता। अतः कीर्तन भी मानवता का अभिन्न अंग है।

प्रशंसा के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि स्वार्थसिद्धि के लिये की गई प्रशंसा से दूसरों के हृदय में दुर्वासना बढ़ती है। लोक-कार्यार्थ की गई प्रशंसा से अभिमान बढ़ता है। दूसरे की उन्नति के लिये की गई प्रशंसा में उत्साह बढ़ता है और निष्काम प्रशंसा से श्रेय बढ़ता है। अतः गुणी जनो की स्तुति, प्रशंसा एव यशोगान मानव-धर्म है।

२४. स्मरण

भगवान के गुणों का स्मरण करना, महापुरुषों को उत्तम गति कैसे प्राप्त हुई ? सीखी हुई या पढ़ी हुई शिक्षाओं को पुन पुन. याद करना मानव-धर्म है। मानवेतर प्राणियों में स्मरण रूप विशेषता भी नहीं पाई जाती है।

२५. लोक-सेवा

जनता-भगवती की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। जनता के लिये रोटी, कपडा, मकान आदि का प्रवन्ध करना, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशिक्षणालय खोलना, बेरोजगारों को किसी कारोवार में लगाना, अनाथ, वृद्ध, अपाङ्गों को सुख-सुविधा की व्यवस्था करना, शत्रु-राज्यों के आक्रमणों से जनता की रक्षा-व्यवस्था करना, चोर-डाकुओं से जनता को बचाना, जिन कारणों से जनता की पाप-वृत्ति हट जाए वैसी व्यवस्था करना, लोक-सेवा है। जन-सेवा मानव ही करता है। मानवता ही मानव-धर्म है। मानवता से ही मानव महान् बनता है।

२६. इज्या

यज् धातु—देवपूजा, संगतिकरण और दान अर्थ में प्रयुक्त होती है। यज् का सप्रसारण रूप इज्या बनता है। देवपूजा—धर्मदेव और देवाधिदेव इनकी क्रमशः श्रमण निर्ग्रन्थ और तीर्थङ्कर या अरिहन्त भगवान भी कहते हैं। पूजा का अर्थ है—सत्कार बहुमान करना। मन में श्रद्धा, वाणी से स्तुति और काय से आज्ञा-पालन, इन तीनों के समन्वय को पूजा कहते हैं। अपने और दूसरों के लिये कल्याणकारी साधनों को जुटाना संगतिकरण है। धर्म-दान,

अनुकम्पा दान अभय-दान, विद्या-दान अन्न-वस्त्र-श्रीषध-दान, सहयोग, आत्मबलिदान- इन सब को इज्या या यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। इस प्रसंग में सात्त्विक यज्ञ ही अभीष्ट है, तामसी और राजसी यज्ञ नहीं, क्योंकि सात्त्विक यज्ञ करना ही मानवता है। सात्त्विक यज्ञ निम्नलिखित है—

१. स्वाध्याय-यज्ञ—अध्ययन-अध्यापन में सँलीन रहना।
२. जप-यज्ञ—पाठितग्रन्थों का पुन-पुन परिशीलन करना, या जाप करना।
३. कर्म-यज्ञ—सुशिक्षाओं को जीवन में उतारना, अप्रमत्त होकर कर्तव्य का पालन करना।
४. मानस-यज्ञ—समाधिस्थ रहना, धर्मध्यान में तल्लीन रहना।
५. ब्रह्म-यज्ञ—आत्मा में सलीन होना या परमात्मा में तल्लीन रहना।
६. देव-यज्ञ—धर्म-गुरु या धर्माचार्य का सम्मान करना।
७. पितृ-यज्ञ - माता-पिता की सेवा या बहुमान करना।
८. भूत-यज्ञ—छोटे-बड़े सभी प्राणियों की रक्षा करना किसी का अहित न सोचना और प्राणि मात्र के लिये अन्न-दान देना भूतयज्ञ।
९. अतिथि-यज्ञ—अतिथियों का सम्मान करना।
इस प्रकार के सात्त्विक यज्ञ मानवता के पोषक माने गए हैं।

२७. विनय

विनम्रता का होना ही विनय है । विनय से मानवता चमकती है, जैसे किसी स्थान में चिन्तामणि रत्न पटा होने पर भी वह उस पुण्यवान को ही प्राप्त होता है जो उसके गुणों की परख करने वाला जौहरी है, जो उसे झुककर उठाने का प्रयास करता है । वैसे ही सम्यग् ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य ये तीन अनमोल रत्न चिन्तामणि के समान हैं, परन्तु इनकी प्राप्ति विनीत व्यक्ति को ही हो सकती है, अभिमानी व्यक्ति इन्हे प्राप्त नहीं कर सकता ।

अहंकार के नष्ट एवं मद् होने से जिस गुण की उपलब्धि होती है वही विनय है । विनय से ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति होती है । विनीत मानव सब को अच्छा लगता है । वंदना, वात्सल्य, स्तुति, प्रीति, आदर, सत्कार, बहुमान इन सब का ग्रहण विनय शब्द से हो जाता है । यह निश्चित सिद्धान्त है जो श्रद्धेय के प्रति विनीत होगा, वह अवश्य ही विश्ववध बन जाएगा ।

२८. दास्य

पूज्य जनो का या पंच परमेष्ठी का दास बन कर कर्त्तव्य का पालना करना दास्य है । दास्य-भाव अपनाने वाले के लिए वह दिन अधिक दूर नहीं होता जब वह दासत्व से निवृत्त होकर सदा के लिए स्वामी बन जाता है । जिसका दास बनने से कालान्तर में जो स्वामी उसे अपने तुल्य बना देता है, वस्तुतः उसी स्वामी की दासता उपयोगी मानी जाती है । वह दासता जीवन का पतन नहीं, बल्कि उत्थान करनेवाली होती है । मानवता का विकास

वस्तुतः इसी दासता से हो सकता है। जब तक परमपद की प्राप्ति न हो, तब तक स्वामी-सेवक का सवध बना रहता है, तत्पश्चात् वह स्वतः ही सदा के लिए नष्ट हो जाता है। पूज्यजनो का तथा गुणी जनो का दास बनकर उनकी आज्ञा का पालन करना मानवता है।

२६. सख्य

विश्व मैत्री और भगवत्-मैत्री दोनों का समावेश सख्य में हो जाता है। इससे मानवता का विकास होता है। इस गुण के विकसित होने से शेष सभी गुण स्वयं विकसित हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी के साथ मित्रता का सवध होता है तब वह उसका न कभी अहित सोचता है और न उसकी कभी बुराई करता है। अतः मानवता के विकास में सख्य भी एक अमोघ उपाय है।

३०. आत्म-समर्पण

मानवो की भलाई के उद्देश्य से मूक एवं निरीह प्राणियों की रक्षा आत्म-बलिदान देकर भी करनी चाहिए। गुरु के आगे अपने द्वारा किए गए अपराधो को सरल हृदय से व्यक्त करना, अपनी भूल को शुद्ध हृदय से मान लेना, पुनः वैसी भूल न करने के लिए सतत जागरूक रहना आत्म-समर्पण है। यह विशेषता भी मानव में ही पाई जाती है। अतः आत्म-समर्पण करना भी मानवता का एक अभिन्न अंग है।

इस प्रकार श्री मद्भागवत् के निर्माता महर्षि व्यास ने मानवता के विकास के लिये उपर्युक्त जिन तीस गुणों का वर्णन किया है, वे ऐसे गुण हैं जो साम्प्रदायिकता की संकीर्णताओं से मुक्त हैं, सर्व-जनोपयोगी हैं, मानव-मात्र के लिये ग्राह्य हैं और जन्तव के सिद्धान्तों का समर्थन करनेवाले हैं । ●



जिन गुणों द्वारा देवत्व की उपलब्धि हो या दिव्य संपत्तियाँ प्राप्त हो उन सभी गुणों को दैवी संपत्ति कहते हैं, अथवा उच्च देव जब अपनी स्थिति पूर्ण कर के मनुष्य-लोक में मनुष्यत्व को प्राप्त करता है तब वह जिन गुणों से समृद्ध होता है उसके स्वाभाविक गुणों को दैवी संपत्ति कहा जाता है ।

जिस मनुष्य में ये दिव्य गुण होते हैं, वह विश्व का कल्याण और उद्धार कर सकता है । प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उक्त दैवी संपत्ति का यथाशक्य सचय करे । इनकी आराधना पालना के लिए किसी भी देश, काल, जाति, संप्रदाय का कोई प्रतिबंध नहीं । इन गुणों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार कर अपना उद्धार कर सकता है । अतः इन गुणों को सामान्य धर्म कहते हैं । विशेष धर्म वह कहलाता है जो देश, वैष्वर्ण, जाति, काल संप्रदाय आदि की विवक्षा रखता हो ।

जैन धर्म सामान्य और विशेष दोनों से अनुरजित है । सामान्य के बिना विशेष नहीं और विशेष के बिना सामान्य नहीं दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं ।

श्रीमद्भागवत् और गीता दोनों पर श्री कृष्ण का प्रभाव है और श्रीकृष्ण त्याग एव सयम के साकार रूप जन-जन के उद्धारक भगवान् श्री नेमिनाथ के उपदेशों से प्रभावित हुए थे, अतः उनकी वाणी ने मानवता के समुद्धार के लिये सर्वत्र ऐसे ही गुणों का वर्णन किया है जिन पर जैनत्व की स्पष्ट छाप है । प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित ३२ योगों की विस्तृत व्याख्या इसका प्रमाण है ।

